दशम माला, खंड 11, अंक 35

मंगलवार, 21 अप्रैल, 1992
1 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63
Date 16/8/93

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायगा]

165	नीचे से 10	"जार्ज फर्नान्डीज" के स्थान पर "श्री जार्ज फर्नान्डीज" पढ़िये ।
178	नीचे से 12	"मानवेन्द्र शाह" के स्थान पर "श्री मानवेन्द्र शाह" पढ़िये ।
182	नीचे से 11	"वकशाप कायशाला" के स्थान पर "वर्कशाप कार्यशाला" पढ़िये ।
204 205	15, 19, 22 14	"श्री पवन कुमार बांसल" के स्थान पर "श्री पवन कुमार बंसल" पढ़िये ।
210	18	"श्री एस0बी0चव्हन" के स्थान पर "श्री एस0बी0 चव्हाण" पढ़िये ।
211	12, 28	"श्री बसुदेव आचाय" और "श्री बसुदेवा आचार्य" के स्थान पर "श्री बसुदेव आचार्य" पढ़िये ।
223	नीचे से 6	"श्री राम कापपे" के स्थान पर "श्री राम कापसे" पढ़िये ।
226	नीचे से 2	"श्री लाल कृष्ण आडावाणी" के स्थान पर "श्री लाल कृष्ण आडवाणी" पढ़िये ।
248	14	"श्री मनोरंन भक्त" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खंड 11, तीसरा सत्र 1992/1914 (शक)

अंक 35, मंगलवार, 21 अप्रैल, 1992/1 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 675 से 680 और 682	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24-154
तारांकित प्रश्न संख्या : 674, 683, 684 और 686 से 693	24-35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7233 से 7364	35-154
(एक) स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों कर्मचारियों की भर्ती के बारे में दिनांक 31.3.92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5391 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	154-155
(दो) ललित कला अकादमी के लिए भूमि आवंटित करने के बारे में दिनांक 24.3.92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	155-156
सभा पटल पर रखे गये पत्र	179-180
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	180

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत 181

नियम 377 के अधीन मामले 181-185

(एक) पी. वी. सी. पर आयात शुल्क बढ़ाकर अन्य पोलीमर वस्तुओं के बजट पूर्व आयात शुल्क के समान किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. अनुबकोडी आदित्यन 181-182

(दो) एक समन्वित प्राधिकरण के अधीन एक अल्पकालीन "ताजमहल नवीकरण परियोजना" तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री के. वी. तंकाबालु 182

(तीन) त्रिवेन्द्रम के निकट नेमोम रैलवे स्टेशन पर सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. चार्ल्स 182

(चार) एच. बी. जे. पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु उत्तर प्रदेश को आश पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत 183

(पांच) हिमाचल प्रदेश के कुछ कस्बों में कम शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम धूमल 184

(छः) बिहार में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी 184

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोजगार योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 184

(आठ) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले 184-185

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	
विदेश मन्त्रालय	186-194
श्री सुधीर सावंत	187-192
श्री पी. जी. नारायणन	192
अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति के बारे में	192-194
नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	194-249
श्री एस. बी. चव्हाण	194-195
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	197-214
श्री शरद दिघे	214-219
श्री जार्ज फर्नान्डीज	219-239
श्री ए. चार्ल्स	240-244
श्री बसुदेव आचार्य	244-249

लोक सभा

मंगलवार 21 अप्रैल, 1992/1 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर प्रदेश को माल डिब्बों की सप्लाई

[हिन्दी]

*675. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माल डिब्बों की सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, ईंट के भट्टों के लिए कोयले की ढुलाई, लेवी चीनी की बुकिंग तथा कोटद्वार को खाद्यान्न की ढुलाई के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुए हैं,

(ग) मांगें नियन्त्रित रूप से पूरी की जा रही है,

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो माल डिब्बे अथवा रैक के सप्लाई करने का अनुरोध किया है उसका विवरण क्या है और कितने डिब्बे अथवा रैक राज्य सरकार ने मांगे थे, कितने राज्य सरकार को उपलब्ध

करवाए गए और कितनों की कमी रह गई ? दुसरा विषय है कि मंत्री जी ने हमें उचित जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत ग्रहों, ईंट भट्टा प्रयोग को कोयला तथा लेवी चीनी आदि की ढुलाई के लिए और कोटद्वार को खाद्यान्न की ढुलाई के लिए अलग-अलग कितने डिब्बे अथवा रैक की मांग की और सरकार ने कितने डिब्बे अथवा रैक उपलब्ध करवाए तथा उसमें कितने प्रतिशत की कमी रही ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : बीजी वैगनों की मांग वर्ष 1991-92 के दौरान 9,13,378 थी तथा 9,12,595 डिब्बो की आपूर्ति की अधिक एम. जी. वैगनों की मांग 1,42,167 की थी तथा 1,42,167 डिब्बों की ही आपूर्ति की गई। इन डिब्बों का प्रयोग कोयले और सीमेंट की ढुलाई, ईंट भट्टों तथा अनाज और उर्वरकों इत्यादि की ढुलाई के लिए किया गया।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : इन्होंने फिर भी साफ नहीं किया कि जो आश्वासन दिया था उसमें कितने की कमी रही। मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो आश्वासन दिया था उसमें 35 प्रतिशत की कमी रह गई थी। आप यह बताएं कि क्या यह सत्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य-मंत्री ने रेल मंत्री जी को शिकायत की थी कि रेल विभाग से वैगन एवं रैक समय से और पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है जिससे ताप विद्युत ग्रहों में विद्युत उत्पादन में गिरावट आ रही है तथा ईंट भट्टा उद्योग प्रभावित हो रहा है और लेवी चीनी की ढुलाई में अत्यधिक विलम्ब होता है। यदि ऐसा है तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए रेल मंत्री ने क्या कदम उठाए हैं और क्या मुख्यमंत्री की मांग के अनुरूप पर्याप्त तथा समय से रेल डिब्बे अथवा रैक उपलब्ध करवा रहे हैं ? यदि हां तो कब तक।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिब्बों 2[illegible].1.92 को ईंट भट्टों तथा चीनी की ढुलाई के लिए रेल डिब्बों की आवश्यकता के सम्बन्ध मे लिखा है उन्होंने पहले भी चीनी की ढुलाई के लिए रेल डिब्बों की आवश्यकता के बारे मे लिखा था।

जहाँ तक ईंट भट्टों के लिए कोयले की आपूर्ति का प्रश्न है, 14-6-91 से लेकर 24-10-91 तक कोयला कम्पनियों ने ईंट भट्टों के लिए कोयले की कोई आपूर्ति नहीं की। केवल 25-10-91 के पश्चात फरवरी महीने तक कोयला कम्पनियों अर्थात बंगाल बिहार में कोयले की खानों से ईंट भट्टों के लिए कोयले की आपूर्ति आरम्भ हुई तथा हमने हर माह कोयले की ढुलाई प्रारम्भ कर दी नवम्बर के फरवरी महीने तक हमने 2068 डिब्बे कोयले की ढुलाई ईंट भट्टो के लिए की।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 676 पर चर्चा करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं आ गया हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता आप नियम जानते है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : कल मंत्री जी विलम्ब से आये थे तो उन्हें अवसर मिला था ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र झा : मैं यहां अकेला बैठा हुआ था । मैंने घबराहट महसूस की ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । ऐसा कई बार होता है ।

श्री योगेन्द्र झा : अब मैं यहां आ गया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं । अगर सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा अन्यथा नहीं ।

श्री योगेन्द्र झा : मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा । मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न पर वापिस आयेंगे ।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

676. श्री एन. डेनिस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु केन्द्रीय पूल से आबंटित की गई सभी सीटें वर्ष 1991-92 के दौरान भर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान चुने गये उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार छोड़कर चले गए; और

(ङ) छोड़कर जाने वाले उम्मीदवारों के कारण हुई रिक्त सीटों को किस प्रकार भरा गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष 199 -92 सत्र के दौरान उन राज्यों क्षेत्रों/संघ राज्यों/संघ जिसका कोई अपना मेडिकल कालेज नहीं है, तथा कुछेक केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए केन्द्रीय पूल से कुल 265 एम.बी.बी. एस. सीटें आवंटित की गई थीं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार, मंत्रालय वार आवंटित सीटों तथा उनकी उपयोगिता का ब्योरा इस प्रकार है—

1991-92 सत्र के लिए केन्द्रीय पूल की एम. बी. बी. एस. सीटें :

क.सं.	लाभार्थी एजेंसी का नाम	सीटों की संख्या	
		आवंटित	उपयोग की गई
1	2	3	4
1.	त्रिपुरा	21	21
2.	मणिपुर	21	21
3.	मिजोरम	12	12
4.	मेघालय	12	12
5.	सिक्किम	17	17
6.	अरुणाचल प्रदेश	20	20
7.	नागालैंड	16	x
8.	जम्मू व कश्मीर	26	26
9.	लक्षद्वीप	6	6
10.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	13	13
11.	दमन व द्वीव	2	2
12.	दादरा व नगर हवेली	2	x
13.	विदेश मंत्रालय	45	45
		5	5
14.	रक्षा मंत्रालय	25	25
15.	गृह मंत्रालय	6	6
16.	मंत्रीमंडल सचिवालय	3	3
17.	वित्त मंत्रालय	1	1
18.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1	1

1	2	3	4
19.	भारतीय संस्कृतिक संबंध परिषद	9	9
20.	भारतीय बाल कल्याण परिषद	2	2
2 .	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	5	5**

* उपयोगिता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

** 3 सीटों का उपयोग किया। चौथी सीट के लिए उपयोगिता रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। पांचवी सीट को संबंधित कालेजों द्वारा रिक्त बताया गया है क्योंकि चयनित उम्मीदवार ने दाखिला नहीं लिया।

श्री एन डेविस : महोदय, मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। केन्द्र विभिन्न कालेजो में प्रवेश उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करती है। इसके लिए 15% सीटें पूर्व स्नातक स्तर पर तथा 25 प्रतिशत सीटें स्नातकोत्तर स्तर पर रखी गई है मेरे प्रश्न के इसी भाग का उत्तर नहीं दिया गया है उत्तर से यह पता चलता है कि अन्तिम वर्ग की सीटों का उपयोग नही किया गया है। इसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा के आयोजन द्वारा चयन किए गए उम्मीदवारों द्वारा भी कुछ सीटें नहीं भरी गई है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय पूल की 265 सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाता है। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन सीटों को समय पर भरने के सरकार क्या कदम उठायेगी ताकि उपयुक्त उम्मीदवारों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : महोदय, शायद माननीय सदस्य दो प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते है। एक केन्द्रीय पूल के बारे में तथा दूसरा उन अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के बारे मे जिनके द्वारा 15 प्रतिशत सीटें स्नातक-पूर्व स्तर पर तथा 25 प्रतिशत सीटें स्नातकोत्तर स्तर पर भरा जाता है। शायद माननीय सदस्य ने इसका प्रश्न मे स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है उन्होंने स्पष्ट रूप से केन्द्रीय पूल के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में मंत्रालय का कोई कोटा नहीं है। हम राज्य सरकारों से केन्द्र के लिए कोटे के प्रावधान का निवेदन करते है क्योंकि केन्द्र मे हम उन राज्य सरकारों को सीटें उपलब्ध करवाते है, जहां पर कि कोई मेडिकल कालेज नही है तथा इसके साथ-साथ विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मन्त्रालय, जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय इत्यादि के लिए भी सीटें उपलब्ध करवाते है। जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा है, नागालैंड के अतिरिक्त, जिसके सम्बन्ध में कि सूचना उपलब्ध नहीं है 265 सीटों में से बाकी सभी सीटें भरी जा चुकी है। कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, परन्तु मैं उसे सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कुछ सम्पूर्ण हो। बाकी जानकारी एकत्र पर रखा जा रहा है।

श्री एन. डेनिस : विभिन्न कालेजों को उम्मीदवारों की सूची भेजने अत्यधिक विलम्ब किया जाता है, कुछ नाम शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति के करीब भेजे जाते है। इसके राज्यों, विदेश

विद्यालयों तथा विद्यार्थियों पर काफी बोझ पड़ता है। उपस्थिति तथा अन्य कारणों से चालू सत्र में विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या पूरी सूची, प्रतीक्षा सूची समेत ठीक समय पर भेज दी जायेगी ताकि आज उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।

श्री एम. एस. फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सीटों के आबंटन में कोई विलम्ब नहीं किया जाता है। हम सीटें का आबंटित करते हैं परन्तु हमें उम्मीदवारों को नामांकित करने का अधिकार नहीं है। नामांकित करने का कार्य राज्य सरकारों का है जो कि यह निर्धारित करते हैं किस समय तक नामांकन का कार्य समाप्त हो जायेगा, कालेजों जहां भी हों, उस विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। यह केन्द्रीय पूल की बात है। इसे अन्य परीक्षाओं से मत जोड़िए। जहां तक अन्य परीक्षाओं का सम्बन्ध है, 15 प्रतिशत सीटें उन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं जिनका चयन अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन करके मेरिट के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब सीटों का आबंटन किया जाता है तो कुछ कठिनाई पैदा होती है क्योंकि वे विद्यार्थी जिन्हें किसी विशिष्ट राज्य अथवा कालेज में प्रवेश दिया जाता है वे समय पर प्रवेश नहीं लेते। उसे बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के एक विनिर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष 7 फरवरी इसके लिए अन्तिम तिथि मानी जायेगी। यह सत्य है कि कुछ सीटें भरी नहीं जाती तथा खाली रह जाती हैं। हम एक दोष मुक्त प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमान प्रणाली कुछ जटिल तथा उलझन भरी है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह दिखाई देता है कि जितनी जगह हैं, सभी की सभी एलोकेट हुई हैं और ऐसे एलोकेशन में हमेशा यह शिकायत होती है कि कुछ फेवरेटिज्म है, करप्शन है, ऐसी कुछ बात होती हैं और ...(व्यवधान)...कम्पलेण्ट्स मैं बता रहा हूं और चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। तो यह कम्पलेण्टस हैं और कुछ जानकारी तो मेरे पास ऐसी है कि समझ लीजिए नागालैंड की जगह है तो जो नागालैंड में विद्यार्थी नहीं रहते हैं, ऐसे बाहर के विद्यार्थियों को भी ऐसी सीटें एलोकेट होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने इस काम के लिए कोई गाइडलाइंस मार्गदर्शक तत्व बनाये हैं क्या ? बनाये हैं तो वह प्रमुखतया कौन से हैं और उन मार्गदर्शक तत्वों की सूची सदन के पटल पर रखने के लिए सरकार तैयार है क्या ?

श्री एम. एल. फोतेदार : मैं माननीय सदस्य का बहुत आदर करता हूं। माननीय सदस्य ने जो दोनों बातों को फिर मिक्स किया है, एक सेंट्रल पूल का, जिसके बारे में नागालैंड का आपने बताया, दूसरा है, जो आल इण्डिया लेविल पर एग्जामिनेशंस होते हैं। आल इंडिया लेविल पर जो एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बारे में मैंने आपसे कहा कि उसमें गलतियां नहीं होती हैं लेकिन एक बात जरूर है कि जिन लड़कों को किसी कालेज के लिए एलोकेट किया जाता है, उस कालेज में नहीं जाता है, जैसे मद्रास का कोई लड़का है, उसका एकोर्डिंग टू मेरिट सीरियल नम्बर 5 आता है और उसको हम मेरिट कम प्रिफरेंस की बुनियाद पर एलाट करते हैं। बाद में वह स्टेट गवर्नमेंट के जरिए भी एग्जामिनेशन देता है और वहां भी वह एप्लाई करता है।

[अनुवाद]

तथा वह राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटन को प्राथमिकतादेता है, केन्द्र सरकार द्वारा किये गये आवंटन को नहीं।

[हिन्दी]

इस तरह से सीट खाली रहती है और जब दूसरा प्रिफरेंस उनको देते हैं, तीसरा प्रिफरेंस देते हैं, फिर भी कुछ बैकलाग रहता है इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि यह जो सिस्टम है, वह सिस्टम थोड़ा काम्पलेक्स भी है, काम्पलीकेटिड भी है। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस सिस्टम का इस तरह गुजारें कि एक ही बार जिसका एलाटमेंट हो तो वह वहां जाय, मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूं।

दूसरी बात जहां तक आपने नागालैंड का बताया इसमें कोई शक नहीं कि नागालैंड में कुछ प्राब्लम्स हैं। मैंने पहले ही कहा, नागालैंड से मुझे पूरी इन्फार्मेशन नहीं मिली है लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जो एम्पलाइज हैं, आई. ए. एस. के जो आफिसर्स वहां रहते हैं, उनको भी हक है, वह उसमे आ सकते हैं, वह रूल्स में रखा है।

तीसरी बात है कि मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की हैं। अगर आप चाहें तो मैं वह गाइडलाइंस सदन की मेज पर रखूंगा। उसमे सबसे बड़ी जो गाइडलाइन है, उसमें यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कांस्टीट्यूशन के मुताबिक 22.5 परसेन्ट सीट्स उनके लिए रिजर्व रहनी चाहिये।

[अनुवाद]

यह दिशा निर्देश का हिस्सा है। दिशा निर्देशों की एक प्रति मैं सभा पटल पर रख दूंगा। मैं इसे अभी सभा पटल पर रखने जा रहा हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष द्वीप जैसे सुदूर, पिछड़े हुये और छोटे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। मेडिकल शिक्षा के लिए ये क्षेत्र पूरी तरह केन्द्रीय पूल से आबंटित सीटों पर निर्भर हैं। माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि एम. बी. बी. एस. में 265 सीटें 1991-92 के सत्र में केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि अब राज्य सरकारें मेडिकल कालेजों में अपने राज्यों के केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत छात्रों को स्थान देना नहीं चाह रही हैं और केन्द्रीय सरकार के लिये इन छोटे-छोटे और अलग-थलग पड़े पिछड़े क्षेत्रों की ओर विदेश मंत्रालय की चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता को निभा पाना कठिन हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वह स्वयं भी इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं, और इन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस शैक्षणिक सत्र के दौरान कोई स्थान नहीं दिये हैं, और क्या मंत्री महोदय वहां पर अलग से कुछ मेडिकल कालेजों की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सदृश इन क्षेत्रों से आये इन छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपना प्रश्न पूछिये।

श्री मनोरंजन भक्त : अतः मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले में उनका क्या अनुभव है ?

श्री एम एल. फोतेदार : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि निस्सन्देह राज्य सरकारें स्थान देने की इच्छुक नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक सरकार है और हम किसी भी राज्य सरकार को वहीं कुछ करने के लिए जो हम चाहते हैं, विवश नहीं कर सकते परन्तु हम राज्य सरकारों से इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि वे यथा संभव केन्द्रीय पूल में स्थान दें ताकि वे पिछड़े राज्य अथवा वे राज्य जहाँ पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है, उनके छात्रों को अच्छी शिक्षा के सुलभ हो सके। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैंने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जिन्होंने अभी तक केन्द्रीय पूल में अपना कोई योगदान नहीं दिया है. और उनसे कहा है कि उनको अपने यहां अनिवार्य रूप से इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : वे राज्य कौन से हैं ?

श्री एम एल. फोतेदार : उनमे से एक असम है। मैं राज्यों का नाम लेना नहीं चाहूंगा परन्तु मैंने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया हैं कि उन्हें 'केन्द्रीय पूल' में अपना योगदान अवश्य करना चाहिये। मेरे विचार से ऐसा दूसरा राज्य पंजाब है। उन्होंने भी योगदान नहीं किया है। यदि वे कुछ स्थानों का आवंटन कर भी देंगे, तब भी अन्य स्थानों से वहां पर जाना कुछ छात्रों के लिये बहुत मुश्किल होगा। कुछ अन्य राज्य सरकारें भी है परन्तु मैं उनसे राज्य सरकारों को इस बात पर राजी करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि उन्हें भी अवश्य ही केन्द्रीय पूल में अपना योगदान करना चाहिये। जहां तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है, संभवतः माननीय सदस्य को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष हमने उसे 13 स्थान दिये हैं और उन सभी 13 स्थानों का सदुपयोग किया गया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिये 22.5 परसेंट सीट्स मैडिकल कालेज में आरक्षित कर दी गई है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि मेडिकल कालेज में आरक्षित सीटें, जो 22.5 परसेंट है, वे पूरी की पूरी भर ली गई हैं ? जो रिजर्वेशन के कोटे से मैडिकल कालेज में पढ़ते हैं, इस वर्ग के विद्यार्थियों के साथ बराबर मैडिकल कालेज में उपेक्षात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। तीन चार वर्ष तक उनको फेल किया जाता है। मैडिकल कालेज लखनऊ और उत्तर प्रदेश के दो-तीन मैडिकल कालेजों में ऐसी घटनायें प्रकाश में आई हैं। यहां तक कि उन लड़कों ने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है ? क्या सरकार ने सारे के सारे रिजर्वेशन कोटे को सुनिश्चित कर लिया है कि वे भर लिये गये है और इस प्रकार जो उपेक्षात्मक रवैया मैडिकल कालेज में अपनाया जा रहा है, क्या सरकार इसके बारे में कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एम. एल. फोतेदार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से इतना कहना चाहता हूँ कि

केन्द्रीय सरकार वर्ग या किसी बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि हमारे संविधान के मुताबिक 22 5 परसेंट का जो कोटा रखा है, उसको पूरा किया जाए। यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स को करना होता है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का संबंध है, हम उनसे हमेशा कहते हैं 22.5 परसेंट के कोटे को पूरा किया जाए। किसी जगह शेड्यूल्ड कास्टस का पूरा किया जाता है और किसी जगह ट्राइब्स का पूरा किया जाता है। मैं यह गारन्टी के साथ नहीं कह सकता हूं कि हर स्टेट गवर्नमेंट इस पर पूरा ध्यान रख रही है। आपने जो अभी बताया कि लखनऊ में यह हो रहा है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। अगर आपको जानकारी है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेंट्स कोफेन किया जाता है, तो यह बहुत ही सीरियस मामला है। मैं इसको बहुत कन्डैम करता हूं। आप अगर लिख कर देंगे कि कहां पर ऐसा हुआ है तो

[अनुवाद]

मैं जांच करवाऊंगा और मैं उन अधिकारियों अथवा मेडिकल कालेज के लोगों को जिम्मेवार ठहराऊंगा।

[हिन्दी]

जहां तक दूसरी बात का संबंध है, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या और कोई इंस्टीटयूट हो, मैं बिल्कुल वसूल से कहना चाहता हूं 15% कोटा हरिजन स्टूडेंट्स का पूरा किया गया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि आपके पास कोई शिकायत है कि हरिजन-आदिवासी स्टूडेंट्स का कहीं पर कम संख्या में एडमीशन किया गया है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन कालेज में, जो आप मुझे बता सकते हैं—

[अनुवाद]

मैं इस बारे में उचित और तुरन्त कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दिया है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

चन्दूलाल चन्द्राकर समिति की रिपोर्ट

*677. श्री राम निहोर राय :

डा कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु गठित की गई चन्दूलाल चन्द्राकर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि इसके शासी मण्डल ने 31 मई, 1988 को हुई अपनी 51वीं बैठक में संगठन की प्रवेश नीति से सम्बन्धित परिवर्तनों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप जून, 1988 में श्री चन्दूलाल चन्द्राकर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय एक समिति गठित की गई।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि यह समिति 2 लोगों की है, आज 4 वर्ष हो गए हैं। आप इसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पदेन अध्यक्ष भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विशेष अनुकम्पा से प्रवेश देने के निर्णय की पूर्ति चन्द्राकर समिति के गठन के बाद क्या समिति ने आख्या सरकार को दी है। यदि हां तो कब ? और यदि नहीं तो क्या ये प्रवेश अनधिकृत नहीं हैं, यदि हैं तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई, यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस स्थिति में आदरणीय सदस्य ने रखा है कि मैं अपने ही खिलाफ कार्यवाही करूं, लेकिन मैं आदरणीय सदस्य और इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि चन्द्राकर समिति की रिपोर्ट मंत्रालय में आई थी और उस पर 1988 में विचार हुआ था। उस विचार-विमर्श के मुताबिक तत्कालीन मंत्री महोदय के यहां से एक आदेश दिनांक 5.8.1988 को निकला, जिसके मुताबिक विशेष अनुकंपा के आधार पर प्रवेश के बारे में लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में सामाजिक स्तर आदि को देखते हुए इसे जारी रखना ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, एक इसमें मुझे जानकारी मिली है, जिसकी मैं जांच कर रहा हूं कि चन्द्राकर कमेटी की रिपोर्ट की प्रति कार्यालय में अभी उपलब्ध नहीं है। यह एक अच्छी बात नहीं है। इस रिपोर्ट की प्रति जल्दी से जल्दी प्राप्त करके, उसमें विस्तार से क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आगे जाकर सदन में बताऊंगा।

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिनांक 12.4.92 के सण्डे आब्जर्वर के पृष्ठ 1 और राष्ट्रीय सहारा दिनांक 8.4.92 के पृष्ठ 1 पर केन्द्रीय विद्यालयों में हो रही अनियमितताओं की जो बात की गई है, उसकी ओर आकृष्ट

करना चाहता हूं : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समग्र छात्रों की संख्या में कक्षावार अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का क्या प्रतिशत है और इस बारे में पूरा डाटा न भरे जाने के लिए कौन जिम्मेदार है और अभी तक इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने अध्यापक हैं। क्या मंत्री महोदय इन विद्यालयों के अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापकों की एक समिति बनाएंगे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का इंटरव्यू ले, क्या इस बारे में कोई प्रावधान करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इतना व्यापक है कि इसकी जानकारी इस समय तो मेरे पास है ही नहीं और माननीय सदस्य अगर अलग से पूछना चाहेंगे तो यह जानकारी मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। अब रहा सवाल यह कि जो उचित है वह नहीं हो रहा है, इसकी जांच कोई भी करे, मैं समझता हूं कि सही निष्कर्ष पर पहुंच कर ही बात सामने आएगी। जहां तक समाचार-पत्रों का उल्लेख किया गया है मैंने रिपोर्ट देखी है और केवल समाचार-पत्रों में कुछ चीज छपी है इसलिए यह सत्य है, ऐसा मान कर चलना चाहें तो उपयुक्त नहीं होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी समाचार-पत्रों में छपा है उसकी जानकारी मैं अपने आप ले रहा हूं और अगर कोई अनियमितता वाली बात उसमें आई तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही होगी, यह मैं सदन को और आपको आश्वासन दे सकता हूं।

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से, कि 1988 में रिपोर्ट आई और वह रिपोर्ट अब भी इनके पास मंत्रालय में नहीं है, बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होती है कि कैसे यह मंत्रालय काम कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रवेश के लिए जो नीति निर्धारित करने के लिए आपने कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट के बारे में आपने कहा है कि तत्कालीन मंत्री ने कुछ आदेश भी दिए थे वह आदेश क्या दिए गए थे, क्या आप बताएंगे और अब आप प्रवेश किस आधार पर कर रहे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में स्पष्ट करें।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उस समय आदेश हुए थे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं :

[अनुवाद]

> "केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अनेक अनुरोध और आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश देने का अनुरोध किया गया है। जबकि केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेशों को नियमित करने हेतु एक प्रवेश नीति बना हुई है, तो भी, कई ऐसे केसों को प्रवेश नहीं दिया जाता जिनको जरूरतें और कुछ मामलों में तो उन बालकों की परिस्थितियां स्पष्टत: ऐसी हैं, कि उन्हें प्रवेश मिलना चाहिये। ऐसे मामलों में प्रवेश देने के लिए शुरू में कुछ विशेष प्रावधान किये गये थे परन्तु 1987 में ऐसे प्रवेश देना बन्द कर दिया गया था। इस मामले पर मानव संसाधन विकास मन्त्री और सचिव से चर्चा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विशेष प्रावधान द्वारा ऐसे प्रवेश है। सम्भव होने चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष और आयुक्त के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् ऐसा लगता है कि ऐसे प्रवेशों की संख्या को यथासम्भव कम रखा जाये।"

[हिन्दी]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं सदन को यह बताना उचित समझता हूं कि इन एडमिशन के बारे में समय-समय पर कुछ बात सामने आती रहीं कि शायद यह एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं और इस विषय पर यह भी कहना मैं उचित समझता हूं कि विशेष परिस्थितियों में एडमिशन देने का प्रश्न वहीं उठता है जहां कि उसके पीछे पर्याप्त आधार रहते हैं और यह आधार कोई मैं निर्धारित नहीं करता हूं, कई लोग जो उसमें इंटरस्टेड रहते हैं, जिनका कि यह जानना है स्वाभाविक रुप से प्रतिनिधि है, जनता के लोग हैं उस आधार के होते हैं लेकिन यह बात एक सीमा से बाहर न जाए, यह हमारे डिपार्टमेंट के कंसलटेटिव कमेटी में भी प्रश्न आया है और हमने यह निर्णय किया है कि 25 तारीख को जो हमारी मीटिंग हो रही है, इसी 25 तारीख को, उसमें हम छोटी समिति बना कर अगले वर्ष के एडमिशंस के लिए एक ऐसा निश्चित मापदण्ड बना लिया जाए ताकि इस प्रकार की शिकायतें न हों।

[अनुवाद]

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों और हमारे देश की शैक्षणिक प्रणाली से सम्बद्ध अन्य सभी समितियों द्वारा विशेष प्रावधान के अंतर्गत पर प्रवेश देने की प्रवृत्ति को इसलिए हतोत्साहित किया गया है क्योंकि इसके फलस्वरुप केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक स्तर गिरा है और ऐसे विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आई हैं क्योंकि इससे कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, इस सम्बन्ध में बयान की गई स्थिति बहुत स्पष्ट है और मैं माननीय सदस्य के साथ इस हद तक सहमत हूं कि जहां तक संभव हो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु हम उन परिस्थितियों से भी अवगत हैं जहां पर प्रवेश देना अति अनिवार्य हो जाता है। अतएव इसके लिए ऐसा प्रावधान रखा गया है। प्रश्न यह है कि किस सीमा तक ? हम इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे जिससे इस बारे में किसी को कोई शिकायत न रहे।

खाद्यान्न भंडार की स्थिति

+

*678. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में खाद्यान्न भंडार की स्थिति क्या रही है;

(ख) इन राज्यों की वास्तविक मांग की तुलना में वर्ष 1992-93 के विपणन मौसम के दौरान वहां कितने गेहूं और चावल की खरीद होने की सम्भावना है; और

(ग) इस समय इन राज्यों में अनाज भंडार की अलग-अलग स्थिति क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश को 1991-92 के दौरान क्रमशः 10.82 लाख मीटरी टन और 2.76 लाख मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था, लेकिन इन राज्यों में 1992-93 के दौरान गेहूं की वसूली होने की कोई सम्भावना नहीं है । चावल के मामले में विपणन मौसम पहली अक्तूबर से प्रारम्भ होता है और सम्भावित वसूली के बारे में कोई अन्दाजा बताना बहुत जल्दबाजी होगा ।

विवरण

(क) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के पास पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में 1990 से 1992 के दौरान पहली मार्च को स्थिति के अनुसार निम्नानुसार चावल और गेहूं के स्टाक थे :-

(लाख मीटरी टन में)

	1990		1991		1992	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
पश्चिम बंगाल	3.63	1.28	3.42	0.99	3.65	0.50
आन्ध्र प्रदेश	8.40	1.35	21.43	1.39	10.09	0.22

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, अपनी आवश्यकता से अधिक राज्यों में, खाद्यान्न उत्पादक खरीद करने तात्पर्य, वास्तव में मूल्य को समर्थन मूल्य प्रदान करना है । परन्तु पश्चिम बंगाल जैसे कम उत्पादन वाले राज्य वस्तुतः यह कार्यवाही एक पुलिस कार्यवाही जैसा ही है क्योंकि खरीद मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य काफी अधिक रहते हैं । अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल जैसे अल्प उत्पादक राज्यों में सरकार का विचार खरीद योजना की पुनरीक्षा करने और इस योजना को प्रभावकारी बनाने के लिए उचित उपाय करने का है ?

दूसरे, क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सम्पूर्ण भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के प्रशासन को सुचारु बनाने का भी है ताकि सीमा पार होने वाली खाद्यान्न की का तस्करी को रोका जा सके ?

श्री तरुण गगोई : महोदय, हम खरीद नीति की पुनरीक्षा करते रहे हैं । वास्तव में हम सभी राज्य सरकारों पर जोर दे डालते रहे हैं कि वे इसकी अधिक से अधिक खरीद करें क्योंकि केन्द्रीय सरकार का पूल राज्यों के योगदान पर निर्भर करता है ।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, नि:सन्देह यह एक अल्प-उत्पादक राज्य है परन्तु इसके बावजूद हम पश्चिम बंगाल सरकार पर इसको खरीद करने के लिए जोर देते रहे हैं और वे उसन इसको खरीद भी की है। परन्तु यह अत्यन्त थोड़ा मात्रा में है। उन्होंने केवल एक लाख टन गेहूं ही खरीदा है जबकि उन्होंने कई सो लाख टन का उत्पादन किया है।

जहां तक बंगला देश को होने वाली तस्करी का सवाल है, राज्य सरकार ही इस पर नियंत्रण कर सकता है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, उत्तर से ऐसा लगता है कि चावल और विशेष रूप से गेहूं दोनों की ही भण्डार स्थिति पश्चिम बंगाल मे अच्छी नहीं है। हम यह भी देख रहे हैं कि केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए चावल और गेहूं के आवंटन की मात्रा में कमी की जा रही है। फरवरी, 1992 में चावल और गेहूं का आबंटन 1,25,000 मैंगा टन और 1,26,000 मैंगा टन से घटकर क्रमश: 70,000 मैंगा टन और 90,000 मैंगा टन हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको शीघ्रता से प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री अजय मुखोपाध्याय : मैं बस अभी इसी पर आ रहा हूं। इसके परिणामस्वरूप राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनता की जरूरतों को पूरा करने में असफल रही है। अतएव, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल के लिए गेहूं और चावल के आबंटन में वृद्धि करने पर गम्भीरता से विचार कर रही है? यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत और कब तक होगी।

श्री तरुण गगोई : यह सत्य है कि गेहूं का भण्डारण काफी कम हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि केन्द्रीय पूल का भण्डार स्थिति भी काफी कमजोर है।

जहां तक चावल के भण्डार का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल में भी इसकी स्थिति काफी संतोषजनक है। वस्तुत: पश्चिम बंगाल में 1990 के मुकाबले से 1991 में चावल की अधिक मात्रा ली गई थी। वर्ष 1990 में चावल के आंकड़े 5.92 लाख टन थे जबकि 1991 में ये आंकड़े 6.92 लाख टन है। गेहूं के मामले में भी यही स्थिति है। वर्ष 1990 में इसकी मात्रा 8.98 लाख टन थी और 1991 में यह 9.10 लाख टन है। यह ठीक है कि जनवरी और फरवरी माह में इसकी मात्रा में कमी आई है क्योंकि व्यस्ततम मौसम में हम आबंटन की मात्रा घटा देते हैं और थोड़े कम व्यस्त मौसम से अर्थात् अक्टूबर के बाद से हम आबंटन की मात्रा बढ़ा देते हैं।

श्री गगाधरा सानीपल्ली : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या अनाज की वर्तमान भण्डार क्षमता पुनर्निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है? जैसा कि मौसम विशेषज्ञों ने इस वर्ष मानसून देर से आने की घोषणा की है, मैं मंत्री जी से पुन: जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वर्ष 1992-93 में स्थिति का सामना करने और पुनर्निर्मित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को तैयार है।

श्री तरुण गगोई : चावल के मामले में तो मैं कहूंगा कि हम स्थिति का सामना कर सकते है। जहां तक गेहूं का सवाल है, इसकी खरीद अभी शुरु ही हुई है और जुलाई माह में हमारे पास इसके स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध होंगे।

श्री ई. अहमद : महोदय, केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां सांविधिक राशनिंग का प्रावधान है। केन्द्र सरकार राशन की वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं और चीनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सूचना के अनुसार केरल की आवश्यकता प्रति माह 160 मीट्रिक टन है। जबकि केन्द्रीय पूल से आपूर्ति 150 मीट्रिक टन भी नहीं है। केरल में सुनियोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब एक बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि —

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, यह प्रश्न केरल पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश से संबंधित है। क्या आपने प्रश्न पक्ष हैं ?

श्री ई। अहमद : जी हां महोदय, लेकिन क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह दो बहुत महत्वपूर्ण राज्यों की खाद्यान्न भण्डार की स्थिति को सम्बन्धित है। मंत्री जी हमें इससे अवगत कराने की स्थिति में होंगे कि···

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। बैठ जाइये। जी हां, श्री पाल।

डा. देवी प्रसाद पाल : पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं की आपूर्ति में कमी के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वहां सप्लाई किए जाने वाला चावल और गेहूं भी निम्न स्तर का है और वह अधिकतर आम आदमी के भी खाने लायक नहीं है। क्या सरकार पश्चिम बंगाल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इस स्थिति से अवगत है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा मे क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

श्री तरुण गगोई : पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में हमें सूचित नहीं किया है। यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह खाद्यान्न को स्वीकार करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच करें।

दिल्ली में "रिज वन क्षेत्र' का वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग

*679. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में "रिज वन क्षेत्र" का निर्माण कार्य हेतु उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दिल्ली में निर्माण प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का रिज क्षेत्र यहां का एकमात्र प्राकृतिक हरित क्षेत्र है। यहां के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस प्रश्न का होना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण के साथ-साथ अनाधिकृत भवन के निर्माण हो रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार इसके संबंध में ढुलमुल नीति के कारण इसका भविष्य खतरे में डाले जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस अतिक्रमण एवं भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है। अगर जांच करवाई है तो इसका विवरण क्या है। पिछले पांच वर्षों में इन्हें हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई जिससे इस क्षेत्र की सीमा बरकरार रह सके। ऐसी कौन सी जांच करवाई गई और जांच के क्या निर्णय आए हैं, यह बता दीजिए।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य का यह कहना कि अतिक्रमण दिल्ली प्रदेश पर हुआ है, सही है। दिल्ली रिज लगभग 7770 हैक्टेयर का है। इसको इस समय कई एजेंसीज देख रही हैं। सी.पी.डब्ल्यू.डी., डी.सी.डी. और एन.डी.एम.सी. इसको देख रही है। क्योंकि सिंगल अथोरिटी नहीं रही है इसलिए इसमें अतिक्रमण हुआ है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनमें सरकारी विभाग भी हैं, सी.आई.एस.एफ. डी.डी.ए., सी.पी.डब्ल्यू डी. आदि हैं, इसमें कोई शक नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको सूचना दे रहा हूं और पूरी ईमानदारी से सूचना दी जा रही है। इसमें एक सर्वे मिनिस्ट्री आफ अर्बन डवलपमेंट ने किया है। एक समिति गठित किया है। एक समिति गठित की गई थी। हमारा यह विचार था कि जो वन विभाग है दिल्ली प्रशासन का उसको ही इसकी पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसलिए एक समिति गठित की गई है जब तक वन विभाग को यह जिम्मेदारी और पूरा क्षेत्र ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक एक सिंगल एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाये। इस कमेटी ने कई बैठकें की हैं, मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ही इसमें एक एजेंसी को यह जिम्मेदारी दे दी जायेगी और उसके बाद इसको वन विभाग में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मेरा दूसरा प्रश्न है कि सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के वन विभाग की मांगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है हरित क्षेत्र की पूर्व स्थिति बरकरार हो सके ?

श्री कमल नाथ : ऐसी कोई मांग दिल्ली के वन विभाग की नहीं है, उन्होंने कोई मांग नहीं रखी है। उनका जो स्टाफ है उसको दूसरे विभागों से ट्रांसफर कर दिया जायेगा और हमारा मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन का वन विभाग मिलकर काम करेंगे, हम जो भी सुविधा दे सकते हैं वे अवश्य देंगे। यह बाद की बात है। सबसे पहले सिंगल एजेंसी का आइडेंटिफिकेशन करना है ताकि वह इसकी जिम्मेदारी उठाए।

श्री ताराचन्द खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने दोनों उत्तर जो दिये हैं उसमें विरोधाभास है। पहले उन्होंने कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, बाद में उन्होंने इसको सही बताया।

श्री कमल नाथ : मैंने यह नहीं कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : दिल्ली की आबादी इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली को छोड़कर कहीं सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं है। जिन विभागों ने अतिक्रमण किया है उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है ?

श्री कमल नाथ : मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं ···(व्यवधान) 12 साल मैं उस तरफ रहा इसलिए माननीय मंत्री बोल गया, यह आदत आज भी जुड़ी हुई है, धीरे-धीरे जायेगी। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मेरे जवाब में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने कहा था कोई डाइवर्जन अण्डर फारेस्ट एक्ट नहीं हुआ। मैंने यह नहीं कहा कि अतिक्रमण नहीं हुआ, मैंने स्वीकार किया है कि अतिक्रमण हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पूछा है क्या एक्शन लिया है ?

श्री कमल नाथ : इसके लिए एक समिति गठित की गई है जिसका यह फैसला है कि जिन-जिन एजेंसीज के अन्तर्गत रिज का जो भी इलाका आता है उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाकर अतिक्रमण को हटायेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय एन. पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम प्राधिकरण अतिक्रमण कर रहे हैं और जबरदस्ती दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी सरकारी विभागों को यह कहने के लिए कदम उठायेंगे कि वह अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जायें और उस सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़ दें। अन्यथा हम देख रहे हैं कि नए राजेन्द्र नगर क्षेत्र में गैर सरकारी लोग भी धीरे-धीरे इस रिज क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं और किसी न किसी बहाने सरकारी विभाग निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब अन्तिम निर्णय कमेटी द्वारा लिया गया है। यह क्षेत्र का विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है अब अधिक अतिक्रमण होंगे। अब मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस भूमि पर और अधिक अतिक्रमण रोकने के लिए तत्काल क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मेरा सम्बन्ध वन भूमि के अतिक्रमण से है। माननीय सदस्य रिज क्षेत्र के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिज दिल्ली की एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रणाली है। दिल्ली के पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरणीय पहलुओं की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मैंने यह उल्लेख किया है कि यहां अतिक्रमण हो रहे हैं। एक समिति का गठन किया गया है और विभिन्न एजेंसियां जिसके अन्तर्गत रिज के विभिन्न क्षेत्र आते हैं, को इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस समिति ने अनेक बैठकें आयोजित की हैं। इसने लगभग पांच या छः बैठकें आयोजित की है और इस अतिक्रमण की समस्या को निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्र

*680. श्री सत्य नारायण जटिया :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के युवा कार्य और खेल मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में नेहरू युवक युवक केन्द्रों के कार्यकरण और उन पर निगरानी रखने के बारे में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) नेहरू युवा केन्द्रों के बारे मे 18 नवम्बर 1991 को हुए पिछले सम्मेलन से तीन सिफारिशें प्राप्त हुई थी—

(1) नेहरू युवा केन्द्र संगठन की जिला स्तर आयोजन समिति का खेल संस्कृति और लोक कलाओं से विशिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा बढ़ाया जाएगा ।

(2) नेहरू युवा केन्द्र के कार्य के बेहतर समन्वयन/मोनीटरिंग तथा राज्य सरकार के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाए ।

(3) प्रत्येक जिले तथा उन ब्लाकों जिनके जिले आकार और जनसंख्या में बड़े हैं, में तत्काल एक केन्द्र स्थापित किया जाए ।

(ख) और (ग) केन्द्रों के कार्य की मोनीटरिंग के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति में खेलों, संस्कृति और लोक कलाओ जैसे क्षेत्रों के पर्याप्त प्रतिनिधियों सहित जिला आयोजन समिति के संयोजन के कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब इस समितियों ने गठन और समितियों की नियमित बैठक सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारो से अनुरोध किया जाएगा ।

प्रत्येक जिले मे केन्द्र स्थापित करने के बारे मे संगठन ने 1991-92 में 28 नए केन्द्र खोले हैं, जिसके लिए धनराशि पहले ही दे दी गई है । 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संगठन का लक्ष्य प्रत्येक जिले में एक केन्द्र खोलने का है । तथापि, धन की कमी के कारण बड़े जिलों वाले मामलों में भी ब्लाक स्तर पर केन्द्र खोलना नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, ये जो समितियाँ बनाई गई हैं, जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है, इन निर्देशों के अन्तर्गत जो समितियाँ बनने वाली हैं, इन समितियों को किस प्रकार से कार्यक्रम लेना चाहिये, क्या इसके बारे में कोई विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये समितियां अभी सभी जगह बनाई जा रही हैं लेकिन सभी जगह नहीं बनी है। मंत्रियों की पिछली बैठक में जो निर्णय हुआ था, उसी निर्णय के अनुरूप समितियाँ गठित की जा रही हैं। उसके बाद यह सवाल आ जाएगा कि किस प्रकार से यह काम करेंगी ?

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक केन्द्र खोलने के विचार के बारे में माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्राप्त हुआ है। फिर यह कहा गया है कि धन की उपलब्धता और स्थिति की आवश्यकता के आधार पर ये बातें की जायेंगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब यह सारी योजना बनाई जाती है तो इनको बनाते समय धन की उपलब्धता के बारे में कि धन उपलब्ध कराने वाले हैं या कराए जाने की दृष्टि से क्या सुनिश्चितता की गई है ? अर्थात जिला केन्द्रों पर खोले जाने के लिए फण्ड्स उपलब्ध होने चाहिए, क्या ऐसी सुनिश्चितता की गई है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फण्ड्स की उपलब्धता केवल एक विभाग के आधार पर तो नहीं होती। फण्ड्स की उपलब्धता पूरे प्रशासन और शासन के पास उपलब्ध फण्ड्स के आधार पर होती है लेकिन नेहरू युवक केन्द्र के बारे में फण्ड्स की प्राब्लम अब नहीं है। बीच में जरूर आई थी और उस प्राब्लम की वजह से दो साल के लिए केन्द्र करीब-करीब निष्क्रिय हो गये थे लेकिन अब फण्ड्स की कोई प्राब्लम नहीं आएगी।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, यह सच है कि पिछले दो वर्षों से नेहरू युवा केन्द्र के इन सभी यूनिटों की गतिविधियां रुक गई थीं। लेकिन अब उन्हें पुनः आरम्भ किया गया है।

उत्तर में तीन सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सम्मेलन में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य पर भी चर्चा की गई थी।

क्या कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अब केन्द्रों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को आरम्भ करने की कोई मांग की जा रही है ?

क्या ऐसी भी कोई शिकायत थी कि इन सभी गतिविधियों को चलाने के लिए उपलब्ध निधियों की कमी थी और जिसके कारण उन यूनिटों के लिए अनुदान इत्यादि बढ़ाने की भी मांग थी ?

ऐसे मामले में, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, विभिन्न राज्यों के सभी माननीय मंत्रियों के साथ जो चर्चा हुई, वह बहुत व्यापक थी जिसमे यह सब मुद्दे शामिल थे जिनका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि राज्य स्तर की एक समन्वय समिति होनी चाहिए ताकि जो कमियां इस कार्यक्रम मे रह गई हैं वह भविष्य में न रहे और साथ-साथ जहां तक कि मूल्यांकन का संबंध है, मुझे विश्वास है कि जिला तथा राज्य स्तर पर पहली बार मे ही इसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा और तत्पश्चात अगले राज्य मे इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ेंगे।

जहां तक कि संसाधनों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि यह पूर्णतः मेरे अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, विभिन्न राज्यों के युवा कार्य और खेल मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में नेहरू युवा केन्द्र के कार्य-कलाप और उस पर निगरानी रखने की कुछ सिफारिशें की गई थी और सब लोग आम चर्चा करते हैं कि नेहरू युवा केन्द्र का कार्यक्रम लोक संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के विकास के लिए है और सब चर्चा करते हैं कि उसमे राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नेहरू युवा केन्द्र मे जो अधिकारी बैठे है, उनका राजनैतिक प्रतिस्थापन क्यों होता है और इस नेहरू युवा केन्द्र का राजनीतिकरण कब क्यों हो गया है। इसके बारे में तमाम पत्र-पत्रिकाओं में चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में क्या कारंवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

श्री शरत चन्द्र पटनायक : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से खोले गये हैं। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो मुझे लाचारी है। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : नेहरू के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को पाला जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह न तो किसी के पालने का साधन है और न किसी के खिलाफ कारंवाई करने का साधन है। जो गतिविधियां हैं, वह स्पष्ट हैं इन गतिविधियों में सब से महत्वपूर्ण गतिविधि है कि सब कुछ इसके साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और नैशनल इंटीग्रेशन के मामले में भी कारंवाई होगी। इसके अलावा राजनीति का कोई समावेश नहीं है।

· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री शरद चन्द्र पटनायक : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार

विकास के लिए ग्राम योजना में नेहरू युवा केन्द्रों को शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है।

श्री अर्जुनसिंह : इन केन्द्रों को अनेक विकास संबंधी गतिविधियों का केन्द्रीय बिंदु बनाने के प्रयास हैं। उदाहरण के तौर पर यह केन्द्र साक्षरता के कार्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह एक एजेंसी है जो युवाओं के बीच कार्य कर रही है और इसलिए सभी विकास गतिविधियां जिनका किसी भी वर्ग के लोगों के सामान्य विकास तथा विशेष विकास से संबंध है, पर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन अनुदानों के अन्तर्गत उन्हें शामिल करने और इन गतिविधियों का केन्द्रीय बिंदु बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि गत तीन साल से नेहरू युवा केन्द्र को कितना अनुदान दिया गया है और वह जो अनुदान दिया गया, विभिन्न राज्यों में खर्च किया गया, तो क्या राज्य सरकार से कोई राय लेकर, राज्य सरकार से सहयोग लेकर और राज्य सरकार से तालमेल बैठा कर यह पैसे खर्च किए जाते हैं और नेहरू युवक केन्द्र के कार्यक्रम चलाए जाते हैं क्या ?

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्या ने पिछले तीन साल का ब्यौरा मांगा है। मैं बताना चाहूंगा कि तीन में से दो सालों में यह योजना बन्द कर दी गई थी। यह 1991 से फिर शुरू की गई है और 1991 से जो शुरू की गई है पूरे इवेल्यूएशन के बाद, प्लानिंग कमीशन ने इसका इवेल्यूएशन किया है कि जो दो साल तक फंड बन्द रहे उसके पीछे क्या कारण थे। फंड्ज दिये जाने चाहिए या नहीं और इवेल्यूएशन के पूरे होने के बाद ही प्रधान मंत्री ने विशेष आदेश से इनको फिर से फंड दिए जाने का आदेश दिया है। जहां तक खर्च और कम करने का सवाल है, मैं पहले बता चुका हूं कि अभी जो राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए थे, प्रयास होगा कि उसी के आधार पर कार्यवाही हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 681 को स्थगित किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 682।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

*682. श्री जीवन शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्राधिकरण के कार्य क्या होंगे ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मई, 1988 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15 से 33 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना 20 जून 1988 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के एक स्वतन्त्र और स्वायत्त विंग के रूप में की गई। अपने कार्यक्षेत्र में इस प्राधिकरण को सभी कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित तथा कार्यान्वित करने वाला संगठन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की भूमिका बहुविध है और उसमें ये शामिल हैं, (I) नीति तथा आयोजना, (II) विकासात्मक एवं प्रोन्नतिकालिक गतिविधियां, (III) सचालनात्मक कार्य, जिनमें स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देना भी शामिल है (IV) प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन (V) नेतृत्व, प्रशिक्षण, (VI) संसाधन विकास जिसमें मीडिया और सामग्री शामिल है (VII) अनुसंधान एवं विकास (VIII) अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन आदि।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक परिषद है जिसके अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री तथा इसकी एक कार्यकारी समिति है जिसके अध्यक्ष केन्द्र सरकार के शिक्षा सचिव हैं। यह प्राधिकरण साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए, यदि आवश्यक समझे तो अन्य निकायों, समितियों, दलों तथा कार्य-दलों की भी स्थापना कर सकता है। प्राधिकरण की यह परिषद, साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां तथा कार्यक्रम निर्धारित करता है जबकि कार्यकारी समिति, परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों तथा दिशा निर्देशों के अनुसरण में इस प्राधिकरण के सभी कार्य कार्यान्वित करती है।

[हिन्दी]

श्री ओमपाल शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 80 मिलियन लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना बताया गया है, उनमें से कितने लोगों को अब तक इसका फायदा पहुंचा है। साथ ही, यह भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न वालेंटरी एण्ड नान गवनमेंट आर्गेनाईजेशन्स की ओर से आये कितने प्रोपोजल्स अभी सरकार के पास लम्बित हैं और कब तक सरकार उन्हें क्लियरेंस देगी (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैंने सुना नहीं ठीक से।

अध्यक्ष महोदय : वालेंटरी आर्गेनाईजेशन्स के कितने प्रोपोजल्स सरकार के पास पड़े हैं और सरकार उन्हें कब तक क्लियर करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। नहीं, मुझे भी पहले बहुत था, समझ में नहीं आया था।

श्री अर्जुन सिंह । अभी तक की जानकारी के अनुसार 15 मिलियन के करीब लोगों को कवर किया जा चुका है । जहां तक गैर सरकारी संस्थानों का सवाल है, उनसे बहुत से प्रोपोजल्स आए हैं, मैं उन सब प्रोपोजल्स का ब्यौरा तो नहीं दे सकता लेकिन बहुत बड़ा योगदान इन मिशन में गैर-सरकारी संस्थाओं का है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित करने की हमारी नीति है ।

श्री मोहन शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि 65 मिलियन लोग, जो बाकी रह गये हैं, उन्हें कब तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा, कब तक सभी कवर कर लिए जायेंगे ।

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के लिये कोई काम नहीं हो रहा है । मैंने कहा कि 15 मिलियन तो कवर हुये है और जो शेष हैं, उनके लिए योजनाएं चालू हैं, चल रही हैं और हम सबका यह प्रयास हैं, मुझे उम्मीद भी है कि इस दशक के अन्त तक हम इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे, पूरे देश में ।

(अनुवाद)

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे देश के एक राज्य केरल और कुछ अन्य जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त की है । यह जिले कौन से हैं ।

जैसाकि उत्तर में उल्लेख किया गया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक जिम्मेदारी संसाधन विकास है जिसमें मीडिया और सामग्री शामिल है । इसमें से कुछ जिले साक्षरता प्राप्ति उपरान्त कार्यक्रम कर आरम्भ कर रहे हैं । महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्होंने बिना समुचित साक्षरता प्राप्ति उपरान्त कार्यक्रम के पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, उन्हें फिर से साक्षरता के अन्तर्गत धकेला जाएगा । सम्पूर्ण विश्व का यही अनुभव है ।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या साक्षरता प्राप्ति उपरान्त कार्यक्रमों के लिए विभिन्न भाषाओं में पर्याप्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध है और क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाने के प्रबन्ध किये हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रश्न पूछा है जो कि उन क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में है जहां हमने साक्षरता अभियान पूरा कर लिया है । साक्षरता प्राप्त उपरान्त कार्यक्रम के लिए उन क्षेत्रों में कोई प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं । जहां आवश्यक है और यदि कुछ ऐसा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । केरल इसका उदाहरण है जिसने पूरे राज्य में इसे प्राप्त कर लिया था । राज्य निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं । किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने अथवा सामने लाने के संबंध में किसी भी धनराशि की आवश्यकता है, उपलब्ध करवायी गई है । मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि हर तरीके से जिस किसी चीज का उपयोग किया जा रहा है, वह किया जाना चाहिए ।

श्री लोकनाथ चौधरी । चूंकि यह मिशन सन 1988 में अस्तित्व में आया । क्या अब तक केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है ? यदि हां, तो यह क्या संकेत देता है ? मैं जानना चाहूंगा कि कि क्या इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है अथवा यह अपने लक्ष्य से दूर है । यदि सम्बद्ध राज्य साक्षरता मिशन कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को

एजेंसियों का क्या योगदान है—साक्षरता प्राप्ति में सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी एजेंसियों का कितने कितने प्रतिशत योगदान रहा है ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, यहां गैर सरकारी निकायों द्वारा लगभग निरन्तर मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि एक प्रामाणिक और सही मूल्यांकन हो सके। यहां कुछ राज्य हैं जहां समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अब उस देश का प्रत्येक राज्य इस कार्यक्रम के प्रति पूर्णतः वचनबद्ध है और वे अपनी तरफ से अच्छे से अच्छे प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं कोई कमियां है, हम उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस पूरे दृष्टिकोण में कुछ मूल दोष है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान और छात्रवृत्तियां

[हिन्दी]

*674. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा विभागों को शोधकार्य, डाक्टर तथा डाक्टरोत्तर डिग्रियों के लिए अनुदान तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की है;

(ख) उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है, जिनमें उक्त शर्तों को पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) उक्त शर्तों का उचित और प्रभावी अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग के पास अनुसंधान को प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालयों को तथा डाक्ट्रल और उत्तर डाक्ट्रल अनुसंधान के लिए अलग-अलग अध्येताओं को अनुदान देने की कई योजनाएं हैं। यद्यपि प्रत्येक अनुदान अथवा शिक्षावृत्ति को प्रतिपादित करने वाली विशिष्ट शर्तें हैं, तथापि वि. अ. आ. शोध योजनाओं पर लागू होने वाली मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं—

(i) यह आवश्यक है कि शोध, संस्वीकृति में निर्धारित क्षेत्रों में ही जारी रखा जाए।

(ii) सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह मंजूर की गई थी।

(iii) शोध अध्येता/विभाग को आवधिक रिपोर्ट अवश्य भेजनी चाहिए।

(iv) अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को वि. अ. आ. आ. को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए।

(V) अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा वि. अ. आ. सहायता बन्द हो जाने के बाद वि. अ. आ. सहायता के अन्तर्गत सृजित पदों को बनाए रखा जाना चाहिए।

(ख) और (ग) अनुदान अथवा शिक्षावृत्ति की पहली किश्त अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा अनुदान की शर्तों का पालन किए जाने का वचन दिए जाने के बाद ही प्रदान की जाती है। बाद की किश्तें आवधिक प्रगति रिपोर्टों तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। वि. अ. आ. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर अनुपालन अथवा असन्तोषजनक प्रगति के कुछ मामलों में, आयोग को अनुदान रोक देना पड़ा था।

[अनुवाद]

"लाइफलाइन एक्सप्रेस" रेलगाड़ी

*683. मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लाइफलाइन एक्सप्रेस" रेलगाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसका औसत दैनिक प्रचालन व्यय कितना है;

(ग) क्या उसके कार्यकरण संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस एक्सप्रेस रेलगाड़ी को चलाने में सफलता की दर क्या है और उससे अब तक कितना क्षेत्र लाभान्वित हुआ है; और

(च) सरकार का जरूरतमंद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) इम्पैक्ट इण्डिया फाउंडेशन जो एक पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट है. द्वारा शुरू की गयी "लाईफ लाइन एक्सप्रेस" में आधुनिक और परिष्कृत अस्पताल सुविधायें उपलब्ध हैं और इसका उद्देश्य यह है कि पोलियो, मोतियाबिन्द से पीड़ित रोगियों और ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों को स्थल पर जाकर नैदानिक और शल्य चिकित्सा उपलब्ध करायी जाए,

(ख) रेलों द्वारा कोई परिचालनिक व्यय नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह व्यय इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है,

(ग) इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा कोई विशिष्ट समय-सीमा र्धारित नहीं की गई है;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ने बिहार में खिलाड़ी और चैनपुर के दूरवर्ती क्षेत्रों में तथा उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट फराह में अपनी 3 पायलट परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं, चौथा शिविर अमेठी के निकट चल रहा है,

(च) इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा फिलहाल मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है,

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण

*684. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान यातायात की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे को कितने सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की आवश्यकता थी;

(ख) इस वर्ष के दौरान कितने-कितने सवारी डिब्बों और माल डिब्बों का निर्माण किया गया; और

(ग) मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) यातायात की मांग और संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1990-91 में 1734 सवारी डिब्बों और 23,000 माल डिब्बों के प्रापण का विनिश्चय किया गया था,

(ख) इस वर्ष के दौरान 20[illegible] सवारी डिब्बे और 23,672 माल डिब्बे प्राप्त किए गए थे,

(ग) वर्ष के दौरान, निर्धारित कार्यक्रम और वास्तविक प्रापण में कोई कमी नहीं रही,

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

*686. श्री मुमताज अन्सारी :

श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र रहित रेलवे स्टेशनों की जोन-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बड़े-बड़े स्टेशनों पर एक-एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने संबंधी कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रेलवे स्टेशनों पर कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र नहीं है, बहरहाल, स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए, स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के पास उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा बाक्स में स्थित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाती है,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पौधों की लुप्त प्राय किस्में

*687. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पौधों की कौन-कौन सी किस्में लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) चालू सदी के दौरान पौधों की कौन-कौन सी किस्में लुप्त हो गई है; और

(ग) सरकार द्वारा पौधों की लुप्तप्राय किस्मों को लुप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत में उन पौधों जिनको वनों में विलुप्त होने का खतरा है, की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है ;

(ख) वे पौधे प्रजातियां, जिनके विलुप्त होने की संभावना है और जिन्हें शताब्दी के अन्त तक देखे जाने की सूचना नहीं मिला, के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं ।

(ग) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) संकटापन्न प्रजातियों सहित प्राणिजात और वनस्पतिजात की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा जीवमण्डल रिजर्वों की स्थापना करना;

(2) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करना, जिसमें 1991 में संशोधन करने के पश्चात संकटापन्न पौधों को शामिल किया गया है तथा जिसमें अब उल्लंघन के लिए कठोर दंडों की व्यवस्था है;

(3) प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइट्स) के अन्तर्गत वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य का नियमन और निषेध ।

(4) वनस्पति उद्यानों में संकटापन्न प्रजातियों का स्थान से बाहर संरक्षण ताकि भविष्य में वनों में उनकी बहाली के लिए कृत्रिम परिस्थितियों के तहत इनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित हो सके;

(5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना करना; तथा

(6) जन जागरूकता अभियान चलाना।

विवरण-1

भारत में संकटापन्न पौधों की सूची

1. एसर हुकेरी वार. माजुस
2. एसर ओबलोंगम वार. मेम्ब्रनेसियम
3. एसर ओबलो वार. माइक्रोकारपम
4. एसर ओसमासटोनी
5. एसर सिक्किमोज वार. सेरूलेटम
6. एक्टीनाडेफेन बुरनीथ
7. एक्टीनोडाफेन लेन्टाना
8. एडिनान्डरा ग्रिफिथि
9. एनाफालिस बारनीसो
10. एनोक्टोचिलस निकोबेरिकस
11. एरिनेरिया कविफोलिया
12. एरिनेरिया फेस्जिनिया
13. एरिनेरिया थांगासिस
14. अग्रियम अट्राटम
15. बेगोनिया एलिसिया
16. बेगोनिया एनामालायना
17. बेनोसीनेपसिस कोवीन्सिस
18. बेन्टिनिकिया निकोबारिका
19. बरबेरिस लेम्बीरेटटो
20. बुचानिया बारबेरी
21. कालामस इनरमस
22. कालान्थे एंग्रागोफोरा
23. कालान्थे पेचीस्टेलिक्स
24. सरपोजिया बाइनेसी
25. सरपोजिया बेडोमी
26. सरपोजिया फेंटासटिका
27. सेरोपेजिया हूकरी
28. सेरोपेजिया लावी
29. सेरोपेजिया महाबालई
30. सेरोपेजिया ओडोराटा
31. सेरोपेजिया ओमिसा
32. सेरोपेजिया पंचगेनिएंसिस
33. सिस्सू स्पेक्टेबिलिस
34. क्लीमेटिस एपिकुलाटा
35. क्रोटालारिया क्लावाटा
63. क्रोटालारिया फाइसोनी वार ग्लाबरा

37. क्रोटालारिया कोडाइन्सिस
38. क्रोटालारिया लांगिपस
39. क्रोटालारिया सोन्डोरेंसिस
40. क्राइपटोकोरैनी टोरटुसा
41. साइथे नीलगिरेंसिस
42. सिम्बिडम हूवाइटी
43. डिकोस्चस्टिया रूफा
44. डेन्ड्रोबियम आरेन्टिएकम
45. डेन्ड्रोबियम टैनुइकेलुई
46. डेन्ड्रोग्लोसा मिनूटुला
47. डेसमोस विरिडिफ्लोरेंस
48. डिक्लिप्टेरा एबुएंसिस
49. डिडिसिया कोनिघामी
50. डिप्काडी माइनर
51. एलीगनस कान्फेटेरा
52. एलाफोग्लोसम नीलगिरिकम
53. एग्यूनिया डिसिफेरा
54. एलोफिया निकोबेरिका
55. इयोनिमस एंगूलेटस
56. इवोनमस एसामिकस
57. इयोनमस सिराटीकोलियस
58. फिलिचिजिरियरा हेस्पेरित
59. फ्रेरिया इंडिका
60. जिनालोबा ग्रंड मानिका
61. हिल्डीगेरडिया पालिफोलिया
62. हुम्बोलटिया बोरडीलोनी
63. हुम्बोलटिया लारिफोलिया
64. हुम्बोलटिया उनीजुगा वार. उनीजुगा
65. हाइडनोफापस मेक्रोकार्पा
66. इम्पेटिनस एनाइमुडिका
67. इम्पेटिनस जोहनी
68. इम्पेटिनह मुनारेंसिस
69. इम्पेटिनस निया-बारनेसी
70. इम्पेटिनस निलागिरिका
71. इलसिया मालाबारिका
72. केन्ड्रिकिया वालकेरी
73. लेक्टूका बेंथामी
74. लेक्टूका कूपरी
75. लेक्टूका फिलिसिना
76. लेक्टूका ग्रंडूलेडा
77. लीयूकस मुकरजीयाना
7 . लिन्डसिया मालाबारिका
79. लिलियम मैकिनिया
80. लिविस्टोना जैकोसियाना
81. मेलीयोला ग्रंडमानिका
82. मेमीक्लान फ्लावेसेंस
83, मेटिरोमेरटस बेडेसिस
84. मित्रास्टेमन येमामोटी
85. नोग्रा ग्रेसिलिकालिस
86. नोथोपेजिया ग्रोरयो-फुल्वा
87. आऐयस विकेनिसस
88. ओफिरिज्जा डिस्पिडिया
89. ओफिरिज्जा इनकरनाटा
90. ओफिरिज्जा सुबेकेपिटाटा

91. आफिरज्जा बाटी
92. पेफिओ पेडलम फेरिएनम
93. पेफियोपेडिलम बारडी
94. फालेनोपसिस स्पेसियोसा
95 फालबोफेलम जेपारेसिस
96. फार्लेयस नारायणस्वामी
97. पिम्पीनेलिया तिरूपेटेसिस
98. पिम्पीरिलिया वालिची
99. पिम्पीनेलिया टोग्लोसिस
100. योगोस्टमम निलगिरीकस
101. पोगोस्टिमेन पालूडासस
102. सेडोकाइक्लोसोरस गेम्बली
103. सेडोकाइक्लासोरस ग्रिसस
104. साइकोट्रिया अरबारेंसिस
105. साइकोट्रिया ग्लोबिसेफाला
106. कालाचाई रोसेस
107. रैनानपेराइम्सचोटिना
108. संगेयिया ग्रेडिफ्लोरा
109. सालासिया जेंकीसिसी
110. सालासिया मालाबारिका
111. सन्तापाऊया पार्डुरिसस
112. सासुरिया कोस्टस
113. सिकिलिया विरिडिस
114. सेलाजिनिका एन्डूका
115. सेलाजिनिका केट्राक्टम
116. सेनासियो कुडाइकस
117. स्फैराप्टसिस क्रिसिया
118. सेट्राबिलयेस हालबर्गी
119. सिजिगम कोटलिसी
120. सिजिगम गेम्बलम
121. सिजिगम ट्राबनकोरिकमम
122. टेनियोफेलम मंडामानिक
123. टोक्सोकापल लागिस्टिगमा
124. ट्रिबाल्वेरिया कोजलाली
125. उरजिनिया कलेस्टा
126. उतलीरया सालिसोफासिया
127. उवारया इयूसिक्टा
128. वरनोनिया माल्टिब्रेक्टेटा
129. वरनोनिया पुलनेसिस
130. वरनोनिया रकरबा
131. वेडलांडिया मंड मानिका
132. यांगिया निलगिरिएसिस

विवरण-2

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विलुप्त होने की सम्भावना वाली कुछ पौध प्रजातियों के नाम :

सेरम बिलोसम हैंस (एपिएसिया)

लिगुस्टिकम एल बो-प्लाटम हैंस (एपिएसिया)

पम्पीनेला क्वोलटा (सीएल) मास (एपिएसिया)

पिम्पीनेला पलनेएसिस ग्रेम्बल (एपिएसिया)

कारेक्स रेपोडा सी. एल. (साइपरेसिया)

डिप्पकाडी कान्केनेन्स (डाल्ज़) बाकर (सिलिएसिया)

डिप्काडी गेही डेब एट दासगुप्ता (लिलिएसिया)

वरजिनिया पोलीफिला हूक. एफ. (लिलिएसिया)

अबुटिलोन रानाडेई वूडर. एट. स्टेफ (माल्वेसिया)

कोइलोजीन टूएटलरी हूक. एफ. (आर्कीडेसिया)

लेडमोन लागेनारिया लिन्डन. (आर्कीडिसिया)

वान्डा विह्नी रीच्ब. एफ. (आर्किडेसिया)

डेयेबिसया मिललेन्सिस बार. (पोएसिया)

इरेग्रोस्टिस रोटलेरी स्टेफ (पोएसिया)

इरियोक्राइसिस रेंगाचारी फिशर (पोएसिया)

हुब्बार्डिया बेप्टाम्यूरान बार (पोएसिया)

ओफिओरिजा बारनेसी फिशर (रूबीएसिया)

ओफिओरिजा रेडिकन्स गार्डन (रूबीएसिया)

स्टरकुलिया खासियाना देबबरमन (स्टरकुलिएसिया)

बुनियम नोथम (सी. एल.) मुखर्जी (एपिएसिया)

आइलेक्स गार्डनेरियाना डब्ल्यू. टी. (एक्वीफोलिएसिया)

पावेटटा विघती हूक. एफ. (रूबीएसिया)

मधुका बोर्डीलोनी (गैम्बल) एच.जे.लाम (सेपोटेसिया)

मधुका इनसिगनिस (राडलक) एच.जे. लाम सेपोटेसिया)

उपयोगावधि समाप्त होने पर नष्ट की गई दवाइयां

6 8. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कितने मूल्य की ऐसी दवाइयों को नष्ट किया गया जिनकी उपयोगावधि समाप्त हो गई थी;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान ऐसी दवाइयों जिनकी उपयोगावधि समाप्त हो गई थी, को जब्त करने के लिए दिल्ली के मेडीकल स्टोरों/एजेन्सियों पर छापे मारे गये थे; और

(घ) यदि हां, तो छापों के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली में सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में वर्ष 1990-91 के दौरान कोई ऐसी औषधि नष्ट नहीं की गई जिसकी उपयोग अवधि समाप्त हो गई हो।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

सिमेस्टर प्रणाली

*689. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में हायर सेकेण्डरी स्तर पर सिमेस्टर प्रणाली शुरू करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) सिमेस्टर प्रणाली कब से शुरू किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह व्यवस्था थी कि परीक्षा सुधार के घटकों में से एक घटक माध्यमिक स्तर पर चरणबद्ध रूप में सिमेस्टर पद्धति शुरू करना होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा जुलाई, 1988 में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किए गए प्रारूप पाठ्यक्रम ढांचे में भी सिमेस्टर पद्धति की सिफारिश की गई है।

9-10 मार्च, 1992 को विभिन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन ने सम्बद्ध राज्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर सिमेस्टर पद्धति शुरू करने की सिफारिश की। उच्च माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सिमेस्टर पद्धति का नमूना इन चर्चाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

जनजाति विकास लाभार्थी उन्मुख योजना

*690. श्री ललित उरांव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "जनजाति विकास लाभार्थी उन्मुख" योजना के अन्तर्गत सरकार ने राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी-कितनी राशि दी गई ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) आदिवासी विकास के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीम में राज्य सरकार को बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से बाहर हस्तांतरित किए जाने वाले आदिवासी गांवों को दूसरी जगह पर स्थापित करने और उनके पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। आदिवासी गांवों को हस्तांतरित करने तथा उनको दूसरे स्थान पर बसाने/उनके पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और इन प्रस्तावों की छानबीन करने के बाद केन्द्रीय सहायता बंटित की गई थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1991-92	1990-91	1989-90
मध्य प्रदेश	5.45	—	21.89
तमिलनाडु	—	16.93	—
उत्तर प्रदेश	—	—	2.?6
कर्नाटक	10.00	—	—
केरल	—	—	5.75
अरुणाचल प्रदेश	—	5.32	—
मिजोरम	26.09	25.00	20.00
कुल योग :	41.54	47.25	50 00

क्षति ग्रस्त हुए सामान के लिए मुआवजा

*691. श्री छत्रपाल सिंह :

श्री प्रभूदयाल कठेरिया ।

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों को उनके बुक किए गए सामान के मार्ग में क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका मुआवजा देती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान ऐसे कितने मामलों का निपटान किया गया;

(ग) क्या ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान काफी अधिक समय बाद किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मुआवजे के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए हैं?

रेल मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) यात्रियों द्वारा बुक कराए गए माल (सामान) के मार्ग में क्षतिग्रस्त/गुम हो जाने या आंशिक सुपुर्दगी के 39 मामलों को सन 1991 के दौरान भुगतान करके निपटाया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा

*69. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने "प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने" का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत आठवीं योजना के अन्त तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 10,00,000 बच्चों को शिक्षित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में कितने स्कूल खोले जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली प्रशासन का आठवीं योजना अवधि के अन्त तक 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के दस लाख बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। दिल्ली प्रशासन का 120 नए मिडिल स्कूल खोलने, 2/5 स्कूलों को प्रोन्नत करने और 550 मौजूदा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को कम्पोजिट माडल स्कूलों में बदलने का भी प्रस्ताव है।

स्कूली बच्चों को खेलकूद में प्रशिक्षण देना

*693. श्री विजय नवल पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्कूली बच्चों को खेलकूद में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी कुछ योजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभाओं का पता लगाने में क्या सफलतायें मिली हैं; और

(घ) खेलकूद के वर्तमान स्तर को बढ़ाने हेतु बच्चों प्रशिक्षित करने के लिए क्या नए कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) स्कूली शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों का दायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत कोई भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कूली बच्चों को खेलकूद में प्रशिक्षण देने के लिए प्रारम्भ नहीं की गई है। तथापि, "आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के अन्तर्गत कूदने की रस्सी, फुटबाल, बालीबाल, रबर बाल आदि खेल उपस्करों का एक सैट देश के प्राथमिक स्कूलों को प्रदान किया जाता है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण की विविध योजनाओं के अधीन स्कूली बच्चों में प्रतिभा का पता लगाने में की गई उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

क. सं.	योजना का नाम	बच्चों की वर्तमान संख्या जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है
1.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता	1217
2.	बाल खेल कम्पनियां	273
3.	विशेष क्षेत्र खेल	412

इन परियोजनाओं के अन्तर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा पता लगाई गई प्रतिभाओं ने, बच्चों ने प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 1128 पदक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 40 पदक जीते हैं।

(घ) प्रतिभा खोज वैज्ञानिक पोषण की योजनाओं को केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, बड़े आकार के रिहायशी स्कूलों और सार्वजनिक क्षेत्र के नगर क्षेत्रों तक बढ़ाने के अलावा छात्रों का शैक्षिक भार कम करने तथा शारीरिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक भाग बनाने सम्बन्धी प्रश्न ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

होस्टल कमरों के आवंटन में अनियमितताएं

7233. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में 1991-92 और 1992-93 के दौरान छात्रों को कमरों के आवंटन में गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, यह सही नहीं है कि वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में छात्रों को कमरे आवंटित करने में गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं। वर्ष 199.-93 के लिए छात्रावासों में दाखिले अभी तक नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रश्न पत्रों हेतु मार्ग निर्देश

7234. श्री केसरी लाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में पब्लिक स्कूलों में प्रश्न पत्र बनाने के बारे में कोई मार्ग-निर्देश/मानदण्ड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में कुछ पब्लिक स्कूलों में प्रश्न पत्र तैयार करते समय विद्यार्थियों को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है और विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है; और

(घ) यदि हां, तो इन पब्लिक स्कूलों को क्या निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं। गैर सहायता प्राप्त (स्कूलों में,) जिनमें से कुछ को सामान्य रूप से "पब्लिक स्कूल" के नाम से जाना जाता है आन्तरिक टेस्ट और परीक्षाओं के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड अथवा दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई भी अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता

7235. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर हिन्दी भाषी राज्यों में सम्बन्धित राज्य की स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा मराठी को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) हालांकि केन्द्र सरकार के कार्यालय में, जिनमें रेलवे प्रशासनों के कार्यालय भी शामिल हैं, सरकारी काम-काज हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है, तथापि नोटिस बोर्डों, स्टेशन नाम बोर्डों, आदि और जनता के उपयोग में आने वाले दस्तावेजों, फार्मों आदि विशिष्ट मामलों में संबंधित राज्य की प्रादेशिक भाषा को भी तरजीह दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शीतल पेयों में रंगों और स्वादों का प्रयोग

7236. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शीतल पेयों और मिठाइयों में कृत्रिम रंगों और स्वादों के मनमाने और अंधाधुन्ध प्रयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) सम्बद्ध अधिनियम और खाद्य उत्पाद आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत हानिकारक रंगों और स्वादों के निर्माताओं तथा खाद्य सामग्रियां तथा शीतल पेयों में निषिद्ध रंगों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) अनुमत्य रंगों और निषिद्ध स्वादों की सूचियां खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारी, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बने नियम, 1955 के प्रशासन से प्रारम्भिक तौर पर संबंधित होते हैं, खाद्यों और शीतल पेयों सहित खाद्य की गुणवत्ता का अनुवीक्षण करते हैं और कृत्रिम रंगों और स्वादों के मनमाने प्रयोग को रोकते हैं।

उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्धों का उल्लंघन करते है।

बिस्कुटों में मिलावट

7237. श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान पारले और ब्रिटानिया बिस्कुटों में मिलावट की शिकायतें आई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली थीं।

अनिवासी भारतीयों से गेहूं का प्रस्ताव

7238. डा. रवि मल्लू :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के अनिवासी भारतीय द्वारा अमरीका सरकार द्वारा प्रस्तावित दर की तुलना में कम दर पर "क" श्रेणी की गुणवत्ता वाले 2 मिलियन टन गेहूं बेचने का प्रस्ताव हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गेहूं का आयात करने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए विश्वव्यापी खुले टेंडरों के प्रत्युत्तर में लास-एंजेलेस के अनिवासी भारतीय ने अपनी पेशकश दी थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई सभी पेशकशों पर विचार करने के बाद, सरकार ने वर्तमान टेंडर इन्क्वारियों के आधार पर गेहूं की खरीददारी करने के लिए कोई भी आर्डर न देने का फैसला किया है।

पश्चिमी रेलवे में ई. एम. यू. रेक

7239. श्री राम नाईक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे (उपनगरीय सेक्शन) को 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी ई. एम. यू. रेकें प्राप्त हुईं;

(ख) ई. एम. यू. रेकों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान बेकार किए गए रेकों की संख्या क्या है;

(घ) 1992-93 के दौरान कितनी रेकें प्राप्त होंगी, और

(ङ) उपनगरीय सेवाओं में वृद्धि के लिए कितनी रेकों की आवश्यकता है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्राप्त हुए ई. एम. यू. रेकों/सवारी डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है।

1989-90	—	10 मोटर कोच और 18 ट्रेलर कोच (3 रैक तथा एक मोटर कोच)
1990-91	—	8 मोटर कोच तथा 16 ट्रेलर कोच (2 रैक, 1 मोटर कोच तथा 4 ट्रेलर कोच)

(ख) 68।

(ग) हटाए गए ई. एम. यू. रेकों/कोचों की संख्या नीचे दी गई है :

1989-90	—	4 मोटर कोच तथा 4 ट्रेलर कोच।
1990-91	—	12 मोटर कोच तथा 36 ट्रेलर कोच (4 रैक तथा 18 ट्रेलर कोच)

(घ) 1992-93 के दौरान, पश्चिम रेलवे द्वारा 6 मोटर कोच तथा 12 ट्रेलर कोच (2 रैक) प्राप्त किए जाने का कार्यक्रम है।

(ङ) सेवाओं के फेरों में वृद्धि के लिए रेकों के अलावा अन्य परिचालन आवश्यकताओं जैसे प्लेट फार्म, रख-रखाव सुविधा, पथ आदि आवश्यक हैं। रेकों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन यथार्थ वृद्धि दर्शाये जाने तथा अन्य परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है।

ज्ञानम समिति की रिपोर्ट

7240. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच ज्ञानम समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों पर कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रो. ए. ज्ञानम की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति की "टुवर्ड्स न्यू एज्यूकेशनल मेनेजमेन्ट" नामक रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 150 सिफारिशें की गई हैं। ज्ञानम समिति रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) ने अपने अध्यक्ष को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों की

जाँच करने हेतु एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का गठन करने के लिए प्राधिकृत किया है। समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक में उसके विचारार्थ रखे जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पौधों का सर्वेक्षण

742. डा. लाल बहादुर रावल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फूलों के पौधों, औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों के सम्बन्ध में कोई क्षेत्र सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) दुर्लभ किस्म के पौधों के परिरक्षण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों सहित प्राणिजात और वनस्पतिजात की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना।

2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन, जिसमें संशोधन के बाद संकटापन्न पौधे शामिल किए गए हैं और जिसके उल्लंघन के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई है।

3. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के तहत वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण और निषेध।

4. वनस्पति उद्यानों में संकटापन्न प्रजातियों का स्थान बाह्य संरक्षण ताकि भविष्य में वनों में उनकी बहाली के लिए बन्दी परिस्थितियों में इन प्रजातियों की उत्तर-जीवितता सुनिश्चित की जा सके।

5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत पौध आनुवंशिक संसाधनों के राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना, और

6. जनजागरूकता अभियान शुरू करना :

विवरण

हाल में किए गए वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षणों के राज्य-वार ब्यौरे

आन्ध्र प्रदेश : सर्वेक्षण जारी; फ्लोरा आफ नल्लामलाई हिल्स 1987 में प्रकाशित।

अण्डमान और : सर्वेक्षण जारी;
निकोबार द्वीप समूह
(केन्द्र शासित प्रदेश)

असम : सर्वेक्षण जारी; वनस्पतिजात का संकलन किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश : सर्वेक्षण जारी; वनस्पतिजात का संकलन किया जा रहा है।

बिहार : सर्वेक्षण जारी; भागलपुर जिले के वनस्पतिजात प्रकाशित।

गोवा, दीव, : वनस्पतिजात 1985 में प्रकाशित।

दमन, दादरा, नागर
हवेली

गुजरात : सर्वेक्षण जारी; सौराष्ट्र के वनस्पतिजात (खंड-2 व 3) 1988 में प्रकाशित।

हरियाणा : सर्वेक्षण जारी।

हिमाचल प्रदेश : सर्वेक्षण जारी; हिमाचल प्रदेश के वनस्पतिजात 1984 में प्रकाशित।

जम्मू व कश्मीर : सर्वेक्षण जारी; वनस्पतिजात का संकलन किया जा रहा है।
प्रो. पी कचरू ने कश्मीर घाटी के वनस्पतिजात प्रकाशित किए।

कर्नाटक : सर्वेक्षण जारी; कर्नाटक के वनस्पतिजात 1984 में प्रकाशित।

केरल : सर्वेक्षण जारी; केरल की घासें और साइलेन्ट घाटी (पलक्काड) के वनस्पतिजात प्रकाशित, केसरगोड, तिरुअनन्तपुरम् जिले के वनस्पतिजात को प्रकाशित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र : सर्वेक्षण जारी; महाराष्ट्र के वनस्पतिजात के प्रकाशन के लिए कार्रवाई की जा रही है, 8 जिलों के वनस्पतिजात के लेख तैयार हैं।

मणिपुर : सर्वेक्षण जारी; मणिपुर के वनस्पतिजात का संकलन किया जा रहा है।

मिजोरम : सर्वेक्षण जारी; वनस्पतिजात का संकलन किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश : सर्वेक्षण जारी; मध्य प्रदेश के वनस्पतिजात खण्ड-1 पर मुद्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

नागालैण्ड	: सर्वेक्षण जारी रहेगा; वनस्पति का संकलन किया जा रहा है।
उड़ीसा	: सर्वेक्षण जारी; महानदी कच्छ वनस्पति के प्राणिजात को संकलित किया गया।
पंजाब	: सर्वेक्षण जारी; पंजाब के मैदानों के वनस्पतिजात प्रकाशित।
पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	: वनस्पतिजात तैयार किया जा रहा है।
राजस्थान	: सर्वेक्षण जारी; राजस्थान के वनस्पतिजात खण्ड-1 व 2 प्रकाशित खण्ड-3 मुद्रित हो रहा है। 2 या 3 जिलों के वनस्पतिजात प्रकाशित किए गए हैं।
सिक्किम	: सर्वेक्षण जारी।
तमिलनाडु	: तमिलनाडु के वनस्पतिजात-विश्लेषण (खण्ड-3) प्रकाशित।
त्रिपुरा	: सर्वेक्षण जारी; त्रिपुरा के वनस्पतिजात प्रकाशित।
उत्तर प्रदेश	: सर्वेक्षण जारी रहेगा; ऊपरी गांगेय मैदान के वनस्पतिजात की चैक-लिस्ट प्रकाशित।
पश्चिम बंगाल	: सर्वेक्षण जारी रहेगा; पश्चिम बंगाल के वनस्पतिजात खण्ड-1 का संकलन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का विकास

7242. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, आयोग ने प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा परिषद स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है, जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7243. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन मीटर गेज और नैरोगेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया गया है और योजनायें और प्राक्कलन बना लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (i) नीमच-रतलाम (133 कि.मी.) मी.ला. से ब.ला. में।

(ii) जबलपुर-गोंदिया (228 कि.मी.) छो.ला. से ब.ला. में।

(ख) और (ग) ये निर्माण कार्य इस मन्त्रालय द्वारा 8वीं योजना में शुरू किए जाने वाले आमान परिवर्तन कार्यों का कार्य योजना में शामिल किए गए है। इन निर्माण कार्यों का अनुमानित लागत नीचे दी गई है :

नीमच-रतलाम-66.5 करोड़ रुपये

जबलपुर-गोंदिया-136.8 करोड़ रुपये

इस स्तर पर विस्तृत नक्शे, अनुमान और सर्वेक्षण की योजना नहीं बनायी गयी है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज सहायता

7244. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1991-92 में राज सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु वास्तव में कितनी धनराशि दी गई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम को (1) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अन्तर अर्थात उपभोक्ता राजसहायता और (2) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्य राजसहायता दी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता के प्रति 2850 करोड़ रुपये की कुल राशि प्रदा की गई थी।

बिहार में रेल परियोजनायें

7245. श्री संयद शाहाबुद्दीन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले बिहार में शुरू की गई उन रेल परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिनका सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन किया जा रहा था अथवा जिन्हें इस दौरान पूरा कर लिया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को कब पूरा किया गया था और 31 मार्च, 1992 को इसकी स्थिति क्या थी; और

(ग) परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत कितनी थी तथा वास्तविक लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले शुरू की गई 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख रेल परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मूल अनुमानित लागत	संशोधित लागत	31 मार्च, 1992 को स्थिति
1	2	3	4	5
1.	समस्तीपुर-दरभंगा (आमान परिवर्तन)	4.75 करोड़ रु.	28.43 करोड़ रु.	परियोजना प्रगति पर है और इसके मार्च, 1995 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है। धन राशि की तंगी के कारण इसे पहले स्थगित कर दिया गया था।
2.	छितौनी-बगहा (लाइन का पुनः स्थापन)	15.00 करोड़ रु.	154.86 करोड़ रु.	परियोजना प्रगति पर है और इसके 1994-95 तक पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि सहभागीदार द्वारा धन राशि की व्यवस्था की जाए। इस परियोजना की लागत

1	2	3	4	5
				में रेलवे, जल संसाधन मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की भागीदारी है। चूंकि सम्बन्धित पार्टियों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी इसलिए परियोजना पर प्रगति नहीं हो सकी।
3.	क्यूल-जमालपुर-भागलपुर खंड (दोहरीकरण)	17.00 करोड़ रु.	32.00 करोड़ रु.	परियोजना के पूरा किये जाने का कार्य प्रारंभिक चरण में है और इसके मार्च, 1993 के अन्त तक पूरा किये जाने की संभावना है।
4.	चन्द्रपुर काम्पलेक्स (विद्युतीकरण)	14.45 करोड़ रु.	37.00 करोड़ रु.	मार्च, 1988 में पूरा हो गया।
5.	सीतारामपुर-मुगलसराय (विद्युतीकरण)	86.63 करोड़ रु.	240.40 करोड़ रु.	परियोजना प्रगति पर है। धन राशि के तंगी के कारण इसे पहले स्थगित कर दिया गया था और इसके मार्च, 1997 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

असम को सेला चावल की सप्लाई

7246. श्री प्रबीन डेका :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग सेला चावल पसन्द करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या असम व अन्य राज्यों को सप्लाई किये जा रहे सेला चावल का प्रतिशत बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारत सरकार को ऐसी किसी पसन्द के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गुवाहाटी के केन्सर संस्थान में चिकित्सा पद्धति में सुधार

7247. श्री उद्धव बर्मन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से गुवाहाटी, असम के बी. बरुआ कैन्सर संस्थान में चिकित्सा पद्धति में सुधार करने और इसके आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग

7248. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है ।

अलाभकर रेल लाइनें

7249. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल लाइनों को लाभकारी तथा अलाभकर लाइनों में वर्गीकृत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्गीकृत श्रेणी में कितने-कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइनें हैं;

(ग) मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उपनगरीय रेलवे कुल कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों का इस्तेमाल कर रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों में उपनगरीय रेलवे पर कितनी न्यूनतम लागत आई; और

(ङ) गत तीन वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में लाभकारी तथा अलाभकर, दोनों प्रकार की लाइनों पर कितनी न्यूनतम लागत आई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) केवल शाखा रेल लाइनों की अलाभप्रदता का निर्धारण करने के लिए प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है, 1990-11 के दौरान अलाभप्रद पाई गई शाखा लाइनों की कुल लम्बाई लगभग 7700 कि. मी. थी।

(ग) 31 3.91 को बिजली गाड़ी उपनगरीय सेवाओं के लिए 1241.89 कि. मी.

(घ) उपनगरीय सेवाओं की उपान्तिक लागत संकलित नहीं की जाती है,

(ङ) राज्यवार सूचना इकट्ठी नहीं की जाती है,

भारतीय इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में दर्शाना

7250. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि पाठ्य पुस्तकें साम्प्रदायिक भावनाओं अथवा महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध पूर्वाग्रह को बढ़ावा न दें,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) भारतीय इतिहास को सही राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में दर्शाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, जिसमें स्त्री-पुरुषों की समानता और सामाजिक अवरोधों के निराकरण सहित कोर घटक दिए गए हैं, पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की गई है। रा. शि. नी. में निर्दिष्ट ये कोर पाठ्यक्रम क्षेत्र राष्ट्रीय पाठयक्रम ढांचे तथा इतिहास और अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में भी परिलक्षित होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिक और जातीय भावनाओं तथा स्त्री-पुरुष के भेद को भड़काने वाली कोई सामग्री न हो, एक पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इतिहास में तैयार की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं, पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों ने स्कूल स्तर पर अतीत के वस्तुपरक अध्ययन को बढ़ावा देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को मान्यता

7251. श्री रामपूजन पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बोर्ड अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ग्रामीण स्कूलों की शिक्षा के स्तर में सुधार करने अथवा इसका स्तर शहरी शिक्षा के स्तर के बराबर लाने के लिए इन स्कूलों को मान्यता दी जाती है, और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने स्कूलों को मान्यता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है न कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा।

(ख) पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के सिलसिले में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एकत्रित उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 735,771 स्कूलों में से (30.9.86 तक) 634908 अर्थात् 86.29% स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल

7252. श्री मदन लाल खुराना :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम से 95 प्रतिशत अनुदान सहायता पाने वाले अनेक स्कूल कई वर्षों से बन्द पड़े हैं किन्तु उन्हें अब भी नियम से सहायता मिल रही है,

(ख) क्या इन स्कूलों के शिक्षकों को निगम के अन्य स्कूलों में लगा दिया गया है किन्तु उन्हें अपने वेतन इन सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्ध मंडलों से मिलते हैं,

(ग) यदि हां, तो इन स्कूलों के नाम क्या हैं और इन स्कूलों को सहायता जारी रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन सरकारी सहायता प्राप्त अनेक स्कूलों के शिक्षकों को पिछले कई महीनों से उनका वेतन नहीं दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद

7253. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सदस्यों के मनोनयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित है।

(ख) इस परिषद में मनोनीत सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का परिषद में प्रत्येक राज्य से सदस्य मनोनीत करने का विचार है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार शासी निकाय में योग के 4 विशेषज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के 4 विशेषज्ञ और 8 पदेन सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा के 2 विशेषज्ञ इस परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोक सभा/राज्य सभा के एक सदस्य अथवा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले एक विख्यात नागरिक को शासी निकाय के सदस्य के रूप में भी शामिल किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मौजूदा शासी निकाय के सदस्यों के नाम व पते संलग्न सूची में विवरण के रूप में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) इस परिषद में नामित योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा के विशेषज्ञों का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध विशेषज्ञों में से किया जाता है। इस परिषद में प्रत्येक राज्य से सदस्यों को नामित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्यों के नाम व पते

1) पदेन

1. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, निर्माण भवन
   नई दिल्ली।
3. सचिव अथवा उनका नामांकित व्यक्ति, निर्माण भवन नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति) निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
   निर्माण भवन नई दिल्ली।
6. श्रीमती रेणुका मेहरा,
   शैक्षिक उप सलाहकार,
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)।

7. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान,
6, रामबाई अम्बेडकर रोड, बापू भवन, पुणे।

8. निशदेक,

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद,
सदस्य सचिव,
डब्ल्यू-14, फ्लैट नं. 5,
ग्रेटर कैलाश, (पार्ट-II)
नई दिल्ली।

II) प्राकृतिक चिकित्सा के चार विशेषज्ञ

1. डा. बी. वेंकट राव
गांधी प्राकृतिक उपचार कालेज, हैदराबाद।

2. डा. आर. एम. बक्सर,
प्राकृतिक उपचार अनुसंधान, अस्पताल।
पटपड़ गंज, नई दिल्ली।

3. कुमारी निर्मला देशपाण्डेय,
जीवन निर्माण केन्द्र,
पंचली, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।

4. डा. वी.डी.सी. मूर्ति उज्जैर,
श्री डी. एम. प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान कालेज,
उजिरे-574240 (जिला कन्नड़)
कर्नाटक।

III. योग के चार विशेषज्ञ

1. स्वामी पी. गीतानन्द,
निदेशक आनन्द आश्रम, पांडिचेरी।

2. स्वामी वेदानन्द,
निदेशक, शिवनन्द मठ एवं योगाश्रम,
कलकत्ता।

3. श्रीमती एम. आर. बाई. राज्य लक्ष्मी,
प्रधानाचार्य योग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान एकक,
तिरुपति, आंध्र प्रदेश।

4. स्वामी रितजा नन्द
निदेशक, भारतीय योग संस्थान,
पटना (बिहार)

(v) आधुनिक चिकित्सा के दो विशेषज्ञ

1. डा. एस.डी. शर्मा,
अपर महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

2. चिकित्सा शिक्षा निदेशक,
महाराष्ट्र ।

v) विख्यात नागरिक

1. श्री गणेश शंकर पांडेय,
महासचिव,
अखिल भारतीय युवा कांग्रेस (आई)
फ्लैट नं. 408, ब्लाक-87, सेक्टर-I, गोल मार्किट, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

7254. डा. रमेश चन्द्र तोमर :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री काशीराम राणा :

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार के पास राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । संस्थान मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के प्रशासन तथा संस्कृत परीक्षाओं के संचालन, जिनका आयोजन अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा भी किया जाता है, की देख-रेख करना है ।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल संगठनों का अनुदान

7255. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में विभिन्न खेल संगठनों/संघों के साथ समन्वय के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) क्या इन खेल/संगठनों/संघो को प्रत्येक वर्ष अनुदान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इन सघों को कितनी धनराशि के अनुदान दिये गये;

(घ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण इन अनुदानों के उचित उपयोग के लिये इस पर निगरानी रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) दीर्घकालीन विकास योजना (एल. टी. डी. पी) का वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें राष्ट्रीय संघों, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी वर्ष के लिए कोचिंग और प्रतियोगिता योजना को अन्तिम रूप देने के लिय भाग लेते हैं। उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये इन योजनाओं का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों को दिया गया अनुदान निम्न प्रकार है:—

(रुपए लाखों में)

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
1989-90	207.09 रुपए	201.00
1990-91	245.30 रुपए	83.92 रुपए

(घ) और (ङ) युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दी गई राशि की उपयोगिता को लेखा-परीक्षित विवरण राष्ट्रीय खेल संघ प्रस्तुत करते हैं।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के स्थायी/अस्थायी गोदाम

7256. डा. परशराम गंगवार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के स्थायी और अस्थायी कितने गोदाम हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ये गोदाम किस स्थिति में हैं और उनमें एकत्रित किए गए भंडार का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी गोदामों के भंडार सड़े नहीं, उनकी चोरी न हो अथवा उनमे गोलमाल न हो, क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 30.9.1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 1578 स्थायी और अस्थायी गोदाम (अपने और किराये के) थे। इन गोदामों की राज्यवार/एजेन्सीवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्थायी और अस्थायी गोदामों (अपने और किराये के) की स्थिति भण्डारण योग्य है। पहली मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार इन गोदामों में 11.06 मिलियन मीटरी टन (10.40 स्थायी गोदामों और 0.66 अस्थायी गोदामों में) स्टाक भण्डारित था।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय खाद्य निगम के अस्थायी गोदामों में स्टाक सड़ नहीं जाए अथवा चोरी नहीं हो जाए या उसमें घोटाला न होने पाए, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण किया जाता है और नियमित रूप से कीट नियन्त्रण उपाय किए जाते हैं।

(2) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने तथा उन्हें उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ लगाया जाता है।

(3) जब कभी आवश्यक होता है तब कैप (कवर और प्लिंथ) नामक अस्थायी भण्डारण के लिए वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन की गई प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों को खुले में भण्डारित किया जाता है।

(4) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर भण्डारित किया जाता है और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई न्यून घनत्व का काली पालीथीन की वाटर प्रूफ चादरों से ढका जाता है।

(5) पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती है ताकि तूफान के दौरान चादरों के उड़ने से क्षति को रोका जा सके।

(6) खाद्यान्नों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख कैप काम्प्लेक्सों में मोनोफिलामेंट जाल और ढके हुए टापस मुहैया किए जाते है।

(7) कैप में भण्डारित स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है ताकि स्टाक के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके और नमी तथा तापमान की विभिन्नता के कारण घनीकरण द्वारा क्षति को भी रोका सके।

(8) कीटाणुओं और चूहों, पक्षियों आदि जैसे अन्य पीड़क जन्तुओं द्वारा होने वाली पीड़क जन्तु बाधा पर काबू पाने के लिए यथा अपेक्षित नियमित निरीक्षण और सुरक्षा सम्बन्धी उपाए किए जाते हैं।

(9) ऐसे गोदामों में पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध किए जाते हैं ताकि चोरी और घोटाले को रोका जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के स्थायी/अस्थायी गोदामों को बताने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थायी गोदाम: भा.खा.नि. के अपने	निम्न से किराये पर लिए गए: राज्य सरकार	के.भा.भा.नि.	रा.भा.भा.	निजी पार्टियां	जोड़	अस्थायी गोदाम: भा.खा.नि. के अपने	किराये के	जोड़	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	एन.ई.एफ जोन										
1.	असम	18	3	—	2	21	44	—	—	—	44
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3
3.	एन.ई.एफ. क्षेत्र										
	(क) मेघालय	2	3	—	—	1	6	—	—	—	6
	(ख) मणिपुर	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2
	(ग) मिजोरम	2	—	—	—	1	3	—	—	—	3

(च) नागालैण्ड	3	1	1	—	—	5	—	—	—	5
(छ) त्रिपुरा	1	4	1	—	1	7	—	—	—	7
जोड़—एन.ई.एफ. जोन	31	11	2	2	24	70	—	—	—	70
II. पूर्वी जोन										
4. बिहार	19	2	7	5	28	61	—	—	—	61
5. उड़ीसा	20	1	4	13	3	41	—	—	—	41
6. पश्चिम बंगाल	26	30	2	4	57	119	—	—	—	119
7. पश्चिम बंगाल	1	1	—	—	—	2	—	—	—	2
जोड़—पूर्वी जोन	66	34	13	22	88	223	—	—	—	223
III. उत्तरी जोन										
8. दिल्ली	7	—	2	—	—	9	3	—	3	12
9. हरियाणा	37	2	6	12	28	85	23	2	25	110
10. हिमाचल प्रदेश	2	12	2	—	2	18	—	—	—	18
11. जम्मू तथा कश्मीर	8	4	—	—	—	12	2	—	—	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	पंजाब	104	14	11	37	83	249	74	51	125	374
13.	चण्डीगढ़	4	1	2	1	—	8	2	2	4	12
14.	राजस्थान	35	—	3	24	4	66	9	6	15	31
15.	उत्तर प्रदेश	50	21	21	32	30	154	25	11	36	190
	जोड़—उत्तरी जोन	247	54	47	106	147	601	138	72	210	811
IV.	दक्षिणी जोन										
16.	आन्ध्र प्रदेश	34	—	37	66	37	174	—	—	—	174
17.	केरल	20	3	1	1	10	35	—	—	—	35
18.	कर्नाटक	10	—	7	14	6	37	4	—	4	41
19.	तमिलनाडु	17	2	6	4	—	29	2	—	2	31
20,	पांडिचेरी	3	—	—	—	—	3	—	—	—	3
	जोड़—दक्षिणी जोन	84	5	51	85	53	278	6	—	6	284

V. पश्चिमी ज़ोन										
21. गुजरात	13	2	7	1	6	29	2	3	5	34
22. महाराष्ट्र	15	2	7	8	5	37	—	—	—	37
23. गोआ	1	—	1	—	—	2	—	—	—	2
24. मध्य प्रदेश	41	8	12	36	18	115	1	1	2	117
जोड़-पश्चिमी ज़ोन	70	12	27	45	29	183	3	4	7	190
कुल जोड़ (अखिल भारत)	498	116	140	260	341	1355	147	76	223	1578

[अनुवाद]

गोदामों/भाण्डागारों की भण्डारण क्षमता

7257. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री जगमीत सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों/भांडागारों की कुल भण्डारण क्षमता कितनी है और वे राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार इन गोदामों/भाण्डागारों की कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 1.2.1992 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध भण्डारण क्षमता और उनका अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) इन एजेन्सियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गोदामों/भाण्डागारों की उपयोग की गई प्रतिशतता निम्नानुसार थी :—

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय भण्डारण निगम
1989-90	49.39 प्रतिशत	77 प्रतिशत
1990-91	65 प्रतिशत	78 प्रतिशत
1991-92 (1.2.1992 को)	56.50 प्रतिशत	75 प्रतिशत

विवरण

भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 1.2.1992 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध राज्यवार भण्डारण क्षमता को बताने वाला ब्यौरा

(क्षमता लाख मीटरी टनों में)

	भा.खा.नि.	के.भ.नि.
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	0.15	—
आंध्र प्रदेश	16.20	10.82
असम	2.80	0.43

1	2	3
बिहार	6.40	1.69
गोवा	0.19	0.17
गुजरात	7.99	3.16
हरियाणा	16.16	2.26
हिमाचल प्रदेश	0.28	0.05
जम्मू और कश्मीर	0.93	—
कर्नाटक	3.44	1.77
केरल	5.32	0.70
मध्य प्रदेश	11.39	5.81
महाराष्ट्र	15.07	8.19
मणिपुर	0.12	0.03
मेघालय	0.21	—
मिजोरम	0-12	0.02
नागालैंड	0.16	0.13
उड़ीसा	3.72	1.25
पंजाब	55.69	6.14
राजस्थान	8.38	1.35
सिक्किम	0.07	—
तमिलनाडु	6.84	6.38
त्रिपुरा	0.38	0.24
उत्तर प्रदेश	25.47	9.27
पश्चिम बंगाल	12.72	5.80
चंडीगढ़	0.71	0.18
दिल्ली	3.89	1.67
पांडिचेरी	0.41	0.15
जोड़	205.31*	67.63

*इसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर ली गई 15.22 लाख मी. टन की क्षमता शामिल है।

होम्योपैथी फार्मेसी शिक्षा

7258. श्री खारेलाल जाटव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधालयों और अस्पतालों में कार्यरत होम्योपैथी फार्मासिस्टों की उनके कार्य अनुभव के आधार पर होम्योपैथी फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिये पात्रता की समीक्षा की है ।

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार के सामने देश की अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह से होम्योपैथी फार्मासिस्टों की प्रगति एवं उनकी सेवा में सुधार करने हेतु एक परिषद तथा होम्योपैथी फार्मेसी शिक्षा समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का होम्योपैथी फार्मेसी शिक्षा की प्रगति के मामले पर विचार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सरकार का इस समय होम्योपैथी फार्मेसी शिक्षा के लिए समिति गठित करने अथवा होम्योपैथिक फार्मेसी परिषद स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । होमियोपैथिक फार्मेसी विषय स्नातकपूर्व होमियोपैथिक पाठ्यक्रमों में विस्तार से पढाया जाता है ।

[हिन्दी]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में आरक्षित श्रेणियों में नियुक्ति

7259. श्री शरद यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे समूह क, ख, ग, और घ के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक समूह में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान आरम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने रिक्त स्थानों को भरा गया है तथा कितने पद अब भी रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कार्य

कर रहे समूह क, ख, ग और घ के कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:—

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी
क	118	17	8
ख	235	25	3
ग	1318	196	36
घ	5537	1173	225
योग :	7208	1411	272

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कई संवर्ग हैं। हर संवर्ग में बिना भरी आरक्षित रिक्तियों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि उनके लिये विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। तथापि, समय-समय पर आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिये सामान्य हिदायतों, विशेष रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 मार्च, 1990 के का. ज्ञा. संख्या 28034/5/90-स्था.(ए) एस आर डी के अनुसार आरक्षित रिक्तयों का पता लगाया गया था तथा भर्ती एजेन्सियों अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार कार्यालय आदि को सूचित किया गया था। विभागीय पदोन्नति समितियों को रिक्तियों को भरने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ग) ब्यौरा नीचे दी गई है:—

समूह	आरक्षित रिक्तियां अब तक भरी गई		बिना भरी रिक्तियां	
	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जन जाति
क	17	8	4	1
ख	25	3	—	—
ग	196	36	7	6
घ	1173	225	15	6
	1411	272	26	13

(घ) उपर्युक्त ख और ग की दृष्टि से, प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नेत्रहीन व्यक्ति

7260. श्री अर्जुनसिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उत्तर प्रदेश में नेत्रहीन व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) कितने जिलों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में मोतियाबिन्द के आपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या आगामी वर्ष के दौरान कुछ और जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (घ) 1986-89 में किए गए सर्वेक्षण में दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश में दृष्टि-हीनता की व्यापकता दर 1.38 प्रतिशत है। दृष्टिहीन व्यक्तियों की जिलेवार संख्या उपलब्ध नहीं हैं। दृष्टिहीनता नियंत्रण एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। मोतियाबिंद के आपरेशन की सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1992-93 में मोतियाबिन्द के आपरेशन के लिए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशिष्ट सुविधाओं की व्यवस्था करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार किए गए आपरेशनों के लिए अनुमोदित दरों पर प्रतिपूर्ति की जारी रखने का प्रस्ताव करता है जिनमें गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर के आपरेशन भी शामिल है।

खंडवा-दाहोद रेल लाइन

7261. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा-दाहोद लाइन का निर्माण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस रेल लाइन का निर्माण कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर मद्रास रेल लाइन का विद्युतीकरण

7262. **श्री श्री. मादे गौड़ा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बंगलौर-मद्रास रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मद्रास-जोलारपेट्टै खंड का काफी पहले विद्युतीकरण हो चुका है, जोलारपेट्टैबेंगलूर मुख्य लाइन को मार्च 1992 के अन्त में विद्युतीकरण कर दिया गया है,

(ख) 88.08 करोड़ रुपए।

(ग) बेंगलूर क्षेत्र के निकट गुड्स लाइन पर तथा बेंगलूर सिटी स्टेशन के मोटर लाइन यार्ड, जिसे बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, में तार लगाने जैसे कतिपय परिधीय कार्य, योजना तथा निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और उनके जुलाई, 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है,

अलीपुर द्वार जंक्शन पर लोकोशेड

7263. श्री पीयूष तीरकी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर-सीमान्त रेलवे में अलीपुर द्वार जंक्शन पर लोकोशेड बनाने पर खर्च धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस लोकोशेड का स्थानान्तरण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीपुरद्वार जंक्शन पर भाप रेल इन्जन की स्थापना 1950 में की गई थी, इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद इस शेड में किये गये खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है,

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मद्य नीति

7264. श्री शंकरसिंह वाघेला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शराब के उत्पादन, वितरण तथा लाइसेंस देने हेतु अनेक एजेन्सियों की बजाए एक स्वतन्त्र एजेंसी स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार लोगों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और दुर्घटना के शिकार लोगों को उचित मुआवजा देने के लिए एक राष्ट्रीय मद्य नीति बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ)
(क) से (ग) देश में शराब के उत्पादन, वितरण तथा लाइसेंस देने हेतु मौजूदा अनेक एजेन्सियों के स्थान पर एक स्वतन्त्र एजेन्सी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में व्यावसायिक संस्थान

7265. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री दत्तात्रेय बंडारु।

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक संस्थानों की प्रतिशतता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन संस्थानों पर 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा 1992-93 के लिए राज्यवार, कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस उद्देश्य के लिये आवंटित धनराशि के अन्यत्र प्रयोग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में धनराशि के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 तक माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को 3755 संस्थाओं में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई थी। यह देश में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या का लगभग 19.6% है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अगस्त, 1991 में "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का प्रयोग बिहार राज्य सरकार ने उस कार्य पर खर्च नहीं किया है जिसके लिए वो उसे दी गई थी। बिहार सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा दी गई राशि को राज्य सरकार ने अन्य किन्ही कार्यों में नहीं लगाया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा नियमित रूप से बैठकों तथा क्षेत्र के दौरों के दौरान करती रहती है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को संस्वीकृत राशि का सही ढंग से उपयोग करने की सलाह दी है।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया व्यय	वर्ष 1992-93 के लिए आवंटन
आंध्र प्रदेश	1010.235	790.00 लाख रु. का आवंटन किया गया है। निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया है।
अरुणाचल प्रदेश	6.355	
असम	140.28	
बिहार	0.75	
गोआ	49.65	
गुजरात	879.375	
हरियाणा	155.00	
हिमाचल प्रदेश	56.858	
जम्मू और कश्मीर	15.80	
कर्नाटक	324.096	
केरल	2-6.899	
मध्य प्रदेश	3.00	
महाराष्ट्र	1230.25	
मणिपुर	4-.00	
मेघालय	—	
मिजोरम	—	
नागालैंड	—	
उड़ीसा	—	
पंजाब	222.25	
राजस्थान	323.56	
सिक्किम	0.044	
तमिलनाडु	727.90	
त्रिपुरा	—	
उत्तर प्रदेश	99.1475	
पश्चिम बंगाल	—	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	
चंडीगढ़	20.77	
दादरा और नागर हवेली	—	
दमन व दीव	—	
दिल्ली	0.30	
लक्षद्वीप	—	
पांडिचेरी	—	
कुल	567,49	

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित सम्मेलन

7266. श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा : :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा 14 मार्च, 1992 को एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें उठाए गए तथा चर्चा किए गए मुद्दों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसमें भाग लेने वाले संगठनों/राज्यों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर की शिक्षा नीति में परिवर्तन

7267. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री नीतीश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर की शिक्षा नीति में प्रमुख परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष शैक्षिक जरूरतों पर खास ध्यान देने के लिए कृतसंकल्प है। सीमा क्षेत्र विकास (शिक्षा) कार्यक्रम वर्ष 1987-88 से कार्यान्वियन के अधीन था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए स्कूल भवनों, होस्टलों, स्टाफ-क्वार्टरों, अतिरिक्त क्लास-रूमों और प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए पालिटेकनिक और आई. टी. आई. स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा और गैर-औपचारिक शिक्षा आदि के लिए सहायता दी गई थी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जयपुर में स्थल संग्रहालय

7268. श्री अनादि चरण दास :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जयपुर कस्बे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के "शिल्प गृह" और स्थल संग्रहालय का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिलनाडु में तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत सुविधायें

7269. डा. पी. वल्लभ पेरुमान :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रायोजन/सहायता के अन्तर्गत तमिलनाडु में उपलब्ध तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और

(ग) इन संस्थानों में तकनीकी अध्ययन प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उपलब्ध कराई गई सहायताओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) तमिलनाडु में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, त्रिची, भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में अ. जा./अ. ज. जा. के छात्रों का दाखिला, भारतीय सरकार के मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, त्रिची में अन्य राज्यों के छात्रों के लिए भारत सरकार के मानदण्डों के अनुसार आरक्षण के अतिरिक्त, तमिलनाडु के छात्रों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण नियम लागू होते हैं। शैक्षिक रूप से कमजोर अ. जा./अ. ज. जा. के छात्रों के लिए प्रारम्भिक पाठ्यक्रम चलाने के अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास शिक्षा शुल्क के भुगतान में छूट, निःशुल्क भोजन, परामर्श प्रदान करने के लिए रेल-किराया तथा योग्य छात्रों के मामले में अनुग्रह अनुदान प्रदान करता है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, त्रिची, अ. जा./अ. ज. जा. के छात्रों को पुस्तकें तथा शिक्षा शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान करता है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत, दोनों संस्थाओं में, अ. जा./अ. ज. जा. के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं।

रेल इंजनों की संचालन लागत

7270. श्री के. तुलसिऐया वान्डायार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाप, डीजल तथा विद्युत रेल इंजन की तुलनात्मक संचालन लागत क्या है, और

(ख) सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भाप डीजल और बिजली रेल इंजनों के सम्बन्ध में प्रति 1000 सकल टन किलो मीटर की तुलनात्मक परिचालन लागत नीचे दी गई है :

(आंकड़े रुपयों में)

(1989-90)

रेल इंजन	ब. ला.		मी. ला.	
	यात्री	माल	यात्री	माल
भाप	अब ये उन्हीं परियोजनाओं में परिचालित नहीं होते जिनमें बिजली और डीजल रेल इंजन परिचालित होते हैं।			
डीजल	38.27	28.00	62.20	46.57
बिजली	46.04	27.02	72.04	71.88

(ख) भारतीय रेलों पर रेलपथों का विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है। खंड दर खंड तकनीकी आर्थिक गुण-दोषों और परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर विद्युतीकरण परियोजनायें शुरू की जाती हैं। चूंकि विद्युतीकरण परियोजनायें पूंजी परक हैं, केवल उच्च यातायात घनत्व वाले मार्ग ही विद्युतीकरण के योग्य समझे जाते हैं।

श्रमिक विद्यापीठ योजना

7271. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री बलराज पासी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान श्रमिक विद्यापीठ योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1991-92 के दौरान योजनागत योजनागत/योजनेतर मदों के तहत श्रमिक विद्यापीठों को जारी किया	वर्ष 1991-92 के दौरान योजना के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की सं.
1.	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26.74 लाख	62,635
2.	असम	4,65 ,,	3,505
3.	बिहार	3.81	4,991
4.	गुजरात	16.24	19,226
5.	हरियाणा	5.46	9,705
6.	जम्मू	2.00	उपलब्ध नहीं
7.	कर्नाटक	10 07	5,527
8.	महाराष्ट्र	22.00	32,099
9.	मध्य प्रदेश	5.02	3,985
10.	राजस्थान	20.14	37,225
11.	उड़ीसा	11.05	8,913
12.	तमिलनाडु	23.45	36,376
13.	उत्तर प्रदेश	10.65	20,927
14.	केरल	5.10	15,399
15.	पश्चिम बंगाल	11.40	4,212
16.	चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र	4.08	3,973
17.	दिल्ली (केन्द्रीय)	8.22	8,929
	कुल रुपए	190.08 लाख	2,77,527

"वन भूमि का अन्य कार्य हेतु उपयोग करने के लिए गुजरात का प्रस्ताव"

7272. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री एस. एन. बेकारिया :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार के वनभूमि का अनिवार्य

कार्यों जैसे जल की सप्लाई, विद्युत प्रेषण लाइनों और स्कूल भवनों के निर्माण के उपयोग करने हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) सरकार ने अब तक किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं, और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) । (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से सभी आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाने बाद अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की जाती है ।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	भाभादिया एम आई स्कीम	चरण-1 की स्वीकृति 27.8.91 को जारी की गई ।
2.	मैसर्स टाटा केमिकल्स लि. के पट्टे का नवीकरण	27.8.91 से राज्य सरकार के पास लंबित ।
3.	पेतुरा एम. आई. स्कीम	14.2.91 से राज्य सरकार के पास लंबित ।
4.	कच्छ की खाड़ी में दूसरे टर्मिनल की स्थापना ।	8.1.92 को अनुमोदित
5.	खटराज-महमदाबाद-मेहमदाबाद नाडियाड	12.3.91 से राज्य सरकार के पास लम्बित
6.	कामराज काडोवर को एन. एच.-8 किमचार रास्ता का विस्तार	5.4.91 से राज्य सरकार के पास लम्बित
7.	एन. एच.-8 वर्तमान दो लाइनों का विस्तार	26.4.91 से राज्य सरकार के पास लम्बित
8.	टडोली एम आई स्कीम	कार्यवाई चल रही है ।
9.	कुवारसी मडमल अम्बाजी रोड का निर्माण	कार्यवाई चल रही है ।
10.	मचार सिंचाई स्कीम	कार्यवाई चल रही है ।

1	2	3
11.	अहमदाबाद-बड़ोदरा-बम्बई एन. एच.-8	25.6 91 से राज्य सरकार के पास लम्बित
12.	मुख्य नहर नर्मदा परियोजना चरण.2	क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
13.	डाण्टा-कांसा हेडी-बिरामपुर रोड का निर्माण	कार्यवाई चल रही है।
14.	खाण्धोर उमारी डेरो चन्द्र से कुवार्शी रोड	कार्यवाई चल रही है।
15.	रंगपुर-भावनपुर रोड का निर्माण	30.7.91 से राज्य सरकार के पास लम्बित
16.	गब्बारवली ब्रिज रोड का निर्माण	कार्यवाई चल रही है।
17.	मोतीपुरा में लोटस मदनेकनाथ रोड का निर्माण	चरण-1 की स्वीकृति 23.3.92 को जारी की गई।
18.	दभोई बोडेली में नर्मदा मुख्य नहर का निर्माण	कार्यवाई चल रही है।
19.	दभोई तिलकवाडा हाई पर मियागाम नर्मदा मुख्य नहर	चरण-1 की स्वीकृति 20.1.92 को जारी की गई।
20.	पोपलदहद क्षेत्रीय जल आपूर्ति स्कीम पर अवरोध बंध	चरण-1 की स्वीकृति 31.1.92 को जारी की गई।
21.	बड़ोदरा-भड़ोच रोड हाईवे नं. 8 के मायागाम शाखा नहर का निर्माण	23.12.91 को अनुमोदित
22.	ग्राम अम्बापानी, तालुका व्यारा में अव-रोध बंध का निर्माण	24.12.91 को अनुमोदित

थाणे स्टेशन पर खान-पान सेवायें

7273. प्रो. राम कापसे।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1992 में थाणे से रेलवे में घटिया खान-पान सेवाओं के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) खान-पान सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। किए गए/प्रस्तावित उपायों में मानक कच्चे सामान का उपयोग, रसोई घर में आधुनिक उपकरणों का उपयोग, गहन निरीक्षण, भोज्य सामग्रियों की अचानक नमूना जांच और दोषी पाए गए ठेकेदार अथवा कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाई शामिल हैं।

केरल में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करना

7274. प्रो. के. वी. थामस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत-जापान अनुदान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिवेन्द्रम कालीकट और त्रिचूर मेडिकल कालेजों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केरल सरकार ने भारत-जापान सहायता अनुदान के अन्तगत तिरुवनन्तपुरम, कोझिकोड और तृश्शूर स्थित मेडिकल कालेजों में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन हेतु एक प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव स्वास्थ्य मत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे जापान सरकार को भेजने के लिए आर्थिक कार्यविभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है। जापान की ओर से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में होमियोपैथिक मेडिकल कालेज

7275. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त होमियोपैथिक मेडिकल कालेजों की संख्या और उनके नाम क्या है;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक कालेज में आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार इन कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इन कालेजों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ख) दिल्ली में दो मान्यता-प्राप्त होम्योपैथिक कालेज हैं जिनमें से नेहरू होमियोपैथिक मेडिकल एवं अस्पताल दिल्ली प्रशासन के नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहा है और डा. बी. आर सूर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज जिसे एक निजी ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। इन दोनों कालेजों को बोर्ड आफ होमियोपैथिक सिस्टम आफ मेडिसन से मान्यता प्राप्त हैं। यह दोनों ही संस्थान केन्द्रीय होमियोपैथिक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद ने दिल्ली प्रशासन और इन संस्थानों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करने के लिए कहा है। वर्तमान में दिल्ली प्रशासन का डा. बी. आर. सूर होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्ध को अपने नियन्त्रण में लेने का कोई इरादा नहीं है।

बिजनौर और हस्तिनापुर-गंज के बीच रेल सम्पर्क

7276. श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने मेरठ होते हुए बिजनौर से हस्तिनापुर-गज तक रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) हस्तिनापुर के रास्ते दौराला (मेरठ के निकट) और बिजनौर के बीच नई लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है और 1992-93 में पूरा हो जाने की सम्भावना है, परियोजना पर आगे विचार सर्वेक्षण के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना

7277. श्री बीर सिंह महतो :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य गाइड योजना जैसी कोई योजना सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है। तथापि, एक ऐसी योजना है जिसे 1977 से ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के नाम से जाना जाता है, जो शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड एक अनैतिक कार्यकर्ता होता है जिसे प्रतिमाह पचास रुपये का

नाममात्र का मानदेय मिलता है। उन्हें चिकित्सा किट (पचास रुपए प्रतिमाह) भी दी जाती थी, जो जुलाई, 1986 से नहीं दी जा रही है। 31-12-1991 को 3.35 लाख स्वास्थ्य गाइड थे। ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड, ग्रामीण समुदाय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थाओं के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है।

महाराष्ट्र को खाद्यान्नों का आवंटन

7278. श्री अन्नंण्णा जोंदय्या साबुल :

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का वास्तव में कितना उत्पादन होने का अनुमान है और वर्ष 1992 के दौरान रबी के मौसम में कितना उत्पादन होने की सम्भावना है,

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में कमी आने के कारण राज्य का गेहूं और चावल का मासिक आवंटन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान फसल-वर्ष (अर्थात् जुलाई-जून) के आधार पर और न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। राज्य सरकार के वर्तमान अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में फसल वर्ष 1991-92 के दौरान कुल लगभग 77.57 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है जिसमें रबी खाद्यान्नों की फसल का लगभग 15.73 लाख मीटरी टन का सम्भावित उत्पादन शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मौसमी उपलब्धता, उठान के रूप और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा

7279. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है,

(ख) क्या श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के नाम की कोई अन्य संस्था भी विद्यमान है,

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों ही संस्थाएं केन्द्रीय सरकार की सहायता से चल रही है,

(घ) यदि हां, तो उन्हें दिए गए वार्षिक अनुदानों का ब्योरा क्या है तथा उनके द्वारा दी जी गई डिग्रियों के नाम क्या है, और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर अब तक खर्च की गई कुल धनराशि का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के रूप में सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ) केवल सम विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । इस सम विश्वविद्यालय को वर्ष 91-92 में 10 लाख रु. (योजनागत) तथा 93 लाख रु. (योजनेतर) का अनुदान दिया गया था । विद्यापीठ ने शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि, वाचस्पति, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य की डिग्रियां प्रदान की है ।

(ङ) अब तक खर्च की गई कुल राशि लगभग 113·75 लाख रु. है ।

[अनुवाद]

केरल में नई रेल लाईनें

7280. श्री थाइल जान अंजलोस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए किन-किन रेलमार्गों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) कोई नहीं, बहरहाल मंजेरी और मयूर (65 कि.मी.) के रास्ते नीलाम्बर रोड से फिरोक तक नई बड़ी रेल लाईन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1992-93 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इस वर्ष में शुरू किया जाएगा,

(ख) निर्माण के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए ।

बाबा अम्बेडकर जैवचिकित्सा अनुसंधान केन्द्र

7281. श्री सरोज दुबे :

श्री रामप्रसाद सिंह :

श्री रामविलास पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने बाबा साहेब की जन्म शताब्दी की स्मृति में दिल्ली विश्वविद्यालय में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए डा. बी. आर. अम्बेडकर केन्द्र की आधारशिला रखी थी।

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है।

(ग) इस केन्द्र के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो आबंटित की गई धनराशि के जारी न किए जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) इसके लिए दी गई धनराशि कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है, और

(च) इस परियोजना को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने 31-3-1991 को दिल्ली विश्वविद्यालय में डा. बी. आर. अम्बेडकर जैव-चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की आधार शिला रखी।

(ख) से (च) अब तक इस परियोजना के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक संस्थान

7282. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के दो आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर के परिसर में नाम से कार्यरत हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त दो संस्थान कब से कार्यरत हैं और उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर के परिसर में छद्मनाम से कोई

आयुर्वेदिक संस्थान कार्य नहीं कर रहा है। बहरहाल, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद को कुछ यूनिटें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के परिसर में है।

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों हेतु किया गया प्रस्ताव

7283. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत मे परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढग से चलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य सगठन से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तरता के आधार पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्विवर्ष 1990-91 के दौरान, विभिन्न परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 2,638,200 डालर की राशि की व्यवस्था दी गई थी।

[हिन्दी]

बिहार में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

7284. **श्री लाल बाबू राय :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बिहार के सभी जिलों में प्रारम्भ नहीं की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान बिहार के लिए जिलावार कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई थी, और

(घ) गत वर्ष के दौरान ये लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किये गये ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बिहार के सभी जिलों में 30-9-1986 तक के मोजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने का विचार है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्षवार तथा जिलावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते, इस योजना की चरण व्यवस्था राज्य सरकारों के कार्यान्वयन की गति तथा क्षमता पर निर्भर करती है। अब

वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान बिहार राज्य के सभी जिलों के अन्तर्गत आने वाले 24754 स्कूलों को शामिल करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन तथा निधियों का उपयोग निम्नानुसार है।

(i) उपकरण :

संस्वीकृति धनराशि	उपयोग की गई राशि
17,2,24000	1,96,08,000 रुपये (11.33 प्रतिशत)

(ii) शिक्षक :

संस्वीकृत पदों की संख्या	नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या
8418	8418 (शतप्रतिशत)

(iii) निर्माण

निर्माण किये जाने वाले अपेक्षित कक्षा-कक्षों की संख्या	निर्माण किये गये कक्षा-कक्षों की संख्या
27526	13584 (49.34 प्रतिशत)

[अनुवाद]

उड़ीसा में तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन

7285. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1992-93 के दौरान उड़ीसा में तालचेर और बिमलगढ़ को जोड़ने वाली रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में रोगियों के सम्बन्धियों के लिए धर्मशाला का निर्माण

7286. श्री डी. एल. शर्मा 'प्रेम' :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के निकट दिल्ली के बाहर से आने वाले रोगियों के सम्बन्धियों के लिए किसी धर्मशाला का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने कमरे हैं,

(ग) क्या रोगियों के सम्बन्धियों को कमरे उपलब्ध कराने में कुप्रबन्ध अथवा अनियमितता का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) धर्मशाला में छह हाल और तीन कमरे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कपूरथला स्थित कोच फैक्ट्री

7287. श्री जगमीत सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कपूरथला स्थित कोच फैक्ट्री की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता उपयोगिता की प्रतिशतता कितनी थी,

(ख) क्या इस एकक में नये डिजाइन के सवारी डिब्बों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कुल कितना अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल सवारी डिब्बा कारखाना कपूरथला की वार्षिक संस्थापित क्षमता 1000 सवारी डिब्बे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत निम्न प्रकार है—

1989-90 .... 17 प्रतिशत

1990-91 .... 60 प्रतिशत

1991-92 .... 91·5 प्रतिशत

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलों ने स्थानीय विनिर्माण के लिये प्रौद्योगिकी के अन्तरण सहित आधुनिक अभिकल्प वाले 27 सवारी-डिब्बों को प्राप्त करने के लिए निविदा जारी की है।

[अनुवाद]

आरक्षित पद रिक्तियों का भरा जाना

7288. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षित बकाया रिक्त पदों को 31 मार्च, 1992 से पहले भरने का निर्णय लिया था,

(ख) प्रत्येक वर्ग में ऐसे रिक्त पदों की वास्तविक संख्या कितनी है, तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, स्वतन्त्रता सेनानियों, विकलांग और सामान्य कर्मचारियों की जोन-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है, और

(घ) विशेष अभियान के अन्तर्गत बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्थानों का रखरखाव

7289. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुन्देलखन्ड क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कितने ऐतिहासिक स्थानों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है,

(ख) क्या ओरछा, देवगढ़ और झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक स्थानों को विकसित करने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या महारानी लक्ष्मीबाई के किले के चारों ओर के कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त भूमि को अवैध कब्जेदारों से खाली करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय संरक्षकों स्मारकों/स्थलों का रखरखाव किया जा रहा है, उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई का किला और महल केन्द्रीय संरक्षणाधीन है। उनकी मरम्मत और रखरखाव तथा विकास का कार्य आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस क्षेत्र पर गैर-सरकारी व्यक्तियों ने लकड़ी के स्टाल, टीन के शेड आदि बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जों को हटाने के लिए इस मामले को जिला मजिस्ट्रेट, झांसी के साथ पहले ही उठाया गया है।

विवरण

क्र. सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
	मध्य प्रदेश	
	छतरपुर जिला	
1.	खजुराहो	सन 10 वीं शताब्दी ईसवी के तीन मन्दिर समूह, जिनकी संख्या 24 है।
	पश्चिमी समूह	
2.	खजुराहो	चौंसठ जोगिनी मन्दिर
3.	—यथोपरि—	चित्रगुप्त या भरत का मन्दिर
4.	—यथोपरि—	चोपड़ या वर्गाकार तालाब
5.	—यथोपरि—	देवी जगदम्बी मन्दिर
6.	—यथोपरि—	कन्दारिया मन्दिर
7.	—यथोपरि—	लक्ष्मण मन्दिर
8.	—यथोपरि—	लालगाँव महादेव मन्दिर
9.	—यथोपरि—	महादेव मन्दिर
10.	—यथोपरि—	मातंगेश्वर मन्दिर
11.	—यथोपरि—	नन्दी मन्दिर

1	2	3
12.	खजुराहो	पार्वती मन्दिर
13.	—यथोपरि—	वराह मन्दिर
14.	—यथोपरि—	विश्वनाथ मन्दिर
	पूर्वी समूह	
15.	—यथोपरि—	आदिनाथ मन्दिर
16.	—यथोपरि—	ब्रह्मा मन्दिर
17.	—यथोपरि—	श्री हनुमान की विशाल मूर्ति
18.	—यथोपरि—	घंटिया मन्दिर
19.	—यथोपरि—	जावरी मन्दिर
20.	—यथोपरि—	कक्र मठ
21.	—यथोपरि—	पार्श्वनाथ मंदिर
22.	—यथोपरि—	शान्तिनाथ मंदिर
	दक्षिणी समूह	
24.	—यथोपरि—	दुलादेव मंदिर
25.	—यथोपरि—	जटाकरी या चतुर्भुज मंदिर
	दतिया जिला	
26.	दतिया	वीर सिंह महल
27.	गुज्जरा	अशोक शिलालेख
	उत्तर प्रदेश	
	जालोन जिला	
28.	अकबरपुर या आतीरा	कपल गुफ के चौकजन्दा पर सम्वत 1672 का संस्कृत शिलालेख
29.	जालौन	कब्रिस्तान
30.	कालपी	लोधी शाह बादशाह का चौरासी मकबरा
31.	—यथोपरि—	बन्द कब्रिस्तान

1	2	3
32.	—यथोपरि—	उत्तर-पूर्व खण्ड पर किले की दीवार का टुकड़ा जिस पर गोला-कार बुर्ज है।
33.	—यथोपरि—	छह खम्भों पर टिकी छोटे गुम्बद वाली इमारत, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के एकदम निकट और पश्चिम में है।
34.	कुंच	कब्रिस्तान
35.	—यथोपरि—	बारह खम्भों पर टिका गुम्बद जिसे बारह खंभा कहते हैं, जो परम्परागत रूप से पृथ्वीराज के सेनापतियों को समर्पित है।
36.	औरेयी	मस्जिद
	हमीरपुर जिला	
37.	अकोना	चार चन्देला मंदिर और छोटा पक्का तालाब
38.	भगवा	चकरिया बाई, अपने हाथों में बच्चा लिए हुए औरत की नक्काशी।
39.	चरखा	दो ग्रेनाइट मंदिरों के अवशेष
40.	चुका	छोटा टीला, जिसे स्थानीय रूप से मैंसासुर कहते हैं, जिस पर ध्वस्त किला है. उसके अन्दर एक पुरानी मूर्ति है।
41.	काव्रआ	ब्रहम लाल. एक विशाल तालाब जिसके किनारे का एक टुकड़ा है, इस बन्ध पर ध्वस्त चन्देला मन्दिर है और झील के बीच में बैठक के अवशेष हैं।

1	2	3
42.	कछुवा	कुछ टीले, जो टूटी हुई प्रतिमाओं और मूर्तियों से भरे हुए हैं।
43.	कैथ	बन्द ब्रिटिश कब्रिस्तान
44.	कुलपहाड़	पहाड़ी पर महल के अवशेष
45.	महोबा	पूरे आकार के हाथियों की पांच प्रतिमाएं
46.	—यथोपरि—	मदन मंदिर
47.	—यथोपरि—	ग्रेनाइट खंभा
48.	—यथोपरि—	जामे मस्जिद
49.	—यथोपरि—	कक्रा मढ़ मंदिर
50.	—यथोपरि—	कीरत सागर की झील
51.	—यथोपरि—	मदन सागर की झील
52.	—यथोपरि—	विजय सागर की झील
53.	—यथोपरि—	राजा परमारदेव देव या परमाल का महल
54.	—यथोपरि—	छोटा शिला स्तम्भ जिसे आल्हा की लाट कहते हैं।
55.	—यथोपरि—	मदन सागर के बीच में खक मठ का मन्दिर
56.	महोबा	तीर्थंकर को चट्टान काटकर बनाई गई चौबीस प्रतिमाएं जिन पर 1206 के अभिलेख हैं।
57.	मकरबाई	मकरबाई मन्दिर
58.	—यथोपरि—	एक बड़े ग्रेनाइट मन्दिर के अवशेष
59.	मोहारी	दो ग्रेनाइट मन्दिरों के अवशेष
60.	पराओबारी	पुराना कुआं जिस पर सम्वत् 755 के अभिलेख हैं।
61.	पटकाबो	बड़ा तालाब

1	2	3
62.	अहिल्या	अहिल्या मन्दिर
63.	रावतपुर	बड़ा चन्देला तालाब, जिसके किनारे पर प्राचीन चन्देला-प्रकार का ध्वस्त मन्दिर खड़ा है।
64.	—यथोपरि—	छोटी मन्दिर जिसकी गुम्बद गिर गया है।
65.	सिजरी	सिजरी मन्दिर
66.	श्रीनगर	तालाब, जिसे बड़ा ताल कहते हैं, जिसमें एक टापू है जिस पर एक बड़े चन्देला मन्दिर के अवशेष हैं।
67.	सुकुरा	ब्राह्मण-सम्बन्धी मन्दिर
68.	—यथोपरि—	जैन मन्दिर
69.	सुमेरपुर	टीले जो टूटी हुई ईंटों आदि से ढका हुआ है तथा उनके निकट तीन खेड़े अर्थात् लखनपुर, मिर्जापुर और इटेरा हैं।
70.	उर्बरा	मन्दिर, चपटी छतवाली इमारत
	बांदा जिला	
71.	अनसूयाजी	दो शिलालेख, एक 1520 का है, दूसरा बिना तिथि का है, जो वाईसुनो नदी के निकट एक बड़ी बसाल्ट चट्टान पर है।
72.	बांदा	बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका
73.	—यथोपरि—	जामी मस्जिद
74.	—यथोपरि—	जनरल व्हाइट लाक की सेना की स्मृति में स्मारक
75.	बारगढ़	बन्द कब्रिस्तान
76.	यथोपरि	मन्दिर
77.	बरहा-कोटरा	एक मन्दिर के अवशेष, सन् 10वीं शताब्दी ईसवी के, जिसे प्रायः बड़े देवल कहते हैं।

1	2	3
78.	बरहा-बोटरा	छोटा मन्दिर जिसमें एक उपासना कक्ष है और चपटी छत है
79.	—यथोपरि—	दो बड़ी गुफाएं जो रिखियार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
80.	भवानीपुर	बावली
81.	बोरपुर	एक छोटे चन्देला मन्दिर के अवशेष
82.	दधवा, भरमपुर और भानपुर	एक पुराने मन्दिर के अवशेष
83.	गोंडा	दो चन्देला मन्दिर, एक चबूतरे पर एक साथ खड़े
84.	गुलरामपुर	बलारी मट
85.	—यथोपरि -	दो मन्दिरों के अवशेष
86.	कलिंजर	कलिंजर का किला, जिसमें मुंडेर की दीवार है, जिसमें अन्दर द्वार और स्मारक है अर्थात् सीता कुंड, इटा सेज, पाताल गंज, पांडु कुंड, मैरों की गुफा, भगवान सेज, पानी का अपन, पगधारा, कोठतीर्थ, नीलकन्ठ का लिंग मन्दिर, आदि।
88.	यथोपरि	सात द्वारों वाले पुराने किले के अवशेष। महादेव का मंदिर और इसके पास पड़ा संस्कृत का शिलालेख तथा वहां पहुंचने के मार्ग।
89.	कारवी	शहर का कब्रिस्तान
90.	यथोपरि	पत्थर का मन्दिर
91.	यथोपरि	मन्दिर
92.	कोठ	पुराने मन्दिर के अवशेष, जिसे हैहैती मन्दिर कहते हैं, पहाड़ी के किले के आसपास बिखरी प्रतिमाओं के टुकड़े
93.	लोरी या लोखारी	कुछ जैन मन्दिरों के अवशेष
94.	मानिकपुर	मानिकपुर छावनी कब्रिस्तान

1	2	3
95.	मरफा	जिला जिसकी चहारदीवारी है तथा तीन ध्वस्त जैन मन्दिर तथा किले के अन्दर एक ध्वस्त हिन्दू मन्दिर
96.	मऊ	दो ध्वस्त मन्दिर
97.	पुरा हतोवरगांव के निकट	पीपल के पेड़ के नीचे चंदेला काल की दुर्गा की उत्कीर्ण प्रतिमा
98.	यथोपरि	चन्देला नमूने के बड़े लिंग मन्दिर के अवशेष
99.	रामनगर	पुरोहित का घर
100.	यथोपरि	बड़े मन्दिर के अवशेष
101.	यथोपरि	बड़े चन्देला मन्दिर के अवशेष
102.	रसीन	खंडहरों का समूह, जिसका प्रमुख भाग है मन्दिर का प्रवेश-द्वार।
103.	यथोपरि	पुराने किले के अवशेष और देवी चन्द्रा महेश्वरी का अप्रयुक्त मन्दिर
104.	यथोपरि	चट्टान काट कर बनाया गया तालाब, जिसके पास चण्डी महेश्वरी का मन्दिर है
105.	यथोपरि	कुछ सती खम्मे, जहां खड़ी महिला की एक बड़ी मूर्ति है जिसके बायें हाथ में बच्चा है।
106.	—यथोपरि	चण्डी माहेश्वरी का मन्दिर
107.	रोली	पहाड़ी के मध्य में दो बड़ी गुफाएं जहां यत्र-तत्र बिखरी हुई टूटी मूर्तियां हैं।
		झांसी जिला
108.	बेमामा	चंदेला काल के एक बड़े मन्दिर के अवशेष
109.	बरबा सागर	चंदेल मन्दिर
110.	—यथोपरि—	घोका-का-मठ

1	2	3
111.	बरवा सागर	जरै-का-मठ
112.	—यथोपरि—	बराव-की-मढ़िया
113.	—यथोपरि—	तालाब
114.	इरिच	जामा मस्जिद
115.	बराव	बराव-का-मठ
116.	झांसी	यादगार कब्रिस्तान, फूटा दरवाजा पर किले का दक्षिण
117.	—यथोपरि—	मेजर एफ. डब्लू पिंकनी का स्मारक, जो मैं. इटुलजी बाएस एण्ड कं. के हाते के निकट पहाड़ी पर स्थित है,
118.	खोजरा	शिखर-छतवाला मंदिर, जिसे मढ़िया कहते हैं और गोंडबाबा को समर्पित हैं।
119.	किशनी खुर्द	चन्देला मन्दिर के अवशेष
120.	बाबहबारा (गहरस)	चन्देल मन्दिर
121.	पथ-सागोलो	एक बड़े चन्देला मन्दिर के अवशेष जिसमें विष्णु की सुरक्षित मूर्ति है,
122.	रंगून	जनर बंकिल का मकबरा
123.	सकरार	चन्देल मन्दिर
124.	बिरवाबरन	राई ताल के ऊपरी किनारे का ध्वस्त मन्दिर, जिसके तट पर गोल पत्थर है जिसमें सम्वत् 1604 और 1603 के दो अभिलेख हैं।
125.	झांसी	रानी लक्ष्मीबाई महल
126.	दरहियापुर	राजा गंगाधर राव की छतरी और तालाब
127.	झांसी	झांसी किला
128.	ज्ञानपुर	जीर्ण बुन्देला मन्दिर, जिसमें तीर्थंकार की विशाल मूर्ति है, जिसे लिंग कहते है, और दो छोटे शिलालेख हैं।
129.	—यथोपरि—	गणेश बेड़ा एक महाकाय हाथी के सिर वाले देवता वाला प्राचीन स्थल

1	2	3
130.	—पाण्डपुर—	जैन मन्दिर
131.	—यथोपरि—	मानिक दिल्ली
132.	—यथोपरि—	पाली खेड़ा
133.	अदोना	तीन मन्दिर, गोंडवानी नमूने के दो विष्णु के और एक लिंग महादेव का।
134.	भटोली	चन्देला काल का मन्दिर जो अधिकतर ग्रेनाइट का बना है।
135.	बुधनी	सूर्य देवता का मन्दिर।
136.	चांदपुर	बेलमोरी
137.	,,	1:वीं शताब्दी का उत्कीर्ण पत्थर
138.	,,	संवत् 1325 का उत्कीर्ण पत्थर
139.	,,	जैन मन्दिर
140.	,,	झाम्मर
141.	,,	सहस्र लिंग
142.	,,	जंगल में छोटा मंदिर
143.	,,	दो एकाश्म स्तम्भ
144,	,,	वराह, उत्कार्णित स्तम्भ और ध्वस्त मन्दिर
145.	,,	विष्णु और लक्ष्मीनारायण मंदिर
146.	,,	विष्णु मन्दिर जो भंडारियों के रूप में प्रसिद्ध है।
147.	दसरारम	छोटा चपटी छतवाला मन्दिर जो महादेव को समर्पित है।
148.	दौलतपुर	चंडी का आधा-गिरा देवालय, जिसमें मन्दिर और द्वार-मण्डल
149.	यथोपरि	सात माताओं का बड़ा शिलाखंड जिस पर गणेश है, जो चंडी मन्दिर के नीचे घाटी में पड़ा है।
150.	देवगढ़	घाट

1	2	3
151.	देवगढ़	गुप्त मन्दिर
152.	,,	देवगढ़ किले में जैन मन्दिर
153.	,,	बड़ा मन्दिर
154.	,,	वराह मंदिर
155.	डोंमोल	शिखर-छतवाला मन्दिर जो कठोदरी मटिया के रूप में प्रसिद्ध है।
156.	डोंमोल	छोटा मन्दिर जिसका शिखर टूटा हुआ है, जो चतुर्भुज के रूप में प्रसिद्ध है।
157	,,	भवानी का मन्दिर
158.	डोंगरा	सती शिला खंड, जिसमें ऊपर तीन सिर वाले महादेव हैं और नीचे युद्ध के दृश्य।
159.	,,	शांतनाथ या सन्तनाथ का छोटा मंदिर
160.	दुधाई	अखाड़ा
161.	,,	बजरंग
162.	,	बाल बाबा
163.	,,	बनिया की बारात
164.	,,	वराह के साथ छतरी
165.	,,	जैन मन्दिर
166.	,,	बड़ी सुरंग
167.	,,	बड़ी सुरंग
168.	,,	लिंग या महादेव
169.	,,	पत्थर को काट कर बनाए नरसिंह
170.	,,	मन्दिर
171.	,,	गोंडवानी नमूने के दो छोटे मन्दिर जिनमें एक गोंडबाबा को तथा दूसरा महादेव को समर्पित है।
172.	,,	तालाब के पास वराह
173.	गढ़ा बेड़ा	दो मन्दिर और कुछ स्मृति चिह्न

1	2	3
174.	गुरहा	उत्तरी मंदिर जिसमें एक देवालय और द्वार मंडप है तथा महादेव का लिंग को समर्पित है। मिटल पर सम्वत् 1014 का उत्कीर्ण लेख है।
175.	,,	विष्णु को समर्पित मन्दिर
176.	कुचदौन	कुरसिया बीर मन्दिर
177.	ललितपुर	फिरोजशाह के काल का बांस विशिष्ट
178.	मदनपुर	बम्पामोर
179.	यथोपरि	जैन मन्दिर समूह
180.	,,	पंच मढ़िया के समक्ष बड़ा मंदिर
181.	,,	मोदी मढ़
182.	,,	घुंडी मढ़
183.	,,	पंच मढ़या
184.	,,	महादेव के मन्दिर
185.	मदनपुर	मन्दिर (बड़ी और छोटी कचेरी)
186.	,,	दो छोटे मन्दिर, जिनमें एक महावीर की माता को समर्पित है।
187.	मरहा	पुराने चन्देला मन्दिर का अवशेष
188.	,,	मन्दिर
189.	मरखेडा	ध्वस्त मन्दिर। मंदिर स्थल पर त्रिमूर्ति की प्रतिमा है।
190.	,,	बड़ा सती-शिलाखंड जिसे काजा कहते हैं, जिस पर सम्वत् 2348 का उत्कीर्ण लेख है।
191.	,,	मन्दिर
192.	,,	मन्दिर स्थल
193.	पाली	नीलकण्ठ का मन्दिर
194.	पांडुवा	[illegible] चट्टान जिस पर प्रागैतिहासिक मूर्तियां हैं, जो [illegible] घाटी के निकट हैं।

1	2	3
195.	सातगेट	बड़ विष्णु मन्दिर के अवशेष
196.	सिरों खुर्द	जैन मन्दिर और तोरण या प्रवेशद्वार
197.	सरोनी खुर्द	शिलाखंड, जिस पर 46 पंक्तियों का कुटिल उत्कीण लेख है जो शान्तिनाथ के मन्दिर के होते में महेन्द्र पालदेव के शासनकाल है।
198.	यथोपरि	तोरण या प्रवेशद्वार जो आधुनिक जैन मन्दिर के हाते के बाहर स्थित है।
199.	सोनाराई	मन्दिर
200.	सुराबाद	छोटा मन्दिर जिसके बाहरी गवाक्ष में विष्णु की तीन मूर्तियां हैं।
201.	तालबेहट	किला
202.	विजापुर	महादेव का मन्दिर

[अनुवाद]

कालका-अमृतसर रेल लाइन

7290. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका अमृतसर के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। चंडीगढ़ से लुधियाना तक नई लाइन के सर्वेक्षण से पता लगा है कि कम यातायात प्राप्त होगा। राजपुरा और भटिण्डा के बीच एक अन्य संपर्क लाइन के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य शुरु कर दिया गया है जो अमृतसर और कालका के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा।

(ख) सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तमिलनाडु में सेलम करूर रेल सम्पर्क

7291. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्द्रम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम और करूर के बीच वाया नमक्कल नई रेल लाइन बिछाने के लिए एक सर्वेक्षण बहुत पहले कराया गया था;

(ख) क्या इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया था कि करूर-डिण्डीगुल-मदुरै-मनियाच्ची तूतीकोरिन/तलेयूथू परियोजना पूरी होने पर ही इस लाइन से किसी तरह का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। अत., उपर्युक्त परियोजना के पूरा हो जाने पर ही इस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

होटलों में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण

7292. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंचतारा होटलों, रेलवे खान-पान प्रबंधकों, अन्य होटलों तथा रेस्तराओं से पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, खाद्य वस्तुओं के कितने नमूने रासायनिक विश्लेषण हेतु लिए गये;

(ख) इस विश्लेषण के क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या कार्रवाई की गई, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि होटलों आदि में ग्राहकों को खाने के स्वास्थ्यकारी भोजन तथा अन्य खाद्य वस्तुएं दी जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन और रेलवे प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना क्रमशः संलग्न विवरण 1 और विवरण 2 में दी गई है।

विवरण-I

खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पंचतारा होटलों तथा रेस्तरां से रासायनिक विश्लेषण हेतु उठाए गए खाद्य नमूनों की संख्या और अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	उठाए गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या
1989	118	16
1990	16	1
1991	52	7

अपमिश्रित पाये गए नमूनों के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण/अधिनियमों के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की देखरेख के लिए नमूने उठाए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ तदनुसार कार्यवाई की जाती है।

विवरण-II

रेलवे प्राधिकारियों द्वारा दिल्ली में रेलवे प्रतिष्ठान और खान-पान प्रबंधकों के पिछले तीन वर्षों के दौरान रासायनिक विश्लेषण हेतु एकत्र किए गए खाद्य नमूनों की संख्या और नमूनों के विश्लेषण से निकले निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत		विभागीय जांच हेतु गुणवत्ता नियन्त्रण के अन्तर्गत	
	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या
1989	137	02	388	14
1990	138	06	389	30
1991	164	02	257	17

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपमिश्रित पाए गए नमूनों के मामले में न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। घटिया पाए गए नमूनों के मामले में विभागीय जांच गुणवत्ता नियन्त्रण के अन्तर्गत विभागीय कारंवाई की जाती है।

विभागीय जांच गुणवत्ता नियंत्रण और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निरन्तर नमूने उठाए जा रहे हैं। विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों के रख रखाव और उन्हें यात्रियों को परोसने के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। सामग्रियों और खाद्य गृहों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।

[हिन्दी]

वसई विरार रेल लाइन

7293. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसई-विरार रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या इस लाइन पर अब तक कोई सवारी गाड़ी अथवा स्थानीय रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस लाइन पर स्थानीय रेलगाड़ियां कब से चलाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) । (क) यह कार्य 82-83 में पूरा किया गया था।

(ख) से (घ) पहले ही चार जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां (साप्ताहिक) दिवा-वसई रोड के रास्ते चल रही हैं, दिवा-वसई रोड खंड पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी तथा इस खंड पर माल यातायात के बहुत अधिक संचलन के कारण स्थानीय यात्री गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

कोंकण परियोजना के कारण स्मारकों को खतरा

7294. श्री रवि राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है कि गोवा से होते हुए कोंकण रेल मार्ग के निर्माण के कारण ऐतिहासिक स्मारकों को खतरा पैदा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि कोंकण रेलवे निगम द्वारा प्रस्तावित तथा गोवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संरेखण को मान लिया जाना चाहिए सिवाय मारगांव और बाली के बीच 13 कि. मी. लम्बाई के, जहां यह नावेलिम. ब्रमापुर, सालसोमा और कुनकोलिम गांवों को दो भागों में विभाजित करता है। मारगोवा से बाली तक इस खंड के लिए संरेखण को पर्वत तल के साथ-साथ पूर्व की ओर शिफ्ट किया जाएगा हालांकि इसमें दो सुरंगों का निर्माण कार्य शामिल होगा और जो लम्बाई में मामूली-सा लम्बा है। तदनुसार, कार्य प्रगति पर है।

केरल में खाद्यान्न भण्डारण कार्यक्रम

7295. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में खाद्यान्न भण्डारण का एक सघन कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) ; (क) और (ख) अन्न सुरक्षा अभियान

का एक यूनिट त्रिवेंद्रम में कार्यरत है। यह यूनिट केरल के किसानों को खाद्यान्नों का भण्डारण करने की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को पहले से कार्यान्वित कर रहा है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन कार्यक्रमों के ब्यौरे और प्राप्त हुए परिणामों की स्थिति दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	कार्य की मद	उपलब्धियां-मार्च,
1.	वृत्तिका प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किसानों की संख्या	3842
2.	गैर-वृत्तिका कार्यक्रम में प्रशिक्षित ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता आदि की संख्या	9002
3.	गैर वृत्तिका कार्यक्रम में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की संख्या	12097
4.	सहयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	3294
5.	प्रधूमित (कीट नियंत्रण) किए गए भंडारण पात्रों की संख्या	56151
6.	खेतों में प्रधूमित किए गए चूहों के बिलों की संख्या	328724
7.	घरेलू चूहा नियंत्रण के अन्तर्गत कवर किए गए मकानों की संख्या	37115
8.	रोगनिरोधी उपचारों की संख्या	19555
9.	निर्मित किए गए गैर-धात्विक भंडारण ढांचों की संख्या	133
10.	उन स्वदेशी भंडारण ढांचों की संख्या जिनमें सुधार किए गए	5609
11.	बनाये गए धात्विक बिलों की संख्या	582
12.	राज्य सरकारों द्वारा बेचे गये धात्विक बिनों की संख्या	558
13.	प्रसारित की गई रेडियो वार्ताओं की संख्या	115
14.	प्रसारित किए गए दूरदर्शन कार्यक्रमों की संख्या	38
15.	समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की संख्या	415
16.	दिखाये गये फिल्म/स्लाइड शो की संख्या	511
17.	आयोजित की गई/जिनमें भाग लिया गया, उन प्रदर्शनियों की संख्या	393
18.	दीवारों पर स्टेन्सिलों से की गई छपाई की संख्या	202
19.	निपटाई गई डाक द्वारा/व्यक्तिगत रूप से मांगी गई जानकारी की संख्या	594
20.	वितरित किये गये पर्चों/हैंडबिलों की संख्या	80900

स्पोर्ट्स होस्टल

7296. श्री मुही राम सैकिया :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ स्पोर्ट्स होस्टल स्थापित किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विशिष्ट प्रशिक्षण के जरिये प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में चार क्रीडा छात्रावासों की स्थापना की है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन रहन-सहन, खेल उपस्कर और विशिष्ट पोषक आहार पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करता है।

खेलकूद के ब्योरे निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	छात्रावास का नाम	खेल
1.	केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 ग्वालियर	एथेलेटिक्स और फुटबाल
2.	केन्द्रीय विद्यालय किरकी, पुणे	हॉकी
3.	केन्द्रीय विद्यालय न 1, दिल्ली केन्ट	क्रिकेट
4.	केन्द्रीय विद्यालय, भा. प्रौ. सं. मद्रास	वालीबाल और बास्केटबाल

विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

7297. डा. सुधीर राय :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित कई भारतीय मिशनों ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन से वहां केन्द्रीय विद्यालय खोलने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। काठमांडू में भारत के राजदूत ने भारतीय मूल के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पोखर (नेपाल) में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सबंध में जून, 1991 में एक पत्र भेजा था परन्तु इसके समर्थन में विदेश मंत्रालय का वांछनीय प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) विदेशों में इस समय कोई भी और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है।

नकली डाक्टर

7298. श्री गुरुदास कामत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान कई डाक्टरों द्वारा चिकित्सा योग्यता के जाली प्रमाण पत्रों की सहायता से अपना व्यवसाय चलाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन डाक्टरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 में और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में पहले ही इस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था है कि राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में चिकित्सा संबंधी प्रैक्टिस नहीं करेगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक अवधि के कारावास जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है अथवा जुर्माना जिसे बढ़ाकर 1000 रुपए तक किया जा सकता है अथवा दोनों प्रकार की सजा दी जा सकती है।

समय-समय पर गैर-योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा प्रैक्टिस की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन्हें कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकरणों में भेजा जाता है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श भी दिया है कि वे गैर योग्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्रैक्टिस को रोकने के लिए दण्ड के प्रावधानों को लागू करें।

राशन वाले खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ाने से राज्यों को हानि

7299. श्री के मुरलीधर :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन वाले खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ाने के केन्द्रीय सरकार के एक पक्षीय निर्णय के कारण राज्य सरकारों को हानि उठानी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गेहूं और धान के समर्थन मूल्यों

में वृद्धि कर देने के फलस्वरूप गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि करने से गेहूं और धान के [illegible] मूल्यों में वृद्धि करने के कारण बढ़ गई वसूली [illegible] का [illegible] आंशिक रूप से पूरा किया जाता है और और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में भारी खाद्य राजसहायता का वहन करती है। राज्य सरकारों द्वारा कमीशन, वितरण/ढुलाई प्रभारों आदि को ध्यान में रखकर अन्तिम खुदरा मूल्य स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। चूंकि केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप अंतिम खुदरा मूल्यों में वृद्धि सामान्यतया अन्य सरकारों द्वारा की जाती है, इसलिए राज्य सरकार को [illegible] का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उपचार

7300. श्री पलास बर्मन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा उपचार को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या विभिन्न केन्द्रों में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है और इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है, की स्थापना करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक चिकित्सा के डाक्टरों के माध्यम से इलाज को प्रोत्साहित किया है।

वर्ष 1980 में, पुणे में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन के आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित धन-आवंटन किया गया है।

	योजना	गैर योजना
	(लाख रु. में)	
केन्द्रीय योग और प्राकृतिक अनुसंधान परिषद	25.00	6.80
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान	10.00	—

(घ) और (ङ) जब सलाहकार (भारतीय चिकित्सा पद्धति) की सिफारिश पर प्राकृतिक केन्द्रों से इलाज प्राप्त किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र हैं।

भौतिक चिकित्सकों हेतु स्वतन्त्र परिषद

7301. श्री रामविलास पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 22 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भौतिक चिकित्सकों और आक्यूपेशनल थेरेपिस्टों के लिए पृथक कक्ष के साथ एक पृथक परिषद की स्थापना करने की योजना को त्याग दिया है।

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून बनाए जाने हेतु अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इसके लिये वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विषय पर उपयुक्त कानून बनाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) 1992-93 के दौरान कोई धनराशि नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरों की स्थापना के लिए सहायता

7302. श्री साईमन मराण्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और उनके तकनीकी शिक्षा विभागों को कम्प्यूटर स्थापित करने के लिए सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता से कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये;

(ग) क्या विभिन्न तकनीकी शिक्षा निदेशालयों के अन्तर्गत चलाये जा रहे इन कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों पर कम्प्यूटरों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क(और (ख) सरकार ने विद्यमान तकनीकी पाठ्यक्रमों और संगणक विज्ञान/इन्जीनियरी/अनुप्रयोज्य में पाठ्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित चुनिन्दा तकनीकी संस्थाओं में संगणक स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की हैं। तथापि, केन्द्रीय सहायता से अलग से कोई संगणक प्रशिक्षण स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सकों को स्नातकोत्तर भत्ता

7303. श्री रोशन लाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा प्रणाली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत यूनानी चिकित्सकों सहित स्नातकोत्तर चिकित्सकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या इन चिकित्सकों को स्नातकोत्तर भत्ते मिलते हैं,

(ग) यदि हां, तो क्या 'स्नातकोत्तर' योग्यता रखने वाले कुछ चिकित्सकों को ये भत्ता नहीं मिलते हैं, और

(घ) यदि हां; उसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ)

(क) स्नातकोत्तर चिकित्सा वाले यूनानी चिकित्सकों सहित आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कुल संख्या 16 है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) विशेषज्ञों के रूप में चार आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्य कर रहे हैं और वे स्नातकोत्तर भत्ते के पात्र नहीं है।

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

7304. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उड़ीसा में कौन-कौन सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई, अब तक क्या प्रगति हुई और निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	आवंटित की गई धनराशि (करोड़ रुपयों में)			दिसम्बर, 91 तक कार्य वास्तविक प्रगति	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
		1989-90	1990-91	1991-92		
1.	कोरापुट-रायगढा (164 कि. मी.)	75.00	70.00	36.00	10%	30.6.92
2.	तालचेर-संबलपुर (172 कि. मी.)	10.00	25.00	20.00	25%	31.3.95

[हिन्दी]

बिहार में जनसंख्या वृद्धि

7305. श्री ललित उरांव :

श्री रामदेव राम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी कमी दर्ज की गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया गया और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) उसके लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना प्रतिशत परिणाम प्राप्त हुआ;

(घ) क्या प्राप्त हुए परिणाम उसके लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए सन्तोषजनक है।

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : दस वर्षों में होने वाली जनगणना के आधार पर बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में 0·57 प्रतिशत की कमी आई है, अर्थात यह 1971-81 में 24·06 प्रतिशत से घटकर 1981-91 में 23·49 प्रतिशत हुई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नगद और सामग्री, दोनों प्रकार से निम्नलिखित सहायता राशि विमोचित की गई—

वर्ष	धनराशि (लाख रुपए) (नगद और सामग्री दोनों रूप में)
198 -90	3834·15
1990-91	4994·94
1991-92	539 ·64

राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आधारभूत ढांचे की व्यापक व्यवस्था तैयार करने तथा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित एक समन्वित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम चलाने में काफी सफलता मिली है। बिहार में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर जो 1987 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 101 थी, 1990 में घटकर 75 (अनन्तिम) हो गई, जन्म दर जो 1987 में प्रति हजार आबादी पर 36·6 थी, 1990 में घटकर 32·9 (अनन्तिम) हो गई, गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने वाले पात्र दम्पत्तियों का प्रतिशत जो 31 मार्च, 1987 को 20·6 था, 31 मार्च, 1990 को बढ़कर 26·3 प्रतिशत हो गया।

(ग) और (घ) बिहार राज्य द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-62 के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलापों के अब तक सूचित किए गए लक्ष्यों और प्रतिशत उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम को देश की जनतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। बहरहाल, कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास, जनशक्ति के उपयोग, पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य, सेवाओं की व्यवस्था और उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा पहले ही एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे जनवरी, 1992 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रियों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इस कार्ययोजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं—परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना, 90 खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए विविधतापूर्ण नीति तैयार करना, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर धन उपलब्ध करने के लिए तन्त्र तैयार करना, जन्म अन्तराल की विधियों का

तेजी से संवर्धन करके युवा आयु दम्पतियों की कवरेज में वृद्धि करना, नए गर्भ निरोधक शुरू करना और गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से गन्दी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को पुनर्जीवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जाएगा, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिये अभिमुख करना, कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये स्वयंसेवा और गैर-सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तन्त्र को तेज करना, और राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च स्तरीय अन्तर क्षेत्रीय समन्वय तन्त्र तैयार करना आदि।

बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस कार्य-योजना को क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

बिहार राज्य

वर्ष 1989-90 से 1991-92 (अप्रैल 91 से फरवरी, 92) के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य और लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि

परिवार नियोजन तरीके/ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम		1989-90		1990-91	1991-92 अप्रैल 91 से फरवरी	
	लक्ष्य (लाखों में)	लक्ष्यों की प्रतिशत	लक्ष्यों की प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि (लाखों में)	आनुपातिक प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि (लाखों में)	आनुपातिक लक्ष्य	आनुपातिक लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1. परिवार नियोजन के तरीके						
1. नसबन्दी	5·13	64·8	5.50	48.8	4.35	26.2
2. आई. यू. डी. निवेशन	4.00	63·4	4.75	42·3	2.48	32.4
3- प्रचलित गर्भनिरोधकों के उपयोगकर्ता	2.02	9[illegible].0	3.59	42.8	3.79	20.2
4. मुखसेव्य गोली उपयोगकर्ता	0.21	179.8	0.60	79.7	0.64	41.4

1	2	3	4	5	6	7
II. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यकलाप						
(क) रोग प्रतिरक्षण						
1. टी.टी. (गर्भवती महिलाएं)	30.40	48.9	31.97	52.9	29.60	28.6
2. डी.पी.टी.	23.06	86.5	27.31	93.7	25.29	47.8
3. पोलियो	23.06	85.7	27.31	92.3	2[illegible].29	48.0
4. बी.सी.जी.	23.06	99.7	27.31	81.1	25. 9	44.3
5. खसरा	23.06	78.8	27.31	82.8	25.29	44.3
6. डी.टी.	22.68	37.2x	18.89	50.7	9.54	41.6
7. टी.टी. (10 वर्ष)	21.91	29.1x	16.71	39.3	15.47	अप्राप्त
8. टी.टी. (16 वर्ष)	20.90	21.9x	16.71	22.6	15.47	अप्राप्त
(ख) रोकथाम						
(1) पोषण की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम (पूर्ण)						
(क) कुल महिलाएं	14.00	47.7x	25.58	20.5	32.30	5.300
(ख) बच्चे	13.00	51.3x	28.49	15.8	33.40	4.80
(II) विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम						
रोकथाम	15.00	39.7x	25.95	2.9	33.40	अप्राप्त

- आंकड़े अनन्तिम

0 वार्षिक लक्ष्य

x फरवरी, 1990 तक प्राप्त उपलब्धि आंकड़ों के आधार पर

— सितम्बर, 91 तक के आंकड़े

[अनुवाद]

उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस के लिए कुर्सीयान सवारी डिब्बे

7306. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या निजामुद्दीन-दिल्ली-पुणे के बीच चलने वाली उत्कल-कलिंग एक्सप्रेस गाड़ी में कुर्सीयान लगाने की मांग बहुत दिनों से विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेलमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुफ्त रेलवे पास

7307. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा किन-किन श्रेणियों के व्यक्तियों को निःशुल्क रेलवे पास जारी किए जाते हैं,

(ख) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास जारी किये गये हैं और वे किस श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं,

(ग) क्या भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी निःशुल्क रेलवे यात्रा पास जारी करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान रेलवे को निःशुल्क रेल यात्रा पास जारी करने के कारण कुल कितना खर्च वहन करना पड़ेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय मानार्थ कार्ड पासों से है, ये पास मौजूदा मार्ग निर्देशों/प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर जारी किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत मुख्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों आदि में लगे अखिल भारतीय स्तर के संगठन आते हैं,

(ख) 1991 के दौरान पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान के लिए 44406 कार्ड पास जारी किए गए थे,

(ग) और (घ) भूतपूर्व संसद सदस्यों को दूसरे दर्जे में परिचारक सहित पहले दर्जे/वातानुकूल शयनयान के लिये अखिल माननीय कार्ड पास जारी किये जाते हैं,

(ङ) स्वतन्त्रता सेनानियों को जारी किये जाने वाले पासों की लागत गृह मन्त्रालय द्वारा वहन की जाती है, जहां तक उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित पासों की लागत का संबंध है, वास्तव में की जाने वाली यात्रा के आंकड़ों के अभाव में लागत का सही-सही आकलन करना व्यावहारिक नहीं है।

अन्धता को रोकने के लिए काई में पाये जाने वाले विटामिन 'ए' का उपयोग

7308. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए काड में पाए गए विटामिन 'ए' के भरपूर स्रोत के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय या उसके नियंत्रणाधीन किसी अनुसंधान संस्थान ने कोई अध्ययन किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) भारत में विशेष तौर पर बच्चों में अन्धता निवारण हेतु इसका नुस्खे के रूप में किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : जी हां। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने स्पाइरुलिना फ्यूसीफार्मिस नामक शैवाल की प्रभावकारिता की परीक्षण करने के लिए अध्ययनों का आयोजन किया है। इसको विटामिन "ए" का एक अच्छा स्रोत पाया गया है। संस्थान ने स्पिरुलिना के सूखे पाउडर का प्रयोग करते हुए एक व्यंजन विकसित किया है जिसका प्रयोग अनुपूरक आहार कार्यक्रमों में किया जा सकता है।

राज्यों में निःशुल्क शिक्षा

7309. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने प्राथमिक स्तर पर आर्थिक मानदण्ड के आधार पर अथवा बिना किसी मानदण्ड के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूली वर्दियां और दोपहर का भोजन शुरू कर दिया है,

(ख) 1991-92 के दौरान यह सामग्री प्राइमरी स्कूलों के कितने छात्रों को दी गई और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयी, और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्कूल में बच्चों के प्रवेश और उनके स्कूल छोड़ने की दर को देखते हुए इस प्रयोग का अध्ययन किया है और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई मार्गनिर्देश भेजे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार, कोई ऐसी योजना क्रियान्वित नहीं कर रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 1986 के संदर्भ में किये गये पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

(ग) पोषाहार समावेश स्कूलों के बच्चों का नामांकन तथा उन्हें रोके रखना और उनके स्कूल कार्य में सुधार की प्रासंगिकता का मोटे तौर पर संकेत किया गया है यद्यपि इसे निर्णायक अथवा ठोस रूप से स्थापित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कोई दिशा निर्देश नहीं भेजे गए हैं।

विवरण

प्राथमिक स्कूल

क. सं.	राज्य/संघ शासित	मध्यान्ह भोजन स्कूलों की सं.	मध्यान्ह भोजन लाभ ग्राही	नि:शुल्क वर्दियां स्कूलों की सं.	नि:शुल्क वर्दियां लाभ ग्राही	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें स्कूलों की सं.	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें लाभ ग्राही
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	2538	208836	38690	1607794	38942	1596186
2.	अरुणाचल प्रदेश	841	44633	884	40543	927	42673
3.	असम	1262	52286	1506	21671	25873	2575959
4.	बिहार	71	8163	11417	72278	7	310
5.	गोवा	249	13244	926	11706	807	26358
6.	गुजरात	11619	1441[illegible]39	8134	323555	10365	814006
7.	हरियाणा	1953	213363	4024	63974	3814	130818
8.	हिमाचल प्रदेश	1765	114495	1794	5352	2386	24943
9.	जम्मू और कश्मीर	88	385	3592	17913	2859	17109

10.	कर्नाटक	7415	404880	21689	1924818	22022	1734622
11.	केरल	5245	988852	1865	35615	279	15065
12.	मध्य प्रदेश	12478	1365808	43031	948213	59151	732453
13.	महाराष्ट्र	7848	310982	13094	245317	21917	732453
14.	मणिपुर	0	0	0	0	39	430
15.	मेघालय	178	7120	63	935	419	13476
16.	मिजोरम	0	0	126	1473	80	802
17.	नागालैंड	1	193	1	70	500	49699
18.	उड़ीसा	13060	789040	852	41069	22573	457169
19.	पंजाब	1727	131587	17	41	654	33739
20.	राजस्थान	6480	264723	17972	272575	7574	119773
21.	सिक्किम	365	28586	0	0	395	29845
22.	तमिलनाडु	29256	3483744	29255	3483523	29255	3483523
23.	त्रिपुरा	1790	204510	1469	11132	1859	97960
24.	उत्तर प्रदेश	3974	4.0237	3580	56332	12027	154712
25.	पश्चिम बंगाल	36225	2859266	41828	1080608	48456	5194774

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	175	12113	149	1646	161	7443
27.	चंडीगढ़	35	7663	35	2608	44	2651
28.	दादर व नगर हवेली	118	75502	117	6779	119	6919
29.	दमन और दीव	16	2540	31	1578	30	1420
30.	दिल्ली	586	254518	1158	159733	1503	55.95
31.	लक्षद्वीप	18	4914	05	70	18	4938
32.	पांडिचेरी	271	34298	289	26665	178	20943
	संपूर्ण भारत	147647	13669720	247588	10465516	315213	19466771

नये सवारी डिब्बे

7310. श्री प्रबीन डेका :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़े गये नये सवारी डिब्बों की जोन-वार संख्या क्या है;

(ख) माल ढोने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोन-वार कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है, और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1985-86 से 1989-90 के दौरान रेलों को मी. ला. और ब. ला. दोनों के नये सवारी डिब्बों का आबंटन नीचे दिया गया है :

रेलें	सवारी डिब्बों की संख्या
मध्य	556
पूर्व	583
उत्तर	1566
पूर्वोत्तर	574
पूर्वोत्तर सीमा	283
दक्षिण	878
दक्षिण मध्य	593
दक्षिण पूर्व	530
पश्चिम	727
जोड़	6290

(ख) और (ग) पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में रेल यातायात के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में माल डिब्बों की आवश्यकता की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए 1,50,000 माल डिब्बे होने का अनुमान लगाया गया है। प्रतिवर्ष योजना आबंटन के अनुसार अधिग्रहण का कार्यक्रम बनाया जाएगा। प्राप्त किए गए माल डिब्बों का वर्षानुवर्ष के आधार पर विभिन्न जोनों को आबंटन किया जाएगा।

बारपेटा रोड से बारपेटा टाउन के लिए रेल सम्पर्क

7311. श्री उद्धव बर्मन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारपेटा रोड से बारपेटा टाउन तक के लिए रेल लाइन के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गणित के प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न

7312. श्री मदनलाल खुराना :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6.3.92 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "रांग क्वेश्चन्स इन क्लास XII मैथ्स पेपर" समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी बी. एस. ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार के. मा. शि. बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में कक्षा XII के गणित के पेपर के सेट सं. IV में समाचार में उल्लिखित दो प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न, जो दो अंकों का था, गलत पाया गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि सभी उम्मीदवारों को चाहे उन्होंने उक्त गलत प्रश्न का हल किया हो अथवा नहीं किया हो, उक्त गलत प्रश्न के लिए पूरे दो अंक दिए जाएंगे, ताकि छात्रों की उक्त प्रश्न के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

7313. डा. लाल बहादुर रावल :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बेनर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन

7314. श्री जीवन शर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन पर किए जा रहे सर्वेक्षण पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) अब तक किए गये सर्वेक्षण की मुख्य विशेषतायें क्या हैं, और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लगभग 28 लाख रुपए।

(ख) सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 54.58 कि. मी. लम्बी टनकपुर-घाट-बागेश्वर के बीच मी. ला. लाइन के निर्माण पर 1990-91 के मूल्यों के आधार पर 660 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इस लाइन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दमा के रोगियों के लिए "इलेक्ट्रो रेस्पिरेशन एक्सीलरेटर मशीन"

7315. मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्विज्ञान वैज्ञानिकों ने देश में अथवा बाहर दमा के रोगियों के लिए "इलेक्ट्रो रैस्पिरेशन ऐक्सेलरेटर" नामक मशीन विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके प्रयोग हेतु प्रबन्ध किए हैं अथवा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए कोई योजना बनाई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन अस्पतालों में यह व्यवस्था उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को आयुर्विज्ञान वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई मशीन "इलेक्ट्रो रेस्पीरेशन एक्सेलरेटर" की जानकारी नहीं है।

खंडवा और बुरहानपुर स्टेशन

7316. श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के खंडवा और बुरहानपुर स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त स्टेशनों के रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया;

(ग) दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी. वी. की सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) रेलें अनुरक्षण खर्च का ब्यौरा स्टेशनवार नहीं रखती हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जब खंडवा स्टेशन पर सी सी टी वी के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थीं तब कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने पर भी खंडवा स्टेशन पर सी सी टी वी परिचालित करने के लिए किसी भी पार्टी के आगे न आने और बुरहानपुर स्टेशन पर सी सी टी वी आपरेटरों को आकर्षित करने के लिए यातायात अपर्याप्त होने के कारण इन स्टेशनों पर फिलहाल सी सी टी वी की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

खंडवा और बुरहानपुर स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की सूची :

सुविधाओं का ब्यौरा	खंडवा	बुरहानपुर
1	2	3
1. प्लेटफार्म	5	2
2. बैंच	60 (180 सीटें)	38 (114 सीटें)
3. पानी की टोंटियां	64	54
4. जल शीतल	7	4

2	2		3	
5. शौचालय	(पुरुष)	2	(पुरुष)	3
	(महिला)	1	(महिला)	2
6. पेशाबघर	(पुरुष)	4	(पुरुष)	6
	(महिला)	3	(महिला)	2
7. प्लेटफार्म सायबान	4528.45 वर्ग मीटर		1204. 75 वर्ग मीटर	
8. प्रतीक्षालय	331.24 वर्ग मीटर		313.39 वर्ग मीटर	
9. ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय	(पुरुष)	23.52 वर्ग मीटर	(पुरुष)	29 87 वर्ग मीटर
	(महिला)	32.19 वर्ग मीटर	(महिला)	.9.87 वर्ग मीटर
10. छायादार वृक्ष		20		29
11. विश्राम कक्ष		2 (4 बिस्तरों वाला)		कोई नहीं
12. वेंडिंग स्टाल		2		1
13. वेंडिंग ट्रालियां		8		3
14. बुकिंग खिड़कियां		3		2
15. पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय		1		1
16. ऊपरी पैदल पुल		1		1

इसके अलावा इन दोनों स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली बुक स्टाल. अमानती सामान घर, डाक तार विभाग के टेलीफोन, साईकिल/तांगा स्टैंड और उपयुक्त पहुंच मार्ग की व्यवस्था है।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नई औषधियां

7317. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री राजेश कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी नई औषधियां तैयार की गयीं; और

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम तेजी से लागू करने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा विकसित की गई एक नान-स्टेरायडल साप्ताहिक मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोली पहले ही विपणन क्षेत्र में लाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न गैर-शल्य चिकित्सीय गर्भ निरोधक तरीकों/विधियों के बारे में अनुसंधान कार्यकलाप/

वैज्ञानिक परीक्षण चलाए जा रहे हैं। इनमें (i) पुरुषों के शुक्राणुओं को रोकने के लिए वासा-प्रावलूसिव डिवाइस (ii) शुक्राणु नाशक क्रीम (iii) पुरुषों/महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक टीके (iv) महिला नसबंदी के लिए क्वानाक्रियान, पैल्लेट्स शामिल हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली मुख सेव्य गर्भ निरोधक अभिकारकों को जाँच और भेषज विज्ञानीय अध्ययन भी कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष ए.सी (iv) के. कैप्सूल, पिपलवादी योग और बन्ध्यावरी (विक्काइान्डका) पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले ही एक कार्य योजना तैयार की गई है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुसमर्थन में राष्ट्रीय सहमति तैयार करने और समाज के सभी वर्गों की इच्छित भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने में सुधार करना (2) 90 खराब कार्य निष्पादन वाले जिलों (1981 की जनगणना के अनुसार जिनकी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 अथवा इससे अधिक है) पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए विविधतापूर्ण नीति तैयार करना (3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक जन्म दर में कमी के आधार पर धन उपलब्ध करने के लिए तन्त्र तैयार करना (4) जन्म अन्तराल की विधियों का तेजी से संवर्धन करके युवा आयु दम्पतियों की कवरेज में वृद्धि करना (5) नए गर्भ निरोधक शुरू करना और गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना (6) शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से गन्दी बस्तियों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना, (7) चिकित्सा/परा चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यकलापों को पुनर्जीवित करना जिसमें प्रेरक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जाएगा (8) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को जारी रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपचारों का सुदृढ़ीकरण (9) सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों को जीवन के मुद्दों और पारस्परिक संचार की गुणवत्ता पर केन्द्रित करने के लिए अभिमुख करना (10) कार्यक्रम में लोगों की सक्रिय भागीदारों को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों का बड़े पैमाने पर शामिल करना, (11) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को तेज करना और (12) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उच्च-स्तरीय अन्तरक्षेत्रीय समन्वय तन्त्र तैयार करना आदि।

[अनुवाद]

खाद्य राज सहायता

7318. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पर दी जाने वाली राज सहायता में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डो-सोवियत मेडीकल एजूकेशन केअर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन

7319. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डो-सोवियत मेडीकल एजुकेशन केअर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था के अस्तित्व की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस फाउंडेशन ने भारी शुल्क लेकर छात्रों को पूर्व सोवियत संघ में प्रवेश दिलाने में सहायता की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस फाउंडेशन द्वारा की गई किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. ताराबेवी सिद्धार्थ)। (क) से (च) "इंडो-सोवियत मेडिकल एजुकेशन केअर रिसर्च फाउंडेशन" नामक एक ट्रस्ट की स्थापना 1988 में की गई थी। इस ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय शुरू में न. 8, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली में स्थित था। डा. पी. एस. जैन, जो कि उस समय भारतीय चिकित्सा परिषद के सचिव थे, इसके एक न्यासी थे।

सुव्यवस्थित अध्ययन और विदेशों हेतु विशेषज्ञ आयोजन विभाग, जन-शिक्षा सरकारी समिति हेतु अन्तराष्ट्रीय सम्पर्क सेवा केन्द्र (यू.एस.एस.आर) और इंडो-सोवियत मेडिकल एजुकेशन केअर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन (पंजीकृत), नई दिल्ली के बीच 1989-90 में एक आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के अनुसार भारतीय छात्रों को पूर्व सोवियत संघ में प्रवेश दिलाने के लिए इस फाउंडेशन को 250 सीटें आवंटित की गई। वर्ष 1989-90 में 247 और वर्ष 1990-91 में 175 छात्रों को सोवियत संघ भेजा गया यह कार्य भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर किया गया।

भारतीय चिकित्सा परिषद को सलाह दी गई है कि वह तथाकथित कदाचार के लिए डा. पी.एस. जैन के खिलाफ समुचित कार्रवाई करें। सी.बी.आई. ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि उनके सेवानिवृत्त सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।

गैर-सरकारी चिकित्सा केन्द्र

7320. श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी चिकित्सा केन्द्रों द्वारा परामर्श शुल्क, रोगात्मक परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षण शुल्क लेने के बारे में सरकार ने अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये हैं अथवा कानून लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इन गैर-सरकारी चिकित्सा केन्द्रों द्वारा जनता का शोषण रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) सरकार द्वारा गैर-सरकारी चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों द्वारा विभिन्न शुल्क लेने के सम्बन्ध में सीमा निर्धारित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नर्सिंग होम नियम, 1966 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नर्सिंग होमों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए जाने वाले शुल्कों की सूची प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।

देवदासी प्रथा

7321. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में देवदासी प्रथा अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बुराई को समाप्त करने और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय

7322. श्री के. तुलसिएया वान्डायार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के किसी जिले में नवोदय विद्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संस्थाओं को नवोदय विद्यालय चलाने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) तमिलनाडु राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए अनिवार्य प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

(ख) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वनभूमि का इतर कार्य के लिए उपयोग

7323. श्री कृष्णेन्द्र कौर :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने हेक्टेयर वनभूमि का इतर कार्यों के लिए उपयोग किया गया ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उपयोग में लाई गई वन भूमि
1	2	3
		(हेक्टेयर में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15373.87
2.	असम	171.22
3.	बिहार	1349.24
4.	गोआ	11.00
5.	गुजरात	5116.87
6.	हरियाणा	345.23
7.	हिमाचल प्रदेश	1723.15
8.	जम्मू और कश्मीर	708.52
9.	कर्नाटक	9336.36
10.	केरल	237.49
11.	मध्य प्रदेश	86794.27
12.	महाराष्ट्र	14540.21
13.	मणिपुर	243.72

1	2	3
14.	मेघालय	1.30
15.	मिज़ोरम	—
16.	नागालैंड	—
17.	उड़ीसा	8864.49
18.	पंजाब	20.67
19.	राजस्थान	1940.03
20.	सिक्किम	174.82
21.	तमिलनाडु	433.76
22.	त्रिपुरा	12.48
23.	उत्तर प्रदेश	17662.46
24.	प. बंगाल	446.89
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1938.79
26.	दादर व नगर हवेली	—
27.	अरुणाचल प्रदेश	59.30
	कुल	167506 27

राजकोट और बम्बई के बीच दुमंजिला सवारी डिब्बे

7324. श्री अवतारसिंह भडाना :

श्री एस. एन. बेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने हाल ही में राजकोट और मुम्बई के बीच सौराष्ट्र मेल में दुमंजिला सवारी डिब्बे लगाना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपलब्ध सीटों की संख्या में हुई इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सौराष्ट्र मेल में एक दुमंजिले सवारी डिब्बे (24 वोल्ट) के बदले में एक दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे की व्यवस्था की गई है क्योंकि अब यह गाडी पंखों और बत्तियों के बेहतर कार्य-संचालन के लिए 110 वोल्ट की उच्चतर बिजली प्रणाली से युक्त सवारी डिब्बों के साथ चलती है, इस गाड़ी में सवारी डिब्बे बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह दादर और अहमदाबाद के बीच अधिकतम सवारी डिब्बों के साथ चलती है।

मेडिकल स्टोर डिपो

7325. श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने मेडिकल स्टोर डिपो हैं;

(ख) क्या देश में अधिक मेडिकल स्टोर डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सात चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो है जो बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी हैदराबाद, करनाल, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मां के दूध के विकल्प दूध की बिक्री

7326. श्री राम नाईक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मां के दूध के विकल्प दूध की बिक्री की जाती है जो कि मान्यता संहिता का उल्लंघन है,

(ख) यदि हां, तो उन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके उत्पादों के ब्रान्ड नाम क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) मां के दूध के विकल्प के विपणन पर कोई कानूनी संहिता नहीं बनाई गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में रोग प्रतिरक्षण टीका कार्यक्रम

7327. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने किन स्थानों पर केन्द्र प्रायोजित सार्वजनिक रोग प्रतिरक्षण टीका योजना लागू है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य के कुछ अन्य जिलों में उक्त कार्यक्रम की शुरुआत/विस्तार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम है, वर्ष 1985-86 में देश के 31 जिलों को लेकर चरणबद्ध रूप में शुरू किया गया था, जिसमें से दो जिले (अर्थात अनन्तपुर एवं कडप्पा) आन्ध्र प्रदेश के थे। वर्ष 1989-90 तक देश के सभी जिलों, जिसमें आन्ध्र प्रदेश के सभी जिले शामिल थे, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ला दिया गया है। इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश के सभी जिले अब व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित हैं।

परिवार नियोजन के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभ

7328. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान परिवार नियोजन का आप्रेशन कराया था उन्हें पुनर्रोजगार मिलने पर इसके लाभ दिए जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन्हें ये लाभ कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) भविष्य में होने वाली वेतन वृद्धियों में समाहित न किए जाने वाले वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष वेतन-वृद्धि का लाभ (जिन कर्मचारियों के पास तीन अथवा इससे कम बच्चे हों) अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह उनकी पुनर्नियुक्ति तक सभी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। पुनर्नियुक्ति होने पर भूतपूर्व सैनिकों को नए प्रवेशकों के रूप में समझा जाता है और पहले से ही लिए गए लाभों को दूसरी बार नहीं दिया जाता है।

(ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विकलांग बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय

7329. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग बच्चों के लिए पूरे देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। विकलांगों की विशेष शिक्षा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सौंपे गए कार्यों में शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर

7330. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में बाहरंग रोगियों को भर्ती की सुविधा है,

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस पर हुए व्यय का शीर्षवार ब्योरा क्या है, और

(ग) संस्थान में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान हुए व्यय का शीर्षवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया गया है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान उपचार किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है—

अंतरंग रोगी	—	44874
बहिरंग रोगी	—	391121

विवरण

भाग (ख)

क्रम सं.	शीर्षक	वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ शीर्षकवार व्यय नान-प्लान	प्लान (लाख रुपए)
1.	2	3	4
1.	वेतन	123.67	—
2.	समयोपरि भत्ता	0.01	—
3.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3.46	—
4.	छुट्टी यात्रा रियायत	0.58	—
5.	पेंशन निधि	8.95	—
6.	वृत्तिका और वजीफे	11.74	6.50
7.	मजदूरी	0.28	—
8.	यात्रा भत्ते	0.70	—

1	2	3	4
9.	कार्यालयीन खर्च		
i)	विद्युत और जल	0.88	1.18
ii)	टेलीफोन, डाक एवं तार	0.56	0.74
iii)	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	0.15	0.05
iv)	वरदी	0.45	0.15
v)	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.45	0.15
10.	व्यावसायिक और विशिष्ट सेवाओं का भुगतान	—	—
11.	मशीनरी और उपस्कर	0.07	1.63
12.	सामग्री आपूर्ति	1.10	1.65
13.	अन्य प्रभार		
i)	पैट्रोल और रख-रखाव	0.35	0.24
ii)	विज्ञापन	0.61	0.23
iii)	फर्नीचर की मरम्मत	0.13	0.07
iv)	प्रयोगशाला औषध एवं रसायन	0.43	0.21
v)	मनोरंजन	0-05	0.01
vi)	विविध व्यय	0.51	0.15
vii)	लेखा परीक्षा शुल्क	0.46	—
viii)	रख-रखाव (बसबाडी की खरीद)	—	0.09
14.	प्रकाशन	0-04	—
15-	पुस्तकालय पुस्तकें	0.10	0.28
16.	विधि प्रभार	0.35	—
17.	छुट्टी वेतन एव पेंशन वितरण	1.04	—
18.	संगोष्ठी एवं सम्मेलन	0.02	0.06
19.	कच्चा औषधें एवं दवाइयां	2.41	1.95
20.	अस्पताल आकस्मिकताएं	3.83	2.27
21.	त्योहार अग्रिम	0.99	—
22.	सवारी अग्रिम	2.60	—

1	2	.	4
23.	भवन निर्माण अग्रिम	2.58	—
24.	पी ए टी, पी ओ टी एंड पी एच डी	0.59	—
25.	अनुसंधान कार्य	0.00	0.05
26.	आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को चिकित्सा सहायता		
	(क) विशेष घटक	—	1.73
	(ख) विशेष आदिवासी क्षेत्र	—	0.42
27.	शैक्षणिक दौरे	0.12	0.10
28.	निर्माण कार्य	—	95.08
29.	छात्र कल्याण कार्यकलाप	—	—
30.	परिस्थितिकीय पर्यावरणिक संतुलन	—	—
	कुल योग	171.35	114.99

[अनुवाद]

'एड्स' के उपचार के लिए दवा

7331. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी ।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रसायन प्रोद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने एक कम लागत वाली औषधि विकसित की है जो 'एड्स' रोगियों के जीवन काल में वृद्धि करती है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय बाजार में उक्त औषधि सस्ते दामों पर कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारतीय रसायन प्रोद्योगिकी संस्थान ने ए जेड टी का निर्माण करने के लिए एक तकनीक विकसित की है।

भारतीय रसायन प्रोद्योगिकी संस्थान के अनुरोध पर, भारत सरकार ने थायमिडीन जो ए जेड टी के निर्माण की एक मुख्य अंतर्वस्तु है पर लगने वाले 150 प्रतिशत के सीमा शुल्क को हटा दिया है।

सिप्ला नामक एक भारतीय फर्म शीघ्र ही 8 रुपए प्रति कैप्सूल की कीमत पर ए जेड टी का निर्माण और विपणन शुरू करेगा।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों में मशीनें

7332. श्री डी. एल. शर्मा 'प्रेम'

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में अनेक मशीनें खराब पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनों की अस्पताल-वार संख्या कितनी है जिनके मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक है;

(ग) क्या इन मशीनों की मरम्मत की जा रही है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) 50,000 रुपए से अधिक की लागत वाली उन मशीनों की संख्या जो इस समय केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में खराब पड़ी हैं, इस प्रकार है:—

डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल	—आठ
सफदर जंग अस्पताल	—नौ
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	—एक

उपर्युक्त मशीनों में से एक मशीन डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। सफदरजंग अस्पताल में नौ मशीनों में से आठ मशीनों की सामान्य उपयोगिता अवधि समाप्त हो गई है तथा उन्हें अनुपयोगी घोषित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। शेष मशीनों की मरम्मत के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लोहिया मशीन द्वारा प्रदूषण

7333. श्री केशरी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर में लोहिया मशीन द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के स्तर और खतरे का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इससे पाण्डु नदी और गंगा नहर कितनी प्रदूषित हो रही है,

(ग) सरकार ने पाण्डु नदी और गंगा नहर को प्रदूषण रहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण नहीं लगाने के लिए लोहिया मशीन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). लोहिया मशीन गंगा नदी में पांडु नदी द्वारा 25 मिलियन लीटर बहिःस्राव प्रतिदिन नदी में प्रवाहित कर रही है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए नमूनों से पता चलता है कि बहिःस्राव का सबसे महत्वपूर्ण घटक फास्फेट है जो कि प्रकृति से विषाक्त होता है। फास्फेट का प्रतिशत निर्धारित स्तर से अधिक है। तेल और ग्रीस जैसे अन्य घटक भी अधिक मात्रा में पाए गए।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण निवारण की एक स्कीम चलाई गई है: गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कानपुर में 20 स्कीमें हाथ में ली गई है। इनमें से 11 स्कीमें, अवरोधन, दिशा परिवर्तन और घरेलू सीवेज के उपचार की है। जहां तक औद्योगिक प्रदूषण का संबंध है, 21 प्रमुख उद्योग हैं जिनमें से 16 बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं। 2 बहिःस्राव उपचार संयंत्रों का निर्माण हो रहा है और 3 यूनिटें बन्द कर दी गई है। 162 चर्म उद्योगों में से, 150 ने प्राथमिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिये हैं और 8 में निर्माण कार्य चल रहा है। 4 यूनिटें बन्द हो चुकी हैं।

(घ) लोहिया मशीन द्वारा प्राथमिक उपचार संयंत्र लगा लिये गये हैं जिनमें कुछ सुधार करने एवं रखरखाव और संचालन की आवश्यकता है। फिर भी, चूंकि इस यूनिट द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, इस यूनिट के चालू रहने की सहमति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है और उद्योग के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चालू कर दी गई है।

[अनुवाद]

'राइट्स' में संशोधन

7334. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'राइट्स' ने अपने ही ढांचे में परिवर्तन करने की कोई सिफारिश की है, और

(ख) यदि, हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की समीक्षा समिति

7335. डा. कार्तिकेश्वर :

श्री मुल्लेराम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन की समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समीक्षा समिति की कुछ मुख्य सिफारिशों का संलग्न विवरण में वर्णन किया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी। अभिशासक बोर्ड ने समीक्षा समिति की सिफारिशों और अधिकार प्राप्त समिति की टिप्पणियों को नोट कर लिया और उसने सरकार के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के उपायों का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति गठित की।

विवरण

समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश

1. औपचारिक विषय के रूप में कक्षा I से III तक केवल हिन्दी, अंग्रेजी तथा गणित को पढ़ाया जाए और एक कार्यकलाप के रूप में सृजनात्मक कला को पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के अन्तर्गत जो भी ज्ञान आवश्यक समझा जाए उसे भाषा पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।

2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कक्षा I vII तक अपनी ही पाठ्यचर्या तैयार करनी चाहिए।

3. के. वि. सं शैक्षिक सर्वेक्षणों, क्षेत्रीय दौरों, परियोजनाओं, प्रदर्शनियों, आदि से संबंधित एक लघुपुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए और प्रत्येक की एक प्रति सभी शिक्षकों की एक प्रति सभी शिक्षकों प्रिंसिपलों और के. वि. सं. के अधिकारियों को वितरित करनी चाहिए।

4. के. वि. सं. को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यथा प्रदत्त त्रि-भाषा सूत्र का पालन करना चाहिए।

5. के. वि. सं. को राष्ट्रीय परीक्षा सेवा प्रारम्भ करनी चाहिए और कक्षा V और vII के अन्त में एक समान परीक्षा होनी चाहिए। यह परीक्षा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए।

6. माध्यमिक कक्षाओं के प्रत्येक छात्र को टंकण कला और संगणक संचालन पढ़ाया जाना चाहिए।

7. माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कहा जाना चाहिए कि वह कम से कम एक ललित कला, अर्थात रेखा चित्र, चित्रकला, संगीत, आदि में रुचि ले।

8. प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की मिडिल कक्षाओं के छात्रों के लिए कनिष्ठ विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए ।

9. के. वि. सं. द्वारा ग्रांचल स्तर पर तीन वर्ष की अवधि की सेवापूर्व शिक्षा आयोजित की जानी जानी चाहिए ।

10. प्राथमिक अनुभागों को एक पृथक स्वायत्त ए क स्थापित करना चाहिए ।

11. प्राथमिक शिक्षकों को उच्च वैतनमान देकर प्रोन्नत किया जाना चाहिए ताकि उन्हें टी. जी. टी./पी. जी. टी. के रूप में नियुक्त करके ।

12. कक्षा I में नामांकन 25 प्रति अनुभाग होना चाहिए । कक्षा III में नामांकन 30 होना चाहिए । केन्द्रीय विद्यालयों में यह एक वित्तीय प्रवेश बिन्दु होनी चाहिए, क्योंकि केन्द्रीय विद्यालयों में एक तृतीय बिन्दु होना चाहिए ।

13. केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य को कार्मिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों सहित विद्यालय के समस्त प्रबन्ध के लिए जवाबदेह होना चाहिए । उसे अपने अधीन सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए नियोक्ता और अनुशासनिक अधिकारी होना चाहिए ।

14. केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों पर सी. सी. एस. (सी सी. ए.) नियम लागू नहीं होने चाहिए । वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों की एक समिति को शिक्षकों की एक समिति को शिक्षकों को विभिन्न अपराधों के लिए दिए जानी वाली सजा के ब्यौरे तैयार करने चाहिए ।

15. जहां केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न हो, कोई नयी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए ।

16. कक्षा VI से XII तक सभी अनुभागों में केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों की संख्या 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

17. सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

I. क्या ऐसे क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की जनसंख्या कम हो;

II. क्या ऐसे क्षेत्रों में पहले से ही खोले गए विद्यालयों को राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए अथवा नवोदय विद्यालयों की अधिकांश संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

18. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की अधिकांश संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

19. क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उपायुक्त स्तर का एक अधिकारी होना चाहिए जिसे 5 सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होगा, जिनमें से एक प्राथमिक स्कूलों की देखरेख के लिए जवाबदेह होगा और दूसरी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक होगा

चाहिए जिसका एक अलग संस्थापन का निदेशक होना चाहिए जिसका एक अलग संस्थापन होगा।

20 सभी केन्द्रीय विद्यालय 5 मंडलों में विभक्त होने चाहिए। प्रत्येक मंडल का प्रमुख एक आयुक्त होना चाहिए। उन्हें एक संयुक्त आयुक्त जो कि मण्डलीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक भी हो सकते हैं, और तीन उपायुक्तों, जिनमें से एक को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मण्डलीय स्टाफ सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा दूसरे को शिकायत निवारण सहित सभी स्थापना और सेवा मामलों का प्रभारी होना चाहिए, तथा तीसरे को वित्तीय मामलों को देखभाल करनी चाहिए, का सहयोग प्राप्त होगा। प्रत्येक मण्डल के शिक्षण कर्मचारियों का 50% अन्य मण्डलों से लिया जाना चाहिए।

21. संगठन का प्रमुख पूर्ण कालीन अध्यक्ष होना चाहिए, जो एक शिक्षाविद होना चाहिए। उन्हें 2 आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए एक का शैक्षिक मामलों के लिए (जिसे केन्द्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक भी होना चाहिए) और दूसरा प्रशासन के लिए।

22. संगठन में आन्तरिक लेखा परीक्षा का कोई विभाग 'नहीं' होना चाहिए। सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन इकाईयों और कार्यालयों एवं स्कूलों के लेखे, सनद लेखापालों की सुविख्यात फर्म द्वारा शुल्क के भुगतान पर परीक्षित किए जाने चाहिए। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मण्डलीय कार्यालय को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ लेखों की जाँच परीक्षा जब भी अपेक्षित हो, करवानी चाहिए।

उड़ीसा में भद्रक-पारादीप लाइन

7336. श्री अनादिचरण दास :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत भद्रक को जाजपुर नगर तथा केन्द्रपाड़ा से होकर पारादीप से जोड़ने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

पारिस्थितिकी की दृष्टि से नष्ट क्षेत्र

7337. श्री विजय नवल पाटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारिस्थितिकी की दृष्टि से नष्ट कुछ क्षेत्रों को नाजुक जोन घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से और प्रदूषण भार के आधार पर देश में उन्नीस क्षेत्रों को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किया है। ये क्षेत्र हैं : परवानू (हि. प्र.) काला-अम्ब (हि. प्र.), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), दुर्गापुर (प. बंगाल), धनबाद (बिहार), तलचर (उड़ीसा), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश), मनाली मद्रास (तामिलनाडु), भद्रावती (कर्नाटक), सिंगरौली (उ. प्र.), पाली (राजस्थान), उत्तर आरकाट (तामिलनाडु), गोविन्दगढ़ (पंजाब), नजफगढ़ (दिल्ली), वापी (गुजरात) चम्बूर (महाराष्ट्र), ग्रेटर कोचीन (केरल) और डिगबोई (असम) इन अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की समस्या के आकलन के लिए सर्वेक्षण किया गया है और अपशिष्टों के पुनश्चक्रण और पुनप्रयोग सहित कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं ताकि भूमि, वायु और सतही जल गुणवत्ता को अपेक्षित स्तर तक बहाल किया जा सके।

अस्पतालों में भौतिक चिकित्सक और पेशीय चिकित्सक

7338. श्री रामविलास पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 27 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में भौतिक चिकित्सकों और पेशीय चिकित्सकों के लिए कनिष्ठ और वरिष्ठ स्तर के पदों का सृजन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है जिससे इन्हें लाभान्वित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ), सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए उच्चतर ग्रेड के पदों के सृजन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मौलिक चिकित्सकों एवं व्यावसायिक चिकित्सकों के संघ के प्रतिनिधियों से सूचना न मिलने के कारण इस प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परयक्षी-प्राक्षेट संबंध अनुसंधान परियोजना को सहायता

7339. श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में "परयक्षी-प्राक्षेट" सम्बन्ध अनुसंधान परियोजना को दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में "विशाल मांसाहारी जीवों की पारिस्थितिकी और प्रबन्ध" नामक एक अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना को इण्डो-यू. एस. रूपी फण्ड प्रोग्राम के तहत संयुक्त राज्य सरकार द्वारा निधियां दी जा रही हैं। परियोजना को निधि देना बन्द नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड

7340. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खो-खो को रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड के खेलों में शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) वित्तीय, कर्मचारी और अवसंरचनात्मक कठिनाइयों और बेहतर प्रदर्शन के लिए चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता के कारण रेलवे खेलकूद नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों का विस्तार करना संभव नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

7341. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री रविराय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट' के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम विभिन्न गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने पर जोर देने के बजाय अक्षमता, घूसखोरी और नसबन्दी पर जोर देने जैसी बातों के लिए बदनाम हो गया है;

(ख) क्या उपरोक्त अध्ययन के अनुसार भारत में बहुत सी महिलाएं परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर अविश्वास करती हैं और मुख्यतः परिवार नियंत्रण के उपाय अपनाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इस कारण इनमे गर्भ निरोधक को अपनाने के बजाए नसबन्दी पर अधिक जोर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रमों के प्रति महिलाओं में अविश्वास के दूर करने और इन्हें ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह रिपोर्ट स्वरूप मे इतनी सामान्य है कि इसके लिए किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता नही हो सकती। यह रिपोर्ट देश के बहुत से भागों विशेषतौर से गोवा, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य का उल्लेख करने में भी असफल रही है। वैसे, इस रिपोर्ट के केन्द्रीय विषय में यह गुण है कि जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी कारगर कार्यनीतियों के लिए गरीबी, कम महिला साक्षरता, महिलाओं का निम्न स्तर और लैंगिक असामान्यताओं जैसी मूल सामाजिक आर्थिक स्थितियां मे सुधार की आवश्यकता होगी। इन मुद्दों को वस्तुतः सरकार द्वारा पहले ही माना और परियोजित किया जा चुका है। जनसंख्या नियन्त्रण के लिए वस्तुतः समग्रतावादी और बहु-क्षेत्रीय कार्यनीतियां बनाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया जा चुका है। यह आलोचना, कि भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तौर से नसबंदी पर आधारित है, उस अभिज्ञ नीति जिसके अंतर्गत पिछले कई वर्षों से बच्चों के जन्म में अंतर रखने की विधियां को विशेषतौर से युवा दम्पतियों में जोरदार ढंग से बढ़ावा देने की ओर मोड दिया गया, भी वैध नहीं है। इस सम्बन्ध में इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 1990-91 के दौरान 2 करोड़ 74 लाख परिवार नियोजन के स्वीकारकर्ताओं में से केवल 42 लाख नसबन्दी के स्वीकारकर्ता थे। आगामी वर्षों में इस प्रकृति के और प्रबल होने की आशा है।

(घ) अंतर-वैयक्तिक संचार पर और अधिक दिए जा रहे जोर उपयुक्त परामर्श और अनुवर्ती सेवाओं, गर्भनिरोधकों को और प्रभावी बनाने के लिए गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता में सुधार दूर-दराज क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निरापदता और गुणवत्ता में सुधार जैसे कदम परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई नई कार्य योजना के अन्तर्गत पहले से ही सोचे गए कदमों से देश में परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाओं के उपयोगकर्ताओं में और अधिक विश्वास पैदा होने की आशा है।

[हिन्दी]

सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (स्पर्ट) कार

7342. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों में त्रुटियों का पता लगाने के लिए "सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (स्पर्ट) कार" चलाई गयी है;

(ख) क्या इसके लिए स्वदेशी "सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (स्पर्ट) कार" का उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इससे कुल कितनी किलोमीटर रेल लाइनों की जांच की गयी है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कारंवाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। एक आयातित स्वनोदित पराश्रव्य पटरी जांच कार खरीदी गई है और चलाई गई है।

(ख) इस समय न तो किसी स्वदेशी कार का विकास किया गया है और न ही किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश भेजना

7343. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेधावी छात्रों को आगे के अध्ययन के लिए सरकारी खर्चे पर प्रति वर्ष विदेश भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देशवार और विश्वविद्यालय-वार ऐसे कितने छात्र विदेश भेजे गए;

(ग) क्या सरकार का विचार बेहतर निगरानी के लिए इस योजना की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) 1992-93 के दौरान अध्ययन के लिए कितने छात्रों को विदेश भेजने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) 1971-72 से विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित करता रहा था परन्तु इस योजना के अन्तर्गत अध्येताओं के नये चयन को 1990-91 से बन्द कर दिया गया है।

कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना संचालित कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1990 91 वर्ष तक 25 छात्रों का चयन किया जाता था, जो अब 1991-92 से 30 हो गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों का चयन किया गया था और जो 1989-90 से 1991-92 तक कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत देशवार और विश्वविद्यालय वार भेजे गए थे, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। कल्याण मंत्रालय का 1992-93 के दौरान 30 छात्रों का चयन करने का प्रस्ताव है।

कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही योजना की मार्च, 1992 में समीक्षा की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण-2 हैं।

विवरण-1

क्र सं.	विश्वविद्यालय का नाम	छात्रो की सख्या
1	2	3
क	विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना	
1.	अमेरिका	
1.	केलिफोर्निया विश्वविद्यालय	1
2.	पिट्सबर्ग स्टेट विश्वविद्यालय	2
3.	मिचीगन विश्वविद्यालय	1
4.	मिसीसिपी विश्वविद्यालय	1
5.	मिन्नीसोटा विश्वविद्यालय	2
6.	पेनोसुल्वेनिया विश्वविद्यालय	2
7.	रोचेस्टर प्रोद्योगिकी संस्थान	3
8.	मेकगिल विश्वविद्यालय	1
9.	पश्चिमी मिचीगन विश्वविद्यालय	4
10.	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय	1
11.	मिचीगन स्टेट विश्वविद्यालय	1
12.	उटाह विश्वविद्यालय	1
13.	ओबर्न स्टेट विश्वविद्यालय	1
14.	नेबरास्का विश्वविद्यालय	1
15.	आयुर्विज्ञान व दंतचिकित्सा विश्वविद्यालय	1
16.	शिकागो विश्वविद्यालय	2

1	2	3
17.	एरिजोरा स्टेट विश्वविद्यालय	1
18.	जान होपकिंग विश्वविद्यालय	2
19.	जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय	1
20.	स्ट्रैथक्लेड विश्वविद्यालय	2
21.	पश्चिमी रिजर्व विश्वविद्यालय	1
22.	कोर्नेल विश्वविद्यालय	1
		33
	इग्लैंड	
1.	पश्चिमी ओनटारियों लदन विश्वविद्यालय	1
2.	केम्ब्रिज विश्वविद्यालय	3
3.	किंग्स कालेज, केम्ब्रिज	1
4.	क्वीनज विश्वविद्यालय, लंदन	1
5.	लंदन स्कूल आफ इकनामिक्स	1
		7
	बेल्जियम	
1.	यूनिवर्सिटी दी लेग	1
		1
	कनाडा	
1.	ओटावा विश्वविद्यालय	1
2.	इकोल पालिटेक्निक	1
		2

ख अनु. जा. व अनु. ज. जा. छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना।
अमेरिका

1.	रिचेस्टर प्रौद्योगिकी संस्थान	1
2.	पेनीवेनिया विश्वविद्यालय	2
3.	पिटसबर्ग विश्वविद्यालय	4
4.	दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय	2
5.	इल्लीनोयस प्रौद्योगिकी संस्थान	2
6.	नेबरास्का विश्वविद्यालय	1
7.	जोन होपकिन आयुर्विज्ञान संस्थान	1
8.	इदाह राज्य विश्वविद्यालय	1
9.	न्यूयार्क स्टेट विश्वविद्यालय	1
10.	न्यूयार्क आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	1
11.	दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय	1
12.	कनसास विश्वविद्यालय	1
13.	उत्तरी इल्लीनायस विश्वविद्यालय	1
14.	मेसएचूसेट विश्वविद्यालय	1
15.	दक्षिणी केरोलिना आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	1
16.	टेक्साज विश्वविद्यालय	1
17.	अकरान विश्वविद्यालय	1
18.	विलमेट विश्वविद्यालय	1
19.	मिसीसिपी विश्वविद्यालय	1
20.	वायने स्टेट विश्वविद्यालय	1
21.	रोचेस्टर विश्वविद्यालय	1
22.	ओरेगन स्टेट विश्वविद्यालय	1
23.	फोर्ट हेज स्टेट विश्वविद्यालय	1
		29

इंग्लैंड

1.	बाथ विश्वविद्यालय	1
2.	ग्लासगो विश्वविद्यालय	1
3.	लंदन स्वास्थ्य विज्ञान व उष्णकटिबंधो विज्ञान स्कूल	1
4.	सिटी विश्वविद्यालय	1
5.	लंदन विश्वविद्यालय	2
6.	एस्टेन विश्वविद्यालय	1
7.	रीडिंग विश्वविद्यालय	2
8.	साउथएम्पटेन विश्वविद्यालय	1
9.	बरमिंघम विश्वविद्यालय	1
		11

कनाडा

1.	मेकगिल विश्वविद्यालय	1
2.	सेंट जोन न्यू फाउंडलैंड	1
		2

आस्ट्रेलिया

1.	न्यू साउथ वेल्स	1

स्वीडन

1.	उपसाला विश्वविद्यालय	1

विवरण-2

(I) योजना 1991-92 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखी जाए। पहले दो वर्षों में अर्थात 1991-92, 1992-93 में योजना योजनेत्तर के अधीन जारी रखी जाएगी। आने वाले वर्षों के लिए मंत्रालय सातवीं पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय के लिए अनुमोदित योजनागत परिव्यय में योजनागत के अधीन संशोधित रूप में योजना को शुरू करने के लिए योजना आयोग के साथ उन संभावनाओं का पता लगाएगा।

(II) योजना के अधीन पुरस्कार बढ़ाकर 25 से 30 कर दिए जाने चाहिएं।

(III) रखरखाव व अन्य भत्तों में वृद्धि

(IV) पाठ्यक्रमों की अवधि में वृद्धि

(V) 5000/-रु. प्रतिमाह की आय सीमा को योग्यता मानदंड के रूप में प्रारम्भ किया जाए।

अनुमोदन इस शर्त पर किया जाएगा कि संबंधित मंत्रालय अपने संसाधनों से ही निधियों का पता लगाएगा तथा संशोधित प्रस्तावों के अधीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त वचनबद्धता नहीं दर्शायी जाएगी।

योजना आयोग के साथ विचार विमर्श के पश्चात यदि 1992-93 के पश्चात योजनेत्तर के अधीन योजना जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है तो वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय को आगे लिखा जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली

7344. श्री के. तुलसिएया वाडान्यार :

श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में जानवरों की देखभाल करने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की बहुत अधिक कमी है, जिसके कारण जानवरों की उचित ढंग से देख-रेख नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्राणी उद्यान के रख रखाव के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, और इसकी स्थिति में सुधार कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्राणी उद्यान के रिकार्ड में कितने जानवर और पक्षी थे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अन्य चिड़ियाघरों की तरह राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जानवरों की देख भाल करने वाले अधिकांश कर्मचारियों ने कार्य करते हुए चिड़िया घर के पशुओं की देख भाल में कुशलता प्राप्त कर ली है और वे कुशलता से पशुओं की देख-भाल करने में समर्थ हैं। पशुओं की देख-भाल करने वाले कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया। चिड़ियाघर प्रबन्ध के इस पहलू की केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के विचाराधीन विषयों में से एक विषय के रूप में शिनाख्त की गई है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय चिड़ियाघर के अनुरक्षण के लिए 120.25 लाख रु. दिए गए थे।

चिड़ियाघर की स्थिति में सुधार करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) अनेक प्रजातियों के बाड़ों और पिंजड़ों में सुधार किया गया ताकि इन्हें पशुओं के स्वास्थ्य के अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

(2) आधुनिक सरीसृप गृह और रात्रिचर पशु गृहों की स्थापना की गई।

(3) पशुओं के पीने के लिए स्वच्छ और फिल्टर जो की आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

(4) उपयुक्त भोजन की पर्याप्त मात्रा की समय से सप्लाई सुनिश्चित की गई।

(5) बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपशिष्ट सामग्री का शीघ्र निपटान किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चिड़ियाघर में पशुओं तथा पक्षियों की संख्या निम्नलिखित है।

	1988-89	1989-90	1990-91
पशु	399	408	415
पक्षी	751	846	917
	1150	1254	1332

रेलवे दावे

7345. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद स्थित रेलवे दावों सम्बन्धी न्यायाधिकरण को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दावों सम्बन्धी कितने मुकदमें मिले हैं, और

(ख) अब तक कितने मुकदमों का निपटारा किया गया है और न्यायाधिकरण में लम्बित पड़े हुए मुकदमों की संख्या क्या है, और

(ग) लम्बित मुकदमों के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं और उनका शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना नीचे दी गई है।

वर्ष	प्राप्त मामलों का स.	अंतर्निहित राशि (लाख रुपयों में)
1989	2026	315
1990	1813	385
1991	729	156
1992 (10.4.92 तक)	305	130

(ख) अभी तक खंडपीठ 1768 मामले निपटाए हैं और 10.4.92 को 3105 मामलों का निपटान करना शेष रहता था।

(ग) मामलों के निपटान में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। मामलों के निपटान के लिए अधिकरण ने संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई है तथा यह मामलों का और तेज गति से निपटाने के लिए अन्य स्थानों पर सर्किट खंडपीठों की व्यवस्था भी करता है।

[हिन्दी]

कानपुर में प्रदूषण

7346. श्री केशरी लाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटमपुर तथा कानपुर देहात में सीमेंट कारखानों तथा अन्य औद्योगिक एककों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में पूछताछ/जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने घाटमपुर, कानपुर में औद्योगिक इकाइयों का एक सर्वेक्षण किया है। घाटमपुर में तीन इकाइयां अर्थात मैसर्स विक्रम सीमेंट (प्रा.) लि., मैसर्स कृष्णा फर्टिलाइजर्स (प्रा.) लि., मैसर्स इण्डस लेमिनेटर्स (प्रा.) लि. और जल प्रदूषण फैलाने वाली एक बड़ी इकाई अर्थात मैसर्स घाटमपुर सुगर कम्पनी लि. है। इन सभी औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगा लिए हैं।

[अनुवाद]

संवेदनशील औद्योगिक काम्पलेक्सों के लिए आपात योजनायें

7347. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हानिकारक रसायनों के कारण हुई अनेक दुर्घटनाओं में हुए जान-माल के नुकसान को कम करने अथवा टालने के लिए "अत्यधिक संवेदनशील" और "नाजुक" औद्योगिक काम्पलेक्सों के लिए बाहरी आपात योजनायें बनाने का;

(ख) यदि हां, तो इन आपातकालीन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ किन-किन औद्योगिक काम्पलेक्सों का चयन किया गया है;

(ग) क्या इन योजनाओं को किसी केन्द्रीय एजेन्सी अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से लागू करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को यदि कोई भूमिका सौंपी गई है तो वह क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) परि-

संकटमय रसायन उद्योगों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा पदनामित जिला प्राधिकारी द्वारा परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली, 1989 के तहत आफ-साइट आपात योजनायें बनाई जानी होती हैं। तथापि आफ-साइट योजनायें तैयार करने से संबंधित नियमों के क्षेत्र से कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश में 10 औद्योगिक परिसरों के लिए आफ-साइट आपात योजनाओं को तैयारी के लिए कारवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार की योजनायें बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में इन परिसरों का सुझाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है। ये परिसर हैं—गुजरात में बड़ौदरा, तामिलनाडु में तूतीकोरिन और कुड्डालोर, महाराष्ट्र में थाणे और रायगढ़, कर्नाटक में मंगलूर, पश्चिम बंगाल में हल्दिया और दुर्गापुर, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, राजस्थान में कोटा और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम।

आफ-साइट आपात योजनाओं में किसी स्थल या परिसर में अथवा संबंधित रसायनिक औद्योगिक परिसर में बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के तौर तरीके दिए जाते हैं। इन योजनाओं में जिला में परिसंकटमय इकाइयों की शिनाख्त, परिसंकट विश्लेषण, आन-साइट योजनाओं की समीक्षा, परिवहन मार्ग, सुरक्षा संचार के उपाय संकटकाल के दौरान सुरक्षा उपकरणों की उपयुक्तता आदि को ध्यान में रखा जाता है। 10 योजनाओं में से बड़ौदरा के लिए योजना तैयार कर ली गई है। अन्य आफ-साइट योजनाओं को तैयार करने का कार्य चल रहा है। योजनाओं को जिला प्राधिकारियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पदनामित जिला प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों का आरक्षण

7348. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में कुल सीटों का 2% आरक्षित किए जाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) स्थानीय जनसंख्या, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे इत्यादि जैसी छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण मांगने के वास्ते विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले कुछ प्राथमिकताओं के अनुसार किए जाते हैं जो उस प्रयोजन के अनुरूप होती हैं, जिसके लिए संगठन स्थापित किया गया था ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कंडोम वितरित करना

7349. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि परिवार नियोजन हेतु कंडोम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय लिया गया है, और

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम को देश के दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. ताराादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां ।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गर्भ निरोधकों के वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है । राज्यों से सामाजिक विपणन फर्मों के परामर्श से विस्तृत रीतियों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है ताकि कंडोमों की बिक्री के लिए अतिरिक्त निर्गमों के रूप में उचित दर की दुकानों का प्रयोग किया जा सके ।

(ग) उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों समेत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों को परिवार कल्याण सेवाओं सहित ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 1.31 लाख उपकेन्द्रों, 22328 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1955 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं । इन संस्थाओं के अतिरिक्त 5.96 लाख प्रशिक्षित दाईयां तथा 3.35 लाख ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 199 -93 के दौरान राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 759 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 259 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में अस्पताल

7350. श्री मदन लाल खुराना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों में भीड़ को कम करने हेतु इनके साथ डिस्पेंसरियां जो रोगियों को अस्पताल भेजेगी को सम्बद्ध करके इन्हें रेफरल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें प्रदान करने हेतु दक्षिण दिल्ली में आर. के. पुरम जैसे स्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चालित एक पाली-क्लिनिक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यावरण सुधार

7351. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च 1992 को नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्र आबजरवर आफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स समाचार "एनवाइरनमेंट टेकस ए बैक सीट इन आई. एम. एफ. एडिड प्लेन्स" की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो भारत की पर्यावरण स्थिति के नाजुक होने के क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या प्रशासनिक एवं कुशल उपाय किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनको एक ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है और जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव के जटिल पारस्परिक

प्रभाव से भी उत्पन्न होते हैं। पिछले दशक के दौरान सरकार ने इस स्थिति से निपटने और पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक उपाय किए। इनमें कानूनी और नीतिगत उपाय, केन्द्र और राज्य स्तरों पर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना, "स्वच्छता" और "हरितीकरण" के लिए कार्यवाही कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना, पर्यावरणीय जागरूकता अभियान और सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं। इन उपायों का भविष्य में विस्तार किया जाना है।

चावल और गेहूं की मांग

7352. श्री एम. रमन्ना राव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष चावल और गेहूं की कुल मांग कितनी है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के कुल उत्पादन में से वर्षवार इनकी कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) चूंकि जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार, आय स्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर मांग निर्भर करती है, इसलिए देश में गेहूं और चावल की आवश्यकताओं के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। कृषि मन्त्रालय द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद खाद्य उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

	1989-90	1990-91	1991-92 (फरवरी, 1992 तक)
गेहूं	0.12	2.01	6.72
बासमती चावल	3.97	2.42	2.02
गैर-बासमती चावल	0.27	3.14	4.06

वृद्ध निर्वाह गृह

7353. श्री एम. जी. रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पुरुष और महिलाओं की औसत आयु में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय राजसहायता से प्रत्येक जिले में वृद्ध निर्वाह गृह का निर्माण करने का है;

(ग) क्या सरकार का स्वयंसेवी अथवा धर्मार्थ संगठनों को वित्तीय सहायता देकर वृद्ध निर्वाह गृहों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का वृद्ध नागरिकों के कल्याण के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) स्वैच्छिक संगठनों को कल्याण मंत्रालय की सामान्य सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था गृहों की स्थापना के लिए स्वीकृत लागत की 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शेष 10 प्रतिशत लागत ऐसे संगठनों द्वारा स्वयं वहन की जाती है।

[हिन्दी]

क्षय रोग अस्पताल में दवाओं की कमी

7354. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राजन बाबू क्षयरोग अस्पताल में दवाओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं, और

(ग) सरकार इस प्रकार की दवाओं की खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि राजन बाबू टी. बी. अस्पताल में औषधियों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

"दिल्ली वन विभाग"

7355. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वन विभाग राजधानी में पर्यावरण और वनों का संरक्षण करने में असमर्थ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और इस सम्बन्ध में क्या योजना बनायी गयी है,

(ग) क्या फारेस्ट गार्डों और वन रेंज अधिकारियों को राजधानी में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्याप्त शक्तियां और सुविधाएं दी गई हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) यह बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन का वन विभाग सघ शासित क्षेत्र में शहरी सीमाओं के बाहर वनों/बागानों की देख-रेख करता है। शहर की सीमाओं के भीतर दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए बाग़ों, उद्यानों, बगीचों की देखभाल अपने बागवानी विभागों के जरिए स्थानीय प्राधिकरण अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका करते हैं। दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति कार्य का समन्वय करती है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने आठवीं योजना में अपने वन विभाग को उन्नत और मजबूत बनाने और उसको संघशासित क्षेत्र में वनरोपण की देख रेख करने तथा वनों की सुरक्षा करने की क्षमताओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि वन विभाग और स्थानीय निकायों के बागवानी विभागों में सम्बन्धित अधिकारियों को भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अधिकारी घोषित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा का उपयोग

7356. श्री के. राममूर्ति टिंडिवनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग उन क्षेत्रों में सौर-ऊर्जा चालित संकेतकों का प्रयोग कर रहा है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप 1991-92 में ऊर्जा के रूप में कितनी डीजल और बिजली की बचत हुई, और

(ग) क्या रेल विभाग का अन्य क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा उपयोग करने का कोई कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। इसके अलावा, रेलों ने

अन्य क्षेत्रों में जहां मिटटी के तेल से जलने वाली बत्ती के सिगनलों में तकनीकी समस्याएं हैं सेमाफोर सिगनलों की बिजली की बत्तियों के लिए सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया है।

(ख) अनुमान है कि 1991-92 के दौरान उपर्युक्त के कारण 19050 के. डब्ल्यू. एच. बिजली की बचत हुई है, जो 50200 लिटर मिट्टी के तेल के बराबर है।

(ग) जी हां। तकनीकी-आर्थिक गुण दोषों के आधार पर सौर जल तापन संयंत्रों, सौर आसावित जल संयंत्रों सिगनल प्रणाली की बेटरी चार्ज करने तथा स्टेशनों के विद्युतीकरण के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उपयोग की योजना बनाई जा रही है।

[हिन्दी]

मालगाड़ी की दुर्घटना

7357. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कानपुर खण्ड के बीच एक मालगाड़ी परीक्षण के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी,

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल 28.3.92 को दिल्ली-कानपुर खंड पर एक साधारण मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। दुर्घटना का कारण माल डिब्बे की खराबी थी।

(ग) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में धुरों की पराश्रव्य जांच, कारखानों से प्राप्त होने वाले माल डिब्बों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, गाड़ी जांच सुविधाओं का गहन और निरन्तर निरीक्षण शामिल हैं।

उपस्करों के अनुरक्षण में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और विकास

7758. श्रीमती दिल्कुमारी भण्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार सतत विकास पर बल देती है,

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण और विकास के बीच अनुभूत द्वन्द्व को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल है—

1. विकास कार्यक्रमों के प्रतिपादन में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का उपयोग करके आयोजना स्तर पर ही पर्यावरणीय अवधारणाओं को शामिल करना,

2. पर्यावरणीय संसाधनों और जीवन यापन प्रणालियों पर दीर्घकालिक प्रभाव सहित लागत लाभ विश्लेषण।

3. संसाधन संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण अपशिष्ट न्यूनीकरण अपशिष्टों का पुनश्चक्रण और पुनर्प्रयोग के लिए प्रोत्साहन।

4. विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में पर्यावरणीय अवधारणाओं को एकीकृत करने के लिए व्यावसायिक क्षमताओं का सृजन और जन जागरूकता में वृद्धि हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण कार्य-क्रम।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रशिक्षण

7359. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में कार्यरत कर्मचारियों को पशुओं पक्षियों और अन्य प्रजातियों आदि के देखभाल करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) यद्यपि चिड़ियाघरों में नियुक्त अधीनस्थ कर्मचारियों को औपचारिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई सगठित प्रयास नहीं किया गया है। फिर भी, ये कर्मचारी कार्य के दौरान चिड़ियाघर में पशुओं की देखभाल और उनके प्रबन्ध में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तथापि, भारतीय वन्यजीव संस्थान चिड़ियाघर प्रबन्धकों के लिए कुछ कैपसूल पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबन्ध के लिए सम्पूर्ण पारि-प्रणाली के सम्बन्ध में कुशलता प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके लिये बहु आयामी कुशलताओं की आवश्यकता

है। अत: वास-स्थल प्रबन्ध तथा वन्य-जन्तुओं के प्रबन्ध, दोनों में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान वन राजिकों के लिए 3 माह का एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा सहायक वन संरक्षकों/उप वन संरक्षकों के लिए 9 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कैपसूल पाठ्यक्रम आयोजित करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रशिक्षित अधिकारी विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रबन्धकों के पद कार्य करते समय वन्यजीव प्रबन्ध के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं।

राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय

7360. श्री जी.एम.सी.बालयोगी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :क्या

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कोई आवासीय विद्यालय खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है,

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान पिछड़े वर्गों के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने हेतु किसी योजना का का सूत्रपात किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नये स्कूल, विशेषकर पिछड़े वर्गों के लिये, खोलने की योजना नहीं है। तथापि प्रतिभा-शाली बच्चों, प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी कोटि की शिक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अब तक 275 नवोदय विद्यालय स्थापित किये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में आरक्षण संबद्ध जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते किसी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 से जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के शिक्षा आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की है।

दोनों योजनाएं 1992-93 के दौरान जारी रहेंगी।

[हिन्दी]

'मैनिटोल' की कथित अनधिकृत रूप से बिक्री

7361. श्री पीयूष तीरकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी 1997 के "दैनिक जागरण" (नई दिल्ली प्रकाशन) में "अशुद्धियों के बावजूद बिक रही है मैनिटोल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में इसके विभिन्न वितरकों का ब्यौरा क्या है और कथित दवा का उत्पादन करने वाली कम्पनी का क्या नाम है; और

(ङ) कम्पनी को कब लाइसेंस दिया गया और इसका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार औषध नियन्त्रण तन्त्र ने मैसर्स पारस राम दीप चन्द, कानपुर और मैसर्स राजीव एजेंसीज, कानपुर के परिसरों का निरीक्षण किया और मैसर्स श्री कृष्ण केशव लेबोरेटरीज, लि. अहमदाबाद, द्वारा निर्मित इंजेक्शन मैनिटोल 065 ए लाट बैच नं. 1782 के दो नमूने जांच हेतु लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विश्लेषक ने सूचित किया है कि दोनों नमूने मानक गुणवत्ता वाले पाए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विनिर्माता, मैसर्स श्री कृष्ण केशव लेबोरेटरीज लिमि., अहमदाबाद के वितरक निम्न हैं—

(i) मैसर्स मानसरोवर एन्टर प्राइजिज, 20-21, लारेंस रोड, प्रथम तल, अमृतसर (पंजाब)

(ii) मैसर्स वर्ग अपार्टमेंटस, प्राइवेट लिमि., गोपीनाथ पुरम, शुक्ला गंज, जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश)

(iii) मैसर्स स्लीक एसेंसीज, जी-8, पटेल नगर-III, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

(iv) मैसर्स मसीन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5 बुनी-हाउस, फिल्म कालोनी, जयपुर (राजस्थान)

(v) मैसर्स गोयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ई-165, प्रीति बिहार, विकास मार्ग, दिल्ली-92

खाद्य और औषध प्रशासन आयुक्त, गुजरात ने अन्तः सिरा द्रवों का बिक्री हेतु विनिर्माण करने के लिए दिनांक 1.3 1966 को इस कम्पनी को मैसर्स मैकनाथ-रवीन्द्र (इण्डिया) लिमि. के नाम और पद्धति के तहत एक लाइसेंस दिया। बाद में इस कम्पनी ने दिनांक 14.4.1984 को अपना नाम बदल कर मैसर्स श्री कृष्ण केशव लेबोरेटरीज लिमि. अहमदाबाद रख दिया। इस कम्पनी का उत्पादन-वर्ष 1991 में अधिक मात्रा वाली अन्तः शिरा-द्रवों की 90,82,319 बोतलें और इंजेक्शन मैनिटोल 20% 350 मि. लि. की 3,17,699 बोतलें थी।

[अनुवाद]

"पर्यावरण पर दक्षेस पैनल"

7362. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण पर दक्षेस देशों के पैनल ने इस क्षेत्र में पर्यावरण के दुरुपयोग और अपकर्ष को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) दक्षेस देशों द्वारा ऐसी नीति को क्रियान्वित करने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और उसमें भारत का कितना योगदान है,

(घ) क्या इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या परिस्थितिकी स्वास्थ्य समूहों अथवा ग़ैर-सरकारी संगठनों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दक्षिण एशिया सहयोग संघ (दक्षेस) सचिवालय ने एक 'प्राकृतिक विपदा के कारण और परिणाम और पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षण पर एक क्षेत्रीय अध्ययन" तैयार किया है। नवम्बर, 1991 में कोलम्बो में आयोजित दक्षेस मन्त्रियों की बैठक में क्षेत्रीय अध्ययन में निहित सिफारिशों की जांच करने और कार्यान्वयन के उपाय प्रस्तावित करने के लिए एक पर्यावरण सम्बन्धी समिति गठित करने का निर्णय किया गया था। समिति की पहली बैठक 17-19 फरवरी, 92 में ढाका में हुई जिसमें पर्यावरण प्रबन्ध ढांचे, भूमि और जल उपयोग आयोजन, हिमालय क्षेत्र में पर्वत विकास, तटीय क्षेत्र प्रबन्ध, वानिकी और जल संभर कार्यक्रम, ऊर्जा और पर्यावरण, प्रदूषण नियन्त्रण और परिसंकटमय पदार्थ, जैवीय विविधता प्रबन्ध, संसाधन प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल वासस्थल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी और विपदा प्रबन्ध के लिए राहत एवं सहायता तन्त्र की स्थापना से सम्बन्धित रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के लिए तत्काल कारंवाई का प्रस्ताव रखा गया।

(ग) अभी तक कोई निधिकरण प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) से (छ) सहयोग के लिए सिफारिशों में दक्षेस क्षेत्र के सदस्य देशों में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग की अभिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी के साथ जुड़े अधिकारियों को अन्य पदों पर खपाना

7363. श्री सुशील चन्द्र शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के सम्बन्ध में कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या तत्कालीन कैबिनेट सचिव के सभापतित्व में 29 सितम्बर, 1988 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि भोपाल गैस त्रासदी से सम्बन्ध में किए गए व्यक्तियों को भारत सरकार के अन्य पदों पर खपाया जायेगा।

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और अब तक इनमें से कितनों को सरकारी सेवाओं में खपाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों के खपाने के बारे में सरकार की योजना क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 29.9.1988 को हुई उक्त बैठक में यह निर्णय किया गया था कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भोपाल में अध्ययन कार्यों पर लगाए गए वैज्ञानिक कार्मिकों को आमेलित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी और एक योजना तैयार की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत इन व्यक्तियों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन कार्य से मुक्त करने पर सरकारी नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सकता है बशर्ते कि वे अनिवार्य अर्हताएं रखते हों।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि भोपाल गैस त्रासदी के सम्बन्ध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में समय-समय पर 245 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, नौकरी में आमेलित होने के इच्छुक व्यक्तियों के जीवनवृत्त मध्य प्रदेश सरकार के प्रभाव सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

[अनुवाद]

अर्जुन पुरस्कार विजेताओं पेंशन

7364. श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के. एस. मुनियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाती है;

(ख) क्या उसमें कुछ खिलाड़ी पेंशन नहीं ले रहे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंशन की धनराशि बढ़ाने की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) . (क) अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को पेंशन देने की कोई योजना नहीं है। तथापि, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत 1500/- रुपये तक की मासिक पेंशन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी जा सकती है यदि वे अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों। इस पेंशन भोगियों को सीमित अवधि के लिए मंजूरी दी जाती है। अभी तक ऐसी पेंशन चार अर्जुन पुरस्कार विजेताओं या उनके परिवारों को मंजूर की जा चुकी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

———

स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की भर्ती के बारे में दिनांक ३१ मार्च, १९९२ के अतारांकित प्रश्न सं. ५३९१ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

मैं स्वास्थ्य मन्त्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की भर्ती के बारे में लोक सभा में 31 मार्च, 1992 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 5391 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में भूल से कुछ गलती रह गई थी। सही सूचना इस प्रकार है—

प्रश्न	उत्तर
(क) विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत उनके मंत्रालय द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान भर्ती किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;	विशेष भर्ती अभियान के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 126 और 75 उम्मीदवारों को भर्ती किया।

(ख) उनका किन-किन श्रेणियों के लिए चयन किया गया है; और

	ग्रेड 'क'	ग्रेड 'ख'	ग्रेड 'ग'	ग्रेड 'घ'	
अनुसूचित जाति	18	4	90	14	
अनुसूचित जनजाति	7	—	54	14	75
	25	4	144	28	201

(ग) उनके मन्त्रालय में इस समय खाली पड़े पदों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है ?

	ग्रेड 'क'	ग्रेड 'ख'	ग्रेड 'ग'	ग्रेड 'घ'	कुल
अनुसूचित जाति	13	2	86	9	110
अनुसूचित जनजाति	15	5	95	17	132
	28	7	181	26	242

(10 मार्च, 1992 की स्थिति

असुविधा के लिए खेद है।

ललित कला अकादमी के लिए भूमि आवंटित करने के बारे में दिनांक २४.३.१९९२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३३१ के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

मैं ललित कला अकादमी के लिए भूमि के संबंध में दिनांक 24.3.1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर मे हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यद्यपि, महाराष्ट्र सरकार को भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष ने ललित कला

ललित कला अकादमी के लिए भूमि आबंटित करने के बारे में दिनांक 24.3.1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर में शुद्धि वाला विवरण

21 अप्रैल 1992

अकादमी के एक क्षेत्रीय केन्द्र के लिए भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों को लिखा है। भूमि आबंटित करने और क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने की अन्य शर्तें पूरी करने के बारे में राज्य सरकार से औपचारिक उत्तर प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है। यह संशोधित विवरण परिवर्तित तथ्यों के रूप में है, जो अभी हाल ही में रिकार्डों से नोट किए गए है, अतः विवरण प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

असुविधा के लिये खेद है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालय, विशेषकर वित्त मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री जी के आदेशों की खुले आम अवहेलना कर, राज्यों के प्रति इर्सेसटिव और इम्प्राप्रायटी वाला रवैय्या अपना कर केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों में दरार पैदा करने का कार्य कर रहा है, इसका एक हैरानी पैदा करने वाला ताजा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, अक्तूबर, 1991 में उत्तराखण्ड के 3 जनपदों-उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में भीषण भूकम्प से लगभग 400 करोड़ रुपए की हानि और लगभग 750 जानें गईं। प्रधान मन्त्री जी ने यह निर्देश दिया कि क्षति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में जाए और रिपोर्ट दे कि उत्तर प्रदेश सरकार को राहत के लिए और कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने अपने इस निर्णय की सूचना 23 मार्च, 1992 को उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री को भेज दी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर में धन्यवाद का पत्र श्री प्रधान मन्त्री को लिख दिया। अब यहां से वह कहानी शुरू होती है कि 2 अप्रैल को कृषि मन्त्रालय के एक अंडर सेक्रेट्री श्री आर. बी. कुट्टी के हस्ताक्षरों से सात सदस्यीय सेन्ट्रल टीम की घोषणा की गई, सम्बन्धित आदेश की प्रति मेरे हाथ में है, विभिन्न मन्त्रालयों, जिनमें फायनेंस मिनिस्ट्री भी शामिल थी, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अगले ही दिन 3 अप्रैल को श्री एम.पी. बागची जो जाइंट सेक्रेट्री फायनेंस मिनिस्ट्री के है, उन्होंने श्री बी. के. दास, को जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट सैक्रेटिएट के है, एक पत्र लिखा, जो पत्र लिखा उसके लास्ट पैरा में जो लाइनें लिखी हैं, वे इस प्रकार है :

[अनुवाद]

"हमारा यह अनुभव रहा है कि जब भी कोई केन्द्रीय दल राज्य का दौरा करती है तो वह राज्य प्रायः 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र द्वारा दिए जा

रहे य शदान मे प्रतिरिक्त सहायता देने की सिफारिश करती है। इसलिए केन्द्रीय दल के द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने कृषि मंत्रालय को राज्यों के दौरे पर जा रहे केन्द्रीय दल के लिये अधिकारी नियुक्त करने में अपनी असमर्थता जताई थी।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बात यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के निदेशों पर उत्तर प्रदेश मे क्षति का जायजा लेने के लिए एक टीम की नियुक्ति होती है, वह टीम तय हो जाती है, लेकिन फायनेंस मिनिस्टर अपनी ओर से यह कह कर कि अगर हम वहां गए, तो हमको हां करनी पड़ेगी, इसलिए हम टीम नहीं भेजेंगे। इस प्रकार से प्रधान मन्त्री के आदेशों की किस प्रकार अवहेलना हो रही है और केन्द्र, राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है यह स्पष्ट हो जाता है। इसमें मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, यह केवल यूपी के लिए नहीं कहा है, आदेश में यह कहा है कि "सेंट्रल टीम विजिग दी स्टेट्स" आइंदा, इसका मतलब यह हुआ कि आइन्दा भी वह किसी स्टेट में नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट को कुछ भी आदेश देते रहें। मैं कहना चाहता हूं कि नाईथ फाईनेंस कमीशन के अंदर भी पेरा 6 (18) में यह व्यवस्था है कि आपदा के कारण यदि हानि बहुत ज्यादा हुई है तो प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय स्तर की आपदा मानते हुए विशेष आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6(18) के अंतर्गत ही प्रधानमन्त्री जी ने यू.पी. को अतिरिक्त सहायता देने का तय किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस प्रकार से चलेगी, फाईनेंस मिनिस्टर साप की कुंडली की तरह पैसे पर बैठेंगे, क्या राज्य उनकी दया पर रहेंगे। मैं चाहूंगा इसके बारे में सरकार की ओर से उत्तर आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आकर इसका जवाब देना चाहिए कि किन हालातों में उनके आदेश की अवहेलना की गई है :

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, टाइम्स आफ इंडिया, इकानामिक टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों मे यह प्रकाशित हुआ है कि यूनियन कार्बाइड कम्पनी अपनी सम्पत्ति भारत में बेच रही है स्पष्ट रूप से उसका उद्देश्य गैस पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना करना है। यह कार्य ऐसे समय पर किया जा रहा है जब उच्चतम न्यायालय ने 3.10.91 के अपने निर्णय के द्वारा यूनियन कार्बाइड कम्पनी को अपराधिक अभियोग से मुक्ति देने की जो पूर्व व्यवस्था फरवरी 1989 में दी थी उसे रद्द कर दिया है और जबकि यूनियन कार्बाइड कम्पनी के विरुद्ध अपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यूनियन कार्बाइड कम्पनी को भोपाल गैस रिसाव त्रासदी अपराधिक मुकदमें में अभियुक्त संख्या 10 के रूप में फरार घोषित किया है। और इस सम्बन्ध में की गई घोषणा वाशिंगटन पोस्ट तथा टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जा चुका है। ताकि उसके विरुद्ध निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इससे यह शंका पैदा होती है कि इस स्थिति में यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा कम्पनी सम्पत्ति को बेचना केवल एक बहाना है जिससे वे बिना किसी आर्थिक दण्ड के, जो भारतीय न्यायालय उन पर लगा सकती है, बचकर निकल जाएं।

यही यह घोर तलब है कि 1986 में भारत सरकार, वास्तव में गैस पीड़ितों का एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में यह घोषणा की थी कि क्षतिपूर्ति के तौर पर वह 3,000 मिलियन डालर का दावा करेगी। इस दृष्टिकोण से उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 470 मिलियन डालर की तुच्छ रकम को सरकार द्वारा किये जाने से गैस पीड़ितों की संतुष्टि नहीं की जा सकी और यह अपर्याप्त और मनमानापूर्ण दृष्टिकोण अस्पताल निर्माण के लिए 17 मिलियन डालर की अतिरिक्त राशि दिया जाना यूनियन कार्बाइड जैसी कम्पनियों से लिये तुच्छ राशि जो कि शायद वह अपने पापों के प्रायश्चित के तौर पर दी जा रही है यह मात्र जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है और यह भारतीय न्यायपालिका की अवहेलना भी है। यह और भी विचित्र बात है कि माननीय रसायन एवं उर्वरक मन्त्री ने 25.3.92 को मेरे द्वारा पूछे गए एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, "हमारा किसी पर मुकदमा चलाने का विचार नहीं है।" जबकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो पहले से ही आपराधिक मुकदमा यूनियन कार्बाइड कम्पनी के विरुद्ध चला रहा है तो क्या मन्त्री जी ऐसा वक्तव्य दे सकते हैं? यह प्रश्न मैं आप से पूछ रहा हूं।

आज राजधानी में गैस पीड़ितों की एक रैली है। न्याय के नाम पर, जो कि बहुत पहले ही गैस-पीड़ितों को नहीं मिला, सरकार को वक्तव्य देना चाहिये और सरकार यह बताए कि क्या वह भारत में यूनियन कार्बाइड कम्पनी की सम्पत्ति को जब्त करने का विचार रखती है और वारेन एंडरसन के विरुद्ध प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को शुरू करने में सहायता देगी। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार को इसका उत्तर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय हमने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है। इसका कोई उत्तर दिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैंने और सैफुद्दीन चौधरी जी ने कुछ दिन पहले भी उठाया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो आर्डर है, उसका पालन किया जाये। हम भी आपसे यह मांग कर चुके हैं कि एंडरसन साहब को यहां लाया जाये और हिन्दुस्तान की जो इज्जत और मर्यादा को बरकरार रखा जाये लेकिन वह नहीं हो रहा है। वहां अमरीका के अखबारों में निकल रहा है कि एंडरसन साहब लापता हैं। वहां के लोग कहते हैं कि भारत सरकार के बस की बात नहीं है कि वह उनको ले आये। आज का भी सवाल है. यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, इस कम्पनी के पीछे अमरीका सरकार की ताकत है। इसके पीछे राजनीतिक सवाल भी उठता है। कुमारमंगलम जी बैठे हुए हैं और वह हमारी बात भी सुन रहे हैं। क्या यह सरकार यूनियन कार्बाइड के सामने घुटने टेकेगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो आर्डर दिया है कि उनको पूरा गिरफ्तार करके लाया जाये, क्या उस पर कार्यवाही नहीं होगी? बहुत से इस दुर्घटना में पीड़ित लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। यूनियन कार्बाइड के चलते आठ हजार लोग मारे गये और 40-50 हजार अपाहिज हुए हैं। इसलिए हिन्दुस्तान की इज्जत और मर्यादा का सवाल है। सरकार इसके बारे में तुरन्त बताए कि यह जो यूनियन कार्बाइड का फैसला है कि यहां उनकी सबसिडियरी को कोष करेगी और इसका अस्पताल बनायेगी, उससे ऐसा लगता है कि अब यह बहुत उदारवादी

लोग हो गये हैं। यूनियन कार्बाइड एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है और इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी के पीछे अमरीका सरकार की ताकत है। इसी डर से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, भोपाल के फैसले की कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अभी श्री रवि राय जी और भट्टाचार्य जी ने बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं पत्रकारिता की आजादी का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। पत्रकारिता पर एक भारी हमला देश में कई जगहों पर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरे विषय पर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह कहना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस सभा में इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है। वास्तव में इसमें न्यायपालिका को बनाए रखने का प्रश्न है। इसे बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व सरकार पर है। मैं अब यह जानना चाहता हूं कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा यह घोषित किये जाने के बाद कि श्री एंडरसन फरार अभियुक्त हैं और बाद गिरफ्तार वारंट के आदेश जारी करने पर सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के समक्ष उठाया है ताकि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अब, कम्पनी और विशेषकर श्री एंडरसन के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और यह भी कहा जाता है कि वे भोपाल गैस रिसाव त्रासदी में कमसे कम 4,000 लोगों की हत्या के दोषी हैं। इसकी तुलना में लोबियाई के मामले में जो दोषी हैं जिनका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है फिर भी संयुक्त राज्य अमरीका दो लीबियाई नागरिकों के प्रत्यावर्तन के लिए दबाव डाल रही है क्या भोपाल का मुद्दा उतना गम्भीर नहीं है? लीबिया पर वायुयान को बम से उड़ाने के मामले में प्रतिबन्ध लगाया गया है। तो किस आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका श्री एंडरसन के प्रत्यावर्तन का विरोध करेगा। हमें इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाना चाहिए। श्री एंडरसन के प्रत्यावर्तन की मांग करनी चाहिये ताकि हमारे देश में उस पर उचित रूप से मुकदमा चलाया जा सके और पीड़ितों और उनके संबंधियों तथा देश की जनता के प्रति न्याय हो सके। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मुद्दा अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया है और सरकार इस सम्बन्ध क्या कार्यवाही कर रही है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : इस मामले को 15 दिन पहले सभा में उठाया गया है। सरकार ने उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार श्री एंडरसन की गिरफ्तारी के लिये क्या कदम उठा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य आपकी बात कह चुकी हैं। उन्होंने अभी-अभी कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडे (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा सदन में कई बार हुई है। अभी भी भोपाल के अन्दर हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको पूरा संरक्षण नहीं मिला है, न ही उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा दी गई है। ऐसी स्थिति में यह जो समाचार अभी जो छपा है कि यूनियन कार्बाइड वाले अपनी सारी परिसम्पत्तियां बेचकर कोई निर्माण कार्य करने जा रहे हैं, अस्पताल वग़ैरह बना रहे हैं जबकि अभी तो उनके दावे सैटल नहीं हुये हैं. अभी तक विस्थापित पीड़ित हैं. हजारों की संख्या में वहां पर मारे गये हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का निर्णय सामने आना चाहिए कि आखिर वह क्या करने जा रही है ? क्या सारे दावों का निपटान हो गया है अथवा उनको सारी इजाजत दे दी है। न्यायालयों में कितने मामले विचाराधीन हैं। इस तरह से उनकी परिसम्पत्तियां बेचने की ? आखिर वस्तुस्थिति क्या है, यह हम जानना चाहते हैं। सरकार इस बारे में वक्तव्य दे। हजारों लोग अभी भी संकट में हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय सरकार को उत्तर देना चाहिए। भोपाल के न्यायालय ने एंडरसन के गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं। सरकार ने एंडरसन के गिरफ्तार के लिये क्या कार्यवाही शुरू की है। सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है। (व्यवधान) विधि मन्त्री यहां पर हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, अमरीकी सरकार ने क्या किया है ? बहुत ही वरिष्ठ मन्त्री यहां बैठे हैं। वह जवाब दे सकते है। प्रतिदिन हम इसका विरोध करते हैं। कि हम अमरीकी सरकार के सामने असहाय महसूस करते है। प्रत्येक दिन यह मामला सभा में उठाया जाता है। हम सरकार का उत्तर जानना चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह मुद्दा सरकार के सामने प्रस्तुत करने का अनुमति दी थी और आपने सरकार को इससे अवगत करा दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार को उत्तर देने दिया जाये। हम तुरन्त बैठ जाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सरकार इस सम्बन्ध में आज या कल किसी भी समय कुछ तो बतला दे। कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है क्या ? इतना गम्भीर मामला है और सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि अभी सरकार के पास कुछ तथ्य उपलब्ध नहीं है···(व्यवधान)···यह कांग्रेस की राजनीति में ज्यादा संलग्न है। छोटी से छोटी बात पर भी सरकार का रीएक्शन होता है और यह तो इतना बड़ा इश्यू है, इतना गम्भीर मामला है। सरकार आज नहीं तो बाद में बताइये लेकिन कुछ तो बताइये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार चुप्पी साधे हुये है (व्यवधान)हम जानना चाहते है कि क्या वापसी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री अर्जुनसिंह जो कि काफी वरिष्ठ मंत्री है। यहाँ उपस्थित है। संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी। हम जानना चाहते हैं कि वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य। भोपाल न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। हम सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहते हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे के सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ? कृपया इन्हें एकत्र करें और सभा को बताएं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : महोदय, मैं सभी तथ्य पता करके आपको बताऊंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : कब ? आज ?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, अब कृपया बैठ जाइये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे कम से कम दिन समाप्त होने से पहले कर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा को सूचना देने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाडीज : अध्यक्ष जी, मैं ऐसा प्रश्न उठाना चाहता हूं, जिस पर सदन में विवाद भी हो सकता है लेकिन मेरे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं है। पत्रकारिता पर देश में एक हमला जो नये सिरे से शुरू हुआ है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इन्होने कहा कि यह तथ्यों का पता लगाकर बताएंगे। इसी तरह का एक आश्वासन पहले दिया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण जो भारतीय विद्यार्थी वहा मुश्किल में पड़ गये हैं, उनका मामला मैंने उठाया था और आपके कहने पर मंत्री महोदय ने कहा कि हम इस सम्बन्ध मे बयान देंगे लेकिन उसमें बयान नहीं दिया···

अध्यक्ष महोदय : उसमें बयान का सवाल नहीं। मैंने विद्यार्थियों की मदद करने के लिये कहा था कि उनको मदद करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मदद हुई, पता तो लगे। आप पता लगाएंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसका हम पता लगायेंगे। हम इस सम्बन्ध में एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन सूचना नहीं है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : उन्हें सहायता दी गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, पत्रकारिता पर जो हमला होता है, उस हमले का अर्थ होता है, भारत के संविधान पर हमला। धारा-19 (1) —(अ) के अन्तर्गत जो बोलो का अधिकार है, उस बोलो के अधिकार को इस्तेमाल करने पर, उस पर रोक लगाने के जो अनेक प्रकार के तरीके हैं, उसको हम पिछले कई दिनों से अनुभव करते रहते हैं। मैं पुराने इतिहास में नहीं जाता हूं, लेकिन इस सदन के भीतर, चाहे पंजाब में और चाहे किसी और जगह पर, आतंकवादियों की तरफ से, किसी एक पत्रकार के ऊपर हमला होता है, तब काफी चिल्लाने का, अपनी परेशानियो को व्यक्त करने का काम हम लोग करते हैं। लेकिन अधिकार में बैठे हुए लोग, उसी प्रकार या उससे भी अधिक प्रखर किस्म का हमला समूचे पत्रकारिता पर करें, तो फिर हम लोग उस बात को कहां छेड़ें। यह प्रश्न यहां पर आकर खड़ा होता है। दिल्ली में जो दक्षिण से एक पत्रकार आकर बैठा हैं, मद्रास से यहां पर आया है, एक प्रकार से उसको भूमिगत बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी का आदेश हैं। आदेश गिरफ्तारी का इसलिए है कि एक विधान सभा के भीतर···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। फर्नान्डीज जी।

]हिन्दी]

श्री फर्नान्डीज : मैं किसी विधान सभा का नाम नहीं ले रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के बाहर इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दे रहा हूं। यदि यह किसी विधान मंडल से संबद्ध है तो यह निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या हमें इसे यहां लेना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, लोकसभा में प्रश्नकाल में या अभी एन्डर्सन के विवाद को लेकर कहा गया, उस विवाद के सम्बन्ध में मंत्रियों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया, कल अगर अखबार लिखते हैं कि मंत्री गूंगे होकर बैठे थे, तो क्या मंत्री कल अखबार वालों को हथकड़ी लगाकर यहां पर लाने की बात करेंगे। हर चीज की एक सीमा होती है। अध्यक्ष जी, कम से कम

आपको संविधान के बारे में उपदेश करने की जरूरत नहीं है। फण्डामेंटल राइट में राइट-टू फ्रीडम धारा-19 में, आप इस बात को याद करेंगे कि जब भारत का संविधान बना था, सब-क्लास नहीं था सब क्लास-2 संविधान के पारित करने के दो साल के बाद, फर्स्ट अमेंडमेंट में इसको जोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष जी, आप कृपया इसको पढ़िए—

[अनुवाद]

खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य के निवारित नहीं करेगी।

[हिन्दी]

आगे की बात महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

"उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में"

[हिन्दी]

मंत्री यहां पर किस तरह का व्यवहार करते हैं।

[अनुवाद]

"राज्य की सुरक्षा"

[हिन्दी]

अगर गूंगे होकर बैठ गए।

[अनुवाद]

राज्य की सुरक्षा। जो कुछ भी वह कर रहे हैं वह राज्य की सुरक्षा बनाये रखने के लिए कर रहे हैं। वह इसे आघात नहीं पहुंचा रहे हैं।

[हिन्दी]

इसको व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोकव्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, बाहर किसी प्रकार से, पत्रकारिता पर, मेरी बोली की आजादी पर, मेरे कहने

की आज़ादी पर कोई भी हमला नहीं कर सकता है और अगर आज देश के किसी भी हिस्से में इस संविधान की इस तरह से अवहेलना होती है, इस तरह से संविधान के साथ और हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है तो···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान ने एक व्यवस्था प्रदान की है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि पीड़ित है न्यायालय की शरण ले सकता है और स्वयं की रक्षा कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम लोग किसलिए हैं। संविधान की रक्षा करने की मैंने यहीं पर खड़े होकर शपथ ली है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं मानता हूं कि अगर यह सदन (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दन (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, वह सभा की अवमानना कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर वे अपने आपको गुनाहगार मान रहे हैं तो मेरे सामने कोई भी उपाय नहीं है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने राज्य विधान सभा का जिक्र नहीं किया है। यहां तक तो मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत बुद्धिमतापूर्वक इसे कर रहे हैं। यदि इसे इसी तरह बुद्धिमता पूर्वक करना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने

* का भी नाम नहीं लिया। मैंने तो इसका भी नाम नहीं लिया, आप किस लिए फ्लेक्सनी में आ जाते हैं। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि आपने जो कहा कि धारा 226 है, हम अदालत में जा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां हां।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन अदालत की बात तब आएगी जब हम लोग इस संविधान की रक्षा और इस संविधान के अन्तर्गत काम करने वालों की रक्षा··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, लेकिन हम लोग अपने सदन की व्यवस्था को तो कम से कम चलाने का और हम लोगों ने अपने इस संविधान की जो जिम्मेदारियां उठाई हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी तो हम अदालतों पर नहीं छोड़ सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कि कानून समुचित ढंग से कार्यान्वित किया गया या नहीं, यह सब ये सभा नहीं देख सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि संविधान की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में संवैधानिक तौर पर कुछ भी किए जाने के बारे में भी न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे चाहें वैसे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जब संविधान बन चुका है तो संविधान की व्याख्या का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर है।

जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं संविधान की व्याख्या करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि यह संविधान के अन्तर्गत मेरा मूलभूत अधिकार है। (व्यवधान)

श्री एम आर कादम्बूर जनार्दनन : क्या संविधान सभा की गरिमा को घटाने की अनुमति देता है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, तो मैं इस विवाद को कोई लम्बा नहीं चलाऊंगा। (व्यवधान) मैं यहां पर आपके सामने अदालत में जैसे अपने तर्क को नहीं रखूंगा, (व्यवधान) मैं जानता हूं कि आपका यह भी इरादा नहीं है लेकिन देश में जो यह परिस्थिति बनी हुई है और विशेषकर आज पत्रकारिता पर जिस प्रकार का हमला हो रहा है, सदन के अध्यक्ष के नाते इस संविधान की रक्षा करने की जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको ख्याल में रख कर हम दोनों में

दखल देने का काम आपको करना चाहिए। मैं सदन की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहता हू, मैं किसी भी विधानसभा का जो अधिकार है उसका हनन करने की बात करना चाहता हूं लेकिन पत्रकारिता पर बोलने के और लिखने की आजादी पर जो हमला आज चारों तरफ शुरू हो गया है और राजनीतिक स्तर पर यह चल रहा है मैं इसकी निन्दा करता हूं और आपका संरक्षण चाहता हू।

श्रीलाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मामला उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके बारे में मत व्यक्त करने की, वह जैसा आपने कहा और जैसे जार्ज साहब स्वयं समझते हैं, मैं भी मानता हूँ लेकिन यह बात भी सच्ची है कि पत्रकारिता पर कहीं पर भी हमला होता है, किसी भी प्रकार से हमला होता है तो इस सदन को चिन्ता होनी चाहिए और हम तो उनमें से हैं कि जो इसके भुक्त-भोगी हैं और इमरजेन्सी में जो कुछ हुआ उसमें अगर सबसे गम्भीर आघात लोकतंत्र पर कोई था तो वह लाखों लोगों की गिरफ्तारी नहीं था वह प्रेस की आजादी को भी सीमित करने का और कुण्ठित करने का प्रयास किया गया वह सबसे बड़ा आघात था, इस मामले में, मैं जानता हूं कि आपने कह दिया कि वहां पर प्रावधान है कि कोई कोर्ट में जा सकता है, कोई भी इसमें जा सकता है लेकिन आप भी जानते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद भी वहां पर कोर्ट की भी मर्यादायें आ जाती हैं और इसलिए अगर एनिशियेटिव हो सकता है, इस मामले में, तो अध्यक्ष जी आपका हो सकता है।

यह विषय ऐसा है कि जिसमें पिछले कई वर्षों से चर्चा चलती आ रही है यहां पर पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए लोग, उनको अपनी मर्यादाओं की जानकारी नहीं है चाहे जब उनको कह दिया जाता है कि यह रिकार्ड नहीं होगा और यह रिकार्ड नहीं होगा और जिसके कारण कई बार यह बात आई है जिसको मैं आज दोहराना चाहता हू, आज जरूरत है कि प्रेस की आजादी को ध्यान में रख करके और संसद के और विधान मंडलों के विशेषाधिकारों का कोडीफिकेशन होना चाहिए, जिससे पता तो लगे कि कहां पर है और यह एनिशियेटिव आपकी तरफ से ही सकता है। अगर प्रीविलेज का कोडिफिकेशन होगा तो फिर शायद इस प्रकार की जो * जैसी बात हुई है उसके बारे में कोई उसका इलाज हो सकेगा, अन्यथा जब तक कोडीफिकेशन नहीं होगा तो इस प्रकार का मामला अगर कोर्ट में भी ले जाया जाएगा तो भी कोर्ट कहेगा कि हम विधान मंडलों के साथ टकराव नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हुए भी आपको न्याय नहीं दे सकते और इसी कारण आपका और इस संसद का एक रोल बन जाता है जिस रोल की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए फिर से अपनी आवाज इनके साथ मिलाता हू कि इस सारे सदन को चिन्ता होनी चाहिए कि पत्रकारिता के ऊपर कोई अंकुश न लगे। पत्रकारों स्वतन्त्रता, ठीक प्रकार से इनको खुले रूप से छूट रहे और जैसे वह उत्तरदायित्व के साथ अपना कर्तव्य निभा सकें इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ऐसे सवाल को बताना चाहता हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं इसलिए मेरे मुंह से यह नहीं निकलेगा, आप पीठासीन हैं कि संसद क्या इररिलेवेंट हो रहा है यह मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आज आपको यह बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि कल हम लोगों ने बहस किया, जिस तरीके से अटल जी और जार्ज फर्नान्डीज ने कहा,

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आज सुबह उठते ही हमारे समक्ष नामी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर यह था कि रूस की जो स्टेट एजेन्सी है, न्येव कासमास, उसने मास्को में बैठ कर ऐलान किया है, जो बेलिसनका फैसला है—

[अनुवाद]

"राकेट प्रौद्योगिकी के अन्तरण को स्थगित करने का निर्णय अमरीका के दबाव के अन्तर्गत लिया गया"

[हिन्दी]

मैं इसलिए इस चीज को उठा रहा हूं, वहां के बहुत जिम्मेवार आफिसर हैं रूस सरकार के और वे कह रहे हैं—

[अनुवाद]

"अमरीका ने रूस के विरुद्ध व्यापार प्रतिबन्ध लागू करने की धमकी दी थी यदि 1991 का अनुबन्ध रद्द न किया जाय।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हमको तकलीफ इसलिए है कि कल दिन भर विदेश मंत्रालय पर बहस चली, प्रधान मंत्री जी नहीं थे और संबंधित मन्त्री भी नहीं थे।...

अध्यक्ष महोदय : तुर्कमेनिस्तान के प्रेसीडेन्ट आये हुए थे, उनके साथ थे।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, कल भी हाउस में हम लोगों ने बहस की थी और आज सरकार की ओर से निर्णायक फैसला हो रहा है। असल में रूस पर दबाव पड़ा है हम लोगों की तरफ से, हम लोगों के चलते यह हुआ है, रूस हमारा दोस्त है और रूस दिक्कत में है और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है जिस तरीके से सोवियत रूस का खात्मा हुआ, वह कमजोर है और उन लोगों ने लोगों के लिए अमेरिका के दबाव को यह सब चल रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आज भी इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि नागालैंड पर आज बहस होनी है, इसलिए आज विदेश मंत्रालय पर बहस नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल मंत्री महोदय ने कह दिया था कि वहां पर डेलीगेशन गया हुआ है। डेलीगेशन मौजूद है और वहां मौजूद होते हुए भी वहां की सरकार की ओर से ऐलान हुआ है। यह यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव के चलते हम लोगों को स्पेस में जो चीजें हैं, उनको ससपेंड किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दूर नहीं है कि हमको भी धमकी देंगे और कार्यान्वयन करेंगे कि हिंदुस्तान के ऊपर भी इसको लागू करेंगे। तो संसद को जानकारी देने के लिए अध्यक्ष महोदय क्या आप इन्तजार करते रहेंगे, जबकि मास्को से ऐलान हो चुका है और सरकार इसमें चुप्पी साधे है। क्या यह संसद का अधिकार नहीं है कि सरकार का इसके बारे में जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देने के लिए 3 दिन लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल आपने इस विषय पर 90 मिनट तक बहस करवाई, कार्ला हिल्स वहां बैठकर धमकी दे रही है, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए रूस के ऊपर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है और कह रहे हैं—

[अनुवाद]

अमरीका के दबाव में आकर।

[हिन्दी]

इसका क्या मतलब है ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूं कि नागालैंड पर बहस होने से पहले प्रधान मंत्री जी को यहाँ बुलवाइये और वे देशवासियों को और इस संसद को कान्फीडेन्स में लें और बतायें कि सचमुच में क्या हुआ है। सरकार की ओर से कोई खुलासा नहीं आया है और रूस सरकार की ओर से जो कहा गया है, रूस पर दबाव के चलते वहां की सरकार को यह करना पड़ा और हमारी स्पेस साइंस और स्पेस टैक्नालाजी के सिलसिले में जो आत्म निर्भरता है, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि "अग्नि" को हमें सस्पेन्ड करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आप रक्षा विभाग में मंत्री रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की खातिर, देश के सम्मान और मर्यादा की खातिर सरकार संसद को कान्फीडेंस में ले, देश को कान्फीडेंस में ले और बताए कि सचमुच में क्या हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आपने कल कहा था कि इस विषय पर बहस करवायेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए हम यही चाहते हैं। आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहकर सभा की मदद करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उनके बस का नहीं है, इस पर बहस करवाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, यदि आप चुप बैठेंगे तो हम ऐसा करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मदद कीजिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस पर अलग से बहस कराइए और प्रधान मन्त्री जी को बुला कर बहस करवाइए। (व्यवधान)

इस बात को वे स्वयं कबूल करेंगे। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो चर्चा हुई थी, उसके बाद हम अपेक्षा करते थे कि स्वयं प्रधान मन्त्री जी आकर सदन को जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसीडेन्ट आए हुए थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : या फिर मिनिस्टर आफ स्टेट इसके बारे में वक्तव्य देते, बयान देते और तथ्य बताते। हम लोग अखबारों के आधार पर जानकारी प्राप्त करके अपनी चिंता प्रकट करते रहें, कल घण्टा-सवा घण्टा आपकी अनुमति से चर्चा हुई, उस समय आपको जानकारी नहीं थी और आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, सिवाए इसके कि एक सेक्रेट्री वहां पर गए हुए हैं। (व्यवधान)

लेकिन आज तो कम से कम उनको जानकारी देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ऐसे अवसर नहीं हैं। प्रश्नकाल के तत्काल बाद हमने इस कार्य को शुरू किया जो कार्यसूची में शामिल नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस विषय विशेष पर वक्तव्य होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने कल कहा था कि वह सदन की भावना से उन्हें अवगत करा देंगे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़लेरो) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा की भावनाओं और वहां कल कहे गए कथन को माननीय प्रधान मन्त्री को बता दिया है। प्रधान मन्त्री सहमत हो गए हैं कि वह एक वक्तव्य देंगे। वह आपसे समय लेंगे। आप प्रधान मन्त्री से परामर्श करके जो भी समय तय करेंगे वह ठीक होगा। वह आपसे समय के लिए परामर्श करने के बाद वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको सुविधानुसार कोई भी समय दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्योंकि सदन में बयान होने के बाद प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, यह प्रक्रिया यहां पर नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि इस बात को कल आपने स्वयं कबूल किया था कि मामला बहुत गम्भीर है और यह रक्षा, राकेट तथा टेक्नोलाजी तक ही सीमित नहीं है, अमेरिका, उसकी हेजेमनी, उसका हम लोगों पर आर्थिक दबाव और समूची दुनियां पर आज अमेरिका का जिस तरह का हल्लाबोल चल रहा है, ये सारे मसले इसके साथ जुड़े हैं। इस पर आपको अलग से बहस इस सदन में करानी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कल मुझसे पूछा गया था इसे कैसे उठाया जा सकता है ? ऐसे नियम हैं जिनके अधीन इसे उठाया जा सकता है। नियम 184, 193 के अधीन इसे उठाया जा सकता है। हम मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं और आप सब उस वक्तव्य पर बोल सकते हैं। यह तरीका अपनाया जा सकता है। अब जबकि हमने इसे उठाने के लिए इस तरीके को

अपनाया है तो मैं कहता हूं कि अगर सभा को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए तो उसके तत्काल बाद आप चर्चा कर सकते हैं। आप विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे। आप उस दौरान बोल सकते हैं। मैंने यह भी कहा है कि अगर आप दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और यदि सभी माननीय नेता मुझे यह लिखित में दें कि आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से इसके लिए समय निकालेंगे। लेकिन हमें नियमों के अधीन चलना होगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह हम लोग कबूल करते हैं। लेकिन हमने जो पत्रकारिता का मामला उठाया उस पर आपकी कुछ तो राय आनी चाहिए। संविधान के अन्तर्गत आप कुछ तो कहिए।

अध्यक्ष महोदय : स्पीकर को आप हर समय बोलने के लिए न कहिए। नाम तो उसका स्पीकर है, मगर उसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर वह ज्यादा बोलेगा तो मामला बिगड़ जाएगा।

श्री रवि राय : तो हम कहां जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना बोले ही आप जो चाहते हैं उसका इन्तजाम कर दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सभी समाचार पत्रों में छपे एक शीर्ष समाचार की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समाचार का शीर्षक है : "प्रेमदास रूल्स आउट प्रभाकरन एक्स्ट्राडीशन" इसमें कहा गया है।

"श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सम्बन्ध में एल.टी.टी. ई. के नेता वी. प्रभाकरन और इस विद्रोही गुट के खुफिया विभाग के प्रमुख पोट्टू अम्मन प्रत्यर्पण से इन्कार कर दिया खबरों में आज कहा गया है......"

इस समाचार में यह कहा गया है। यह खबर श्रीलंका सरकार की पहले की खबर के एकदम विपरीत है। वे भारत पर और अधिक आरोप लगा कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में श्री लंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने एल.टी.टी.ई. को मजबूत बनाने के लिए भारत पर दोष लगाया है। "पैट्रियट" में कहा गया है : "इण्डिया ब्लेम्ड फार एल.टी.टी.ई. कन्सोलिडेशन"। यह वक्तव्य भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री जयवर्धने द्वारा दिया गया था। हाल ही में हमारे प्रधानमन्त्री ने कहा है कि भारत सरकार एल.टी.टी.ई. पर रोक लगाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। अब समय आ गया है जबकि भारत सरकार घोषणा करे कि हमने एल.टी.टी.ई. पर रोक लगा दी है। वे कहते हैं : हम अपने छोटे भाई के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना चाहते। यह गलत है। वे कहते हैं कि

यह एक साधारण सी गलती है । हम चाहते हैं कि श्रीलंका के तमिल और सिंहली भाईयों के रूप में रहें । इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । जब श्री प्रेमदास ने घोषणा कर दी है कि उन्होंने श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त प्रभाकरण के प्रत्यर्पण का इन्कार कर दिया है इसके बाद केन्द्र सरकार का कर्तव्य है कि वह एल.टी.टी.ई. पर रोक लगा दे । श्रीलंका ने एक दम विपरीत संकेत दिए हैं तब केन्द्र सरकार एल.टी.टी.ई. पर रोक लगाने का तुरन्त निर्णय लें ।

इन शब्दों के साथ मैं यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री के. वी. तंगकाबालू (धर्मपुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे को उठाने वाले माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । भारत सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि हमारे महान नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या से एल.टी.टी.ई. जुड़ा है । श्रीलंका सरकार इस वक्तव्य के समर्थन में खुलकर सामने आई है ।**

यह साधारण मामला नहीं है ।

हम इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस मामले पर एक वक्तव्य दे कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है । सरकार यह वक्तव्य दे और एल.टी.टी.ई. पर तुरन्त रोक लगाए । केवल यही रास्ता है । दूसरा रास्ता यह है कि प्रभाकरण का प्रत्यर्पण अवश्य हो । सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाए और इस देश के लोगों को सूचित करे । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अभियुक्त छूट न पाए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : क्या आपने गौर किया कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है ? उन्होंने श्री राजीव गांधी की हत्या में श्री लंका सरकार के संलिप्त होने का आरोप लगाया······

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीलंका के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं और ऐसा वक्तव्य यों ही न दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : इसीलिए मैंने पूछा था कि वह मन्त्री है या सदस्य है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा और हम उचित कार्यवाही करेंगे । मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार किसी पर आरोप, नहीं लगाना चाहिए ।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न हो।

(व्यवधान)

श्री के.पी. रेड्डया यादव (मछली पटनम) : महोदय, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादक अपने कठोर परिश्रम और प्रगतिशील खेती के लिये विख्यात हैं। लेकिन दिसम्बर 1991 से 20 अप्रैल 1992 तक वय्यूरू स्थित के.सी.पी. लिमिटेड फैक्ट्री को लगभग दस लाख मिट्रिक टन गन्ना भेजने के बाद भी उनकी अत्यन्त दयनीय स्थिति है। आज तक गन्ने की आपूर्ति के लिए उन्हें देय धनराशि नहीं दी गई है क्योंकि के.सी.पी. लिमिटेड के प्रबन्धकों ने इसका अदायगी नहीं की।

एक ओर तो के.सी.पी ने 11 प्रतिशत प्राप्ति दर के लिए 425 रुपये प्रति मिट्रिक टन का कम मूल्य तय किया जबकि उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में 11 प्रतिशत से कम प्राप्ति दर के लिए भी 500 रुपये प्रति टन का मूल्य तय किया गया है। इसके अलावा के.सी.पी लिमिटेड द्वारा देरी करने के कारण उन्हें धनराशि नहीं मिल रही है। जैसा कि सभा जानती है के सी पी, लिमिटेड एक बड़ा व्यापारिक समूह है इसके पास अत्यधिक संशाधन है और यह कृष्णा जिले के परिश्रमी किसानों के कारण अत्यधिक लाभ कमा रहा है। हाल ही में के.सी.पी. चीनी मिल के लाभ में से अर्जित 36 करोड़ रुपये के संचित आरक्षित कोष को निकाल कर मद्रास में स्थित फैक्ट्रियों के पास भेजना केवल गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को परेशान करना है। उनकी केवल यही इच्छा है कि इन पांच महीनों के दौरान दिये गये 4- करोड़ रुपये के गन्ने पर छः महीनों का ब्याज देने से बचकर निर्दोष किसानों को ठगा जाए।

केन्द्र तथा राज्य में निर्वाचित सरकार के बावजूद किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य और केन्द्र स्तर पर अनेक कानून, नियम, विनियमों इत्यादि बनाए जाने के बावजूद भारत के असंगठित क्षेत्र को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सचिवों तथा आयकर खुफिया अधिकारियों का एक दल वहां भेजे जो पिछले दस वर्षों के सब आंकड़ें प्राप्त करें और जांच करे कि यह आरक्षित कोष किस प्रकार बनाया गया और कहां और भेजा गया है और के.सी पी. लिमिटेड वय्युरू के शेयर धारकों तथा किस प्रकार इस क्षेत्र गन्ना उत्पादकों को वंचित कर दिया गया। मुझे आशा है कि भारत सरकार द्वारा वास्तविक तथ्यों का पता लगाने वाला एक दल भेजा जाएगा जो न सिर्फ किसानों बल्कि विगत 15 वर्षों से ठगे गए और दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखे गए सैकड़ों, हजारों मजदूरों की कठिनाईयों का जायजा लेगा। इसे प्रशासन एक चेतावनी के रूप में ले क्योंकि वे इस देश के निर्दोष तथा असंगठित क्षेत्र को लाभ से वंचित रखने के लिए चीनी तथा व्यापारिक गुटों के समक्ष समर्पण कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मैं एक बहुत ही गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इस समय आग लगने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, सैकड़ों लोग मरे है और हजारों पशु मरे हैं और गांव के गांव नष्ट हो रहे

है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों द्वारा जितनी मदद होनी चाहिए, उतनी मदद नहीं हो पा रही है। किसी भी भूकम्प पीड़ा से और किसी भी बाढ़ की आपदा से यह भयंकर आपदा है। सम्पूर्ण गांव और हजारों लोग बिना घर और परिवार के हो गए हैं। ऐसी हालत में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अग्नि पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अधिकारियों का एक दस्ता उत्तर प्रदेश में भेजा जाए और उसका आकलन किया जाए। सात सो और एक हजार रुपए की सहायता उनको दी जाए जिनका सर्वस्व नष्ट हो गया है। जिनके घर में बच्चे औरत, मर्द और बूढ़े मरे हैं उनकी कम से कम एक लाख रुपए की सहायता की जाए। जिनके घर में पशु मरे हैं, उनको पशु खरीदने के लिए मुफ्त सहायता दी जाए। इसमें जब तक केन्द्र सरकार पहल नहीं करेगी तो प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। गम्भीर स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की हो गई है। मैं, विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दैवी आपदा का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से एक टीम भेजे और आकलन करके कितनी मदद केन्द्र की ओर से हो रही है, इस बारे में सदन को अवगत कराए।

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन आज के युग में महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवा है। कुछ लोग राजकोट में वहां के टेलीफोन विभाग के जी. एम. और डी. जी. के पास आवेदन पत्र लेकर गये, वहां उनकी उनसे बहस हुई वजह से जी.एम. और डी.जी.एम. ने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर हड़ताल कर दी और राजकोट के 50 हजार टेलीफोन बन्द हो गये। अखबारों में भी यह खबर छपी है। बिना जनता को जानकारी दिये हुए उन्होंने स्ट्राइक कर दी। इसकी वजह से राजकोट में अस्पतालों, फायरिंग स्टेशन और अन्य जरूरी सेवाओं पर बुरा असर पड़ा और दो व्यक्तियों का देहान्त हो गया जो कि हार्ट अटैक के मरीज थे, एक जगह आग लग गई और कई पशु मर गये, क्योंकि टेलीफोन व्यवस्था ठप थी इसलिये खबर नहीं की जा सकी। राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन और राजकोट चैम्बर्स आफ कामर्स तथा अन्य संस्थाओं ने जिले में कई मीटिंग रखी और यहां भी तार दिये गये, लेकिन यहां के स्टाफ ने इलीगल स्ट्राइक जारी रखी। मैं राजकोट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस नाते में आपको बताना चाहता हूं कि वहां गम्भीर हालत पैदा हो गई है। 25 साल पुरानी मशीनरी है, लोगों को वैसे ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और उस पर यह गैर कानूनी हड़ताल जारी है। लोग फरियाद करते हैं, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां पी. जी.एम. और और डी.जी.एम. पर जवाबदारी है, लेकिन वे सुनते नहीं डी. जी. एम. 10-12 साल से वहां पर है उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है। उस पर सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हो चुकी है, आई टी. की रेड पड़ चुकी है और पच्चीस लाख रुपया पकड़ा गया है···

अध्यक्ष महोदय : आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आप बैठ जायें।

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, यह एक आवश्यक सेवा है······

अध्यक्ष महोदय : ट्रांसफर का इश्यू पार्लियामैंट के फ्लोर पर नहीं उठाया जाता। आप इतना अच्छा बोले थे, लेकिन ट्रांसफर का इश्यू लेकर सारा गड़बड़ कर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके स्टेटमैंट से सारी गरिमा जो आपकी बातों की थी वह चली गई, क्योंकि आपने ट्रांसफर का इश्यू उठा दिया। जो मैं कहता हूं उसको आप समझें, क्योंकि मैं आपकी मदद करने के लिये ही कहता हूं। जिस समय आपने कहा ट्रांसफर का मामला है सारी बात खत्म हो गई।

(व्यवधान)

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : मैंने रेफरेंस दिया। मैं दो बातें बताना चाहता हूं। मैं उधर का सांसद हूं। मैं नौवीं और दसवीं लोक सभा का सदस्य रहा हूं, आज तक मेरा नाम वहां की डायरेक्टरी मे नहीं है, सारे सौराष्ट्र के सांसदों के नाम भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, यह सही नहीं है, आप मिसयूज कर रहे हैं जो मैंने आपको समय दिया था उसका सदुपयोग करना चाहिए था लेकिन आप मिसयूज कर रहे हैं। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आप समझकर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : मेरा यही कहना है कि इस मामले की जांच करवाई जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा था कि एक को बोलने के लिए समय दूंगा। आप हाऊस की गरिमा को मत गिरायें जो कुछ अच्छा चल रहा था उसका न बिगाड़ें।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, यहां पर विदेश राज्य मंत्री मौजूद हैं इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सभा को बताएंगे कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में नवीनतम स्थिति क्या है विशेषकर अफगानिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नजीबुल्लाह की सुरक्षा की क्या स्थिति है। क्योंकि अखबारों में ऐसा छपा था कि उन्होंने भारत होकर अपना देश छोड़कर जाने की योजना बनायी थी और यहां दिल्ली में उन्हें शरण देने की सारी व्यवस्था भी कर ली गई थी। उन्हें हवाई अड्डा से वापस आना पड़ा क्योंकि उन्हें देश छोड़कर जाने से रोक दिया गया था। अब अद्यतन स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के कारण संभवत: उन्हें सुरक्षित रूप से देश छोड़कर जाने की अनुमति मिल चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

दूसरी बात यह है कि भारत में अफगानिस्तान के भूतपूर्व राजदूत ने भी अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। मैं माननीय विदेश राज्य मन्त्री से इसकी भी स्थिति के बारे मे जानना चाहूंगा।

अफगानिस्तान की अद्यतन स्थिति क्या है? भारत की भी एक भूमिका रही है। उसके अफगानिस्तान के साथ बहुत ही दोस्ताना सम्बन्ध रहे है। यह हमारा पड़ोसी देश है। यह अपेक्षा की जाती है कि पाकिस्तान भी वहां अपनी भूमिका निभाएगा। इस ताजा स्थिति मे हम क्या करने जा रहे हैं, यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरे साथी श्री चन्द्रजीत यादव ने जो भी कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके अतिरिक्त, यह हमारे अपने राष्ट्रीय हित और पूरे पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में शांति का प्रश्न भी है। शांति बनाये रखने की खातिर संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप के नाम पर

रूढ़िवादी तत्व अफगानिस्तान मुद्दे पर अपना अलग ही रवैया अपना रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानों एक पक्ष के हाथ पैर बंधे हुए हैं और दूसरा अपना कार्य कर रहा हैं। हमारी पर्यावरण और सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार खासकर अब जबकि भारत की सुरक्षा परिषद का एक सदस्य है, इस बात को ध्यान में रख रही है कि रूढ़िवादी ताकतों को अफगानिस्तान को सत्ता में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक बुर्का के रूप में दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है जो हमारे हितों के विरुद्ध है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं यह रिकार्ड में लाना चाहता हूँ कि हालांकि इस पर एक पूर्ण बहस चल रही है लेकिन कल भी हमें अफगानिस्तान की स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने का अवसर मिला था। इस सदन, इस सरकार और वास्तव में सभी सदस्यों की मुख्य चिंता भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की है। व्यक्तित्व का प्रश्न तो क्षणिक होता है। मैंने कल भी सरकार से यही अपील की थी कि यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि अफगानिस्तान में व्याप्त स्थिति के सन्दर्भ में भारत सरकार देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए क्या कर रही है। यह प्रश्न पहले भी उठाया जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति में जबकि अफगानिस्तान गृह युद्ध और नागरिक संघर्ष की दिशा में तेजी से बढ़ रही है भारत सरकार देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के पहलू पर समुचित और निर्विवाद रूप से आगे आएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष जी, ये सब बोलते जा रहे हैं। हमें क्यों नहीं बोलने देते हैं। हमारे इलाके में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप बोलिए।

श्री राम निहोर राय : मान्यवर, अध्यक्ष जी, सब लोग झारखण्ड इलाके की बात करते हैं जो आदिवासी इलाका है लेकिन उन जैसे आदिवासियों के साथ 3 अप्रैल, 1992 को बहुत बड़ा कांड किया गया।

अध्यक्ष महोदय, 14 वर्ष की आदिवासी निरोह बालिका फुलवा, घसिया जाति पुत्री शंकर निवासी ग्राम खाड़पाथर, थाना पीपरी, चौकी रेनूकूट, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के साथ वहां के फारेस्ट गार्ड्स के 5-7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। मेरे पास खबर है और फोटो भी है। जब उसके पिता शंकर 4 तारीख को सुबह रेनूकूट में पुलिस चौकी पर रिपोर्ट लिखाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वहां के एक वकील जब साथ गए तो 8.4.92 को उनकी रिपोर्ट लिखी गई। फिर उसे सोनभद्र जिले के राबर्टसगंज में डाक्टर के पास भेजा गया किन्तु वहां उसकी दवा नहीं की गई। वहां से मिर्जापुर जनपद के अस्पताल भेजा गया। उसकी हालत गम्भीर थी। वहां पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश के आदिवासी भूखे नंगे मर रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार उनको खाने को नहीं दे पा रही है। वहां के जो पुलिस अधिकारी या थाना

इंचार्ज हैं या डाक्टर हैं, उनके द्वारा जो गरीब लोग खाने के लिए मोहताज हैं निरीह जानकर ही उनके प्रति यह अमानवीय कांड हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और मैं इसको मन्त्री को भेजूंगा कि तत्काल वहां के जिला पुलिस अधिकारी हैं, वहां के थाना इंचार्ज की भूमिका तथा इस कांड की सी आई डी द्वारा जांच कराई जाए। वहां पर जाकर उन्होंने पहले भी ऐसा ही कांड किया था। वहां पर इन लोगों ने बचाव में दौड़े तुलसी पर गोली चलाई। आज उन निरीह हरिजनों को कोई समने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करते हुए वहां के आदिवासियों का संरक्षण करें, वहां की जो उनकी बहु-बेटियां है जो आदिवासी हैं, उनकी रक्षा की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक दिन यह देश जल जाएगा। वहां पर जो तमाम लोग सर्विस करने जाते हैं, इन हरिजन आदिवासियों की आबरू लूटते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बलात्कारियों अत्याचारियों परिवार के लोगों के भी हाथ-पांव तोड़ दिए जाएं, इनके साथ भी यही सब हो तो उन्हें सबक मिलेगा। जो पीडित हैं उनको तत्काल हर सहायता दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे उत्पीडित परिवार के खाने-पीने की व्यवस्था करे, उनको अपेक्षित मुआवजा देने की व्यवस्था करे, और इस कांड के अपराधियों को गिरफ्तार करके तत्काल कारंवाई की जाए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह किसी पर्टिकुलर स्टेट का सवाल नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फिर से जो दलित है, आदिवासी हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके विरुद्ध घटनाओं में वृद्धि हो रही है और जो अपराधी है उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष जी, आपने इसी सदन में 16 घंटे तक चर्चा करवाई थी चुण्डूर की घटना के सम्बन्ध में और दस हजार लोग आज से कुछ दिन पहले वोट क्लब पर बैठकर चले गए। उनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि तमाम जितने कलप्रिटस थे, सारे के सारे कलप्रिटस को क्यों छोड़ दिया गया। यह 10 बजे दिन की घटना है। रेड्डी साहब यहां बैठे हैं। हमने सरकार से मांग की कि आप घटना की जांच सी बी.आई. द्वारा करवाएं। कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं हत्या की घटनाएं हो रही हैं और कहीं जिन्दा जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक आक्रोश का वातावरण पूरे देश में फैल रहा है मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कह रहा हूं। इसलिए यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है। भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा इसकी मानीटरिंग होती है। मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा और आग्रह करूंगा कि सरकार को कम से कम राज्य सरकारों को हिदायत देनी चाहिए। भारत सरकार को स्वयं इस सम्बन्ध मे दिलचस्पी लेनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है वहां कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जहां 22 दलितों की हत्या दिन-दहाड़े की गई हो और एक भी आदमी को सजा नहीं हुई हो, आपको मालूम है। इसलिए इसको गम्भीरता से लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस पर 113 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए सोनकर जी। आप जरा एक-एक करके बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

1.00 म.प.

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऐडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो हमारे पड़ोसी और मित्र देश अफगानिस्तान की स्थिति पर जो चिंता प्रकट की गई है, उसे मद्देनजर रखते हुए, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस सदन को अपने पास उपलब्ध सूचना से अवगत कराना चाहूंगा हालांकि उस पर बहस चल ही चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या बाहर के साथ ही ऐसा करना उचित नहीं होगा ? अभी क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही उचित होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे सब कुछ अनियमित हो जायेगा। मान लीजिए कि वह अपना बयान देते हैं; आप कुछ और कहना चाहते हो···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में जब हम विदेश मन्त्रालय पर ही बहस कर रहे हों इस तरह के मुद्दों पर बहस तभी बहस होनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम (पलामू) : अध्यक्ष जी, बिहार के पलामू जिले में, चंदवा प्रखण्ड के पीता ग्राम में दिनांक 12.4.199 को 8 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके नाम इस प्रकार हैं—देवज्ञानी उरांव—उम्र 50 वर्ष, उनका पुत्र बिरला उरांव—उम्र 30 वर्ष, कुंवर उरांव—उम्र 45 वर्ष, जयम उरांव—उम्र 45 वर्ष, पत्तू उरांव—उम्र 45 वर्ष, मंगल देव उरांव—उम्र 36 वर्ष, लखनदेव उरांव—उम्र 35 वर्ष, सरजू उरांव—उम्र 40 वर्ष। इन सभी लोगों को तेजधार के हथियार से, उनके हाथ पीछे की तरफ बांध कर, काट दिया गया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार कानों में तेल डालकर सो रही है और आज तक आदिवासी हरिजनों की रक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसी सरकार को, केन्द्रीय सरकार अविलम्ब बर्खास्त करे, यह मेरी मांग है।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक साथी मोहन

सिंह जी ने जो कुछ यहां कहा, मैं भी अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूं और मैंने भी इस सम्बन्ध में नोटिस दिया था। जनपद देवरिया के हालात यह है कि वहां सबसे गरीब लोग बसते है, सबसे गरीब इलाका है और अधिकांश लोग फूंस के मकानों में या झोंपड़ियों में रहते हैं।

1.02 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आपको आश्चर्य होगा कि आज तक कभी यह देखा नहीं गया कि मामूली खाना पकाने की वजह से सारे गांव कैसे जलते जा रहे हैं। पचासों आदमियों की इस तरह जलने से मृत्यु हो चुकी हैं। वहां राज्य सरकार की ओर से 1750 रुपये घर जल जाने पर और 10 हजार रुपये मरने वालों के परिवार को सहायता के तौर पर दिये जाते हैं। अब तक पचासों आदमी वहां मर चुके हैं परन्तु हालात में इस तरह से सुधार नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से, भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत सरकार ने पहले एक योजना बनायी थी, गरीब लोगों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में, सरकार उन्हें मकान बनाकर देगी, जिनकी लागत लगभग 6 से 8 हजार रुपये तक होगी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग हमारे यहां फूंस के मकानों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए आधा रुपया अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार दे और आधा रुपया स्टेट गवर्नमेंट दें जिससे कि उनके लिये फूंस के मकानों के स्थान पर, पक्का मकान बनाया जा सके। इससे भविष्य में आग लगने की घटनाओं से बचा जा सकता है क्योंकि अब तक सैंकड़ों गांव इस तरह जल गये हैं, पचासों लोग मर गये हैं। आये दिन जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उससे स्थिति बहुत भयावह हो गयी है। इसलिये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, घर निर्माण के लिये, भारत सरकार अपनी तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, पक्के मकान बनाने के लिए, छोटी सी पक्की कोठरी बनने के लिये अनुदान दे, यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे पिछले चुनाव क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, दि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने का अंदेशा है। यह एक मुख्य इकाई है जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा निजी और लघु क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भारी बल्क औषधियां मुहैया कराती है।

इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में टी.बी., मलेरिया कुष्ठ आदि जैसी गम्भीर बीमारियों की इलाज हेतु जीवन-रक्षक दवाओं और परिवार-नियोजन आदि से सम्बन्धित दवाओं का निर्माण होता है। इसमें दवा बनाने वाली निजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आपूर्ति के लिए कच्चा माल भी तैयार किया जाता है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, इसे इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल आदि जैसे दूसरे उद्योगों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। दवा के मूल्यों का निर्धारण रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और वह मूल्य आई.डी.पी.एल. के लिए लाभप्रद नहीं है। दवाओं के मूल्यों का निर्धारण आई.डी.पी.एल के द्वारा नहीं होता है।

इन परिस्थितियों में इस कम्पनी का बी.आई.एफ.आर. को निर्देशित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह इसके सभी तरह के वित्तीय अनुदानों और कार्यक्रमों को बन्द करने की दिशा में पहला चरण होगा और अन्ततः आई.डी.पी.एल. कारखाने को बन्द करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कारखाने के बन्द होने से इसके अत्यधिक कुशल कर्मचारी बड़े पैमाने पर छटनीग्रस्त हो जायेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार आई.डी.पी.एल. को चल पूंजी के रूप में समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। ऐसे आवश्यक उद्योग का लाभ पर चलना ही अनिवार्य नहीं है। खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण की तरह ही यह स्वास्थ्य सहायता का सार्वजनिक वितरण है। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के कामगार अपना पूर्ण सहयोग देने हेतु आपसी विश्वास के ज्ञापन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सरकार बी.आई.एफ.आर. जांच की बात छोड़कर इस उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिये समुचित अनुदान दे।

———

1.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री कमलनाथ की ओर से पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1800/92]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा)। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गया। देखिए संख्या एल. टी. 1801/92]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्रीमती डी.के. ताराादेवी सिद्धार्थ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1802/92]

(3) (एक) भारतीय दन्त परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दन्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1803/92]

1.07 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं नागर विमानन मन्त्रालय-इंडियन एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन (9वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.07-1/2 म.प.

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पी.वी.सी. पर आयात शुल्क बढ़ाकर अन्य पोलीमर वस्तुओं के बजट पूर्व आयात शुल्क के समान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. अनुबकाडो आदित्यन (तिरुचेन्दुर) : पी.वी.सी का उत्पादन करने एकक, भारत में ऐसे प्रमुख एकक है जो हमारे देश में हजारों लोगों को रोजगार देते है। निर्वाचन क्षेत्र मे, केवल डी सी. डब्ल्यू (दरगदरा के मकल्स वर्क्स) ही एक ऐसा प्रमुख उद्योग है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से भी अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। वे इस उद्योग के विस्तार की योजना बना रहे हैं जिससे लगभग 1000 और लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चालू वर्ष के बजट मे, पी.वी.सी. पर आयात शुल्क में 40 प्रतिशत की कमी की गई है, जबकि अन्य पोली-मर वस्तुओं पर आयात-शुल्क में कोई परिवर्तन नही किया गया है। आयात-शुल्क में इस 40 प्रतिशत कटौती के परिणाम स्वरूप व्यापारिक घरानों ने अधिक मात्रा में पी.वी.सी. का आयात किया है जिससे देशी कम्पनियां, विशेषकर डी.सी.डबल्यू पर बुरा प्रभाव प्रभावित पड़ा है जहां तीन महीनों से भी अधिक समय तक का स्टाक जमा हो गया है और बाद यही स्थिति रही तो कम्पनी को बन्द होने की स्थिति मे पहुंच जायगा। पी.वी.सी पर आयात-शुल्क घटाने से विदेशी व्यापार घरानों और और भारत मे स्थित उनके एजेन्टों को, देशी एकको के सुचारू रूप से चल रहे काम करने को हटाने पहुँचाते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। पी.वी.सी. पर आयात-शुल्क को घटाने के बाद, देशी वस्तुओं की कीमत, आयातित वस्तुओं की कीमत से 2000 रुपये प्रति टन कम हो गई है, जो कि देशी एककों के सुचारू रूप से चलने में बहुत ही बाधक है।

वाणिज्य मंत्रालय और पेट्रो रसायन मंत्रालय द्वारा पी. वी. सी. पर आयात-शुल्क को बढ़ाकर इस बजट पूर्व स्तर पर लाने संबंधी सिफारिशें किये जाने के बावजूद, वित्त मंत्रालय द्वारा, राजस्व प्रस्तावों के नाम पर पी. वी. सी. का उत्पादन करने वाले देशी एककों के हितों की रक्षा करने में विलम्ब किया जा रहा है। यह प्रसंगानुकूल है कि सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विकासित देशों ने सस्ती कीमतों पर भारत में पी. वी. सी. के ढेर जमा किये हैं

जबकि उन देशों में इसका विक्रय मूल्य, भारत की आयात मूल्य की तुलना में दुगने से भी अधिक है। अतः मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि पी. वी. सी. पर आयात-शुल्क को बढ़ाकर इसे अन्य पोलीमर वस्तुओं के बजट पूर्व आयात-शुल्क के समान किया जाए।

(दो) एक समन्वित प्राधिकरण के अधीन एक अल्पकालीन 'ताजमहल नवीकरण परियोजना' तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री के. वी. तंग्का बालू (धर्मपुरी) : ताजमहल का समुचित रख-रखाव न होने के कारण विश्व भर से पर्यटकों का यहां आना कम हो गया है। समझा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, विभाग आगरा नगरपालिका तथा आगरा छावनी बोर्ड मुगलकालीन इस स्मारक की ख्याति घटाने के लिए उत्तरदायी है। वहां पर पेयजल तथा हाट बाजार की सुविधा की कमी है। यहां तक कि वहां अच्छा भोजन भी नहीं मिलता है। वह इलाका कूड़े-कचरे से भरा हुआ है और वहां पर खोमचे वाले तथा भिखारियों की भीड़ रहती है। वहां मार्ग दर्शक चौकियां भी नहीं है। अमर प्रेम का यह स्मारक आसपास के कारखानों से निकालने वाले प्रदूषकों, विशेषतः गन्धक युक्त प्रदूषकों के कारण पीला पड़ता जा रहा है। पर्यटन, रेल, रक्षा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों जो कि इसके प्रति सामूहिक रूप से संबंधित है, वे पेयजल, साफ-सुथरी सड़कों, स्वच्छ रेलवे स्टेशन, पार्किंग स्थलों और अच्छे होटलों की सुविधाओं को उपलब्ध कराने जैसे मामलों में और उस स्थान से खोमचे वालों को भिखारियों और बदमाशों को खदेड़ने के मामले में एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालने की कोशिश कर रहे हैं ताजमहल के गुम्बदों और मीनारों की सतहों की सुषमा को अभी भी परिरक्षित किया जा सकता है बशर्ते कि वहां से 30 किलोमीटर तक की परिधि के भीतर आने वाले सभी उद्योगों पर सांविधिक प्रतिबंध लगाया जाए। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक समन्वित प्राधिकरण के अधीन अल्पकालीन 'ताजमहल नवीकरण परियोजना' नामक एक अभ्यावेदिफेरी योजना तैयार करके उसे कार्यान्वित किया जाये।

(तीन) त्रिवेन्द्रम के निकट नेमोन रेलवे स्टेशन पर सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए एक वर्कशाप कार्यशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत त्रिवेन्द्रम में एक रेल डिब्बा मरम्मत यार्ड प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव था और इसके लिए नेमोन रेलवे स्टेशन के निकट ही आवश्यक भूमि का अधिग्रहीत कर लिया गया था। हालांकि भूमि को अभिगृहीत किए कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन यह परियोजना अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई है। क्योंकि वह भूमि खाली पड़ी हुई थी और उस पर अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की भी संभावना थी, इसलिए उसका उपयोग अस्थायी रूप से सामाजिक वानिकी के लिए किया गया। इस परियोजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब होने के परिणाम स्वरूप, स्थानीय जनता में रोष व्यक्त है। केरल में, केन्द्रीय निवेश का प्रतिशत सबसे कम है, एक प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में यह अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री कृपया इस मामले पर ध्यान दें ताकि नेमोन में रेल डिब्बा मरम्मत यार्ड और अधिक विलम्ब किए बिना प्रारम्भ किया जा सके।

(चार) एच. बी जे. पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु उत्तर प्रदेश को आशय-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : भारत सरकार ने 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन को एच. जे. बी. पाइप लाइन से प्राकृतिक गैस देने का वायदा किया था। एच. जे. बी पाइपलाइन से कारपोरेशन को कानपुर, इटावा, बरेली, खुर्जा गाजियाबाद एवं शिकोहाबाद, फीरोजाबाद, आगरा, मथुरा सहित ताज ट्रोपोजियम क्षेत्र में गैस पाइप लाइन डालकर इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध करानी थी जिससे इन क्षेत्रों के उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके, बिजलीघर बनाए जा सकें, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिल सके तथा आगे औद्योगिक विकास हो सके।

उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कारपोरेशन ने डेनमार्क सरकार की एक कम्पनी "डेविडा" के सहयोग से परियोजना की संभावना रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना रिपोर्ट के आधार पर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपए का ऊर्जा भी डेनमार्क सरकार ने दो वर्ष पूर्व स्वीकृत कर दिया है जिसका गैस की स्वीकृति के अभाव में उपयोग नहीं हो सका है। डेनमार्क सरकार इस परियोजना के लिए आवश्यक धन देने को तैयार है। डेनमार्क सरकार के उद्योग व ऊर्जा मंत्री ने दो मार्च को आगरा में भ्रमण के दौरान ऐसा बताया। गैस नहीं मिलने के कारण यह परियोजना खटाई में पड़ गई है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को इस गैस परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की सहमति पत्र अविलम्ब जारी किया जाए तथा डेनमार्क सरकार को तदनुसार अवगत कराएं ताकि परियोजना पर तेजी से काम हो सके।

(पांच) हिमाचल प्रदेश के कुछ कस्बों में कम शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दिखाई नहीं देते क्योंकि बहुत से गांव ऊंची पहाड़ियों के पीछे बसे हैं, चूंकि वहां पर ट्रांसमीटर नहीं लगे होते, इसलिए इन पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। सरकार बार-बार यह घोषणा भी करती रही है कि उसकी नीति पहाड़ी, पिछड़े क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाने की है। परन्तु बार-बार लिखने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, ऊना, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा आदि जिलों में उपयुक्त स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटर्स नहीं लगाए गए हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि निम्नलिखित स्थानों पर तुरन्त एल. पी. टी. (कम शक्ति के ट्रांसमीटर) केन्द्र स्थापित किए जाए :—

1. हमीरपुर जिला के सुजानपुर कस्बे के ऊपर टीहरा में।

2. ऊना तथा हमीरपुर जिलों की सीमा पर उपयुक्त स्थान पर सोलह सिंगी धार पर।

3. हमीरपुर और मंडी जिलों की सीमा पर पकाह देवो में।

4. कांगड़ा में आशपुरी तथा खुड़ियां में।

5. मन्डी जिला में रिवालसर के ऊर।

6. बिलासपुर में नयना देवी के पास।

(छः) बिहार में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा ही नहीं वरन वहां की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उत्पादन का लक्ष्य तथा उपलब्धि दोनों अपने आप में इसके विभिन्न स्थिति के द्योतक हैं। इससे छोटे राज्यों हरियाणा, पंजाब जो कोयला उत्पादक नहीं है कि स्थिति इससे कहीं बेहतर है। अनुमानित क्षमता बिहार के लिए 4438 तथा उपलब्धि 2971 मेगावाट पिछले वर्ष की थी। वहीं दिल्ली का अनुमानित लक्ष्य 6440, हरियाण का 3510 तथा पंजाब का 0118 मेगावाट था। इसी प्रकार यदि हम देश के अन्य सभी राज्यों के विद्युत उत्पादन के अनुमानित तालिका की ओर ध्यान दें तो बिहार के जैसी विपन्न स्थिति अन्य किसी राज्य की नहीं है। कोयला उत्पादक में प्रथम स्थान पर होने वाले इस राज्य को विद्युत उत्पादन की स्थिति में यह विषमता अवश्य ही हास्यास्पद दिखती है। आज हकीकत यह है कि बिहार की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी अंधेरे में रहती है तथा विद्युत के अभाव में कल-कारखानों की स्थापना नहीं हो पाती। जो है भी राज्य उनमें भी सही उत्पादन नहीं हो पाता है। इन कारणों से बिहार राज्य निरन्तर पिछड़ता जा रहा है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करती हूं कि गैस आधारित विद्युत उत्पादन को कम से कम दो इकाइयों की अविलम्ब स्थापना कर बिहार को विद्युत उत्पादन में पूर्ण सक्षम बनाये।

(सात) बिहार के जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में योजना के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए पढ़े-लिखे युवक जो बेकारी के शिकार हैं, उनके लिए स्वःनियोजन योजना पूरे देश में चला रही। बिहार राज्य के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में स्वःनियोजन योजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के इच्छानुसार योजना स्वीकृत की जाती है लेकिन बैंक के अधिकारीगण नियम को तोड़ कर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को नकद भुगतान करते हैं जिसके चलते उद्योग जमीन पर खड़े नहीं हो पाते हैं। वे घरेलू खर्च में चले जाते हैं जिसके कारण बेकारी में कमी न होकर बढ़ोतरी होती जा रही है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में स्वःनियोजन योजना एक परसेंट भी नहीं खड़ी हुई है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच केन्द्रीय टीम भेजकर कराये तथा बीमारी का पता लगाया जाये तथा उसका इलाज कठोर से कठोर कदम उठाकर किया जाए।

(आठ) स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रा सेनानियों

के लिए प्रारम्भ में 500 रुपये प्रति मास की पेंशन निर्धारित की गई थी जो समय के साथ बढ़ाकर 750 रुपए प्रति मास कर दी गई। स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन में यह वृद्धि उनकी देश की आजादी के प्रति सेवाओं की स्वीकृति और उनके सम्मान का संकेत थी।

अब चूंकि महंगाई पुनः काफी बढ़ गई है और इस अल्प राशि में उनका जीवन यापन सम्भव नहीं है। अतः उसमें और अधिक वृद्धि करके उसे न्यूनतम 1250 रुपए करने का मैं अनुरोध करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये सभी स्वतन्त्रता सेनानी चूंकि इतने वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं कि उनके लिए जीवन यापन का और कोई साधन सम्भव नहीं है। अतः यह वृद्धि अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समाज सेवियों एवं अन्य लोगों को प्रदान की जाने वाली राशि तथा पुरस्कारों आदि की राशि में वृद्धि की दृष्टि से भी स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गहराई से शीघ्र ही विचार किया जाये।

1.20 म. प.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री गोविन्दचन्द मुण्डा ?

श्री गोविन्दचन्द मुण्डा (क्योंझर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन को मेरे प्रश्न स्वीकार्य नहीं है। इस समय कई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।

मैंने कई प्रश्नों की सूचना दी थी लेकिन अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया, क्यों ? तारांकित या अतारांकित एक भी प्रश्न स्वीकार नहीं हुआ, मैं प्रश्न पूछने की कोशिश कर हूं। क्या मुझे संसद में एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ? मैंने बहुत प्रश्नों की सूचना दी थी लेकिन आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया स्पीकर साहब से मिलिए।

[अनुवाद]

श्री गोविन्दचन्द मुण्डा: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, वह केवल ये कहते हैं कि "आप वरिष्ठ सदस्य हैं।"

[हिन्दी]

सीनियर मैम्बर मर जायेगा क्या ? मरता है तो मरने दो, हम नहीं आयेंगे, पार्लियामेंट में।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्रीगोविन्दचन्द्र मुण्डा : कृपया इस पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब भोजनावकाश के लिए 2.25 म. प. पर फिर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.20 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.30 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.30 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगे (सामान्य) १९९२-९३-जारी

विदेश मंत्रालय-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास अब दो घण्टे पचपन मिनट का समय शेष बचा है तथा हमने तीन घण्टे पांच मिनट समय का उपयोग कर लिया है। बोलने वालों की सूची काफी लम्बी है। जिन सदस्यों को बोलने का अवसर मिले वे कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री जसवंत सिंह (चित्तोडगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक दो स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। पहला नागालैंड को पर आज चर्चा करने का निर्णय लेने के बारे में, यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था जिसका मैं भी सदस्य हूं। परिणामस्वरूप विदेश मंत्रालय और उसकी अनुदान मांगों पर चर्चा का नुकसान हुआ है। 3.00 म. प. पर इस संवैधानिक संकल्प पर विचार किया जाना है। हमने विदेश मंत्रालय पर चर्चा के के लिए आबंटित समय में से लगभग आधा समय व्यर्थ में ही गंवा दिया है। विदेश मंत्रालय से संबंधित दो मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। पहला यह कि सरकार द्वारा दिया गया यह आश्वासन कि वह भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन दूसरो के संबंध में एक वक्तव्य देगी। यदि सदन को यह सूचित कर दिया जाए कि क्या यह वक्तव्य देगी। यदि सदन को यह सूचित कर दिया जाए कि क्या यह वक्तव्य आज दिया जाएगा या इसे कल तक दिए जाने की संभावना है तो इससे इस मामले में सुविधा रहेगी क्योंकि नागालैंड पर चर्चा 8.00 म. प. तक चलने की संभावना है। दूसरा प्रश्न वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने का है क्योंकि इससे इन मामलों में सुविधा होगी तथा इससे पार्टियों को अपने सदस्यो को संगठित करने और उनकी बेहतर उपस्थिति में सहायता मिलेगी। बेहतर होता यदि हमें यह बताया जाता कि क्या प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तथा वह यह हस्तक्षेप कब करेंगे। स्वाभाविक ही है कि यह कल होगा। हमें यह जानना चाहिए कि कल यह चर्चा किस समय समाप्त होगी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : महोदय, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे तथा सदन में कल और आज उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। परन्तु संभवतया कल। आज नहीं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि वे यूनियन कार्बाइड के श्री एण्डरसन के प्रत्यर्पण के बारे में वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संबंधित विषय पर ही बोलें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया था कि सरकार श्री एण्डरसन के प्रत्यर्पण के बारे में एक वक्तव्य देगी। हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने उस पर क्या कारवाई की है। दूसरी बात है कि नागालैंड के सम्बन्ध में मतदान कब करवाया जाएगा? क्या मतदान आज करवाया जाएगा या कल?

उपाध्यक्ष महोदय : देखते हैं। हमारे पास कुछ समय है। अब मैं श्री सुधीर सावंत को बुलाता हूं।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

कल चर्चा के दौरान श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि विदेश नीति अपना महत्व खो बैठी है। श्री जसवंत सिंह जैसे अन्य माननीय सदस्यों ने टिप्पणी की था कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट पुरानी है। इसे रद्दी की टोकरी से उठाया गया है। अब मैं भी श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात से सहमत हूं। विदेश नीति बिना मस्तूल का जहाज है। परन्तु मैं सहज में ये बात मान सकता हूं कि रिपोर्ट पुरानी हो सकती है। परन्तु आपको यह देखना चाहिए कि इसके पुरानी होने के क्या कारण हैं। वह पृष्ठ भूमि क्या है जिसमें यह रिपोर्ट तैयार की गई है? ये चीज हमें देखनी है।

पिछले तीन वर्षों में हमने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते देखे हैं और इस अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का कर्णधार कौन था? यह महत्वपूर्ण है। जून 1991 में व्याप्त स्थिति महत्वपूर्ण है। जून, 1991 में इस तरह की स्थिति थी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि बहुत धूमिल थी। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में भारत की छवि इतनी धूमिल कभी नहीं रही।...(व्यवधान)...तत्कालीन सरकार के डेढ़ वर्ष के शासन के दौरान शासन व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कुप्रबंध के कारण इस देश की साख पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात काफी कुछ हो चुका है। जून, 1991 में क्या नतीजा निकला? यह सुदृढ़ीकरण था। देश के प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण जो व्यापक बनाया गया था क्योंकि बिना इसके हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, बिना इसके हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस सब के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय छवि और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध क्या है? वे रातों रात नहीं बदलते हैं। इसमें समय लगता है। किसी के भी पास ऐसी जादुई शक्ति नहीं है जो हालात बदल दे या जो थोड़े ही समय के अन्तर्गत नतीजे दे-दे। पिछले 11 महीनों के दौरान सरकार के पास सुदृढ़ीकरण प्रदान करने का कार्य था तथा विदेश नीति में कोई परिणाम सामने लाने के लिए यह अवधि बहुत कम थी।...(व्यवधान)...

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : आपके दल के क्या निर्देश है ?

श्री सुधीर सावंत : मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। मुझे बोलने दें। सब कुछ होते हुए भी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्थायित्व का मूल अवयव है। केवल शक्ति होने से ही आपके विचारों पर अनुक्रिया होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी बात तभी सुनेगा जब आपके पास शक्ति होगी। इसीलिए आज हमें निम्न स्तर से उठना होगा। हमें जवाहरलाल जी, इन्दिरा जी और राजीव जी के समय का स्मरण करना होगा जब विश्व तनमयता से भारत की बातों को सुनता था।

कुछ भी हो, राष्ट्रीय हितों या उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश नीति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्देश्य क्या है ? राष्ट्रीय उद्देश्यों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।...(व्यवधान) कुछ भी हो राष्ट्रीय उद्देश्यों का महत्व है उद्देश्य क्या है ? हमने भारत को एक प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने का संकल्प लिया है, हमने 21वीं शताब्दी में भारत को अद्वितीय बनाने का संकल्प लिया हुआ है। यह हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सभी संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए तथा तदनुसार ही हम नीति बनानी चाहिए। हमारे कार्यक्रम इस ध्येय की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। आज की परिस्थितियों में अत्याधिक एकता दर्शाने की आवश्यकता है। सौभाग्य से आज हमारे पास नेता है, ऐसा नेता जो हमें अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकता है और हमें 21वीं शताब्दी की हमारी मंजिल की ओर ले जा सकता है। क्या हमारे पास कोई अन्य बेहतर नेता है। मुझे तो नहीं दिखता। इन्द्रजीत जी यहां पर मौजूद नहीं है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति बिना पतवार के जहाज के समान नहीं है। इसके सुस्पष्ट दिशा निर्देश हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमें अपना ध्यान छोटे मुद्दों की अपेक्षा बड़े मुद्दों पर अधिक केन्द्रित करना होगा। 'तीन बीघा' क्या है ? यह एक गौण मुद्दा है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध क्या है या इजराइल को मान्यता देने के बारे में क्या बात है। ये सब छोटे मुद्दे हैं। हमें बड़े मुद्दों पर ध्यान देना होगा। उन सभी कारकों की ओर ध्यान देना होगा जो कि आने वाले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में कार्यसूची निर्धारित करेंगे और वो भी उस समय जब हम 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। किसी समय ऐसा भी लग सकता है कि हमने पश्चगामी कदम उठाए हैं। यह संभव है। परन्तु जब हमने एक बार उद्देश्य बना लिया है, नीति या कार्यक्रम बना लिया है तो किसी समय कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है जैसा कि युद्ध के समय हम युद्ध जीतने के लिये छोटी-मोटी लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। विदेश नीति के लिए यह चीज नितान्त आवश्यक है। वे कारक कौन से है जिन्हें मैं बड़े मुद्दे समझता हूँ ? उनमें से पहला है आर्थिक घटक और दूसरा है कट्टरवाद जो आने वाले समय में राष्ट्रों के व्यवहार को नियन्त्रित करेगा। व्यवहार का तरीका एक घटक का दूसरे घटक पर सर्वोच्चता पर निर्भर करेगा। इसीलिए हम विदेश नीति के मामले में अवांछ्य या कठोर दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। हमारी विदेश नीति में आवश्यक रूप से लचीलापन होना चाहिए क्योंकि भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यवहार का तरीका नग्न व्यावहारिकता और सरासर अवसरवाद से नियंत्रित होगा। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण में लचीलापन रखना होगा। आर्थिक स्तर पर क्या हुआ है ? विकसित देशों की विदेश नीति भविष्य में घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसा हमेशा किया गया है। विदेश नीति निर्धारण में कार्य व्यवस्था ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परन्तु द्रुत तकनीकी विकास के कारण आज यह और भी सुसंगत पहलू बन गया है। विकसित देशों में अधिकाधिक कामगार बेकार हो रहे हैं। इसलिए यह देश उत्पादन बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए मांग और बाजार भी ढूंढ़ना पड़ेगा। उनके घरेलू बाजार में पहले ही परिपूर्णता की स्थिति में पहुँच चुके हैं, इसलिए उनको अपने उत्पादन की खपत के लिए अन्यत्र बाजार की तलाश करनी पड़ेगी। उन्हें भारत और चीन से अच्छा बाजार और कहां मिल सकता है जो कि विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए विकसित देशों की विदेश नीति भारत में आर्थिक प्रभुसत्ता स्थापित करने की होगी। इसमें हमें कोई शंका नहीं है। मैं लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब हम भारत और अमरीका का उल्लेख करते हैं तो उन्हें विश्व के दो महान लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? परन्तु अमरीका का भारत से निरन्तर टकराव क्यों रहा है? यह लगातार पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता आ रहा है? मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा? तर्कसम्मत दृष्टि से देखा जाये तो भारत के साथ समझौता तथा सहयोग करने के अतिरिक्त पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है। फिर भी यह भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर है। वह भारत-विरोधी प्रचार आरम्भ कर रखा है। इसने पंजाब तथा कश्मीर में भारत विरोधी तत्वों का समर्थन किया है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर पाकिस्तान अमरीका के हाथों में कठपुतली है मैक्रो कारक अथवा इस बाजार मे प्रभुत्व स्थापित करने के आर्थिक कारण से इसे सदैव भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रयोग किया गया। यही इसका मूल कारण है।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार लाना चाहिए यह एक अच्छा विचार है। परन्तु पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की अनुमति कौन देगा? पाकिस्तान पर एक तिकड़ी का शासन है। सबसे पहली महत्वपूर्ण शक्ति वहाँ पर सेना है। सेना का हमेशा ही पाकिस्तान में प्रभुत्व रहा है। सेना प्राकृतिक तौर पर कड़ा रुख अपनाये हुए है। इसकी संप्रभुता द्वन्द्व तथा टकराव पर ही टिकी हुई है। इसीलिए भारत के प्रति टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

समय का दूसरा पहलू जिया-नीति है। जिया को सदैव किसका समर्थन प्राप्त होता रहा? अमरीका ने ही जिया का हौसला बढ़ाया। यह किस प्रकार हुआ? जिया ने जानबूझ कर नशीले पदार्थों के व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें अफसरशाही, राजनीतिज्ञों तथा सेना ने विभिन्न मतों का समर्थन किया। नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों से उनके गहरे सम्बन्ध हैं। यह एक तथ्य है कि उनकी सारी सेना अमरीका से वेतन प्राप्त करती है। यही बात 'पैंटागन' के दस्तावेजों में भी कही है तथा इसीलिए टकराव की स्थिति बनी हुई है। यद्यपि पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने की हमारी हार्दिक इच्छा है, फिर भी जिन कारणों का मैं उल्लेख कर चुका हूं, उनके कारण ऐसा संभव नहीं होने दिया जा रहा है। पाकिस्तान की मजबूरियां भारत को दूसरे गुट में जाने के लिए बाध्य कर रही है। आज भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। अमरीका के मामले में भारत को विकसित देशों के संदर्भ मे साहसिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरे गुट से हैं। विकासशील देशों को भारत का सुदृढ़ करना पड़ेगा तथा यही समाज की प्रमुख मांग है।

दूसरा पहलू कट्टरवाद का है। कट्टरवाद चाहे हिन्दुओं में हो या मुसलमानों में या इसा-

इयों में विकास के सिद्धान्त के विपरीत है तथा इसका मुकाबला करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए परन्तु ऐसे कुछ शासक, राजनैतिक गुट हैं जो कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है तथा भविष्य में कट्टरवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा करेगा तथा इसलिए आर्थिक तथा कट्टरवाद के दो पहलू भविष्य का दिशा निर्धारण करेंगे। आज भारत क्या है ? भारत का कहां पहुंचना है ? पहले भारत को दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाना होगी। भारत को विकासशील देशों में एकता स्थापित करनी होगी तथा उन्हें नेतृत्व प्रदान करना होगा। विकसित देशों के लिए विकासशील देशों के पास जाने तथा उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अब मैं फिर अमरीका से तापखाने के लिए तोपों की खरीद के विषय पर आता हूं। मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने तोपें खरीदने का सौदा स्वीकार नहीं किया क्योंकि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि प्रभुत्व स्थापित करता है, क्योंकि विकसित देश दो क्षेत्रों में ही अपना प्रभुत्व कर सकते हैं। एक है आर्थिक क्षेत्र तथा दूसरा रक्षा क्षेत्र। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने कभी भी किसी महाशक्ति के साथ संयुक्त अभ्यास नहीं किया इसका क्या कारण रहा ? क्योंकि रक्षा संबंधी मामलों में मनोवैज्ञानिक तत्व की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अगर हम अपने नाविकों तथा कनिष्ठ अधिकारियों को विदेशियों की छत्रछाया में अभ्यास करने का अवसर देंगे तो उससे उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की काफी संभावनाएं बन जाती हैं। आखिरकार, हमारी नौसेना 'ब्राउन वाटर' नौसेना है, 'ब्लू वाटर' नौसेना नहीं हमारी नौसेना को आर्थिक क्षेत्र की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अन्य देशों की सुरक्षा का नहीं, इसलिए उसकी अमरीकी नौसेना से कोई समानता नहीं है। फिर यह संयुक्त अभ्यास क्यों ?

जहां तक प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। हम रक्षा के क्षेत्र में इस विषय पर सहयोग कर सकते हैं। मैं उस सम्बन्ध में बात नहीं कर रहा परन्तु हम अपने आपको किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं बना सकते क्योंकि भारत के पास साधन उपलब्ध हैं। भारत ईराक नहीं है, अपनी रक्षा तथा दुनिया की किसी भी शक्ति का मुकाबला करने के लिए भारत के पास मानव शक्ति उपलब्ध है तथा इसीलिए हमें अपने आपको किसी के अधीन अथवा रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में किसी की संप्रभुता स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारा दृष्टिकोण सदैव स्वतन्त्र होना चाहिए।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन आज भी प्रासंगिक है परन्तु 'गुट निरपेक्ष' शब्द अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि महाशक्तियां समाप्त हो गई हैं, शीत युद्ध समाप्त हो गया है, परन्तु गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य आज भी प्रासंगिक हैं। इन्दिरा जी ने अपने शिखर सम्मेलन के दौरान भाषण में स्पष्ट कहा था कि आर्थिक विकास गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है तथा इसीलिए हमें विकासशील देशों को सुदृढ़ बनाना होगा तथा विकसित देशों का सामना करना होगा। अभी पिछले दिनों पर्यावरण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। हमें हार नहीं माननी चाहिए, तीसरी दुनिया की आवश्यकताओं को हमें अपने सामने रखना होगा तथा तीसरी दुनिया के देशों को नेतृत्व प्रदान करना होगा।

'सार्क' के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत की महत्वपूर्ण स्थिति तथा बड़े आकार के कारण हमारे पड़ोस के छोटे-छोटे देशों को इसके प्रति शंका पैदा होना स्वाभाविक है इसलिए

हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम उनमें एक विश्वास की भावना पैदा करें कि भारत उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता तथा इसीलिए 'तीन बीघा' सम्बन्धी समझौता किया गया, इन तरीकों से हम अपने पड़ौसियों में विश्वास की भावना जागृत कर सकते हैं।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि जब तक वहां वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना नहीं हो जाती हम उसके साथ सम्बन्धों में सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते। स्पष्टतः वह अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। परन्तु हम सिन्ध, तरन तारन, दक्षिण पंजाब अथवा बलूचिस्तान की जनता की भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान को यह चेतावनी निश्चय ही जानी चाहिए कि यदि उसने भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप जारी रखा तो भारत भी ऐसा ही करने के लिए बाध्य होगा और वहां की लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित करेगा। यह सन्देश पाकिस्तान तक अवश्य पहुँचना चाहिए।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमें चीन के साथ अपने मतभेदों को दूर करना होगा। वर्ष 1047 में चीन और भारत में हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा बुलन्द था। लेकिन 1962 में क्या हुआ? हम पर युद्ध क्यों थोपा गया? ऐसा इस सम्माननीय सभा में आलंकारिक शब्दों के प्रयोग के कारण हुआ है। उस समय महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था? चीन ने सिकियांग को तिब्बत से जोड़ते हुए एक सड़क का निर्माण किया था। वे चर्चा के लिए तैयार थे और हम भी चर्चा के लिए तैयार थे। लेकिन इस सभा में आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अथवा उनके दलों ने यह कहा कि अपने जीते जी हम अपने भू-भाग का एक इंच भी चीन को नहीं देंगे। इसी कारण नेहरू जी चीन के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य हो गये क्योंकि हमने मांग की थी कि यथावत स्थिति बहाल हो जाने पर ही अर्थात चीन द्वारा वापस हट जाने पर ही चर्चा शुरू होनी चाहिए। लेकिन चीन यह मांग कर रहा था कि स्थिति जिस प्रकार है उसी में चर्चा शुरू की जानी चाहिए। इसी कारण हमें इस राष्ट्र की सीमाओं पर हजारों सैनिकों को न्योछावर करना पड़ा था। यह एक वास्तविकता है जिसे दसवीं लोक सभा को महसूस करना चाहिए। जहाँ तक विदेश नीति का सम्बन्ध है हमें आलंकारिक भाषा से दूर रहना चाहिए। सीमा सम्बन्धी मुद्दा इस प्रकार का प्रमुख मुद्दा नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता है। आखिर मैक मोहन रेखा का निर्धारण किसने किया है? आखिर इस सीमा का निर्धारण कैसे हुआ? यह गहन अध्ययन का विषय है। जहाँ तक सीमा सम्बन्धी मुद्दे को निपटाने का सम्बन्ध है इस सभा के सभी दलों को मिलाकर एक समिति नियुक्त की जा सकती है जो इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करे और एक बार सीमा सम्बन्धी मुद्दा निपट जाने पर भारत और चीन विश्वास पूर्वक एक साथ मिल कर विकास का कार्य कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जन शक्ति है और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं और आवश्यकरूप से यही समय की मांग है।

निष्कर्षतः मैं यह कहना चाहूंगा कि हम समय के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, एक बार फिर हम भाग्य के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां दसवीं लोक सभा के सदस्यों को भावी पीढ़ियों को जवाब देना होगा। भावी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि समस्या के समाधान हेतु हमने क्या कदम उठाया है, अपनी विदेश नीति के संबंध में हमने आगे क्या कदम उठाया है, 21वीं सदी में प्रवेश हेतु हमारे क्या कार्यक्रम है। सौभाग्यवश

नरसिंहराव जी के रूप में हमें बहुत ही योग्य नेता मिला है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचायेगें तथा हम सभी को पुनः विदेश नीति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने का सकल्प लेना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

श्री पो. जी. नारायण (गोबिचेटिटपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि हम विदेशी मामलों पर और विशेष रूप से अपनी विदेश नीति जिसे औपचारिक रूप में गूट निरपेक्ष नीति कहा जाता है, की चर्चा कर रहे हैं।

यद्यपि आंतरिक नीतियों के सम्बन्ध में हम बहुत ही अधिक मतभेद है लेकिन विदेशी मामलों के सम्बन्ध में आम सहमति और व्यापक सहयोग है। पूरे विश्व में हमारी विदेश नीति की प्रशंसा की जाती है और इससे हमें भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायता मिली है।

अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक द्रविण मुनेत्र कडिगम दल की ओर से मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जबहमने स्वतन्त्रता प्राप्त की उस समय विश्व दो खेमों में बंट चुका था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरु जी ने 1947 और 1960 के बीच गुटनिरपेक्षता की नीति तैयार की। इस अवधि के दौरान 0 से अधिक देश स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुके थे। अनेक उपनिवेश थे। सभी स्वतन्त्रता संग्राम में भारत ने नैतिक और राजनीतिक रुप से इन देशों की सहायता की है। भारत की तटस्थता सकारात्मक तटस्थता थी अर्थात हमने सही बात का समर्थन किया और गलत का विरोध यह नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी और इससे भारत को वाहवाही मिली। इसी प्रक्रिया में भारत सोवियत संघ का नजदीकी बन मित्र गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो।

———

2.56 म. प.

अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति के बारे में

विदेश मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि हमारे पड़ोसी मित्र देश अफगानिस्तान की स्थिति के सम्बन्ध में जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मुझे उन्हें बताना चाहिए। मैंने सोचा कि इस वाद-विवाद के अन्त में हम जो भी कहेगें उसे छोड़कर इस स्तर पर जो भी अन्तरिम सूचनायें मेरे पास है उसे मुझे बता देना चाहिए।

15-16 अप्रैल की घटनाओं के बाद अर्थात जिस समय श्री नजीबुल्ला ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, काबुल में निरन्तर अस्थिरता बनी हुई है। मुझे यह कहना चाहिए कि काबुल में स्थिति शान्त परन्तु तनावपूर्ण है। काबुल शहर में हिंसा की काई वारदात

नहीं हुई है। हम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तथा उन देशों से जो इस स्थिति से बहुत ही अधिक सम्बद्ध हैं और साथ प्रमुख अफगान नेताओं से भी सम्पर्क बनाये हुए हैं। हमें आशा है कि जल्द ही काबुल में परिभाष्य राजनीतिक संरचना कायम होगी जिसके साथ हम सम्पर्क बना सकते हैं तथा अपने द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति प्रक्रिया को निरन्तर समर्थन दिया जा रहा है। इसके सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अफगान लोगों की आशाओं पर आधारित एक संप्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र और संगठित अफगानिस्तान के लिए हमारा समर्थन और वचनबद्धता स्थायी और अविरोधी है। हमारी यह आशा है कि संपूर्ण अफगानिस्तान में शांति और सुव्यवस्था बहाल की जायेगी तथा प्रत्येक प्रयास हिंसा और खून खराबे को रोकने की दिशा में किया जायेगा।

श्री नजीबुल्ला के बारे में भी पूछा गया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय जहां तक हमारी जानकारी है श्री नजीबुल्ला सुरक्षित हैं और वे काबुल मे संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में है।

जहां तक भारतीय नागरिकों का सम्बन्ध है काबुल दूतावास में हमारे कार्मिकों समेत करीब 100 भारतीय नागरिक वहां हैं। वे सब सुरक्षित हैं यदि उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने इन्तजाम भी कर लिया है।

मैं समझता हूं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस समय मुझे यही कुछ कहना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : क्या श्री नजीबुल्ला ने भारत में शरण मांगी थी ?

श्री एडुआर्डो फलेरो : शरण हेतु और औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया। लेकिन विगत में यहां शरण लेने के लिए उन्होंने सामान्य रूप से टोह लेने के लिए व्यक्ति भेजे थे। यही स्थिति है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख है ?

श्री एडुआर्डो फलेरो : अब भी हमें कोई विशेष अनुरोध प्राप्त होता है सबसे पहले हम उस पर बारीकी से विचार करेंगे और विगत के इस सामान्य अनुरोध को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में निश्चित करेंगे तथा संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय जहां अभी वे हैं, के माध्यम से अनुरोध करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय मंत्री महोदय ने अफगानिस्तान में एक परिभाष्य राजनीतिक संरचना के उद्भव का उल्लेख किया है।

3.00 म. प.

किस कारणवश उन्होंने यह विचार व्यक्त नहीं किया कि अपने पड़ोसी देश में हम चाहते हैं कि वे एक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष अफगानिस्तान का विकास करें ?

हमारे देश की सुरक्षा और अन्य पहलुओं की दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश का कट्टरपंथी होना बहुत ही खतरनाक होगा।

किस कारणवश उन्होंने ये बातें नहीं कही विशेषकर जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया है। वे एक भूमिका निभा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते तथा हमारा पड़ोसी देश होने के कारण इस मामले में भी अपने प्रभाव का प्रयोग करना है।

इस मामले में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : निश्चित रूप से कोई भी कट्टरपंथी सत्ता हमारे लिए चिन्ता का विषय है और यह मामला हमारे हित और हमारे विचारों के अनुकूल नहीं है और निश्चित रूप से जब हम स्वतन्त्रा की बात करते हैं हमारा अर्थ वहां सच्चे अर्थों में वहां स्वतन्त्र और गुटनिरपेक्ष सरकार की स्थापना से है।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : एक प्रमुख दैनिक समाचारपत्र "हिन्दुस्तान टाईम्स" ने यह प्रकाशित किया है कि डा. नजीबुल्ला यहां है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनकी पत्नी भारत में है।

श्री हरि किशोर सिंह : वे यहां हैं। क्या आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : वे यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 3 बज चुके हैं। श्री बसुदेव आचार्य जी, आप जानना चाहते थे कि किस समय यह मुद्दा उठाया जायेगा। अब इसे उठाया जाएगा। अब श्री एस. बी. चव्हाण जी संवैधानिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

3.02 म. प.

नागालैंड के राज्य के संबंध में की गई उद्‌घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्‌घोषणा का अनुमोदन करती है।"

नागालैंड के राज्यपाल ने 27 अप्रैल, 1992 को राष्ट्रपति के नाम लिखे गये अपने दोनों संदेशों में यह सूचित किया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत नागालैंड विधान सभा का विघटन कर दिया है और मुख्यमंत्री को नये चुनावों तक कार्य-साधक क्षमता में अपने पद पर बने रहने के लिए अनुमत किया गया है।

नागालैंड के राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया था कि नागालैंड विधान सभा का बजट-सत्र

थाकि 16 मार्च, 1992 से प्रारम्भ हुआ था 26 मार्च 1992 को उसका अवसान हो गया है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा आगामी वर्ष के लिए अनुदानों की मांगें पारित की गई है। वर्तमान मुख्यमन्त्री के बहुमत का निर्णय भी सभा के बीच में किया गया है। सत्ताधारी नागालैंड पीपुल्स काउन्सिल पार्टी का उम्मीदवार भी राज्य के लिए निर्वाचित हुआ है।

राज्यपाल ने यह भी सूचित किया था कि इस विधान सभा के रहते हुए अदालतों तक पहुंचने की घटनाएं भी बार-बार होती रही हैं। अदालतों में 15 विधायकों की अयोग्यता के मामले का निपटारा अभी भी लम्बित है और 10 विधायक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अन्तर्गत दर्ज किसी अन्य मामले में शामिल पाये गए हैं। राज्यपाल ने यह भी बताया कि मुख्यमन्त्री भी उन पर डाले जा रहे दबाव के कारण ताजे जनादेश के पक्ष में है और वह यह महसूस करते हैं कि विभिन्न मंत्रियों और विधायकों द्वारा उच्च पदों के लिए जिस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन परिस्थितियों में सोद्देश्य प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रक्रिया में कानून और व्यवस्था की भी उपेक्षा की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्टों और नागालैंड में व्याप्त समूची स्थिति पर विचार किया। और यह बात बिल्कुल सही थी कि नागालैंड राज्य में पार्टी की स्थिति अस्थिर है और कानून और व्यवस्था की उपेक्षा हो रही है। राज्यपाल विधान सभा का विघटन करने के मूल कारणों ने इस बात का परिचय दिया कि राज्यपाल प्रशासन को विधानसभा की सामान्य अवधि तक संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाये रखना संभव नहीं है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश की जाए कि वे नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करें। और राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 अप्रैल 1992 को उक्त उद्घोषणा जारी कर दी गयी।

महोदय, जिन परिस्थितियों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन्हें मद्देनजर रखते हुए मैं यह सिफारिश करता हूं कि नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 2 अप्रैल 1992 को जारी उद्घोषणा का इस माननीय सदन में अनुमोदन किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 2 अप्रैल, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) । मैंने अनुच्छेद 356 को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है मेरे इस प्रस्ताव के बारे में मुझे कोइ सूचना नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रविराय अपने विचार व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रविराय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं।

महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि मणिपुर, विधान सभा में सरकार का बहुमत है या नहीं, मणिपुर विधान सभा में जिस दिन तय हुआ था। (व्यवधान) जिस दिन तय हुआ था, उसको मणिपुर के गवर्नर ने विधान सभा को स्थगित कर दिया।

3.05 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, यह एक अनप्रेसीडेंट सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर चव्हाण साहब कुछ रोशनी डालें।

अध्यक्ष जी मैं यह सवाल उठा रहा था कि नागलैंड के सवाल पर बहस होने के पहले, मैं जानना चाहता हूँ जो सब डिस्टर्बिंग सवाल और खबर जो आज हमने अखबार में पढ़ी वह यही थी कि नार्थ इस्टर्न में मणिपुर एक महत्वपूर्ण राज्य है उसमें जिस तरह से गवर्नर के कहने पर वहाँ की विधान सभा में, जहां सरकार की स्टेबिलिटी के बारे में तय होना था, उसको अनप्रेसीडेंटड ढंग से गवर्नर के कहने पर स्थगित कर दिया गया। इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना। एक के बाद दूसरी स्टेट को आप इस प्रकार डिस्टेबिलाइज करते जा रहे है। इसलिए मैं चाहूँगा कि चव्हाण साहब, गृह मंत्री, यहां मोजूद हैं, वे कुछ बताएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ और वह बात यह है कि जब आपने मणिपुर में मुख्यमंत्री को शपथ देने का काम किया, तब आपने उनसे वचन लिया था कि 10 दिन के अन्दर वे अपना बहुमत विधान सभा में स्थापित करेंगे। उसी के वास्ते असेम्बली बुलाई गई थी और असेम्बली मिलने के कुछ समय पहले गवर्नर के माध्यम से आपकी तरफ से आदेश जाता है कि अभी असेम्बली मिल नहीं सकती है। चूंकि आपका बहुमत नहीं है इसलिए आपने असेम्बली को मिलने नहीं दिया। देश की जनता के सामने और गवर्नर को वचन देकर कि 10 दिन के अन्दर हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, वे अब बहुमत को सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं ? इसलिए मेरी मांग है कि आप तत्काल गृह मंत्री जी से विशेष निवेदन करने के लिए कहिएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम किसी अन्य विषय को उठा रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम उठा रहे हैं। लेकिन यह एक आपातकालीन मामला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम एक विषय को छोड़कर दूसरे को पकड़ सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आखिर हर क्षण संविधान का विरोध हो रहा है और गृहमंत्री यहां बैठे हुए थे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन तब तो हमें ऐसे मामले को लेना होगा जोकि समानरूप से महत्व-पूर्ण है। आइये पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप जानते हैं कि क्या किया जा सकता है, इसे किस तरह से उठाया जा सकता है, लेकिन इस समय नहीं।

(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर से हम नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संवैधानिक प्रभावों और संवैधानिक मानदंडों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक सदस्य इस बात को स्वीकार करेगा कि इसके राजनैतिक प्रभाव भी है और राजनैतिक प्रभाव केवल नागालैंड तक ही सीमित नहीं हो सकते। ये प्रभाव पूर्वोत्तर तक फैल रहे हैं। इस सन्दर्भ में श्री रविराय अथवा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो प्रश्न उठाया है वह हम सभी के दिमाग में कल उस समय ही आ गया था। हमें इस बारे में रिपोर्ट मिली। भारत के इतिहास में यह पहली घटना है कि किसी व्यक्ति को किसी निर्धारित समयावधि में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया और जब वह दिन आया तो उस दिन प्रातः उसे बताया गया कि चार दिन का समय और दिया जाता है। स्पष्ट रूप से ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि वह अपना बहुमत सिद्ध करने समर्थ नहीं हुए। इस स्थिति पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ? और क्या इस सम्बन्ध में, उनके दोहरे मापदंड हैं। नागालैंड पर हो रही चर्चा के संदर्भ में, यह प्रश्न संगत है इसलिये यदि माननीय मंत्रीजी सभा में इस बारे में प्रकाश डाल सकें, तो इससे चर्चा में सहायता मिल सकेगी।

श्री वासुदेव आचार्य : यह एक संवैधानिक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, वास्तव में बात यह है कि जब सभा में नागालैंड के प्रश्न पर चर्चा हो रही है तो इस चर्चा में हस्तक्षेप करना और जानकारी देना मेरे लिए उचित नहीं है। पर चूंकि माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है और यदि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तो इससे बिल्कुल ही गलत संकेत मिलेंगे। मुझे अवश्य ही सभा को जानकारी देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रविराय : इसी कारण से हम यह चाहते हैं कि आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मामले को उठाने से पहले आपको स्वयं सभा को इस बारे में जान-कारी देनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सभा को जानकारी देने का अवसर ही कहां आया है ?

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : जी नहीं, वास्तव में राज्यपाल से हमें यह संदेश मिला कि उन्होंने

राष्ट्रपति जी को सूचित किया है और उसकी एक प्रतिलिपि गृह मंत्रालय को भी भेजी गयी थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें इस बात का डर है कि सदस्यों के बीच किसी किस्म का शारीरिक प्रहार भी हो सकता है और इसलिए··· (व्यवधान)

श्री रविराय : यह एक बहुत ही खास कारण है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह क्या है ? ये क्या मजाक कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप सरकार चला रहे हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं···(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : अगर मैं कहता तो बात और थी यह तो गवर्नर ने कहा है।······ (व्यवधान)' आप जोर से बोल सकते हैं तो मैं भी जोर से बोल सकता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप लोगों के मुख्य मंत्री वहां पर हैं, आप लोगों के मुख्यमन्त्री है और आप लोग ही वहां पर और आप लोग वहां पर प्रशासन चला रहे हैं। (व्यवधान) ये सरकार चला रहे हैं, इनकी पार्टी वहां पर सरकार चला रही है। और इन्हें हिंसा का डर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए। अपने भाषणों के दौरान यदि आप इस बात को उठाते हैं और फिर उत्तर का उन्माद करते है तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन यदि आप आपके सामने चल रही बात से हटकर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हैं और वह भी···

श्री बसुदेव आचार्य : यह कोई अन्य मुद्दा नहीं है। यह इससे जुड़ा मुद्दा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप हमेशा ही ऐसा करते रहते है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि आचार्य जी, हमेशा बड़े सटीक और सही होते हैं। मैं उनसे यह भी अपेक्षा करता हूँ कि वे मुझे मार्गदर्शन दें। आओ कृपया हम मुद्दे पर चर्चा करें। चर्चा के दौरान यदि आप कुछ बातें कहना चाहते है, तो आपको कोई भी यह नहीं कहेगा कि आप न कहें। जैसा कि श्री आडवाणी जी ने कहा है कि यदि इसका उस क्षेत्र से कोई संबध है, तो आपको इसे कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप इस चर्चा से हटकर बिल्कुल नयी चर्चा शुरु न करें।

श्री आडवाणी जी को भी बोलना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप एक के बाद एक भाषण दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : हम तो यही जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में···

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोलें, तब इस बात को कहें।

श्री लोकनाथ चौधरी : जब तक पूर्ण तथ्यों का पता नहीं चलता तब तक भाषण कहां से आयेगा ? आप हमें अन्धेरे में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार को इसे समझने में हमारी सहायता करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं। बात यह है कि कार्यसूची में जो कुछ है, वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और जो कुछ कार्यसूची में नहीं है, वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कैसे हो सकता है ? इस प्रकार से नहीं। आप कार्यसूची की अनुपालना करें। कार्यसूची में जो कुछ है, वह जो इसमें शामिल नहीं है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहें तो वह मुद्दा कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गए सांविधिक संकल्प का मैं विरोध करता हूं।

अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के उपबन्धों का एक सबसे निन्दात्मक उपबन्ध है। जब इसे संविधान सभा ने भारतीय संविधान में अंगीकृत किया था, तो उस समय भी भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डा. अम्बेदकर ने यह आशा व्यक्त की थी कि इसका बहुत ही कम प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा था "मैं और हम सभी यह आशा करते हैं कि इसका उपयोग नहीं निष्क्रिय किया जायेगा।" इसका बिल्कुल अनुपालन न करने के बजाय इसका अक्सर बड़े जोरदार और उत्साह जनक ढंग से उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है जिनके बारे में संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी न था।

सबसे निकृष्टतम प्रयोगों में जिन्हें मैं स्मरण कर सकता हूं मैं निश्चित रूप से नागालैंड में विधानसभा भंग करने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू करना है। मुझे अन्य कोई ऐसा मामला याद नहीं है जहां राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174(2) के अन्तर्गत विधानसभा भंग कर दिये जाने के बाद, अनुच्छेद 356 को निरस्त किया गया हो। कम-से-कम, मुझे तो याद नहीं है। सम्भव है कि उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण हो। इस मामले में, मुझे इसके लिए यहां तक कि कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला।

चार मुख्य कारणों से मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। सबसे पहले जैसाकि मैंने पहले ही इंगित किया है कि अनुच्छेद 356 को निरस्त करने जैसे निर्णय को मैं सांवैधानिक रूप से अरक्षणीय मानता हूं। इसका कोई प्रतिवाद नहीं है। दूसरा कारण है, मैं इसे राज्यपाल जैसे संस्थान का एक घोर अपमान समझता हूं। राज्यपाल एक संस्थान है—एक महत्वपूर्ण संस्थान—जिसे सरकारिया आयोग ने सांवैधानिक—तन्त्र की धुरी की कील की संज्ञा दी है। नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के इस कार्य और इस निर्णय से, भारत सरकार इस संस्थान के अपमान की दोषी है।

तीसरा कारण यह है कि हमें इस निर्णय को तीन चार दिन बाद में लिये गये निर्णय यानि नागालैंड के राज्यपाल को बर्खास्त करने के निर्णय के साथ देखना है। एक साथ लिये गये उन दो निर्णयों ने, मैं समझता हूँ कि देश के सभी राज्यपालों को यह एक सूचना दी है कि इसके बाद आपको यह समझ लेना ही चाहिए कि एक राज्यपाल की भूमिका, महत्व एवं कर्तव्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका ध्यान किये बिना एक राज्यपाल के उत्तरदायित्वों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग अथवा सरकारिया आयोग जो भी कहते हैं उसका ध्यान किये बिना, जहां तक भारत सरकार और जो दल आज सत्तासीन है, वह राज्यपाल को भारत सरकार का एक आज्ञाकारी अभिकर्त्ता समझती है, जिससे यह अपेक्षा कि जाती है कि वह भारत सरकार-सत्तासीन दल द्वारा उसको सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करे। अतः, यदि एक दिन वह यह सोचता है कि संविधान ने उसे यह कर्त्तव्य सौंपा है और केन्द्रीय सरकार को बिना बराबर संदर्भ के संविधान के अनुरूप कार्य करता है, तो फिर वह ऐसा अपने आप को दाव पर लगा कर करता है। यह तीसरा कारण है जिसकी वजह से मैं इस निर्णय को बिल्कुल विकृत समझता हूं।

चौथा कारण जोकि सांवैधानिक कम और राजनैतिक ज्यादा है तथा जिसे सभा की इस पक्ष के श्री रवि राय, श्री जार्ज फर्नान्डीज एवं अन्य मित्रों ने इस प्रश्न विशेष को उठाया है, वह इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र के बारे में हमारी क्या विचारधारा हो सकती है, से बहुत सम्बन्धित है? आखिरकार हम जो प्रत्येक निर्णय लेते हैं, उसका उस क्षेत्र पर एक प्रभाव पड़ता है। मैं समझता हूं कि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के इस निर्णय से उस क्षेत्र में काफी हद तक व्याप्त अविश्वास और अलगाव की भावनाएं प्रबल हुई हैं। अन्य कारण भी हो सकते हैं और उन कारणों में से कुछ शायद न्यायसंगत न भी हों। लेकिन सच तो यह है कि नयी दिल्ली में सत्तासीन सरकार में अविश्वास व्याप्त है, नई दिल्ली से अलगाव की भावना चली है और इसीलिए जब नयी दिल्ली कुछ करने का निर्णय लेती है तो इसे बहुत सचेत और अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। इसे आसाधारण शक्तियों के बारे में सचेत रहना चाहिए। लेकिन जब इन आसाधारण शक्तियों को उत्तर-पूर्व में उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, तो आपको दोगुणा सचेत होना होगा। इन चार कारणों की वजह से इस निर्णय विशेष को मैं गलत निर्णय कहता हूं। इस स्तर पर, यदि सरकार स्वयंमेव संविधान के सभी उपबन्धों को उपयोग करती है और इसे निरस्त करने का निर्णय लेती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। परन्तु यदि यह ऐसा नहीं करती है, तो फिर मैं समझता हूं कि इस सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार को यह बता दे कि सभा इसके बारे में क्या विचार रखती है।

महोदय, जिन-जिन कारणों का मैंने जिक्र किया है उनके प्रत्येक बिन्दु को मैं संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। यह कैसा संवैधानिक है ? जब एक दिन श्री जैकब यहां पर बोल रहे थे तो मैंने उनको ध्यानपूर्वक सुना था। मैंने गृह मन्त्री के भाषणों को दूसरे सदन (राज्य सभा) में और उसके बाहर उनकी टिप्पणियों को पढ़ा था। मैं उनकी एक टिप्पणी, उनका यह कहना कि इसे कानूनी तौर पर जांचना होगा, से आतंकित हुआ हूं। यह रिकार्ड में है कि उन्होंने यह कहा है कि राष्ट्रपति को बिना सूचना के क्या एक राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, पर कानूनी-सलाह मांगी जा रही है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) । मैं नहीं समझता कि मैंने जिस भावना से कहा था, उसका यह अर्थ है। आपने उस दिन जो विरोध किया था उसके बारे में यह कहा था कि जब अनुच्छेद 174 पहले ही निरस्त कर दिया है, तो क्या अनुच्छेद 356 निरस्त किया जा सकता है ? प्रश्न यह था। मैंने कहा था कि उस पर कानूनी सलाह मांगी गई है और कोई विरोध नहीं है। इसमें अनुच्छेद 356 पर अभिभावी शक्तियां है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस लक्ष्य का जिक्र किया था तो मेरे दिमाग में राज्य मन्त्री नहीं थे, मेरे दिमाग में, जैसाकि पी टी.आई ने उधृत किया है, गृह मंत्री का वक्तव्य था। मैंने पी.टी.आई द्वारा उधृत गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों में से एक वक्तव्य पढ़ा है, जिसमें इस बारे मे कानूनी सलाह लेना होगी कि क्या राष्ट्रपति को सूचित किये बिना राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह भी गलत ब्यानी है। वास्तव में, इसके बारे में कोई प्रश्न हो नहीं है। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 1742 (ख.) के अन्तर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। हमारे मन में कोई सन्देह नहीं है। बात केवल कानूनी सलाह लेने की थी। अनुच्छेद 1742 (ख) के निरस्त किये जाने के बाद क्या अनुच्छेद 356 को भी निरस्त किया जा सकता है वह एक कानूनी मुद्दा था जिसकी हम जांच करवाना चाहते थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं संतुष्ट हूं कि आप भी यह मानते हैं कि अनुच्छेद 1742 (ख) के अन्तर्गत राज्यपाल को विधानसभा भग करने का अधिकार प्राप्त है। मैं इससे आगे जाऊंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि उस स्थिति में उस दिन 27 तारीख को नागालैंड में जो सरकार थी, क्या आप समझते हैं कि वह बहुमत नहीं खो चुकी थी। विधानसभा सत्र अभी अभी समाप्त हुआ है और आप ही ने अपने वक्तव्य में कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो चुका था और बजट भी पारित हो चुका था। मुझे विदित है कि उनमें से कुछ राज्यों में, विगत कुछ वर्षों में लगातार बार-बार दल-बदल की घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में आपने इस और मेरे कुछ मित्रों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है। मैं यह कहूंगा कि वहां पर सभी दल समान रूप से दोषी हैं, जिनमें से कुछ हमारे साथी भी है। यह तो एक-दूसरे को दोषी ठहराने वाली बात है। इन बातों को लेकर हमें एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मुझे नागालैंड-कांग्रेस-कमेटी से एक पत्रिका मिली है, जिसमें

विगत तीन वर्षों की घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिनके बारे में यह सभी दोष लगाये गये हैं। मुझे इसके बारे में पता है, मैं इस पहलू पर भी आ रहा हूं। लेकिन मूल तथ्य यह है कि 27 मार्च को वामजू सरकार द्वारा राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह देना बिलकुल उचित कदम था क्योंकि सरकार यह समझती थी कि इन परिस्थितियों में उसका जारी रहना कठिन है। यह न केवल पूर्णतया उचित कदम ही था, बल्कि यदि राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री की सलाह को मानने से इन्कार दिया होता, तो राज्यपाल का यह असांविधानिक कार्य होता। उसके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था कि एक विधिवत निर्वाचित सरकार जिसने कि विधान सभा में अपना बहुमत न खोया हो, वह उसे भंग करने की सलाह दे पाती। राज्यपाल ने जो कारण बताये, उन्हें आप भी जानते हैं।

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मुख्यमंत्री को मंत्री-मण्डल के निर्णय के पश्चात ही सलाह देनी चाहिए, न कि अपनी ओर से।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह एक तथ्य-परक बात है। मुझे इसका पता नहीं है।

मेरे पास नागालैंड के मुख्यमंत्री द्वारा वहां के राज्यपाल डा. एम. एम. थामस को प्रेषित पत्र है। मैं इस पत्र को उद्धृत करता हूं :

> "आप जानते हैं कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा अक्सर दलबदल करने से मंत्रिमंडल में अनेक बार तब्दीलियां हुई हैं। मैं अब तीन वर्ष की अवधि में ही तीसरा मंत्रिमंडल चला रहा हूँ अभी यह पाया गया है कि सदस्यों के दिमाग में स्थिरता नहीं है। इसलिए मंत्रिमण्डल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विधान सभा भंग कर दी जाए और लोगों से नया जनादेश लेने तक काम चलाऊ सरकार को अनुमति दी जाए। इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि सदन भंग कर दिया जाए और लोगों से नया जनादेश लेने तक काम चलाऊ सरकार की अनुमति दी जाए। इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि सदन भंग कर दिया जाए और लोगों से नया जनादेश लिये जाने तक एक काम चलाऊ सरकार बना दी जाए।"

मैं इस पत्र को छोड़ अन्य किसी के आधार पर नहीं बोल रहा। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है।

श्री सन्तोष मोहन देव : आप बाद के वक्तव्य को भी उद्धृत करें जिसमें 24 घंटे के अन्दर छः मन्त्रियों ने कहा है कि मन्त्रिमण्डल की कोई बैठक नहीं हुई। कृपया सदन को वास्तविकता से अवगत कराएं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं वहां से चल रही राजनीति को अच्छी तरह जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : हम भी पूर्वोत्तर राज्य से हैं। आपने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिल्ली द्वारा दूर किया जा रहा है। यह आप जैसे स्तर के नेता द्वारा बहुत असाधारण वक्तव्य है।

इस प्रकार के वक्तव्य ऐसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा विद्रोह को उकसा रहे हैं जिनका पूर्वोत्तर में कोई आधार नहीं है। (व्यवधान) यह बहुत खतरनाक वक्तव्य है। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जसवन्त सिंह ने एक अन्य वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में अली, कुली और बंगाली है। उन्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस प्रकार का वक्तव्य संसद में नहीं दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। (व्यवधान) कृपया ऐसे वक्तव्य न दें। आप लोग राजनीति खेल रहे हैं, केन्द्र सरकार नहीं। (व्यवधान) ऐसे स्तर के व्यक्ति द्वारा सभा के अन्दर ऐसे वक्तव्य देकर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुसीबत में डाल रहे हैं। (व्यवधान) मुझे यह कहने का अधिकार है। (व्यवधान) पूर्वोत्तर से होने के कारण हमें भी यह सुन कर कष्ट होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता ने ठीक ही कहा है कि केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र को दूर कर रहा है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय सामान्यतः मैं हस्तक्षेप नहीं करता। मेरे साथी विपक्ष के नेता में मुझे पूरा विश्वास है और वह इस स्थिति से निपटने में सक्षम है। लेकिन माननीय इस्पात मंत्री तथा मेरे पुराने मित्र व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे है और वह बहुत अधिक गुस्सा दर्शा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें बनावटी क्या है ? यह वास्तविक हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, उन्होंने दो सुझाव दिए हैं। यह कहा गया है कि हमने यहां पर जो कुछ कहा है या कहते हैं उससे पूर्वोत्तर देश से दूर हो जाता है। यह दूरी हमारे यहां कुछ कहने से नहीं होती; पूर्वोत्तर में यह दूरी कांग्रेस के चालीस वर्ष के कुशासन का सीधा परिणाम है। (व्यवधान) तब उन्होंने जो कहा वह ठीक है। मैंने जो इस सभा में कहा उसे उद्धृत करता हूं :

"कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ ने कहा" जब अली, कुली और बंगाली मेरी जेब में है तो मुझे असम में मतों की क्या जरूरत है ?"

यह उद्धरण कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष के कथन का है जिसे मत उद्धृत करने और और जिसका कपार घाटी में दुरुपयोग करने मे मेरे मित्र पूर्णतः हकदार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, श्री बरुआ अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मेरे पास उनके भाषण की एक प्रति है जिसे मैंने अपने क्षेत्र में परिचालित किया है। उनके कथन को ठीक करने के लिए आज रात मैं उस भाषण की एक प्रति उनके पास भेज दूंगा इसमें इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे श्री जसवन्त सिंह में पूरा विश्वास है। वह अच्छे वक्ता हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय । यह ठीक है । श्री आडवाणी अपना भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय जैसा कि गृह मंत्री ने स्वयं ही यह माना है कि अनुच्छेद 194(2) के तहत राज्यपाल विधान सभा को भंग करने के मामले में अपने स्वविवेक के अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकता । लेकिन यदि मंत्रि-परिषद द्वारा उन्हें विधान सभा भंग करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा । ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है सिवाय तब, जैसा कि सरकारिया ने कहा है, जबकि यह सलाह एकदम असंवैधानिक हो ।

वह कहते हैं ।

"यह एक मान्य सिद्धांत है कि जब तक मंत्रि-परिषद को विधान सभा का विश्वास प्राप्त है तब तक ऐसे मामले में उनकी सलाह, यदि वह पूर्णतः असंवैधानिक नहीं है, राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाती है ।"

निःसन्देह सरकारिया ने कहा है कि एक राज्य सरकार ने सरकारिया आयोग को अनुच्छेद 174( ) के बारे में अभ्यावेदन दिया है जिसको पूरी से स्पष्ट करने के लिए इसमें यह बात और जोड़ा जाए कि मंत्रि-परिषद की सलाह बाध्यकारी होगी ।

श्री पवन कुमार बांसल (चण्डीगढ़) : मंत्रि-परिषद की बैठक ही नहीं हुई ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात का विश्वास करूं या मेरे पास जो फार्मर चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी है, उस पर विश्वास करूं, यह मेरी कठिनाई है ।

श्री पवन कुमार बांसल : आप बोल रहे हैं तो उसका पता कीजिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वहां कुछ लोग रोज डिफेक्ट करते रहते हैं, उनकी बात पर विश्वास करने की तो मेरी प्रवृत्ति नहीं है ।

श्री पवन कुमार बांसल : तो आप पूरी बात का पता करके फिर बोलिए ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिए ।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मंत्री यह कहें । मैं नहीं जानता । वह सभा को इस बारे में बताएं । मेरे पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री का पत्र है । इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है ।

कुछ दिन पहले भी जब श्री जैकब ने सभा को सम्बोधित किया था श्री कल्याण ने दूसरी सभा को सम्बोधित किया। और इस विषय पर कुछ कहा तो वह स्पष्ट था कि भारत सरकार को यह

आशा थी कि राज्यपाल भंग करने से पूर्व उनसे परामर्श करेंगे । अभी तक सभी राज्यपालों की यह परम्परा रही है।

श्री एस. बी. चव्हाण : यह सही नहीं है। हमने यह आशा कभी नहीं की।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है।

श्री एम. एम. जैकब : वास्तव में जब मैं इस सभा में बोला था तो मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हम इस पहलू से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं कि राज्यपाल ने हमसे परामर्श नहीं किया। उस समय हमारे सम्मुख यह प्रश्न बिल्कुल नहीं था। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अब तथ्य बाहर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम सब सभा में थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर यह क्रोध परामर्श न करने के कारण नहीं है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा कि राज्यपाल की कार्यवाही ने जोकि एकदम संवैधानिक है, यहां पर असंतोष क्यों उत्पन्न कर दिया है। इसने केन्द्र सरकार को क्यों नाराज कर दिया है और यह भी इस हद तक पहले तो राष्ट्रपति शासन लागू किया और फिर राज्यपाल को भी बर्खास्त किया ?

श्री पवन कुमार बांसल : यह अलग मामला है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि यह अलग मामल है तो इस पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। यहां पर हर तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना के बाद सरकार द्वारा ऐसे आरोप लगाना बहुत ही अनुचित है।

मैं डा. थामस की तरफ से नहीं बोल रहा। मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैं उनसे नहीं मिला हूं। मैं उन्हें नहीं जानता। श्री जार्ज फर्नान्डीज उन्हें नीति तौर पर अच्छी तरह जानते होंगे। मैं यह जानता हूं कि भारत सरकार 27 मार्च से पूर्व राज्यपाल पर क्रोधित नहीं थी। राज्यपाल द्वारा संविधान के तहत मंत्रि-परिषद की सलाह पर विधान सभा भंग करने के निर्णय के बाद भारत सरकार को क्रोध आया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप यह मानेंगे कि कम से कम इस मामले में मैं अपने कुछ साथियों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूं।

श्री एस. बी. चव्हाण : मुझे आशा है कि आप निष्पक्ष रहेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं निष्पक्ष हूं। मैं केवल रिकार्ड के अनुसार ही चलता हूं अर्थात जो भी सामने आया है।

श्री एस. बी. चव्हाण : आपको इस बारे में पहले से कहा गया है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे किसी ने नहीं कहा है। आप मुझे बतायें कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें कहा जाए कि नागालैंड में संविधान के अनुसार काम नहीं चल सकता आखिरकार इस बारे में बहुत ही स्पष्ट मामले हैं।

श्री पवन कुमार बांसल : अनुच्छेद 174(2) (ख) के बाद क्या बचता है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वही तो है ।

श्री पवन कुमार बांसल : उसके बाद वह करना ही था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आखिरकार, अनुच्छेद 356 का उपयोग करने के बाद भी अधिक से अधिक यही कदम उठाया जा सकता है कि मतदाताओं के समक्ष जनता के समक्ष अपील की जाये। और यह पहले ही किया जा चुका है अनुच्छेद 356 थोपकर आपने मात्र निर्वाचन मण्डल को अपील करने की प्रक्रिया को छोटा किया है। इससे आपको क्या मिलेगा ? जैसा कि मैं समझता हूं कि इसका व्यावहारिक परिणाम ये है कि आपने कामचलाऊ सरकार को बर्खास्त कर दिया है और दूसरी बात ये है कि आप अपनी सुविधा के अनुकूल समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आपको वो सब करने का अवसर नहीं मिला जो कि आपने मणिपुर में किया है अर्थात कांग्रेस की सरकार बनाने का अवसर या इसी तरह का अवसर आपको नहीं मिला है। मुझे सचमुच हैरानी है कि आपने केवल पक्षपात और एक छोटे से उद्देश्य के लिए ये सब कुछ किया है। यह एक घोरता है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है जो कि आपने एक तुच्छ उद्देश्य के लिए किया है। अन्यथा राज्यपाल ने तत्काल चुनाव की घोषणा कर दी थी, यदि चुनाव होते और आप जीत जाते तो यह एक अच्छी बात होती। परन्तु आप ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करना पसन्द किया आपके इस कार्य की पूरे देश ने निन्दा की है। कुछ अपवादों के अतिरिक्त पूरे देश में सभी समाचार पत्रों ने इस कार्य के लिए आपकी निन्दा की है।

श्री सन्तोष मोहन देव : यदि वही स्थिति मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी उत्पन्न हो जाती है जहां मुख्यमंत्री मंत्रीमंडल से परामर्श किए बिना विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करते है और यदि राज्यपाल उनकी सिफारिश को स्वीकार कर लेते है तो क्या आपकी तब भी वही राय होगी जो कि इस मामले में है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप काल्पनिक प्रश्न नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि यह केवल संविधान के अनुसार होना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय इस्पात मंत्री ने मुझ से ठीक प्रश्न पूछा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के मुख्य मन्त्री कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : कौन जानता है ? सुश्री ऊषा भारती जैसे प्रकरण से कुछ भी हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : केवल कांग्रेस दल के प्रधानमन्त्री की अनुच्छेद 352 को लागू कर सकते हैं और मन्त्रिमण्डल से परामर्श लिए बिना आपात्काल की घोषणा कर सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहनदेव : ये तो कोई जबाव नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस मामले में इस विशेष मुद्दे पर मेरे पास मुख्य मंत्री के पत्र के अतिरिक्त और कुछ नही है कि क्या मंत्रीमंडल से परामर्श किया गया था या नहीं। मैं इसके लिए आपकी बात स्वीकार नहीं करूंगा। गृह मंत्री को इसके बारे में कुछ कहना चाहिए।

मैं जानता हूं कि राज्यपाल की अनेक भूमिकाएं हैं। परन्तु इस तरह की समस्याओं में आवश्यक कम से इस तरह के निर्णय लेना कि वह संविधान के प्रति कितना बाध्य है, सविधान के प्रति उनके क्या कर्त्तव्य हैं और केन्द्र तथा राज्य के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करने का उसके क्या कर्त्तव्य हैं, मैं समझता हूं कि इस मामले में उन्हें हरगोविंद पन्त बनाम डा. रघुकुल तिलक के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अन्तिम समझना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही बुद्धिमता-पूर्ण ढंग से कहा है कि :

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसका अर्थ ये हैं कि यह नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है। परन्तु ये केवल नियुक्ति का एक तरीका है इससे राज्यपाल भारत सरकार का कर्मचारी अथवा नौकर बन जाता है। यह तो ये है कि भारत सरकार इसको कैसे लेती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक रूप से भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। इसलिए यह भी ठीक नहीं है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त ही इस पद पर रहता है राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित करना एक संवैधानिक उपबन्ध है और यह भारत सरकार को राज्यपाल का नियोक्ता नहीं बनाता हैं। राज्यपाल का पद भारत सरकार का अधीनस्थ अथवा सहायक पद नहीं है वह भारत सरकार के निर्देशों का आज्ञाकारी नहीं है और न ही वह अपने ढंग से अपने कार्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। वह एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो भारत सरकार के नियंत्रण आधीन नहीं है।"

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

श्री ई. अहमद (मजेरी): भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में थी तो उस समय उसने राज्यपाल बदले थे और आडवाणी जी ने उस सरकार का समर्थन किया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ; उसके बारे में भी मेरी अपनी राय है। परन्तु प्रश्न ये नहीं है।

आज राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने का प्रश्न नहीं है बल्कि यह राज्यपाल को बर्खास्त किए जाने का मामला है। उन सभी मामलों में राज्यपालों ने अपने त्यागपत्र दिये थे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि उन पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला गया था परन्तु इस विशेष मामले में राज्यपाल को उसके पद से हटाया गया है और राज्यपाल को पद से हटाना एक बहुत असाधारण मामला है। मैं नहीं जानता कि उन्हें······

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : रेडियो में हिन्दी में अनाउंसमेंट हुआ कि अब नहीं रहे, नहीं रहे तो क्या था।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : डा. थामस नहीं रहे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नागालैंड के राज्यपाल नहीं रहे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मन्त्री को जानकारी होगी कि मसौदा संविधान में राज्यपाल पर भी महाभियोग चलाने का प्रावधान था। बाद में इसे इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि बाद में इसमें महत्वपूर्ण निर्देश समायोजित किए जाएंगे इसलिए महाभियोग का प्रावधान आवश्यक नहीं है। परन्तु इस अनुभव के बाद मैं महसूस करता हूं कि कुछ प्रावधान किया जाना था अथवा कम-से-कम कुछ निर्णय तो लिए ही जाने चाहिए तथा जिनका पालन किया जाना चाहिए। राज्यपाल के बारे में चारों तरफ अब इस तरह की चर्चा चल रही हैं कि क्या उन्हें इस बात की सूचना दी गई थी कि उनके विरुद्ध ये आरोप हैं, क्या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। यह नैसर्गिक न्याय की मांग है।

सरकारिया आयोग ने भी यह महसूस किया है कि राज्यपालों को स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में एक कारक उनका कार्यकाल निर्धारित करना है। पांच वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होने पर इसे यह जान लेना चाहिए कि उनसे यह अपेक्षा है कि वह इस बात का संकेत दें कि सरकार चलेगी। मुख्यमंत्री बदल सकते हैं लेकिन उन्हें पांच वर्ष तक कार्य करना है इससे वह कुल मिलाकर संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा। अतः कोई विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाना हो तो सरकारिता आयोग द्वारा कहा गया है कि :

> "जब कभी राज्यपाल के कार्यकाल को निर्धारित पांच साल से पहले समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उसे अनौपचारिक रूप से प्रस्तावित कार्यवाही के आधार से अवगत करा दिया जाना चाहिए तथा उसे इसके कारण बताने के लिए उचित

समय दिया जाना चाहिए। यह अपेक्षित है कि राष्ट्रपति जिसका अर्थ वास्तव में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से है, द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए यदि राज्यपाल ने अपनी प्रस्तावित बर्खास्तगी के बारे में किया हो तो तथा जिसकी एक सलाहकार समिति ने जांच की हो। भारत के उप राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और भारत के सेवा निवृत एक मुख्य न्यायाधीश इस सलाहकार समिति के सदस्य हों, इस समिति की सिफारिशें मिलने के बाद राष्ट्रपति इस मामले पर जो भी उचित समझे आदेश दे सकता है।"

सरकारिया आयोग के मुताबिक किसी राज्यपाल की मनमाने ढंग से कारंवाई न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इस हद तक जाना चाहिए। लेकिन ये घटित हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा हुआ है। इस बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। यह सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में ये सिफारिशें की गई हैं कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सामंजस्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य राज्यपाल वास्तव में संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार कार्य करता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1987 में दी थी और आपने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का समर्थन 1990 में किया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर सरकार गलत थी तो सरकारिया कमीशन भाव की थी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आपके समर्थन से श्री वी.पी. सिंह ने 9 राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे मालूम है लेकिन किसी को बर्खास्त नहीं किया गया।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : हम ये कह रहे हैं कि रघुलाल तिलक मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को आपने उस समय ध्यान में नहीं रखा या उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं जब श्री वी.पी. सिंह की सरकार ने राज्यपालों से छुटकारा पाया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उस समय में बर्खास्तगी नहीं थी, केवल यही एक बर्खास्तगी है।

श्री पी. चिदम्बरम : श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक नये सिद्धान्त की घोषणा की है कि राज्यपालों को हटाना केन्द्रीय सरकार का अधिकार है। यह बलपूर्वक लिया गया त्यागपत्र है,

लिखित प्रमाण कहता है कि राज्यपालों को हटाना सरकार का अधिकार है। इसलिए कृपया जो दृष्टिगोचर होता है उस पर मत जाइए। क्योंकि राज्यपालों पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला गया था। अतः यह वास्तव में बर्खास्तगी थी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : ऐसा लगता है कि आप श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। आप श्री सईद के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे बचाओ अपने को।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम राज्यपाल के आचरण तथा उसे हटाने पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : राज्यपाल के आचरण पर जो चर्चा हो रही है मैं उसमें भाग नहीं ले रहा हूं। राज्यपाल को हटाने पर चर्चा की जा सकती है। मैं राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई हो जाएगी। मान लीजिए कि माननीय सदस्य कहते हैं कि राज्यपाल को हटाया गया है और गलत तरीके से हटाया गया है और सरकार उसका उत्तर देना चाहती है ऐसा क्यों।

(व्यवधान)

श्री एस बी. चव्हाण : यदि विपक्ष के माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यह अधिकार का मनमाना उपयोग किया गया है तो इस मामले में इस बारे मुझे सदन में कुछ कहना होगा तथा राज्यपाल के आचरण का पूरा विवरण देना होगा तथा मैं नहीं चाहता कि राज्यपाल के आचरण पर सदन में चर्चा हो।

यही मेरी कठिनाई है। यही आशा है कि हम माननीय सदस्यों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि, चाहे उनके विचार जो भी कर रहे हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप राज्य के आचरण पर पुनः चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही जटिल मुद्दा है। कृपया सोच समझ कर मुद्दे से सम्बन्धित बातें ही बोलिए।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जी नहीं। मैंने कहा कि मैंने सोच समझ लिया है। इसलिए मैंने राज्यपाल पर चर्चा नहीं की। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इस घटना से इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की आवश्यकता को बल मिला है। अन्यथा अनेक मामलों में न्याय नहीं मिल पायेगा।

श्री एस. बी. चव्हाण : सरकारीया आयोग की सिफारिशों को ऐसे ही उद्धृत मत कीजिए। इसमें अनेक बातें कही गयी है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं देखता हूं कि आपके सभी मामलों में निर्णय ले लिया है और आपने यह कहा है कि यह स्वीकार्य नही है परन्तु जो स्वीकार किया गया है। अब यह विगत चार या पांच वर्षों से लम्बित है और इस सम्बन्ध म कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर चर्चा करते समय राज्यपाल क सम्बन्ध मे भी कुछ उल्लेख हो सकता है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि यदि सरकार स जबाब देन के लिए कहा जाता है तो इसका विरोध नहीं हो सकता है अतः स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है। यही कारण है कि दोनों ही पक्षों को इस मुद्दे की नाजुकता को ध्यान म रखकर चर्चा करनी होगी। मैं नहीं समझता हू कि आपने इस मामले में कोई गलती की है। आप इसक सैद्धान्तिक, तकनीकी और संवैधानिक पहलू पेश कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन सदस्यों का कारण जानने का भी अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार आपको कारण बता सकती है और आप यह शायद पसन्द न करें कि वह कारण इस म्मानीय सभा मे आये उससे समस्या उठती है।

श्री एस. बी. चव्हाण : राज्यपाल की स्वतन्त्रता वहां निश्चित रूप से चापलूसी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ नही जानते हैं। जब वे कहते हैं कि वहां हिंसा की संभावना है प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है······

(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं समझता हूं कि जहां तक श्री आडवाणी के वक्तव्य का सम्बन्ध है वे सरकारिया आयोग और उससे सम्बन्धित बातें ही कह रहे है। इससे अधिक वे कुछ भी नही कह रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या हमारी नियम पुस्तक में कोई ऐसा जिसके द्वारा हम राज्यपाल के आचरण पर भी चर्चा कर सकें।

एक माननीय सदस्य : एक मूल प्रस्ताव द्वारा की जा सकती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : राज्यपाल को हटाने से पूर्व राज्यपाल के आचरण पर उन्होंने मूल प्रस्ताव क्यों नही किया गया ? उन्हें इस बात पर सफाई नहीं देनी चाहिए। हमें इस पर निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत ही गलत बात की है।

श्री बसुदेव आचार्य : इस सम्मानिय सभा को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप राज्यपाल के पक्ष में कुछ कह रहे हैं। आपको ऐसा करने का अधिकार है। मान ले कि सरकार जबाब देगी तो आपको उस पर आपत्ति नहीं उठानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि राज्यपाल को हटाने से पूर्व सरकार को उनके विरुद्ध मूल प्रस्ताव लाना चाहिए था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सत्ता पक्ष द्वारा राज्यपाल के सम्बन्ध में की गई किसी भी टिप्पणी का मैं विरोध नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि "किसी भी संवैधानिक पद का कोई उल्लेख नहीं किया जाना" संबंधित नियम वहीं तक प्रासंगिक है जहां उनके विरुद्ध मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकता हूं। मैं किसी न्यायाधीश के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं न्यायाधीश अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता हूं। लेकिन पूरे संविधान में राज्यपाल का पद ही सिर्फ ऐसा संवैधानिक पद है जिसके विरुद्ध किसी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी गई है सिवाए इसके कि वे राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अत: सच्ची बात यह है कि आमतौर पर राज्यपाल का उल्लेख करने से भी मुझे नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में मैंने ऐसा नहीं किया है और इसलिए मेरे इन सवालों का सरकार द्वारा जवाब देते समय मैं आपत्ति भी नहीं उठाऊंगा कि क्या ऐसा न्यायपूर्ण ढंग से किया गया था, क्या उन्हें सफाई देने का अवसर दिया गया था अथवा नहीं। यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या करने का प्रस्ताव करती है। क्या सरकार के पास भविष्य के लिए कोई योजना है?

महोदय, मुझे इस बात की चिन्ता है कि जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने ऐसा कहा था कि विगत काल बहुत सी गलतियां की गई है और आगे वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे संस्थानों की प्रतिष्ठा को कोई क्षति न पहुंचने पाये यह देखा जायेगा कि कुल मिला कर सारी बातें आम सहमति द्वारा की जाएं। वास्तव में, उस दिन मुझे खुशी हुई थी जब मेघालय पर चर्चा करते समय सरकार ने बताया था कि "आपको यह बात समझनी चाहिए कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते है। आपने जो विचार प्रकट किये है हमने उन पर ध्यान दिया है परन्तु हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते है।"

हमने कहा कि विगत काल में ऐसा होता रहा है और सरकार निर्देश देती रही है। यह कहा गया था कि ऐसा शायद एक बार हुआ है। यह भी कहा गया था कि "हो सकता है विगत काल मे यह हुआ हो परन्तु हमारा राज्यपाल को निर्देश देने का विचार नहीं है। उन्हें हम निर्णय लेने दीजिये।"

यह एक अच्छी बात थी।

लेकिन इस विशेष मामले में राज्यपाल ने संवैधानिक रूप से कार्य किया है। यह अनुच्छेद 356 के अनुसार किया गया और चार दिनों बाद उन्हें हटा दिया गया। निश्चित रूप से इस मामले में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इसका स्पष्टीकरण दे कि ऐसा क्यों किया गया है। इस महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण को नियमों द्वारा नहीं प्रतिबंधित कर देना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अनुच्छेद 356 आपातकालीन

प्रावधानों से सम्बन्धित भाग XVIII में उल्लिखित एक प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से, जो आपात-काल की घोषणा से सम्बन्धित है, ये कर अनुच्छेद 360, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा से सम्बन्धित है, तक इस अध्याय में नो प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में सबसे कठोर आपातकाल की घोषणा से सम्बन्धित अनुच्छेद 352 है। हमें 1975 से 1977 तक इसके कठोर अनुभव से गुजरना पड़ा है। हम इसे भूल नहीं सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी। वे इससे नहीं गुजरे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी नहीं। परन्तु मैं उन्हें श्रेय भी देता हूं कि 1977 के पश्चात जब नई संसद का गठन हुआ था जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था और उस समय आपातकाल से संबंधित तथ्यों पर जोर-शोर से चर्चा की गई थी। औपचारिक रूप से उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा न्यायोचित थी। परन्तु वास्तव में पूरे देश मे यह महसूस किया गया था कि आपातकाल की घोषणा न्यायोचित नहीं थी और इसलिए जब हमने सरकार के समक्ष उस समय यह प्रस्ताव रखा था कि अनुच्छेद 352 का उपयोग हल्के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए तो उसमे एक प्रस्ताव यह भी था कि अनुच्छेद 352 को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस प्रकार का आपातकाल लगाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जिसमे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त हो जाये। लेकिन ऐसा कहा गया था कि कोई परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थिति विगत काल मे उत्पन्न हुई है, ऐसा युद्ध के समय हुआ है, ऐसी अन्य परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं और इसलिए हमने कुछ परिवर्तन किये। आन्तरिक अशान्ति के स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह इत्यादि की धारणा को स्थान दिया। लेकिन अनुच्छेद 352 के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्बन्ध में एक संशोधन लाया गया था कि आपात-काल की घोषणा संसद में साधारण बहुमत से नहीं की जायेगी। इसकी घोषणा विशेष बहुमत द्वारा की जायेगी, उस प्रकार के विशेष बहुमत द्वारा जो अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान संशोधन के समय आवश्यक होता है। अनुच्छेद 352 के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इस सम्बन्ध में 44 वें संशोधन के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

इस ओर के प्रमुख दलों में मेरे ऐसे मित्रगण भी है जो अनुच्छेद 356 समाप्त करने का अभियान चला रहे हैं और अनुच्छेद 356 को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहते हैं जैसी कि उस समय अनुच्छेद 352 को समाप्त किए जाने की थी। लेकिन मेरे दल का यह विचार नहीं है। मेरे दल का विचार यह है कि अनुच्छेद 356 की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए की गई थी और इन विशेष परिस्थितियों को टाला नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 356 का इस प्रकार से बार-बार गलत उपयोग किया गया है, मैं इस सभा से यह अनुरोध करूंगा कि यदि सरकार आज नागालैंड सम्बन्धी निर्णय को यथारूप में पारित करने पर जोर देती है, तो इसे इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संशोधन किया था उसी प्रकार हम अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति शासन के सभी [illegible] की अनुमति के सम्बन्ध में विशेष बहुमत द्वारा मंजूरी

दिये जाने सम्बन्धी संशोधन स्वीकार करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियन्त्रण होगा जो स्वयं आपके अपने हाथ में होगा। आज आप इस प्रकार से आपातकाल की घोषणा लागू नहीं कर सकते हैं। न तो आप और न ही इस पक्ष से यदि कोई सरकार बनती है वह ऐसा कर सकती है। इस पर एक नियन्त्रण है। यह आन्तरिक नियन्त्रण लागू बहुत ही अच्छे होंगे। कृपया इस पर विचार करें। यह मेरा पहला सुझाव है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विधान सभाओं में हमें जो समस्यायें हो रही हैं उसका एक कारण है दल-बदल। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस सत्र के शुरू होने से पहले अध्यक्ष द्वारा कई बैठकें बुलाई गई थीं जिसमें दल के नेताओं को आमन्त्रित किया गया था और उन बैठकों में सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि पहले के अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए दल-बदल विरोधी कानून का पुनर्विलोकन किया जाएगा और इस सन्दर्भ में शीघ्र ही एक संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा। अभी संशोधन नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि संशोधन कब होगा अथवा होगा या न होगा। यदि संशोधन होगा भी तो उसे इस सत्र में पारित किया जाएगा अथवा नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मन्त्री इस मुद्दे पर पर भी उत्तर देंगे।

पूर्वोत्तर से सम्बद्ध तीसरा मुद्दा यह है कि वे छोटे राज्य हैं और उनकी विधान-सभायें छोटी हैं। उनमें से कुछ विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या केवल 60 है। और ऐसे 60 सदस्यों वाली सभा में एक दल हो सकता है अथवा उस सभा में कई दलों का समूह होता है और इनमें से जब 32 सदस्यों में से 25 या 26 सदस्य मन्त्री बन जाते हैं तब शेष 7 या 8 सदस्य, उस स्थिति में अस्थिरता का मुख्य कारण बन सकते हैं। देश के उस भाग में यह मुख्य बात है। लेकिन यह बात देश के शेष भाग से भी प्रासंगिक है। यह वह समय है जबकि सरकार को चाहिए कि वह सांविधिक संशोधन द्वारा सारे देश में मंत्रियों की संख्या सीमित करने पर विचार करें। और यह सीमित संख्या केवल तथाकथित मन्त्री परिषद के सदस्यों के लिए ही लागू नहीं होनी चाहिए अपितु उन संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए जिनको कतिपय समितियों अथवा निगमों की अध्यक्षता सौंपी जाती है और जिन्हें उन पदों के साथ-साथ मन्त्रीय गौरव भी प्राप्त होता है। यह उचित समय है जबकि हम इस प्रकार की समस्याओं के लिए भी उपाय खोज सकते हैं।

मैंने पहले ही ऐसे तन्त्र की आवश्यकता के बारे में कहा था जिससे राज्यपाल का कार्यकाल सुनिश्चित हो सके। और इस परिप्रेक्ष्य में, सरकारिया आयोग ने सिफारिशें की थी उन पर ध्यान देने और अपनाने योग्य है।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि वर्तमान प्रस्ताव के सन्दर्भ में, आज का दिन संसद के इतिहास में चिरस्मरणीय दिन हो सकता है यदि आज वाद-विवाद समाप्त होने के बाद, सरकार स्वयं यह महसूस करती है कि उसने क्या गलती की थी और स्वयं द्वारा पारित प्रस्ताव को वापस लेती है अथवा यह सभा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लेकर नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डालती है, और पहले की सरकार को बहाल करके चुनाव होने तक काम चलाऊ सरकार के रूप में शासन करने की स्वीकृति देती है।

4.00 म.प.

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य): उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत

सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैंने, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के विरोध में, विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को बहुत ध्यान से सुना है।

श्री आडवाणी जी ने इस सांविधिक प्रस्ताव के विरोध में मुख्यत: चार मुद्दे उठाए हैं। पहला विषय यह है कि ये संवैधानिक रूप से असमर्थनीय है। दूसरा विषय यह है कि ये राज्यपाल की प्रतिष्ठा पर कठोर प्रहार है। तीसरा वह यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को बर्खास्त करने के परिप्रेक्ष्य में उनकी कार्यवाही पर हम विचार करें, और अन्तत: वह राजनैतिक सवाल जिस पर वे चाहते हैं कि हम विचार करें, वह यह है कि जहां तक पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों का सम्बन्ध है, उनको इस कार्यवाही द्वारा पृथक कर दिया गया है।

अब, जहां तक संवैधानिक प्रावधानों का संबंध है मैं यह महसूस करता हूं कि जहां तक अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उदघोषणा का सवाल है, अनुच्छेद 356 का कई बार उपयोग किया गया है और अनेक सन्दर्भों में न्यायालयों ने व्याख्या दी थी जिसमें उच्चतम न्यायालय भी सम्मिलित है। यह सुस्थापित है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि राष्ट्रपति का यह मत होता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सरकार चल नहीं पाएगी तब अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उन्हें यह उदघोषणा जारी करने का अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में 'अन्यथा' शब्द की भी व्याख्या की गई है जिसका अर्थ है कि यह राष्ट्रपति की आत्मपरक संतुष्टी है। 1977 या 1978 के मुकदमे से विपक्ष अच्छी तरह परिचित हैं तब तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरणसिंह ने व्यावहारिक तौर पर नौ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह निर्देश दिया था कि वे राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दे। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में थी और तत्कालीन गृह मंत्री के अनुसार कांग्रेस ने जनमत खो दिया था क्योंकि वे लोकसभा चुनावों में बुरी तरह विफल हो गए। कांग्रेस दल ने कुछ राज्यों में एक भी सीट नहीं जीती थी और कुछ राज्यों में उन्हें एक या दो सीटें मिली थी। अत: इसी व्यापक राजनैतिक कारण से ही तत्कालीन सरकार ने जनमत खो दिया। इसलिए, मुख्य मंत्री जी मैं, तुम्हें राज्यपाल को सलाह देने और विधानसभा भंग करने का आदेश देता हूं। वे मुकद्में, अनुच्छेद 131 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल हुए थे और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि ये मुकदमें 'अन्यथा' प्रावधान के अन्तर्गत आते हैं तथा राष्ट्रपति उन सभी विधान सभाओं को भंग कर सकते हैं और अन्त में राष्ट्रपति ने उन सभी विधान सभाओं को भंग कर दिया। अत: यह शब्द 'अन्यथा' काफी व्यापक है, यह राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है कि राज्यपाल द्वारा या अन्यथा जो जानकारी नहीं दी गई, उससे वह परिस्थिति का आंकलन कर सकते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि यह सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस मुकद्में में भी कोई कठिनाई नहीं थी। राष्ट्रपति को उदघोषणा करने का संवैधानिक अधिकार है और उनके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की रिपोर्ट के कारण, परिस्थिति अंशत: उनके अनुकूल बन गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महत्वपूर्ण पदों के लिए काफी दबाव है। राज्यपाल ने स्वयं ही कहा कि परिस्थिति अस्थिर है और उन्होंने स्वयं ही कहा था कि कानून और व्यवस्था को उपेक्षित किया है। इसलिए राज्यपाल की रिपोर्ट से यही अर्थ निकलता है कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी, जिससे संविधान के अनुसार सरकार चला नहीं सकती थी। केवल यह एक ही

बात है कि राज्यपाल कुछ अलग निष्कर्ष पर पहुँचे थे। रात्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन्हें मुख्य मंत्री की सलाह को स्वीकार करना चाहिए। उनके अनुसार मुख्यमन्त्री के पास बहुमत था, इसलिए सलाह को मानना और विधान सभा को भंग करना उनकी बाध्यता है। इससे भी यह सच्चाई सामने आती है कि ये ठीक बात नहीं थी।

राज्यपाल का निष्कर्ष तीन चीजों पर आधारित था, उन्होंने कहा विधान सभा का अधिवेशन अभी अभी समाप्त हुआ है, धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया है, मांगे पारित की गई, इस लिए उन्होंने यह अनुमान लगाया कि सरकार बहुमत में है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना गया। पहले तो मैं यह निवेदन करता हूं कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री बहुमत में है। यह सदन की कार्यवाही का भाग नहीं है। इसलिए आप यह कह कर नहीं सकते हैं कि सभा के समक्ष यह निणय किया गया है कि मुख्यमंत्री बहुमत में है। इसलिए, जहां तक राज्य सभा के चुनाव का प्रश्न था, राज्यपाल द्वारा लिया गया वह निर्णय, असम्बद्ध था।

जहां तक, धन्यवाद प्रस्ताव और मांगों का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करता हूं कि उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि परिस्थिति अस्थिर है। हर क्षण परिस्थिति बदल रही थी। मुझे यह सूचना मिली है कि मंत्री मंडल के निर्णय के बिना सभा को भंग करने की सलाह दी गई थी और गृह मंत्री भी इस बात से सहमत होंगे। यह उनकी खुद की सलाह थी और उस सलाह को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रीमण्डल की कोई भी बैठक नहीं हुई थी यदि वे मंत्री मण्डल को यह सलाह देने के संबंध में ध्यान देने के लिए आमंत्रित करते तो पूरे दल में विभाजन हो जाता और उसी समय उनकी सरकार अल्पमत में आ जाती उसके बाद होने वाली घटनाओं से प्रमाणित हो गया था और अगले ही दिन आपको यह मालूम पड़ा कि उन्हें चार मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। 28 मार्च के दिन उन्होंने श्री सी. चांगसेन, श्री के. वी. केडिट्स, श्री ताइमेरिन तथा श्री खेकिहो सेमा को बर्खास्त किया।

इससे ज्ञात होता है ? वे अपनी सलाह को मंत्री परिषद की सलाह कह कर प्रस्तुत करते हैं जो कि गलत बात थी क्योंकि ये सलाह मंत्री परिषद द्वारा नहीं दी गई थी। यह तो उनकी अपनी सलाह थी। यही बात तो अगले दिन प्रमाणित हुआ था और उन्हें चार मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। इससे क्या ज्ञात होता है ? इससे यह पता चलता है कि उनको उनके मंत्रियों का समर्थन नहीं था या और एक अप्रैल को, उन्हें और तीन मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। वे तीन मंत्री थे श्री श्री अकेम फोम, श्री एन. टी. नाखरो और श्री थामाकस। सत्ताधारी दल से तेरह विधान सभा सदस्यों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अतः एक या दो दिन के बीच घटित, इन घटनाओं से यह पता चलता है कि उन्होंने राज्यपाल को जो सलाह दी थी, वह उनकी व्यक्तिगत सलाह थी। वह सरकार की सलाह नहीं थी और ना ही मंत्री परिषद की सलाह थी। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि राज्यपाल को उस सलाह के अनुसार काम नहीं करना चाहिए था और न ही उन्हें इस सलाह को स्वीकार करना चाहिए था। मेरी सूचना यह है कि राज्यपाल महोदय कलकत्ता जा रहे थे और उन्हे रास्ते में ही डीमापुर में संदेश मिला और वे तुरन्त ही लौट आए और

फिर जैसा कि मुझे बताया गया, 20 मिनट के अन्दर ही बिना किसी सोच विचार के विधान सभा भंग करने के आदेश जारी कर दिए गए। मैं उन पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहूंता हूं। उनको अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इससे पता चलता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें कोई भी काम चलाऊ सरकार और न ही कोई अन्य सरकारी तंत्र संविधान के अनुरूप कार्य कर सकती थी। इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम माननीय राष्ट्रपति के संतुष्टि के प्रश्न पर न भी जाए तो भी वहां की वस्तुस्थिति ही उन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी करने हेतु संतुष्ट करने के लिये पर्याप्त थी। यह संवैधानिक घोषणा इसलिए पूरी तरह से न्याय संगत हैं।

एक संवैधानिक मुद्दा उठाया जा रहा है और आगे भी उठाये जाएंगे कि संविधान की अनुच्छेद 174 और 356 में विरोधाभास है। परस्पर विरोध इस प्रश्न में है कि अगर अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत सभा पहले ही भंग की जा चुकी हो तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी कर सकता है? मेरे विचार में कोई विरोधाभास नहीं है। राज्यपाल, राष्ट्रपति और संविधान से ही शक्ति प्राप्त करता है। हमारे विद्वान दोस्त ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया है जिसके अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति का नौकर नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिक संवैधानिक प्राधिकार होते हैं। राज्यपाल अपनी सारी शक्ति राष्ट्रपति से ही प्राप्त करता है। इसकी नियुक्ति संविधान के द्वारा होती है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री शरद दीघे से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया इस सदन को बताएं कि वहां किस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था बिलकुल असफल हो चुकी थी। इस समय यही मुद्दा है।

श्री शरद दिघे : यही मैं कह रहा था और दुबारा फिर कहूंगा। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा बहुमत खो देने के कारण संवैधानिक व्यवस्था असफल हो चुकी थी। वे उन लोगों का समर्थन खो चुके थे जो उन्हें पहले समर्थन दे रहे थे। राज्यपाल की स्वयं की रिपोर्ट के अनुसार वहां की स्थिति नितान्त अस्थिर थी और सभी उत्तम पदों के लिए खींचा-तानी चल रही थी। ऐसा सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती थी। अगर एक भी दिन और वह सरकार रहती तो वह अल्पमत में आ जाती।

श्री बसुदेव आचार्य : धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। लेखानुदान भी पारित हुआ। फिर आप कैसे कह सकते है कि सरकार का बहुमत प्राप्त नहीं था।

श्री शरद दिघे : यह मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं इसे दोहराऊंगा अगर आप चाहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव और लेखानुदान कुछ दिन पहले पारित किए गए थे। लेकिन स्थिति तो प्रति मिनट और प्रति घन्टे बदल रही थी। और इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री का अपने मंत्रियों को बर्खास्त करने दृष्टिगोचर होता है। यह से कम सही था कि उन्हें अपने मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा .(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप सरकारिया आयोग का उल्लेख कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री सैयद सहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, वे किस संविधान का उल्लेख कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शरद दिघे : इससे पता चलता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी थी।

ये लोग सरकारिया आयोग का उल्लेख कई बार कर चुके हैं। उस आयोग के प्रति मेरे मन में भी क़ाफी आदर है। उसने कई बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वह एक आयोग मात्र है। उसकी रिपोर्ट न तो इस सदन के द्वारा और न ही सरकार द्वारा स्वीकार की गई है। मैं कमसे कम उसकी आधा दर्जन ऐसी सिफारिशों का उल्लेख कर सकता हूं जिन्हें ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे।

मुझे बताया गया है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर सरकार की एक उप-समिति द्वारा विचार किया जा रहा है और उसके बाद उसकी सिफारिशों को लागू किया जायेगा। चूंकि सरकारिया आयोग आपके अनुकूल है, सिर्फ इसलिए आप बार-बार उसका उल्लेख नहीं कर सकते।

उसमें अच्छी सिफारिशें है जिन्हें हम विचार-विमर्श के बाद स्वीकार करेंगे और उसके बाद वे व्यवहार में लायी जायेगी। लेकिन इन्होंने जो इसका उल्लेख किया है, उसमें ऐसी कोई विशेष सिफारिश नहीं है जिसमे यह कहा गया हो कि अगर राज्यपाल के द्वारा विधान सभा विघटित कर दी गई हो तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी नहीं करनी चाहिए। सरकारिया आयोग में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए मेरा कहना है कि उसमें कोई संवैधानिक विरोध नहीं है जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, अगर अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वाराअपने अधिकार का प्रयोग किया जा चुका हो तो भी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356के अन्तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति से शक्ति प्राप्त करता है और राष्ट्रपति को राज्यपाल के आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसलिए उसमें कहीं भी संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती।

इन्होंने कहा है, "राज्यपाल की बर्खास्तगी पर भी विचार हो।" इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उस मुद्दे पर बहस करना बहुत ही नाजुक है क्योंकि तब बहुत सारी ऐसे चीजों पर भी बहस करनी होगी जिनको नियमानुसार अनुमति नहीं है। इसलिए मैं विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि वे वर्तमान सांविधिक प्रस्ताव तक ही अपने आपको सीमित रखें। सांविधिक प्रस्ताव है :

"सभा जारी की गई उद्घोषणा को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।" राज्यपाल के साथ क्या हुआ और उसे क्यों बर्खास्त किया गया, वह एक नाजुक मामला है, इसलिए उसे अलग छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन यह एक तथ्य है कि वहां के मुख्य सचिव पर कई आरोप लगाए गए थे जिनकी जांच की गई और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश देने के बाद भी उसे निलम्बित नहीं किया गया। उस तथ्य का भी इस सम्बन्ध में ध्यान रखना है।

अब रहा राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न और विपक्षी नेताओं ने ठीक ही कहा है

कि उस पर विचार होना चाहिए। नि.सन्देह ऐसा होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा संविधान प्रदत्त स्वविवेक पर आधारित अधिकारों का प्रयोग करते समय उनके राजनीतिक परिणामों पर भी उनके द्वारा विचार किया जाना चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि कोई कैसे यह धारणा बना सकता है कि केन्द्र सरकार उत्तर पश्चिम प्रांतों के हितों को नहीं देखती है और केवल विपक्ष ही उनके हितों का ध्यान रखती है और केन्द्र द्वारा कोई कार्यवाही करने पर वहां के लोग अलग-अलग पड़ जायेंगे तथा यह कैसे कहा जाता है कि यह कार्यवाही उस राज्य के हित में नहीं है? मेरी जानकारी और अनेकों रिपोर्टों के अनुसार उस राज्य में पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार वहां नहीं चल सकती। इसलिए, वस्तुत: इस कार्यवाही से उस राज्य की रक्षा हो सकेगी और यह उस राज्य के लोगों के हित में है। इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि वहां की विधान सभा भंग हो जाने और काम चलाऊ सरकार के बर्खास्त हो जाने से अब सब कुछ लोगों के हितों के विरुद्ध हो जाएगा। कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है और उसके भी प्रतिनिधि वहां मौजूद हैं और वह यह समझती है कि इस कार्यवाही से उत्तर-पश्चिम के राज्यों का भला होगा, इसलिए ऐसी धारणा नहीं बनायी जानी चाहिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से वहां के लोग तुरन्त ही अलग-अलग पड़ जायेंगे और उनके मन में सरकार के विरुद्ध दुर्भावना जन्म लेगा। संभवतः वहां के सारे लोगों ने केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही का स्वागत किया है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस वैधानिक संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, जिस बहस में हम लोग आज लगे हुए हैं, वह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 10 महीनों में इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, और विशेषकर पूर्वांचल को लेकर वह यह दिखाते हैं कि न इनकी संस्कृति सभ्यता में पिछले 10 महीनों में कोई परिवर्तन हुआ है और न ही समूचे देश की सुरक्षा के बारे में और इस देश में संवैधानिक ढंग से राज-काज को चलाने के बारे में और विशेषकर पूर्वांचल को, जो देश की सबसे सैन्सिटिव सीमा करके हम मानते हैं, उसके बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में इनके मन में किसी भी प्रकार की चिन्ता है।

जिस प्रस्ताव पर आज हम बहस कर रहे हैं, जिसको अभी गृह मंत्री ने यहां पर रखा, मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान के संविधान के साथ, वैसे अनेक बार अनेक किस्म के खिलवाड़ हुए हैं लेकिन इस खिलवाड़ ने इस संविधान को अब सरकारी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ही इज्जत नहीं दी जा सकती है, इस संविधान की अब किसी भी प्रकार की कीमत नहीं बची है, इसका सबूत आज हम लोगों को यहां पर मिलता है।

अध्यक्ष जी, अभी हमारे मित्र माननीय शरद दिघे जी ने गवर्नर के निर्णय को लेकर, यानि विधान सभा को भंग करके वहां बापूजी के हाथों में केयर टेकर सरकार देने के मामले पर दो तीन बातें कहीं। मुझे लगता है कि आपने गृह मंत्री के भाषण को यहां सुना नहीं। जब माननीय लाख

जो यहां पर बोल रहे थे, तब गृह मंत्री एक बार बीच मे, एक बार नहीं, वैसे अनेक बार खड़े हो गये, लेकिन एक बार उन्होने यह कहा कि जहां तक गवर्नर का फैसला है, 174 के अन्तर्गत, उसको वह चुनौती नही दे रहे है, उसको वह स्वीकार कर चुके हैं और अगर गृह मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया और इस सदन मे किये गये हर निवेदन मे पिछली बार के निवेदन में और आज के निवेदन मे, पिछली बार जेकब साहब ने यहां पर निवेदन किया तो इस को यहां पर कबूल किया गया कि गवर्नर अपने अधिकार के अन्दर थे, उन्होने अपने किसी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। अब इस बात को सदन के कबूल करने के बाद सत्ताधारी दल के लोग खड़े होकर और उनके सबसे पहले प्रवक्ता खड़े होकर जब बोलते हैं कि बहुमत नहीं था, कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई, अब अगर मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल करू, आप कहेंगे, उसको वापस ले लो, लेकिन अगर इसको असत्य करके कहू तो जितना हमारे मन में गुस्सा है, वह व्यक्त नहीं हो पायेगा। चूंकि सदन मे तर्क होता है, वितर्क होता है, सब कुछ होता है लेकिन जब गृह मंत्री निवेदन करते है, सरकार अपनी तरफ से निवेदन करती है, उस के बाद सरकारी प्रवक्ता खड़े होकर यहां पर तर्क देते है कि नहीं, यह गलत है तो उस पूरे सदन का अपमान करते हैं और अपनी ही सरकार को ऐसे कठघरे में रखते हैं कि जिसको देखते हुए हमे दया आती है, करके कहूं... (व्यवधान) ...तो शर्म आती है, ठीक बात है।

अध्यक्ष जी, असेम्बली की बैठक होती है, 9 मार्च से 26 मार्च तक। असेम्बली सबसे पहले गवर्नर के अभिभाषण को सुनती है, उसके बाद गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होती है और उस पर बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है। अगर हर सेकेण्ड, हर मिनट, हर घण्टे, अभी हमारे मित्र दिघे जी बाहर चले गये, उन्होने जैसा कहा, क्षण-क्षण पर वहां पर ऐसा कुछ बदलाव हो रहा था तो वह क्षण कब शुरू हुआ? क्षण-क्षण पर अगर 13 सदस्य, 15 सदस्य सरकार से इस्तीफा देकर सरकार को गिराने के लिए तैयार थे, चूंकि आपके विदेश मंत्री वहां जाकर बैठे थे तो फिर जब उनको मौका था, गवर्नर के अभिभाषण पर सरकार को हराने का, तो क्या हुआ? क्यो नहीं हराया?

श्री राम नाईक : वह क्षण नहीं आया?

श्री जार्ज फर्नान्डीज। अध्यक्ष जी, उसके बाद राज्य सभा के चुनाव होते हैं। चार दिन विदेश मंत्री वहां पर बैठे, चुनाव के दरमियान... (व्यवधान) .. विदेश राज्य मंत्री.. (व्यवधान)... नही, इसलिए शायद गए थे, जब नागालैण्ड के साथ, वहां जब विरोध चल रहा था, तब जो समझौता हुआ था, उसमे एक शर्त यह थी कि नागालैंड का मामला विदेश मन्त्रालय की ओर से देखा जाएगा। लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं है, शायद गृह मंत्री इस बात को नहीं जानते हैं कि वहां से हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है।

श्री एस. बी. चव्हाण . जो आप कर रहे थे, वही शायद उन्होंने किया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम क्या कर रहे थे स

श्री एस. बी. चव्हाण : आप भी गए थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम कहां गए थे?

एक माननीय सदस्य : नागालैंड ।

श्री आर्स फर्नान्डीज : हम नागालैंड नहीं गए थे । यह बात आपके जूनियर मंत्री ने पिछली बार कही थी। मैंने चुनौती देकर कहा था, पहले सबूत लाइए ।···(व्यवधान)···हम नहीं गए थे । हम गए थे, उसका क्या हुआ, वह चर्चा करने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है । हम नहीं गए थे । मगर यह बात बार-बार कही जाती है । सदन के बाहर हमको अगर कोई गाली दे, तो समझ सकता हूं, लेकिन के भीतर भी यह बोलने की हिम्मत करते हैं कि हम गए थे ।···(व्यवधान)···एक मंत्री मेरे पास आकर बोले कि मेरा टेप-रिकार्डेड बयान है गवर्नर के साथ । मैं चुनौती देता हूं, अध्यक्ष जी, मैं गवर्नर से न सरकार में रहते और न सरकार से हटने के बाद, गवर्नर से कभी बात नहीं की और ये कह रहे हैं कि टेप-रिकार्डेड बयान है इनके पास ।···(व्यवधान)··· इसका मतलब यह कबूल करते हैं कि गवर्नर का बयान टेप-रिकार्ड करते हैं ··(व्यवधान) मुझ को आकर कहते हैं, हमने कहा कि लाओ। सदन में लाओ, यदि सदन में लाने की हिम्मत न हो तो बाहर लेकर आओ । बाहर हजारों लोगो के सामने लाकर दिखाओ । इस प्रकार की यह राजनीति नहीं है, अध्यक्ष जी । यह कोई जिम्मेदार सरकार इस तरह की बात नहीं कर सकती है । अगर आपने टेप-रिकार्ड किया गवर्नर के संवाद का, तो कम से कम इस तरह से सार्वजनिक तौर पर मत बोलिए । गवर्नर के ऊपर राष्ट्रपति जी को विश्वास है । उनको हटाने तक में विश्वास था, तो हम उसके संवाद को टेप रिकार्ड करते रहे हैं । उसके बाद बजट आ जाता है । 26 तारीख की शाम को बजट पास हो जाता है । अगर क्षण-क्षण परिस्थितियां बदलती रहीं, तो फिर अभी वह क्षण नहीं आया ? आपके 15-20 लोग आपकी तरफ से सरकार को गिराने के लिए आने वाले थे, इसलिए अध्यक्ष जी, हमें इन तथ्यों को समझना होगा । जहां तक गवर्नर का फैसला, वामूजो मंत्रिमंडल के निर्णय पर है, अब इन लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई । मैं गृह मंत्री को चुनौती देता हूं यहां पर आज, गृह मंत्री जी गवर्नर का घर आपके ताबे में है, सेक्रेटेरिएट आपके ताबे मे है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट वहां पर जो भी हो, उसे मंगा लीजिए । मगर अपने प्रवक्ता के मुंह से इस प्रकार की गलत बातें आप सदन में कहलाते हो कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो गई । आपका यह कहना आपके गवर्नर ने, जिस गवर्नर के बारे में गृह मंत्री कहते हैं कि धारा-174 के अन्तर्गत उनका फैसला दुरूस्त था, इसकी जांच किए बगैर कि कैबिनेट की मीटिंग हुई कि नहीं हुई और हुई तो कब हुई, इसकी जांच किए बगैर ही गवर्नर ने फैसला लेने का काम किया ?

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : आपकी अनुमति से, अगर आपको स्वीकार्य हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं माननीय गृह मंत्री का आभार मानूंगा अगर वे हमें मिली तथ्यगत जानकारी में कोई गलती है तो वे हमें बतायें । मुझे सूचना मिली है कि राज्य कैबिनेट की बैठक 20 मार्च को हुई थी जिसमें विधान सभा विघटित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया । यह राज्य सरकार की कैबिनेट के निर्णय और 26 मार्च को उसकी हुई बैठक, दो तथ्य हैं, जिन पर मैं यहां जोर दे रहा हूं । अगर ये तथ्य भारत सरकार को मिली सूचना से मेल नहीं खाते हैं और वे असत्य हैं तो यह केन्द्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह सदन के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करें ।

श्री एस. बी. चव्हाण : क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि 26 तारीख को हुई बैठक जिसमें विधान सभा को भंग करने का निर्णय लिया गया और इस बात से पूरी तरह से भिज्ञ होते हुए भी राज्यपाल, जिनका कलकत्ता जाने का कार्यक्रम था, वे दीमापुर पहुँचे और कलकत्ता नहीं गये ? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह क्या मैं केन्द्रीय गृह मंत्री के सहायतार्थ यह दोहराऊं कि मैंने नागालैंड के भूतपूर्व राज्यपाल के दौरे के बारे में कुछ नहीं कहा है ? मैंने तो यह कहा है कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि नागालैंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 26 तारीख को हुई जिसमें विधान सभा भंग करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल कैबिनेट के उस निर्णय से अवगत थे या नहीं, यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और हां, अगर माननीय गृह मंत्री राज्यपाल के दौरे के ब्यौरे पर कोई बहस करवाना चाहते हैं तो यह एक अलग बात है।

यह जो कुछ मैं कह रहा हूं, क्या यह सत्य है अथवा एक साधारण दावा नहीं है। यदि यह सच्चाई से कुछ हटकर है तो केन्द्रीय मंत्री जी को हमें इस बारे में जानकारी देना चाहिए। और यदि वे कोई जानकारी नहीं देते हैं, तो यह कल्पना की जा सकती है कि मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर ही सिफारिश की गई थी जिसे कि अब रफा दफा कर देना चाहिए।

श्री एस. बी. चव्हाण : आप कृपया मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करें।

श्री जसवन्त सिंह : मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह निरलाई का सवाल नहीं है, हम लोग कैसे बहस करें।

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : आप क्या कहने वाले हैं मैं जानता हूं और इसलिए मुझे अभी इसके देने की जरूरत नहीं है आपको जो कुछ कहना है आप कहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है हम आपका संरक्षण चाहते हैं और पूरा सदन इस मामले में आपका संरक्षण चाहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार-बार इस सदन के भीतर यह कहा जाता हो कि बिना कैबिनेट का फैसला, बिना केबिनेट सरकार का बहुमत यह सारी चीजें हुई हैं तो गृह मन्त्री को यह जिम्मेदारी है और हम लोगों का यह अधिकार है उनसे पूछने का, क्योंकि अभी जो दिघे जी ने यहां पर बात कही अगर यह बात सही है तो मुझे यहां पर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है मैं बैठ जाऊंगा, मगर उनके कहने में तथ्य है तो इसलिए बहस यहां पर हम लोग

[अनुवाद]

केवल बहस करने के लिए ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि वे उत्तर देने जा रहे हैं। मान लीजिए वह अब अपना वक्तव्य देते हैं और आप यह कहते हैं कि यह बात सही नहीं है और मान लीजिए कि केवल इसी बात को लेकर ही हम चर्चा करते रहें और फिर इसके कारण यदि उद्घोषणा संबंधी पूरी चर्चा में विलम्ब होता है, तो, यह उचित नहीं होगा। इसलिये आप अपनी बात पर दृढ़ रहें और उत्तर तो दिया ही जाएगा। और उसके बाद भी यदि आप सन्तुष्ट नहीं होते, तो आपको प्रश्न करने का पूरा अधिकार है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सच्चाई जानने का प्रश्न है। मैंने जिस बात के उद्धरण रखे हैं, उनके बारे में एक सरकारी दस्तावेज मेरे पास है और इसके बाद भी सत्ता पक्ष की ओर से सदस्यगण बार-बार इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। स्वाभाविकत: श्री फर्नान्डीज और मैं, हम दोनों यह जानना चाहेंगे कि सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि हमें यह बता दिया जाता है कि मुख्य मंत्री द्वारा मंत्री मंडल की सलाह के बगैर सिफारिश की गई थी, तो यह तो एक बात होगी। हमारा तर्क इससे कुछ अलग होगा। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि इस बात की कोई मान्यता नहीं है। जैसाकि मैंने संकेत किया है, आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। दुख की बात यह है कि मंत्री मंडल की सलाह के बगैर ऐसा किया गया है जबकि यह बात मंत्री मंडल के कार्यकरण संबंधी नियमों पर निर्भर करती है। इन नियमों के अनुसार कार्य करने पर यह अवैध नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन इस विशेष मामले के बारे में यदि हमें तथ्य से अवगत कराया जाता है तो शायद इस पर हमारी अलग ही प्रतिक्रिया होगी और इसलिए अच्छा यह होगा कि सरकार को इस विषय पर प्रकाश डालना चाहिये। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यदि कोई सदस्य किसी दस्तावेज के उद्धरण प्रस्तुत करता है तो क्या प्रस्तुतकर्ता का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व नहीं बनता कि उन उद्धरणों को प्रामाणिक सिद्ध करे और उन्हें सभा पटल पर रखे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. चार्ल्स, कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, गृह मंत्री जी की चुप्पी का कोई अर्थ है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हम तो यह कहना चाहते हैं कि केबीनेट का फैसला हुआ और 27 तारीख को सुबह साढ़े दस बजे मुख्य मंत्री जाकर गवर्नर से मिले और गवर्नर को लिख कर दिया, जिस प्रकार शायद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी पढ़ कर सुनाया है और गवर्नर ने अपना निर्णय लिया। उस निर्णय को सबसे पहले उन्होंने तार द्वारा राष्ट्रपति को भेजा—

[अनुवाद]

"मैंने मुख्यमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत, नागालैंड विधान सभा का विघटन कर दिया है। मुख्य मंत्री को नये चुनावों तक कार्यवाहक क्षमता में बने रहने के लिए अनुमत किया गया है। विस्तृत संदेश भेजा जा रहा है।"

[हिन्दी]

आपने सदन में जो दस्तावेज पिछली बार सवाल उठाने पर रखा था, उसे मैं पढ़ रहा हूं। उसके कुछ समय बाद उन्होंने डीटेल्ड तार भेजा, डीटेल्ड वायरलेस मैसेज भेजा 27 मार्च को और उसमें उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

"आदरणीय राष्ट्रपति जी,

यह पत्र नागालैंड विधान सभा के विघटन के बारे में आज ही के दूरभाष संदेश तथा इसके साथ-साथ इससे पहले के सम संख्यक वायरलेस संदेशके क्रम में जारी किया जाता है।"

[हिन्दी]

अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, सब के हाथ में है मगर वे यह बताते है :—

[अनुवाद]

"नागालैंड विधान सभा का बजट-सत्र, जोकि 16 मार्च को प्रारम्भ हुआ था, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा आगामी वर्ष के लिए अनुदान मांगें पारित की गई है और 26 मार्च, को सत्रावसान हो गया है। वर्तमान मुख्य मंत्री के बहुमत का निर्णय भी विधान सभा में किया गया है।"

[हिन्दी]

उसके बाद जो चुनकर आए हैं, वे बताते हैं :—

[अनुवाद]

"मुख्यमंत्री ने भी उन पर डाले जा रहे विभिन्न दबावों के कारण ताजे जनादेश के पक्ष में हैं। वह यह अनुभव करते हैं कि विभिन्न मंत्रियों द्वारा उच्चतर पदों के लिए उन पर जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है, उन परिस्थितियों में सोद्देश्य प्रशासन नहीं चल सकता...।"

[हिन्दी]

यह तार राष्ट्रपति जी को दिया है और फिर 27 तारीख को मुख्यमंत्री को आता है, जिसमें वे कहते हैं :—

[अनुवाद]

"मुझे आपका पत्र मिला है जिसमें नागालैंड विधान सभा को विघटित करने की सलाह दी गई है। चूंकि आपने कल विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की कार्यवाही कर ली है, मैंने आपकी सलाह को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार मैं तत्काल ही विधान सभा का विघटन कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि अगले आदेशों तक कार्यवाहक सरकार के रूप में अपने पद पर बने रहें।"

[हिन्दी]

अब मैं इसलिए*यह आपके सामने रख रहा हूँ कि यह जो तर्क अभी यहां पर आपने रखा, अगर इस तर्क को मान लें तो फिर गवर्नर ने बहुत बड़ी गलती की है और केवल गलती नहीं की है, क्योंकि 27 तारीख को असेंबली डिजाल्व हो चुकी है, केयर-टेकर गवर्नमेंट बन चुकी है, 2 अप्रैल को आप संविधान की धारा 356 का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसका इस्तेमाल करने की गृह मंत्री और सरकार द्वारा खूब विचार-विमर्श करके सलाह दी गई। तो क्या गृह मंत्री आपने राष्ट्रपति महोदय के सामने यह बात रखी कि धारा 174 के अन्तर्गत गवर्नर ने जो फैसला दिया है, वह असंवैधानिक है, क्योंकि उनका बहुमत न रहते हुए उन्होंने फैसला ले लिया और दूसरा मंत्रिमंडल की बैठक के बिना निर्णय को गवर्नर के सामने रख दिया और तीसरा गवर्नर ने इन दोनों चीजों की जांच किए बगैर असेंबली को बरखास्त किया है, तो इस गवर्नर के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आपने राष्ट्रपति महोदय के सामने रखा ?

[अनुवाद]

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं सलाहकार से प्राप्त रिपोर्ट का पता लगा रहा था और अब यह रिपोर्ट मेरे हाथों में है। मैंने इसे सत्यापित भी कर लिया है।

श्री वसुदेव आचार्य : कौन से सलाहकार से ?

श्री एस. बी. चव्हाण : एक मिनट रूकिए। हमने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि क्या मंत्रीमण्डल की बैठक के बारे में सभी मंत्रियों को कोई सूचना दी गई थी। सबसे पहले रिपोर्ट यह है :—

"अब तक कि रिपोर्ट यह है : हमारे पास मंत्री मण्डल की किसी बैठक का कार्यवाही सारांश अथवा रिकार्ड नहीं है जिसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई हो...।"

मंत्री मण्डल के भूतपूर्व मंत्री श्री चोंगशन ने भी वक्तव्य दिया है। उनके वक्तव्य का ब्यौरा मेरे पास मौजूद है। लेकिन चूंकि मैंने इसे सभा पटल पर नहीं रखा है इसलिए मैं इसे पढ़ना भी

*चूंकि अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में इस बारे में आवश्यक अनुमति नही दी गई, अतः दस्तावेज को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

नहीं चाहता। यह उनकी पार्टी के उपनेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह ब्यान दिये हैं कि मंत्री मण्डल की बैठक आयोजित नहीं की गई थीं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उनको बरीव किया होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एस बी. चव्हाण : जार्ज साहब, जरा गुस्सा पी कर बात करें ताकि हम भी समझ पाएं कि आपको गुस्सा किस बात पर है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से इतना ही कहूं कि असत्य की एक सीमा होती है। हमने उनको नहीं कहा था, हमने कहा कि एक सीमा होती हमने उनको नहीं कहा था, हमने कहा कि एक सीमा होती है। बड़ी मेहनत कर के जिस व्यक्ति ने दल को तोड़ने का काम किया उसके बयान को लेकर आप यहां पर आ गए और कुछ भी इनको नहीं मिला। जिस व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया और जिसका ब्यान इन्होंने यहां पर रख दिया वह आदमी कैसा है, मैं आपको अभी बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो आदमी यहां पर नहीं है उसके खिलाफ नहीं बोलना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इन्होंने नाम ले लिया।··· (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैंने कहा कि कैसे व्यक्ति को लेकर आए, जिनका नाम आप यहां रखने के लिए तैयार नहीं हैं। जो बात यहां कही जाती है वह लिखने लायक नहीं है और उसका सवाल ले कर यहां आ जाते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ऐसा इस व्यक्ति का आचरण है। गृह मंत्री सभा को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं··· (व्यवधान)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसमें दो बातें हैं। एक तो जो उन्होंने कही है और दूसरी बात जो कि सलाहकार ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चह्वाण : यदि आप सलाहकार का नाम जानना चाहते हैं तो मैं उसका नाम भी बताने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरी टिप्पणी इस मामले में आपसे भिन्न है कि केन्द्रीय गृह मंत्री तथा सलाहकार ने कुछ अलग अलग बताया है। मेरा मुद्दा यह है कि सलाहकार की बात के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है आपका उस बात की पुष्टि करनी चाहिये थी और सलाहकार ने जो कुछ कहा है, वह यह है कि उनके पास ऐसी मंत्री मण्डलीय बैठक का कोई कार्यवाही सारांश नहीं है। उनका इस बात पर कोई विवाद नहीं है ...

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है, "इन्हें पता नहीं चला।"

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : कार्यवाही सारांश उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि सलाहकार को भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ऐसी मन्त्री मण्डलीय बैठक......

अध्यक्ष महोदय : यही बात है कि गृह मन्त्री वहां नहीं थे, उन्हें तो उस रिपोर्ट पर ही विश्वास करना होगा जो उन्हें दी गई है। इसलिये वे अपने वक्तव्य के बारे में बेहद सचेत हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : निःसंदेह गृह मन्त्री जी की तरह मैं भी वहां नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : यही बात है कि आपने जो कहा है, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन इससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सही बात है। चर्चा जारी रहनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, समूचे मामले में जहां तक सारी मर्यादाओं को तोड़ने का काम हो रहा है, इसी का सबूत गृह मन्त्री जी दे रहे हैं। तीन मन्त्रियों के मेरे पास लिखित निवेदन हैं। यह 30 मार्च का निवेदन है।

[अनुवाद]

और ये मन्त्री है डा. के.के. कोन याक, मन्त्री (परिवहन), श्री वुकिषि, राज्य मन्त्री

(कला और संस्कृति) तथा श्री के. किका, राज्य मन्त्री (भू-गर्भ और खनन)। इन्होंने कहा है :

"एन.पी.सी. के अध्यक्ष के नाम लिखे 30 मार्च 1992 के पत्र में श्री चोगशेन ने यह कहा है कि हम लोगों ने वामू जी के मन्त्री मण्डल को समर्थन देना बन्द कर दिया है और एन.पी.सी. (प्रोग्रेसिव) नाम की एक अलग पार्टी गठित कर ली है और उपरोक्त पत्र पर एन.पी.सी. (प्रोग्रेसिव) के उपनेता के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर भी किये हैं। हमने वामू जी के नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन कभी भी वापस नहीं लिया और हमने ऐसी कोई बैठक में भाग नहीं लिया, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया कि वामू जी के मन्त्रालय के प्रति अपना समर्थन बन्द कर दिया है अथवा हम किसी अलग पार्टी का गठन कर रहे हैं और श्री चोगशेन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जो प्रेस-विज्ञप्तियां जारी की गई है, उनमें कुछ राजनीतिज्ञों के अपने निहित स्वार्थों के लिए हमारे नाम से जाली हस्ताक्षर किये हैं।" (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या वे भी इस मामले से जुड़े है।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या गृह राज्य मन्त्री इस मामले से जुड़े हैं ?

श्री सतोष मोहन देव : यदि इनके हस्ताक्षर जाली हैं तो मुख्य मन्त्री ने उनको बरखास्त क्यों नहीं किया ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या वह भी इस मामले से जुड़े हैं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डाज : अध्यक्ष जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। गवर्नर ने जो फैसला लिया और उस फैसले पर अगर कोई आपत्ति उठाने की बात है तो उससे बढ़कर संविधान के साथ, चूंकि गृह मन्त्रालय राष्ट्रपति के नाम से सारा काम करता है और 27 तारीख से लेकर 2 अप्रैल तक जो सरकार के फैसले है, यह इनके लिए सबसे बड़ा लांछन है। गवर्नर ने जो फैसला लिया, मैं उस 174 की बात यहां छोड़ देता हूं। 356 के अन्तर्गत आपने राष्ट्रपति का फरमान निकाला। यहां पर बहस को शुरू करते वक्त श्री रवि राय जी और अन्य माननीय सदस्यों ने मणिपुर के एक सवाल को छेड़ा कि कैसे मणिपुर में दस दिन में मुख्य मन्त्री और सरकार विश्वास का प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आने का वादा करके सरकार में जाकर बैठ गये और फिर गवर्नर ने असेम्बली बुलाने की बात की। असेम्बली की बैठक के कुछ ही घंटों पहले गृह मन्त्री के आदेश के ऊपर असेम्बली की बैठक को स्थगित करा दिया।

श्री एस. बी. चव्हाण : यह गलत है।

श्री जार्ज फर्नान्डाज : इसका मतलब है, आप अपना काम भी नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : इसके मायने हैं कि आप कितना असत्य बोलते हैं, यह इसका नमूना है। ··(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपका यह कहना है कि मणिपुर में जो हुआ उससे आपकी सहमति नहीं थी तो आपको उसको तत्काल दुरुस्त करना चाहिए। मैंने यह बात इसलिए कही कि जब गवर्नर की तरफ से इस प्रकार की कार्यवाही होती है और नागालैंड के गवर्नर ने आपसे पूछताछ नहीं की थी कि आपने डिस्प्युट करा दिया है। मणिपुर के गवर्नर ने कहा कि आपसे पूछताछ करके किया होगा या आपके आदेश के ऊपर किया होगा। आपके कहने के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार यह काम किया। अभी इस सदन में इस मसले को उठाने पर आपने कहा कि वहां पर ऐसी स्थिति बन गई है कि असेम्बली को बैठाना बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है।···(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने नहीं कहा, यह गवर्नर ने कहा, उनके ऊपर भरोसा कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप उस बात को लेकर सदन में उनका समर्थन कर रहे हैं।······

(व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण : गवर्नर का समर्थन तो करना पड़ेगा।···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो आप ही की बात हो गई। आप उस बात पर विश्वास करते हो।(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि गवर्नर की बात का समर्थन करना ही पड़ता है। ऐसा समर्थन कर रहे हैं और दूसरे गवर्नर का कह रहे हैं कि आपके बाद समर्थन नहीं करेंगे और बाद में निकालने का काम करेंगे। गृह मन्त्री जी, क्या आपके राज में सुबह एक और शाम को दूसरा, ऐसा होता है। एक गवर्नर के बाद दूसरा गवर्नर, ऐसा होता है।···(व्यवधान) अभी मणिपुर के संदर्भ में यह कहा गया कि वहां पर असेम्बली बुलाना नामुमकिन है। नागालैंड में असेम्बली बुलाने की बात नहीं की थी। असेम्बली की 26 तारीख को मीटिंग समाप्त हो गई थी। वहां पर वामुजो की सरकार को गिराकर कुछ कांग्रेसियों के हाथ में सरकार देने की बात की थी।···(व्यवधान) वहां असेम्बली बुलाने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जिस मणिपुर में सरकार ने बहुमत में रहते हुए विधान सभा को भंग करने का प्रस्ताव किया था, सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस को छोड़कर, आपसे मांग की थी। जहां वे सारी प्रक्रियायें जिन प्रक्रियाओं को लेकर पूर्वांचल में सभी अपनी-अपनी परेशानियों को व्यक्त करते हैं, वे सारी प्रक्रियाएं वहां पर चल रही हैं और इस सदन में खड़े होकर गृह मन्त्री गवर्नर के एक निवेदन के समर्थन में कहते हैं कि वहां असेम्बली बुलाने की परिस्थिति नहीं है और नागालैंड के बारे में आप यह कहते हो कि ला एण्ड आर्डर नेग्लेक्टेड हुआ था और सिचुएशन बहुत फ्लुइड थी, क्या सबूत है आपके पास···

श्री एस. बी. चव्हाण : गवर्नर की रिपोर्ट।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : किधर है।

श्री एस. बी. चव्हाण : जो टेबल पर रखी है, पढ़ने की कोशिश करें। आपके कहने पर मैंने टेबल पर रिपोर्ट रखी है उसको पढ़िये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा इस रिपोर्ट को गृह मन्त्री पढ़ें, हम सौ बार पढ़ेंगे। इन रिपोर्ट्स के अलावा आपके पास दो और रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप टेबल पर रखें। वहां से चार आय थीं, दो आपने रख दी हैं, दो रिपोर्ट्स आपने सदन के सामने नहीं रखी हैं, उनको भी यहां पर रखें। इसके अन्दर लिखा है कुल चार रिपोर्ट्स हैं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः रिपोर्टें सभा पटल पर नहीं रखी जाती हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं बहुत संभलकर बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई शिकायत नहीं है आपके बोलने पर।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने सुबह आपको चिट्ठी लिखी थी इन दस्तावेजों को रखने की अनुमति मांगी थी, आपने नियम बताया कि पहले कापी देनी चाहिए लेकिन मैंने वह नहीं दी थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप बोलिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए हम चाहेंगे कि वहां पर ला एण्ड आर्डर नेगलेक्ट हुआ और सिचुएशन फ्लुइड हुई। मैं पढ़ता हूं, लेकिन इसको आप गृह मन्त्री के खाते में दर्ज कीजिए जो समय मैं इसको पढ़ने में लगाऊंगा।

[अनुवाद]

"माननीय राष्ट्रपति जी,

यह पत्र नागालैंड विधान सभा को भंग करने के सम्बन्ध में आज टेलीफोन पर मेरी आपसे हुई बातचीत तथा पूर्ववर्ती समसंख्यक बेतार संदेशों के अनुक्रम में है"

इसमें कानून तथा व्यवस्था की अनदेखी की गई है।

"वर्तमान विधान सभा जिसने तीन वर्ष और दो माह की अवधि पूरी कर ली है को मुख्य मंत्री की सिफारिश पर भंग कर दिया गया है। नागालैंड विधान सभा का बजट सत्र जो कि 16 मार्च से जारी था आगामी वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों को पारित करने तथा राज्यपाल के

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात कल 26 मार्च, 1992 को समाप्त हो गया है। वर्तमान मुख्य मन्त्री का बहुमत सभा में सिद्ध हो गया है। सत्तारूढ़ एम. पी. सी. दल का उम्मीदवार राज्य सभा के लिए भी निर्वाचित हुआ है।

वर्तमान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान कई मामले न्यायालयों में ले जाये गये थे। न्यायालयों में अभी भी 15 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी मामले लम्बित पड़े हैं। इसके फलस्वरूप 15 निर्वाचन क्षेत्रों का 15 महीनों से अधिक समय से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 और विधायक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक अन्य मामले में शामिल हैं।"

अभी तक कानून तथा व्यवस्था बिगड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

> "विभिन्न प्रकार के दबावों के रहते मुख्य मन्त्री ने नए जनादेश के लिए अनुरोध किया है।"

इसमें भी कानून तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया गया है।

> "वे महसूस करते हैं कि चूंकि मंत्री और विधायक आकर्षक पदों के लिए दबाव डाल रहे हैं इसलिए नये जनादेश के बिना प्रशासन को सार्थक रूप से नहीं चलाया जा सकता है। यह भी याद दिलाया जाए कि दिसम्बर 1990 में मैंने यह बताया था कि 60 सदस्यों की सभा में 40 विधायकों ने किसी एक समय में दल-बदल किया है तथा वर्तमान विधान सभा के 59 सदस्य कभी न कभी मंत्री पद पर रहे हैं।"

क्या इसमें कानून तथा व्यवस्था के बिगड़ने का उल्लेख किया गया है ?

> "मंत्री बनने के बाद कम महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र के मन्त्रियों की हमेशा यही प्रकृति रही है। इस प्रक्रिया में कानून तथा व्यवस्था की उपेक्षा की गई है।"

श्री एस. बी. चव्हाण : अब आप समझ गए हैं। इसमें जो है, मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूं।

श्री एम. एम. जैकब : मंत्री बड़े-बड़े पदों के लिए दबाव डाल रहे थे। इस प्रक्रिया में कानून तथा व्यवस्था की उपेक्षा की गई।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ला एण्ड आर्डर बिगड़ने की बात नहीं आई, असेम्बली बुलाने की या न बुलाने की बात नहीं आई, नागालैंड में सरकार चल रही थी उस दिन सुबह तक इसके बारे में कोई परेशानी नहीं आई आपका तर्क क्या है ?

[अनुवाद]

अनुच्छेद 356 में कानून तथा व्यवस्था की अनदेखी की बात नहीं की गई है। अनुच्छेद 356

में संवैधानिक संकट की व्याख्या की गई है श्री गृह मंत्री जी यहां संवैधानिक संकट की बात कह़ी है।

[हिन्दी]

आप गवर्नर के इस वाक्य को लेकर···जिस वाक्य को इस पूरे राष्ट्रपति को भेजे हुए संदेश के संदर्भ में आपको लेना चाहिये, इस वाक्य को लेकर आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करेंगे, आपको 174 पर रुक जाना चाहिए था···

श्री एस. बी. चव्हाण : इस पर तो 174 नहीं रखना चाहिए आपके हिसाब से···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्यों ?

श्री एस. बी. चव्हाण : क्योंकि ला एण्ड आर्डर की बात थी···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यानि यह आपकी राय है या आप मेरी राय कह रहे हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : आपकी राय पर हूं···

श्री पवन कुमार बंसल : आपकी राय क्या है 174 के बारे में ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 356 लगाने के लिए अगर गवर्नर के दो शब्द के इस समूचे संदेश को ही लेना था और आर्टिकल 356 को इस्तेमाल करना था तो इससे बढ़कर संविधान के साथ कोई जुल्म नहीं हो सकता है। अब, अध्यक्ष जी, पिछली बार जब यह मामला यहां पर आया था तो जैकब साहब ने इसको लेकर कई बातें यहां कही थीं और उनका जो वाक्य है, इसलिए यह छेड़ रहा हूं कि इस पर आपको विशेषाधिकार के सवाल को ··

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम बहुत बढ़ रहा है···

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : स्वयं लेना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह भाग II के पृष्ठ 16791 पर है। 3 अप्रैल 1992 को प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही में अब गृह राज्य मंत्री के उद्धरण दे रहा हूं—

> "राज्यपाल ने रिपोर्ट के आरम्भ में ही कहा है कि 'मैं राज्य विधान सभा को भंग करने के लिए मजबूर हूं क्योंकि सदस्यों के स्थिति निश्चित नहीं है।"

श्री एम. एम. जैकब : मैंने कई बार यह सभा में कहा है कि मैं राज्यपाल की प्रतिवेदन रिपोर्ट को उद्धरित नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उसका सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं।···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह उद्धरण में ही है। वे आगे कहते हैं :

"यह एक कारण है। अन्य कारण जो वे बताते हैं वह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खतरे में है।"

यह कहां है ? जो राज्यपाल का वक्तव्य आपने यहां उद्धरित किया है उसमें वे कहां कहते हैं कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति खतरे में है ? माननीय अध्यक्ष महोदय वे आगे कहते हैं

"पूरी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए राज्यपाल कहते हैं कि वे कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से प्रसन्न नहीं है।"

ऐसा कहां है ?

[हिन्दी]

जब यहां लाल जी ने टोका और आपने भी इस पर कुछ हस्तक्षेप किया तब वे कहते हैं।

[अनुवाद]

"मैंने प्रतिवेदन से उद्धरित नहीं किए हैं मैं तो केवल सारांश बता रहा हूं।"

[हिन्दी]

अगर यह जिस्ट है तो रिपोर्ट कहां है ? उनका यह वाक्य फिर पढ़ रहा हूं :

[अनुवाद]

वे आगे कहते हैं :

"अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अन्तर्गत, संविधान लागू न होने की जो शर्तें है, वो वहां स्पष्ट विद्यमान थी। इसलिए अनुच्छेद 356 को लागू किया गया। यह इसलिए है क्योंकि वहां संवैधानिक व्यवस्था का उल्लघन है। यही मैंने कहा है। राज्यपाल ने हमें सूचित किया कि सरकार में स्थिरता नहीं है। वहां अस्थिरता है।"

[हिन्दी]

कहां हैं ये सब चीजें ? आपने इस सदन में ये सारी बातें कहीं।

[अनुवाद]

"पहली बात जिसका मैंने उल्लेख किया वह वहां विद्यमान अस्थिरता के संबंध में है। यह राज्यपाल द्वारा स्वीकार किया गया है और कहा गया है।"

[हिन्दी]

तो कहां हैं, सब चीजें जो आपने कहीं ?

[अनुवाद

श्री एस. एम. लकब : डांवाडोल स्थिति का क्या अर्थ है ? मैं आपकी इस बात से कुछ समझा नहीं। यह डांवाडोल स्थिति क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं नहीं जानता, आपको बताना चाहिए।

[हिन्दी]

ये सब आपके बयान हैं।

[अनुवाद]

जो कुछ आपने कहा है, आप मुझे उसकी व्याख्या करने के लिए क्यों कह रहे हैं।...

(व्यवधान)

5.00 म. प.

अध्यक्ष जी, हमारा आपसे यह आग्रह है कि 355 का जो यहां पर इस्तेमाल किया गया, मैं संवैधानिक बातों की चर्चा नहीं करूंगा चूंकि इन मुद्दों पर यहां 3 अप्रैल को बहस हो चुकी थी, लेकिन दुराग्रह से और संविधान की जो आपातकालीन धाराएं हैं, उनका इस्तेमाल करके केवल गवर्नर का फैसला, जिसने वामुजो को केयरटेकर मुख्य मन्त्री बनाने का काम किया था, उस फैसले को मिटाने के लिए आपने 356 का वहां पर इस्तेमाल किया था। अब अध्यक्ष जी, मैं अंतिम मुद्दे पर आता हूं और वह है गवर्नर को हटाने की बात। आपने पहले इस पर कुछ बातें यहां कहीं हैं...

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक ही बात कहनी है। जैसा आप सब लोग कहेंगे वैसा ही करूंगे। असल में आज हम लोग नागालैंड के प्रोक्लेमेशन पर चर्चा कर रहे हैं। गवर्नर के डिसमिसल पर भी चर्चा करनी है तो वह उतना इरेलेवेण्ड नहीं होता है मगर रिलेवेंट होता है। मगर आप के कुछ कहने से यहां से जवाब आया तो आपको उस पर आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसलिए इसको जरूरी मानता हूं कि गवर्नर के बारे में जितना भी बाहर झूठा प्रचार किया जा सकता है, वह हो सकता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है—'डिसइनफार्मेशन'।

अध्यक्ष महोदय : गवर्नर भी यहां पर नहीं हैं और उनके खिलाफ अगर कुछ बोलना है तो इस प्रकार से बोला जाए जितना जरूरी है। वह भी यहां पर नहीं हैं, उनके खिलाफ भी बोलने दुरुस्त नहीं हैं। मगर उनकी सपोर्ट में कुछ कहा गया तो उनके खिलाफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे यह परेशानी है कि गृह मंत्री यहां पर क्यों बोले। वह बोले कि गवर्नर के बारे में वह नहीं चाहेंगे कि या यहां पर बहस जाहो जाए, लेकिन गवर्नर के बारे में बाहर बहस हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने कुछ मामला उठाया तो वह बोलेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जैसे उनके बारे में कहा गया कि वह मिशनरियों का वहां पर समर्थन कर रहे थे, उनके बारे में कहा गया कि...(व्यवधान)

श्री एस बी. चव्हाण : यहां हाउस में जो बात की जाती है उसका जवाब दीजिए। बाहर की बात की जिम्मेदारी उन पर होगी जिन्होंने बात कही होगी।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अगर होम मिनिस्टर साहब का वह स्टेटमेंट कहीं बाहर किसी दूसरे ने कहा है तो उनसे कैसे जवाबतलब करेंगे ? उनका यहां जो स्टेटमेंट है, उसके बारे में पूछें। ज्यादा से ज्यादा जो उन्होंने कहा है उसके बारे में पूछिए। दूसरों के बारे में कुछ तो कैसे बात बनेगी ?

श्री जसवन्तसिंह : होम मिनिस्टर साहब कम बयान दें तो अच्छा है। ज्यादा देंगे तो उससे परेशानी होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गवर्नर के मामले में जिस प्रकार का प्रचार यहां किया गया गवर्नर ने खुद अपने बयान में उसका खंडन करने का काम किया है, वह अपनी जगह पर है। लेकिन गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका खंडन करें। अगर गवर्नर के खिलाफ यह बात चलती है कि वह भूमिगत नागाओं के साथ रिश्ते बनाकर बैठे थे, उनकी मदद कर रहे थे, अगर बाहर यह प्रचार किया जाता है कि वह वहां पर ईसाई मिशनरियों का समर्थन कर रहे है, तो क्या गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे : वे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो गृह मंत्री ने इस पर चुप्पी बांध ली। हम गृह मंत्री से चाहेंगे कि हमारी तरफ से इस मसले पर यहां कोई बहस नहीं करनी हो तो हम जरूर चाहेंगे कि गृह मंत्री कम से कम इस प्रकार का जो प्रचार बाहर किया किया गया, उसका खंडन करें। लेकिन एक बात तो हमें फिर भी कहनी जरूरी है कि जब गवर्नर को हटाया गया, तब यह कहा गया और यह प्रचार हो गया कि किसी चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने राष्ट्रपति का आदेश होते हुए भी निकालने से इन्कार किया और उसके बाद सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं रहा और उनको हटाना जरूरी हो गया। मेरे ख्याल से इस पर तो गृह मंत्री आपत्ति नहीं उठाएंगे कि यह कारण था जिससे गवर्नर को उन्होंने हटा दिया। यहां तक कि मेरे ख्याल से एकाध अग्रलेख भी लिखा गया कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम गवर्नर की तरफ से हो गया ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के सामने क्या उपाय था। ? यहां पर एक पत्र अध्यक्ष जो, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का लिखा हुआ केन्द्र के मन्त्री को .

[अनुवाद]

"अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान, मैंने नागालैंड संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री अहलुवालिया के संबंधी मामले को आपके ध्यान में लाया था। हमारी बातचीत के अनुसार आपने मुझे मामले के बारे में टेलीफोन पर सूचित करना था

लेकिन अब तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको इसी बारे में जांच करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मार्च 1987 में उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। लगभग 27 महीने हो चुके है लेकिन अब तक उनके विरुद्ध कोई चार्ज शीट तैयार नहीं की गई है। साधारण तथा, इस मामले में रिश्तेदारों को भी परेशान किया जाता है जैसा कि उनके रिश्तेदारों की सम्पत्ति को उनके नाम के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। रिकार्डों के अनुसार इस मामले के तथ्य निम्न है।"

[हिन्दी]

तीन जुमले यहाँ पर लिखे हैं— एक घर को लेकर, दूसरा जमीन को लेकर और तीसरा कोई उनके रिश्तेदार के ट्रक को लेकर।

[अनुवाद]

"उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए मुझे उक्त अधिकारी के विरुद्ध मामले को जारी करने के कोई ठोस कारण नजर नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप स्वयं इस मामले की जाँच करें और आवश्यक कदम उठायें ?"

[हिन्दी]

यह नागालैंड के मुख्यमन्त्री का लिखा हुआ पत्र है, जो केन्द्र के परसोनेल, पब्लिक ग्रिवेंसेज आदि विभागों को देखने वाले मंत्री को लिखा गया था। यह पत्र 17 जून 1989 का लिखा हुआ है, श्री चिदम्बरम के नाम, जो कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उस समय मिनिस्टर आफ स्टेट थे और इस पत्र के लिखने वाले का नाम है—एस सी जमीर, चीफ मिनिस्टर।

एक अन्य आदेश 23 नवम्बर का है, जो नागालैंड की सरकार की तरफ से निकाला गया है, उस आर्डर में कहा गया है—

[अनुवाद]

"नागालैंड सरकार एतद्द्वारा नागालैंड सरकार कोहिमा के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वित्तीय आयुक्त तथा सचिव श्रम तथा रोजगार श्री एस. एम. अहलुवालिया के विरुद्ध मामले के सम्बन्ध में खण्ड के अन्तर्गत दिल्ली विशेष पुलिस प्रशासन के सदस्यों से उनको दी गई (यदि कोई है) सहमति/स्वीकृति को तत्काल वापस लेती है। आदेश द्वारा तथा नागालैंड के राज्यपाल के नाम से, और सचिव, नागालैंड सरकार।"

यह पत्र 23 नवम्बर 1969 का है।

[हिन्दी

यह 23 नवम्बर, 1989 का है, जमीर साहब अभी भी मुख्यमन्त्री थे।

यहां मैं एक और पत्र पढ़ूंगा जो 22 जनवरी का है। यह सरकारी पत्र नहीं है इसलिये परेशानी भी नहीं होनी चाहिये लेकिन इस पर एक जिम्मेदार व्यक्ति का नाम है, वह मैं बाद में सुनाऊंगा।

प्रधानमन्त्री को लिखा हुआ यह पत्र है—

[अनुवाद]

"प्रधानमन्त्री जी, यह पत्र नागालैंड संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एम. एस. अहलुवालिया के सम्बन्ध में थे दिनांक 4 दिसम्बर 1986 के इसी संख्या के अर्ध सरकारी पत्र के अनुक्रम में है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अब ऐसा हो रहा है कि मिस्टर जमीर इस समय यहां उपस्थित नहीं है, आप उनका लैटर कोट कर रहे हैं। दूसरे लोग भी हैं, उनकी तरफ से ओब्जैक्शन हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं इसे प्रमाणित करूंगा और आपकी अनुमति से सभापटल पर रखता हूं।*

[अनुवाद]

"मैंने स्वयं मामले की जांच की है। इन दोषारोपणों का कोई आधार नहीं है और यह दोषारोपण बिल्कुल नहीं है।"

श्री एस. बी. चव्हाण : क्या वे यह जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं कि जिस अधिकारी के विरुद्ध बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए थे उसे वास्तव में प्रत्येक ने बेकसूर साबित कर दिया है और वे किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं केवल उस पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर

* चूंकि अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की गई अतः दस्तावेज सभापटल पर रखे गए नहीं माने गये।

रहा हूं जो एस सी जमीर के द्वारा लिखा हुआ है, जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे, गवर्नमेंट आफ नागालैंड के उस आर्डर की ओर, जो अण्डर आर्डर आफ द गवर्नर, नवम्बर 1989 में निकाला गया, उस समय भी श्री जमीर वहां के मुख्यमन्त्री थे और यह जो पत्र मैं यहां पर रहा हूं, वह 22 जनवरी, 1992 का है, अभी तीन महीने पहले का है, ठीक तीन महीने पहले का है

[अनुवाद]

"यह मामला पिछले पांच वर्षों से लम्बित है और अधिकारी के विरुद्ध कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह तो उस अधिकारी को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली बात है जो कि इस राष्ट्र की सीमा तथा इस संवेदनशील राज्य में पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहा है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस अधिकारी के विरुद्ध मामला संख्या आर. सी. 1/87 बन्द कर दें और मेरे दिनांक 4 दिसम्बर 1986 के इसी संख्या के पत्र को वापस ले लिया जाये। यहां मैं यह भी कहूंगा कि मेरे पूर्व के दो मुख्य मन्त्रियों सर्व श्री/श्री एम. सी जमीर और वामुजो ने भी पहले इसी प्रकार के पत्र लिखे हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले पर आप स्वयं ध्यान दें और मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा यदि आप कृपया इस मामले को शीघ्र बन्द कर देंगे।"

इस पर नागालैंड के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री तथा आपके दल के नेता श्री होकीशे सेमा के हस्ताक्षर थे।

[हिन्दी]

मैं गृह मन्त्री की उस बात का जवाब नहीं दूंगा। अब भ्रष्टाचार के बारे में विचार करना है, तो हम इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैं जो दस्तावेज है और जिस कारण को लेकर गवर्नर को डिसमिस करने का काम किया है, मैं केवल वहीं तक सीमित हूं। भ्रष्टाचार के बारे में अगर बात करें, पूर्वांचल के बारे में बात करें, देश और दुनिया में जो हो रहा है, उसके बारे में करें, लेकिन ये मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियां, गवर्नर के हस्ताक्षर, यह नागालैंड गजट का नोटीफिकेशन, * ऐसे अनेक दस्तावेज मैं आपके सामने रख सकता हूं।

डा. थामस ने क्या कहा ? डा. थामस ने सिर्फ इतना ही कहा कि इनके जो एक्शायजेर हैं, मैं उनके शब्द अभी आपके सामने रख रहा हूं—

[अनुवाद]

"सात अप्रैल के राज्यपाल के नवनियुक्त सलाहाकार मुझसे मिलने आये और मुख्य सचिव को निलम्बित करने के लिए दिल्ली से अपने साथ लाये एक टंकित पत्र पर मुझे हस्ताक्षर करने को कहा। उन्होंने मुझे उस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने सम्बन्धी पत्र की फोटो कापी भी दिखाई जिसे कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया था।"

---

* चूंकि बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति नहीं दी अतः पत्र। दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए नहीं माने गए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वह सलाहकार कौन है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं नहीं जानता । वह अनाम व्यक्ति है और जहां तक मेरी जानकारी है वह अगोचर भी है क्योंकि यहां इतना ही कहा गया है "सलाहकार" ।

[हिन्दी]

आप यह गवर्नर के साथ व्यवहार कर रहे हैं । कांस्टीट्यूशनल अथारिटी के बारे में भी आपने यहां पर कहा कि यह कांस्टीट्यूशन अथारिटी की इज्जत है । आप एक कागज उनके सामने रख दें और कहें कि दस्तखत करो, तो क्या यह उनकी इज्जत कर रहे हैं ? गवर्नर और कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की बात छोड़िए, कोई भी आदमी जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बाकी है, वह इस बात को कभी कबूल नहीं कर सकता है । गवर्नर ने ठीक कहा है । उनकी इस सदन में इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने दस्तखत करने से इंकार कर दिया । उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत लागू करने का मतलब यह नहीं होता है कि संवैधानिक प्रक्रियायें खत्म होती हैं । राज्य के किसी भी कर्मचारी को दिल्ली का फरमान लेकर हटा सकते हैं और अगर आपको अधिकार है, तो आपने यहीं से उनको क्यों नहीं हटाया ? गवर्नर को अपमानित करके आपने क्यों उस पर दस्तखत कराने की कोशिश की और आज गवर्नर को हटाये कितने दिन हो गये और अहलूवालिया वहां पर आपके प्रिंसीपल सैक्रेटरी बनकर बैठे हैं ।

इसलिए अध्यक्ष जी, मैंने तो बहुत परेशानी से इस बहस में हिस्सा लिया है और हम जानते हैं कि ऐसे जो भी मसले इस सदन में आते हैं, उनके बारे में सरकारी पक्ष का क्या सोच होता है और किस तरह से सरकारी पक्ष केवल इस एक उम्मीद से कि यहां से कुछ लोगों को तोड़ा जा सकता है या यहां से कुछ लोगों का वोट दिलाया जा सकता है, ऐसी एक उम्मीद को लेकर सरकारी पक्ष व्यवहार करता है, लेकिन पूर्वान्चल के बारे में, मैं फिर आज सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गृह मन्त्रालय को जानकारी में रखकर, सलाह-मशविरा करके, वहां के मुख्य मन्त्री, वाम्मुजो जो वहां भूमिगत जमात है, उसको अपने हथियार छोड़कर बाहर निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप आज उनकी इस बात को पसन्द नहीं करते, पूर्वान्चल में जो ये सारी प्रक्रियायें चल रही हैं, जो इन्सरजेन्सी है, जो अलग-अलग राज्यों में है, इसको आप हटाना नहीं चाहते हो, इस इन्सरजेन्सी को बनाये रखने का आपका इरादा है, इसके साथ समूचे देश के साथ जिस तरह का खिलवाड़ आप कर रहे हैं वह यहां पर बहुत ही स्पष्टरूप से आपके सामने आता है और यहां पर मैं सरकार से फिर यही प्रार्थना करूंगा कि इस अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपका जो नोटिफिकेशन है, संविधान के अन्तर्गत आपको जो सुविधा है, उसे वापस करने के लिए और इस बहस को समाप्त करने से पहले गृह मन्त्री महोदय और नई समस्याओं का निर्माण न करते हुए अगर इसे वापस लेने का काम करेंगे, तो हम आभारी रहेंगे और अगर यह बात गृह मन्त्री महोदय को मंजूर न हो, तो फिर इसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं, बल्कि मुझे विश्वास है कि इसके विरोध में सदन न केवल वोट करेगा, अपितु आपने 356 को स्वीकृत करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, इसे हराने का काम भी यह सदन करेगा और इस सदन के जरिए आपका यह गलत काम, संविधान के साथ हुआ यह खिलवाड़, ताकि अदालत के जरिए फिर एक बार बेइज्जत करने की परिस्थिति निर्माण न हो सके, इसे पास नहीं होने देंगे ।

[अनुवाद]

श्री ए. चाल्र्स : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरा हार्दिक स्वागत किया है।

नागालैंड में विगत कुछ वर्षों में जो घटनाएं घटी है उनका जिक्र मैं नहीं करने जा रहा हूं, विशेषकर 1989 और उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई। एक वक्तव्य में वे 'आया राम और गया राम' की नीति का अनुसरण कर रहे थे। जो घटनाएं वहां घटित हुई उससे न तो संसदीय लोकतंत्र को बल मिला और न विपक्ष द्वारा कही गई बड़ी-बड़ी बातों को।

मैं इस महान सभा को यह बताना चाहता हूं कि 1989 में विधान सभा का चुनाव हुआ। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस (इ) भारी जनमत हासिल करके विजयी हुई और 60 सदस्यीय विधान सभा में 36 सदस्यों के समर्थन से श्री जमीर ने सरकार का नेतृत्व किया। विपक्ष के अनेक सदस्यों ने उस तथ्य को अनदेखा कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ मैं बताता हूं। मैं यही कहूंगा कि वह अत्यंत दुखद और संसद की सामान्य प्रक्रिया के एकदम विपरीत हुआ। दल-बदल विरोधी कानून के सारे प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठा रहा हूं लेकिन वास्तविकता यही है कि एक वर्ष बाद दल-बदल हुआ। श्री जार्ज फर्नान्डीज सभा से बाहर चले गये हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय केन्द्र में कौन था। मैं यह लांछन नहीं लगा रहा कि तत्कालीन केन्द्र सरकार ने दल-बदल को प्रोत्साहन दिया लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने दल-बदल और उसके बाद जो घटित हुआ उसकी प्रेरणा दिल्ली से ली थी।

महोदय, राज्यपाल ने विधान सभा भंग करने का आदेश तब दिया था जब 13 विधायकों का मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा था। वह अब भी उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है और मेरा यही कहना है कि इतनी जल्दी में की गई कार्यवाई अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सम्बन्ध में इस महान सभा को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि तीन माह पूर्व भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री जमीर ने मंत्रिमंडल गठित करने का अपना दावा पेश किया था। अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्होंने विधायकों की एक सूची प्रस्तुत की थी। सरकार ने उन्हें यह सुझाव दिया कि 13 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामले पर जब तक उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय नहीं देता तब तक के लिए वह कुछ महीने और इन्तजार कर लें। इसलिए जब भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जमीर ने सरकार बनाने का दावा किया तो राज्यपाल ने उन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने तक प्रतीक्षा करने को कहा।

श्री दिघे ने अभी ही उन सात केबिनेट मंत्रियों के नाम लिए हैं जिन्हें मुख्य मन्त्री ने बर्खास्त कर दिया है। एक और सूची उन 13 विधायकों की है जिन्होंने उनका साथ और दल छोड़ दिया है। मुझे आश्चर्य है कि यदि एक निवर्तमान मुख्यमन्त्री के हाथ प्रशासन सौंप दिया जाता है तो दल उनके सिवाय और कौन होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि विधान सभा के भंग होने के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है ?

महोदय, 20.3.92 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था कि "राज्य पाल ने नागालैंड विधान सभा भंग की, केन्द्र आश्चर्यचकित" ('दी गवर्नर डिसमिस्ट नागालैंड असेम्बली, सेंन्टर टेकन बाई सरप्राइज') । हम यह जानते हैं कि संचार माध्यम एक तरह से केन्द्र सरकार की कार्यवाई की आलोचना कर रहे हैं। उनकी राय में अनुच्छेद 356 को सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप लागू नहीं किया गया जैसाकि संविधान के तहत किया जाना था।

महोदय, मैं राज्यपाल के विधान सभा भंग करने के अधिकार को जानता हूं। यद्यपि राज्यपाल को विधान मंडल भंग करने का अधिकार है फिर भी सामान्य तरीका, जिसका अनुसरण किया जाता है, यह है कि पहले राष्ट्रपति अथवा केन्द्र सरकार को भंग करने से पूर्व सूचना दी जाती है। लेकिन इस मामले में सब कुछ जल्दबाजी में राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार को सूचित किए बिना किया गया।

विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। पूर्व स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले की गई कोई भी कार्यवाई न्यायपालिका और विधायिका के सम्बन्धों को क्षति पहुंचाएगी। अतः राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे, उच्चपदों का स्तर घटकर गैर सरकारी सत्ता के दलालों जैसा हो गया और दुर्भाग्यवश ऐसे उच्चपदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति जनता ने अपना विश्वास खो दिया। राज्यपाल की क्या भूमिका है ?

केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में बहुत कुछ सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने केन्द्र राज्य संबंधों पर व्यापक रूप से सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से उधृत किया है। महोदय मैं भी उसी रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं मैं पृष्ठ 120 पैरा 4.2.02 उद्धृत कर रहा हूं :

> "एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित एवं संवैधानिक बाध्यताओं पर निर्भर क्षेत्र है जहां वह अपने स्वविवेक का उपयोग करता है। इससे इस बात को बल मिलता है कि उसकी भूमिका की कई और पहलू भी हैं। केन्द्र और राज्य के बीच एक 'सेतु' होने के नाते वह उनके बीच बेहतर समझ तैयार कर सकता है और उन शंकाओं को दूर कर सकता है जो उनके सम्बन्धों में कटुता पैदा कर रही हों। वह संविधान का प्रहरी है। वह केन्द्र और राज्य के बीच एक प्रमुख संपर्क सूत्र है। जब भी वह यह अनुभव करता है कि मामले संविधान के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक है तो ऐसे सूत्र होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह केन्द्र को राज्य प्रशासन के मामलों की पूरी जानकारी दें। इस प्रकार राज्यपाल केन्द्र को राज्यों के प्रति उसके दायित्व के निर्वहन में सहयोग करता है।"

यह संस्था और राज्यपाल की भूमिका के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग का सुझाव है। विपक्ष के माननीय सदस्यों से सविनय मैं यह प्रश्न पूछता हूं। क्या राज्यपाल का कृत्य सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है जिसका स्वागत कई वर्षों से माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार करते रहे हैं ? क्या राज्यपाल ने केन्द्र और राज्य के मध्य सेतु का कार्य किया है।

लेकिन, दुर्भाग्यवश कुछ दिन पहले नागालैंड के मुद्दे पर 'शून्य काल' के दौरान प्रश्न किया गया था। हमने यह बताया कि चूंकि हमें कोई सूचना नहीं मिली थी इसलिए हम मजबूर थे। और आज भी विपक्ष के सदस्य व्यापक रूप से विभिन्न लेखों का उल्लेख कर रहे हैं। उन्हें ये जानकारियां कौन दे रहा है ? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह उच्च पद उनके और विपक्ष के बीच सेतु है और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के सुझावों के अनुसार केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति को सहायता देने का कोई विचार नहीं है।

पुन: विधान सभा को भंग करने के संबंध में सरकारिया आयोग के पृष्ठ 128 पैरा 4.11.09 में की गई सिफारिशों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "डा. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि जब मंत्रिमंडल ने विधान सभा में अपना विश्वास खो दिया हो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और जिस क्षण ऐसा होता तभी राज्यपाल अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसे भंग कर सकता है। परिणामस्वरूप राज्यपाल तब तक अपनी मंत्रि परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक बहुमत का उसमें विश्वास है और इसके विपरीत वह उस मंत्रि परिषद को भंग करने के लिए बाध्य है यदि वह बहुमत का विश्वास खो देता है परन्तु त्यागपत्र नहीं देता।"

इसलिए, यहां एक ऐसी सरकार का मामला है जिसने अपना बहुमत खो दिया है। 15 विधायकों का मामला उच्चतम न्यायालय में है, सात केबिनेट मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है, और 13 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। तो बाकी बचा क्या ? राज्यपाल यह कैसे कह सकता है सरकार का वहां बहुमत है ?

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि अधिकांश संचार माध्यमों ने तथ्य को प्रस्तुत करते समय या उस पर टिप्पणी करते हुए एक तरह से केन्द्र सरकार की आलोचना की है। लेकिन 30 मार्च के 'द हिन्दू' में यह कहा गया कि "सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि केन्द्र को बिना सूचित किए हुए राज्यपाल ने अत्यधिक तत्परता से कार्रवाई की। विधान सभा का भंग किया अवश्यभावी था और गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण जो स्वयं अनजान थे, उन्होंने संसद को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस मामले में विधि मंत्रालय से विचार विमर्श किया गया था। सवैधानिक इतिहास में ऐसे मामले कम हो सामने हैं जिसमें राज्यपाल ने अपनी मर्जी से निर्णय लिया हे।

यह सब समाचार पत्रों में छपा है। ये विचार उन लोगों ने व्यक्त किये हैं जो केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं।

अब मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 356 की तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से काफी कुछ उद्धृत किया है। मैं भी वहां से ही उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे मुद्दे रखे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : अब मैं अनुच्छेद 356 के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 17। के पैरा 356 को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें निम्नलिखित बातें कही गयी है :

"यदि ऐसी सरकार स्थापित करना संभव नहीं है और यदि बगैर किसी विलम्ब के नये चुनाव कराये जा सकते हैं, तो उन्हें तो वर्तमान जाने वाली सरकार से यदि कोई सत्ता में है, तो कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्यजारी रखने के लिए कहा जाना चाहिए बशर्ते कि वह सरकार केवल प्रमुख नीति संबंधी मुद्दों पर हारी हो, कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो और सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हों।"

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है।

श्री ए. चार्ल्स : यह एक बहुत विशेष मुद्दा है, कामचलाऊ सरकार को केवल तभी जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है, यदि सरकार मुख्य नीति संबंधी मामलों पर हार जाए। यह आयोग की एक सिफारिश है। मेरा मतलब यह है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार जो जो कुछ हुआ है उसे किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे कई कार्य है जो कानूनी तौर पर अनुचित नहीं हो सकते हैं लेकिन वे नैतिक रूप से असम्य हैं। मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह संसदीय मानकों के विरुद्ध है, मूल्यों और नैतिकता के विरुद्ध है और संवैधानिक मर्यादा के सभी मानकों के विरुद्ध है। जिस जल्दबाजी से विधान सभा भंग की गयी और चुने हुए सदस्यों को हटाया गया उसे नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

जिस तरह से राज्यपाल को हटाया गया उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस संबंध में बात नहीं करूंगा। लेकिन जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो जो कुछ हुआ था उसकी तरफ मैं उस महान सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लगभग 13 राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।

केरल में तत्कालीन राज्यपाल को राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन के जरिए त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपना त्यागपत्र तैयार किया और एक विशेष संदेश वाहक के द्वारा भेज दिया। केवल तभी उन्हें पता चला कि अगले दिन विधान सभा की बैठक होनी है और राज्यपाल को विधान सभा में अभिभाषण देने का संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाना है। फिर तो एक संकट पैदा हो गया। अत: यहां से पुन: संदेश भेजा गया कि वह तब तक अपना त्यागपत्र न भेजें जब तक कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। इस पर राज्यपाल ने इन्कार कर दिया। तब दिल्ली से दबाव डाला गया और अन्ततः कांग्रेस के उच्च आदर्शों के अनुरूप राज्यपाल ने विधान सभा में अभिभाषण दिया। यह बहुत ही बदनामी की बात थी क्योंकि सभी समाचार पत्रों ने यह प्रश्न उछाला गया था कि क्या राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया है या वह कार्यभार संभाले हुए है और कौन विधान सभा में अभिभाषण देगा। यह सब उस समय हुआ था और अब वे मूल्यों के बारे में बात करते हैं।

इस सरकार के सत्ता में आए हुए दस माह गुजर चुके हैं। इस सरकार ने भी भी राज्यपाल को हाथ नहीं लगाया है। परिस्थितिवश नागालैंड में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो कार्य

फर्नान्डीज यहां नहीं है। उन्होंने कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की बात की है। उनका यह कहना कि कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से अवहेलना की गई है क्या मतलब है? क्या कानून और व्यवस्था की अवहेलना और कानून और व्यवस्था के बिगड़ने में कोई अन्तर है? अतः केन्द्र सरकार ने जो कुछ भी किया है वह संविधान के अन्तर्गत कानून के मुताबिक किया है, संविधान की नैतिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत किया है। मैं संविधान अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की अधिसूचना का पुरजोर समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य। मैं समझता हूं कि आप अपने मुद्दों को थोड़े समय में अच्छी तरह से रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा और इसका खुलासा भी करने की कोशिश करूंगा। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जिनका जिक्र मेरे इस पक्ष के सदस्य पहले ही कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था, निरनुमोदन का प्रस्ताव दिया था और यह नागालैंड में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी घोषणा को रद्द करने के सम्बन्ध में था। और मुझे बताया कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव क्या है? आपको सभा में प्रस्ताव के नोटिसों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह परम्परा नहीं है। यदि आप सभा के सचिवालय को दिए गए नोटिसों का यहां जिक्र करना शुरू कर दें तो हमें सभा में दो लाख से अधिक नोटिसों से निपटना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह तो नागालैंड में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे पर आइए। आपको बोलने का अवसर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभी महसूस करते हैं कि जो घोषणा नागालैंड के बारे में की गयी थी वह एक दम संविधान का उल्लंघन है संविधान में यह बात बहुत स्पष्ट कही गयी है कि अनुच्छेद 356 कब लागू किया जा सकता है। नागालैंड में राज्यपाल ने संविधान के अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य किया है जिसे उस वक्त बहुमत प्राप्त था। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी कि वह विधान सभा को भंग करे और नया जनादेश प्राप्त करने को कहें, एक नया चुनाव करायें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह सब बहुत स्पष्ट रूप से कहा है।

जब गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया था तो हमने राज्यपाल की रिपोर्ट की मांग की थी और हम जानना चाहते थे कि क्या राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 की घोषणा करने की सिफारिश की थी, क्या उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नागालैंड राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यही अनुच्छेद 356 में कहा है। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा

न केवल तभी की जा सकती है जब कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाये बल्कि जब राज्य संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। अब यहां अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है। अपना यह निर्णय लेने के एक दम बाद उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया कि विधान सभा भंग कर दी गयी है और नया जनादेश लेने, नये चुनाव कराने के लिए एक कामचलाऊ सरकार नियुक्त की गयी है। उन्होंने यह निर्णय संविधान के अनुसार लिया। अनुच्छेद 174 (2) के अन्तर्गत उन्होंने तत्काल भारत के राष्ट्रपति को सूचित किया कि उनके पास विधान सभा भंग करने तथा नये चुनाव कराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया। लेकिन गृह मंत्रालय के राज्य मन्त्री श्री जैकब ने सभा में अपना वक्तव्य देते हुए इसे गलत उद्धृत किया था। और हम जानना चाहते थे कि राज्यपाल की रिपोर्ट में सही-सही क्या था; क्या राज्यपाल ने यह कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्या नागालैंड राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा था कि वहां कानून और व्यवस्था की अवहेलना की गयी है। हमारे देश में कई राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और यह सामान्य नहीं हुई। मैं जानना चाहूंगा कि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया और नागालैंड में अनुच्छेद 356 क्यों लागू किया गया।

केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, पहले मिजोरम, फिर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड में ऐसा किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप घंटी क्यों बजा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि आप केवल एक संक्षिप्त भाषण देंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं 6 म.प. तक बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी सदस्यों को दण्ड नहीं दे सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं 6 म. प. तक बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : अन्य सदस्य एक घंटे तक बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से आपको मुद्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग किया गया है। हमें इस बात का अनुभव है कि 1959 में कैसे केरल की गैर कांग्रेसी सरकार को अनुच्छेद 356 लागू करके भंग

किया गया था । आपको अच्छी तरह से पता है कि डा. बी. आर. अम्बेडकर जिनकी जन्मशती 14 अप्रैल को मनाई गई, का अनुच्छेद 356 को लागू करने के सम्बन्ध में क्या कहना था । आपको पता होगा कि जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 जोड़ा गया था तो उन्होंने कहा था कि भले ही अनुच्छेद 356 संविधान में है लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाना चाहिए । लेकिन हमने पिछले 40 वर्षों में क्या देखा है ? इस अनुच्छेद 356 को कई बार बहुत ही पक्षपात रूप से लागू किया गया है . सरकारिया आयोग ने गौर किया है कि 56 में से 27 बार इस अनुच्छेद 356को पक्षपात पूर्ण ढंग से लागू किया गया है । इस अनुच्छेद 356 को तब भी लागू किया गया है जब केन्द्र और राज्यों में विभिन्न दल सत्ता में थे और राज्य सरकारें भंग की गई । लेकिन यह इस मामले विशेष में, नागालैंड राज्य में राज्यपाल ने संविधान के अनुरूप कार्य किया है और जब राज्यपाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है । हमने सरकार को इसका कोई खंडन करते नहीं देखा है । राज्यपाल ने केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों को चुनौती दी है ।

सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 लागू करने के बारे में यह टिप्पणी की है कि इसे कब लागू किया जा सकता है, कब लागू किया जाना चाहिए । सरकारिया आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने बल्कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भी अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए ।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या संवैधानिक तंत्र विफल हुआ था । कानून और व्यवस्था की स्थिति की उपेक्षा करने से संवैधानिक तंत्र विफल होता है । क्या राज्यपाल ने संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया था ? हमने देखा है कि बिहार के राज्यपाल को कैसे हटाया गया था । वह इस सभा के सदस्य हैं । वह हमारे सहयोगी हैं । उन्हें क्यों हटाया गया था ? उन्हें त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने बिहार मंत्री परिषद द्वारा तैयार राज्यपाल का भाषण पढ़ा था, जिसमें केन्द्र सरकार की कार्यवाही की कुछ आलोचना की थी । चूंकि बिहार के राज्यपाल ने संविधान के अनुसार काम किया था इसलिए उन्हें हटा दिया गया था । जब श्री बरनाला तमिलनाडु के राज्यपाल थे तब तमिलनाडु की विधान सभा भंग कर दी गई थी । उन्हें एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था । उन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया था । यही उनकी गलती थी और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया गया तथा विधान सभा को भंग कर दिया गया ।

श्री एम. आर. कादम्बूर जर्नादनन (तिरुनेलवेली) : लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की ?

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : गृह मंत्री सभा को यह बात स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, क्या राज्यपाल की सिफारिश मानवार्य है या नहीं । डा. रघुकुल तिलक के मामले में उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्ट निर्णय था जिसका अन्य सदस्यों ने भी उल्लेख किया है, राज्यपाल केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है । वह केन्द्र सरकार का नौकर नहीं है । वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी है लेकिन उसके पास कुछ शक्तियां हैं और उसे संवि-

धान के अनुसार कार्य करना होता है। नागालैंड में अनुच्छेद 356 लागू कर केन्द्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसने अनुच्छेद 356 का उल्लंघन किया है। इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कॉंग्रेस दल चुनाव से डरता है, विधानसभा भंग करने से नये चुनाव करवाने पड़ते हैं, नया जनादेश लेना पड़ता है। जब पश्चिम बंगाल में मंत्रिमण्डल ने इसका कार्यकाल समाप्त होने से सात माह पहले निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री ने सिफारिश की थी कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए ताकि नया जनादेश लिया जा सके तब कांग्रेस (इ) ने क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं किया क्योंकि मंत्रिमंडल ने नया जनादेश लेने के लिए विधान सभा भंग करने का निर्णय लिया था। नागालैंड में भी 24 मार्च को जिस दिन मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी मंत्रिमंडल को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। वह उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। मन्त्रिमण्डल की बैठक के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी लेकिन इसकी बैठक हुई थी और इसने निर्णय लिया। मन्त्रिमण्डल को विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था। शायद अध्यक्ष महोदय ने पन्द्रह सदस्यों को अयोग्य घोषित किया था और उनका मामला अभी भी लम्बित पड़ा है। अत: मन्त्रिमंडल को सत्ता दल के चालीस में से चौबीस सदस्यों का समर्थन प्राप्त था उन्होंने एक बैठक की और विधान सभा भग करने की सिफारिश की तथा नये चुनाव की मांग की।

5.49 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह किस बात की ओर संकेत करता है? तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री वामुजो ने पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को संगठित करने तथा वहां विशेष रूप से नागालैंड में विद्रोह की भावना को दबाने का प्रयास किया था। केन्द्र सरकार के इन निरंकुश उपायों से पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की भावना बढ़ेगी। नागालैंड में इस प्रकार के कार्य केन्द्र सरकार के अपने उचित ही कर रहे हैं, अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना तथा चुनाव करवाकर सत्ता हासिल करना सही नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण तथा अवसरवादी रवैये अपनाकर केन्द्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। हमें डर है......

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अनेक अन्य सदस्यों भी चर्चा में भाग लेना चाहते है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं 6.00 बजे तक अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्य व्यक्ति भी आपके सहयोगी हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने 20 मिनट ही बोला है। यदि आप अनुमति देंगे, तब मैं कल भी बोलूंगा।

श्री हरिकिशोरसिंह (शिवहर) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य व्यक्ति भी है। वक्ताओं की लम्बी सूची है और उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है।

श्री वसुदेव आचार्य : चूंकि इस पर कल भी चर्चा होगी इसलिए मैं कल भी बोलूंगा। अब मैं 6.00 बजे तक बोलूंगा :

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, पूर्वोत्तर में नागालैंड एक प्रमुख राज्य है। इस बात का उल्लेख किया गया था कि वहां अलगाववाद का तत्व होगा। श्री संतोष मोहन देव अभी यहां उपस्थित नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : वह आ जाएंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : वह अभी यहां नहीं है। जब श्री आडवाणी ने यहां के लोगों के अलगाववाद का उल्लेख किया था तब वह बहुत क्रुद्ध हो गए थे। हमने देखा है कि त्रिपुरा में कैसे कांग्रेस (इ) का शासन लागू कर दिया गया था। उन्हें इसका अनुभव था। वह चुनाव के समय वहीं मौजूद थे।

श्री मनोरंजन भक्त : हमने निष्पक्ष चुनाव करवाए थे। लोगों ने कांग्रेस को जनादेश दिया।

श्री वसुदेव आचार्य : इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक यह है कि 'त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव हुए थे।' हर कोई जानता है कि आपने त्रिपुरा में क्या किया था और अब वहां क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और हम किन परिस्थितियों का। आप देश की एकता और अखण्डता में रुचि नहीं रखते। आप केवल सत्ता में रहना चाहते हैं। इसीलिए आप ऐसे निरंकुश कदम उठा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं ताकि आप वहां अपनी पसंद की सरकार बना सकें। आप मणिपुर में विधान सभा के सामने जाने से क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : हम डर नहीं रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मणिपुर विधान सभा का सत्र अचानक ही स्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दस दिन के भीतर विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कहा था। लेकिन अचानक ही मणिपुर विधान सभा को भंग कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री विधान सभा का सामना करने से डरते थे। इस समय मणिपुर में कांग्रेस(इ)सरकारको बहुमत प्राप्त नहीं है। जब सभा सत्र में नहीं थी तब राज्यपाल को पद से क्यों हटाया गया ? जब लोक सभा सात दिन के लिए स्थगित थी तब बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा दिया गया। उनकी क्या गलती थी ? उनकी गलती यह थी कि वे संविधान की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने संविधान के अनुसार कार्य किया। उन्होंने मंत्रिमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य किया जिसने 24 मार्च को हुई अपनी बैठक में विधान सभा भंग करने का निर्णय लिया था। यही उनकी गलती थी और इसी के लिए उन्हें यह सजा दी गई। न केवल अनुच्छेद, 356 लागू किया गया बल्कि राज्यपाल

महोदय, 20.3.92 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था कि "राज्य पाल ने नागालैंड विधान सभा भंग की, केन्द्र आश्चर्यचकित" ('दी गवर्नर डिसमिस्ट नागालैंड असेम्बली, सेन्टर टेकन्ज बाई सरप्राइज')। हम यह जानते हैं कि संचार माध्यम एक तरह से केन्द्र सरकार की कार्यवाई की आलोचना कर रहे हैं। उनकी राय में अनुच्छेद 356 को सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप लागू नहीं किया गया जैसाकि संविधान के तहत किया जाना था।

महोदय, मैं राज्यपाल के विधान सभा भंग करने के अधिकार को जानता हूं। यद्यपि राज्यपाल को विधान मंडल भंग करने का अधिकार है फिर भी सामान्य तरीका, जिसका अनुसरण किया जाता है, यह है कि पहले राष्ट्रपति अथवा केन्द्र सरकार को भंग करने से पूर्व सूचना दी जाती है। लेकिन इस मामले में सब कुछ जल्दबाजी में राष्ट्रपति या केन्द्र सरकार को सूचित किए बिना किया गया।

विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। पूर्व स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले की गई कोई भी कार्यवाई न्यायपालिका और विधायिका के सम्बन्धों को क्षति पहुँचाएगी। अतः राज्यपाल और अध्यक्ष जैसे, उच्चपदों का स्तर घटकर गैर सरकारी सत्ता के दलालों जैसा हो गया और दुर्भाग्यवश ऐसे उच्चपदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति जनता ने अपना विश्वास खो दिया। राज्यपाल की क्या भूमिका है ?

केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में अर्जुन कुछ सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने केन्द्र राज्य संबंधों पर व्यापक रूप से सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से उधृत किया है। महोदय मैं भी उसी रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं मैं पृष्ठ 120 पैरा 4.2.02 उद्धृत कर रहा हूं :

> "एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित एवं संवैधानिक बाध्यताओं पर निर्भर क्षेत्र है जहां वह अपने स्वविवेक का उपयोग करता है। इससे इस बात को बल मिलता है कि उसकी भूमिका की कई और पहलू भी हैं। केन्द्र और राज्य के बीच एक 'सेतु' होने के नाते वह उनके बीच बेहतर समझ तैयार कर सकता है और उन शंकाओं को दूर कर सकता है जो उनके सम्बन्धों में कटुता पैदा कर रही हों। वह संविधान का प्रहरी है। वह केन्द्र और राज्य के बीच एक प्रमुख संपर्क सूत्र है। जब भी वह यह अनुभव करता है कि मामले संविधान के अनुरूप नहीं हैं या ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरनाक है तो ऐसे सूत्र होने के नाते उसका यह कर्तव्य है कि वह केन्द्र को राज्य प्रशासन के मामलों की पूरी जानकारी दें। इस प्रकार राज्यपाल केन्द्र को राज्यों के प्रति उसके दायित्व के निर्वहन में सहयोग करता है।"

यह संस्था और राज्यपाल की भूमिका के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग का सुझाव है। विपक्ष के माननीय सदस्यों से सविनय मैं यह प्रश्न पूछता हूं। क्या राज्यपाल का कृत्य सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है जिसका स्वागत कई वर्षों से माननीय सदस्यगण अपनी सुविधानुसार करते रहे हैं ? क्या राज्यपाल ने केन्द्र और राज्य के मध्य सेतु का कार्य किया है।

लेकिन, दुर्भाग्यवश कुछ दिन पहले नागालैंड के मुद्दे पर 'शून्य काल' के दौरान प्रश्न किया गया था। हमने यह बताया कि चूंकि हमें कोई सूचना नहीं मिली थी इसलिए हम मजबूर थे। और आज भी विपक्ष के सदस्य व्यापक रूप से विभिन्न लेखों का उल्लेख कर रहे हैं। उन्हें ये जानकारियां कौन दे रहा है ? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह उच्च पद उनके और विपक्ष के बाच सेतु है और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के सुझावों के अनुसार केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति को सहायता देने का कोई विचार नहीं है।

पुन: विधान सभा को भंग करने के संबंध में सरकारिया आयोग के पृष्ठ 128 पैरा 4.11.09 में की गई सिफारिशों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

> "डा. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि जब मंत्रिमंडल ने विधान सभा में अपना विश्वास खो दिया हो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और जिस क्षण ऐसा होता तभी राज्यपाल अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उसे भंग कर सकता है। परिणामस्वरूप राज्यपाल तब तक अपनी मंत्रि परिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक बहुमत का उसमें विश्वास है और इसके विपरीत वह उस मंत्रि परिषद को भंग करने के लिए बाध्य है यदि वह बहुमत का विश्वास खो देता है परन्तु त्यागपत्र नहीं देता।"

इसलिए, यहां एक ऐसी सरकार का मामला है जिसने अपना बहुमत खो दिया है। 15 विधायकों का मामला उच्चतम न्यायालय में है, सात कैबिनेट मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है, और 13 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। तो बाकी बचा क्या ? राज्यपाल यह कैसे कह सकता है सरकार का वहां बहुमत है ?

सबसे आश्चर्यजनक बात यह है जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि अधिकांश संचार माध्यमों ने तथ्य को प्रस्तुत करते समय या उस पर टिप्पणी करते हुए एक तरह से केन्द्र सरकार की आलोचना की है। लेकिन 30 मार्च के 'द हिन्दू' में यह कहा गया कि "सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि केन्द्र को बिना सूचित किए हुए राज्यपाल ने अत्यधिक तत्परता से कारंवाई की। विधान सभा का भंग किया अवश्यभावी था और गृहमंत्री श्री एस. बी. चव्हाण जो स्वयं अनजान थे, उन्होंने संसद को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस मामले में विधि मंत्रालय से विचार विमर्श किया गया था। संवैधानिक इतिहास में ऐसे मामले कम हो सामने हैं जिसमें राज्यपाल ने अपनी मर्जी से निर्णय लिया है।

यह सब समाचार पत्रों में छपा है। ये विचार उन लोगों ने व्यक्त किये हैं जो केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं।

अब मैं सभा का ध्यान अनुच्छेद 356 की तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से काफी कुछ उद्धृत किया है। मैं भी वहां से ही उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे मुद्दे रखे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : अब मैं अनुच्छेद 356 के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 17 के पैरा 356 को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें निम्नलिखित बातें कही गयी है :

"यदि ऐसी सरकार स्थापित करना संभव नहीं है और यदि बगैर किसी विलम्ब के नये चुनाव कराये जा सकते हैं, तो उन्हें तो वर्तमान जाने वाली सरकार से यदि कोई सत्ता में है, तो कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्यजारी रखने के लिए कहा जाना चाहिए बशर्ते कि वह सरकार केवल प्रमुख नीति संबंधी मुद्दों पर हारी हो, कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो और सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हों।"

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है।

श्री ए. चार्ल्स : यह एक बहुत विशेष मुद्दा है, कामचलाऊ सरकार को केवल तभी जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है, यदि सरकार मुख्य नीति संबंधी मामलों पर हार जाए। यह आयोग की एक सिफारिश है। मेरा मतलब यह है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार जो जो कुछ हुआ है उसे किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे कई कार्य है जो कानूनी तौर पर अनुचित नहीं हो सकते हैं लेकिन वे नैतिक रूप से असम्य हैं। मैं महसूस करता हूं कि जो कुछ भी हुआ वह संसदीय मानकों के विरुद्ध है, मूल्यों और नैतिकता के विरुद्ध है और संवैधानिक मर्यादा के सभी मानकों के विरुद्ध है। जिस जल्दबाजी से विधान सभा भंग की गयी और चुने हुए सदस्यों को हटाया गया उसे नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

जिस तरह से राज्यपाल को हटाया गया उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं इस संबंध में बात नहीं करूंगा। लेकिन जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो जो कुछ हुआ था उसकी तरफ मैं उस महान सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लगभग 13 राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था।

केरल में तत्कालीन राज्यपाल को राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन के जरिए त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपना त्यागपत्र तैयार किया और एक विशेष संदेश वाहक के द्वारा भेज दिया। केवल तभी उन्हें पता चला कि अगले दिन विधान सभा की बैठक होनी है और राज्यपाल को विधान सभा में अभिभाषण देने का संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाना है। फिर तो एक संकट पैदा हो गया। अतः यहां से पुनः संदेश भेजा गया कि वह तब तक अपना त्यागपत्र न भेजें जब तक कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। इस पर राज्यपाल ने इन्कार कर दिया। तब दिल्ली से दबाव डाला गया और अन्ततः कांग्रेस के उच्च आदर्शों के अनुरूप राज्यपाल ने विधान सभा में अभिभाषण दिया। यह बहुत ही बदनामी की बात थी क्योंकि सभी समाचार पत्रों में यह प्रश्न उछाला गया था कि क्या राज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया है या वह कार्यभार संभाले हुए है और कौन विधान सभा में अभिभाषण देगा। यह सब उस समय हुआ था और अब वे मूल्यों के बारे में बात करते हैं।

इस सरकार के सत्ता में आए हुए दस माह गुजर चुके हैं। इस सरकार ने भी जो राज्यपाल को हाथ नहीं लगाया है। परिस्थितिवश नागालैंड में जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। श्री चार्ल्स

फर्नान्डीज यहां नहीं है। उन्होंने कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की बात की है। उनका यह कहना कि कानून और व्यवस्था को पूरी तरह से अवहेलना की गई है क्या मतलब है ? क्या कानून और व्यवस्था की अवहेलना और कानून और व्यवस्था के बिगड़ने में कोई अन्तर है ? अतः केन्द्र सरकार ने जो कुछ भी किया है वह संविधान के अन्तर्गत कानून के मुताबिक किया है, संविधान की नैतिक जिम्मेदारी के अन्तर्गत किया है। मैं संविधान अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की अधिसूचना का पुरजोर समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य। मैं समझता हूं कि आप अपने मुद्दों को थोड़े समय में अच्छी तरह से रखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा और इसका खुलासा भी करने की कोशिश करूंगा। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा जिनका जिक्र मेरे इस पक्ष के सदस्य पहले ही कर चुके हों।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। यही हम चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था, निरनुमोदन का प्रस्ताव दिया था और यह नागालैंड में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी घोषणा को रद्द करने के सम्बन्ध में था। और मुझे बताया कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रस्ताव क्या है ? आपको सभा में प्रस्ताव के नोटिसों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह परम्परा नहीं है। यदि आप सभा के सचिवालय को दिए गए नोटिसों का यहां जिक्र करना शुरु कर दें तो हमें सभा में दो लाख से अधिक नोटिसों से निपटना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह तो नागालैंड में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दे पर आइए। आपको बोलने का अवसर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम सभी महसूस करते हैं कि जो घोषणा नागालैंड के बारे में की गयी थी वह एक दम संविधान का उल्लंघन है संविधान में यह बात बहुत स्पष्ट कही गयी है कि अनुच्छेद 356 कब लागू किया जा सकता है। नागालैंड में राज्यपाल ने संविधान के अनुसार, मुख्यमन्त्री तथा उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य किया है जिसे उस वक्त बहुमत प्राप्त था। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी कि वह विधान सभा को भंग करे और नया जनादेश प्राप्त करने को कहें, एक नया चुनाव करायें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह सब बहुत स्पष्ट रूप से कहा है।

जब गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ने एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया था तो हमने राज्यपाल की रिपोर्ट की मांग की थी और हम जानना चाहते थे कि क्या राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 की घोषणा करने की सिफारिश की थी, क्या उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि नागालैंड राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यही अनुच्छेद 356 में कहा है। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा

न केवल तभी की जा सकती है जब कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाये बल्कि जब राज्य संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। अब यहां अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है। अपना यह निर्णय लेने के एक दम बाद उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया कि विधान सभा भंग कर दी गयी है और नया जनादेश लेने, नये चुनाव कराने के लिए एक कामचलाऊ सरकार नियुक्त की गयी है। उन्होंने यह निर्णय संविधान के अनुसार लिया। अनुच्छेद 174 (2) के अन्तर्गत उन्होंने तत्काल भारत के राष्ट्रपति को सूचित किया कि उनके पास विधान सभा भंग करने तथा नये चुनाव कराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया। लेकिन गृह मंत्रालय के राज्य मन्त्री श्री जैकब ने सभा में अपना वक्तव्य देते हुए इसे गलत उद्धृत किया था। और हम जानना चाहते थे कि राज्यपाल की रिपोर्ट में सही-सही क्या था; क्या राज्यपाल ने यह कहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्या नागालैंड राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा था कि वहां कानून और व्यवस्था की अवहेलना की गयी है। हमारे देश में कई राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और यह सामान्य नहीं हुई। मैं जानना चाहूंगा कि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया और नागालैंड में अनुच्छेद 356 क्यों लागू किया गया।

केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, पहले मिजोरम, फिर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड में ऐसा किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप घंटी क्यों बजा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि आप केवल एक संक्षिप्त भाषण देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 6 म.प. तक बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी सदस्यों को दण्ड नहीं दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 6 म. प. तक बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : अन्य सदस्य एक घंटे तक बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसी वजह से आपको मुद्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग किया गया है, हमें इस बात का अनुभव है कि 1959 में कैसे केरल की गैर कांग्रेसी सरकार को अनुच्छेद 356 लागू करके भंग

किया गया था। आपको अच्छी तरह से पता है कि डा. बी. आर. अम्बेडकर जिनकी जन्मशती 14 अप्रैल को मनाई गई, का अनुच्छेद 356 को लागू करने के सम्बन्ध मे क्या कहना था। आपको पता होगा कि जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 जोड़ा गया था तो उन्होने कहा था कि भले ही अनुच्छेद 356 संविधान में है लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभार ही किया जाना चाहिए। लेकिन हमने पिछले 40 वर्षों में क्या देखा है? इस अनुच्छेद 356 को कई बार बहुत ही पक्षपात रूप से लागू किया गया है. सरकारिया आयोग ने गौर किया है कि 56 में से 27 बार इस अनुच्छेद 356को पक्षपात पूर्ण ढंग से लागू किया गया है। इस अनुच्छेद 356 का तब भी लागू किया गया है जब केन्द्र और राज्यों में विभिन्न दल सत्ता मे थे और राज्य सरकारें भंग की गई। लेकिन यह इस मामले विशेष में, नागालैंड राज्य में राज्यपाल ने संविधान के अनुरूप कार्य किया है और जब राज्यपाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। हमने सरकार को इसका कोई खंडन करते नहीं देखा है। राज्यपाल ने केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों को चुनौती दी है।

सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 लागू करने के बारे में यह टिप्पणी की है कि इसे कब लागू किया जा सकता है, कब लागू किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने बल्कि संवैधानिक तन्त्र विफल होने पर भी अनुच्छेद 356 लागू किया जाना चाहिए।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या संवैधानिक तंत्र विफल हुआ था। कानून और व्यवस्था की स्थिति की उपेक्षा करने से संवैधानिक तंत्र विफल होता है। क्या राज्यपाल ने संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया था? हमने देखा है कि बिहार के राज्यपाल को कैसे हटाया गया था। वह इस सभा के सदस्य हैं। वह हमारे सहयोगी हैं। उन्हें क्यों हटाया गया था? उन्हें त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने बिहार मंत्री परिषद द्वारा तैयार राज्यपाल का भाषण पढा था, जिसमें केन्द्र सरकार की कार्यवाही की कुछ आलोचना की थी। चूंकि बिहार के राज्यपाल ने संविधान के अनुसार काम किया था इसलिए उन्हें हटा दिया गया था। जब श्री बरनाला तमिलनाडु के राज्यपाल थे तब तमिलनाडु की विधान सभा भंग कर दी गई थी। उन्हें एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। उन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया था। यही उनकी गलती थी और केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया गया तथा विधान सभा को भंग कर दिया गया।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया की?

(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : गृह मंत्री सभा को यह बात स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं, क्या राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य है या नहीं। डा. रघुकुल तिलक के मामले में उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्ट निर्णय था जिसका अन्य सदस्यों ने भी उल्लेख किया है, राज्यपाल केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है। वह केन्द्र सरकार का नौकर नहीं है। वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी है लेकिन उसके पास कुछ शक्तियां हैं और उसे संवि-

धान के अनुसार कार्य करना होता है। नागालैंड में अनुच्छेद 356 लागू कर केन्द्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसने अनुच्छेद 356 का उल्लंघन किया है। इसने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कॉंग्रेस दल चुनाव से डरता है, विधानसभा भंग करने से नये चुनाव करवाने पड़ते हैं, नया जनादेश लेना पड़ता है। जब पश्चिम बंगाल में मंत्रिमण्डल ने इसका कार्यकाल समाप्त होने से सात माह पहले निर्णय लिया था और मुख्यमंत्री ने सिफारिश की थी कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए ताकि नया जनादेश लिया जा सके तब कॉंग्रेस (इ) ने क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं किया क्योंकि मंत्रिमंडल ने नया जनादेश लेने के लिए विधान सभा भंग करने का निर्णय लिया था। नागालैंड में भी 24 मार्च को जिस दिन मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी मंत्रिमंडल को पूर्ण बहुमत प्राप्त था। वह उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। मन्त्रिमण्डल की बैठक के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी लेकिन इसकी बैठक हुई थी और इसने निर्णय लिया। मन्त्रिमण्डल को विधान सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था। शायद अध्यक्ष महोदय ने पन्द्रह सदस्यों को अयोग्य घोषित किया था और उनका मामला अभी भी लम्बित पड़ा है। अतः मन्त्रिमंडल को सत्ता दल के चालीस में से चौबीस सदस्यों का समर्थन प्राप्त था उन्होंने एक बैठक की और विधान सभा भंग करने की सिफारिश की तथा नये चुनाव की मांग की।

5. 49 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह किस बात की ओर संकेत करता है? तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री वामुजो ने पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को संगठित करने तथा वहां विशेष रूप से नागालैंड में विद्रोह की भावना को दबाने का प्रयास किया था। केन्द्र सरकार के इन निरंकुश उपायों से पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की भावना बढ़ेगी। नागालैंड में इस प्रकार के कार्य केन्द्र सरकार के अपने व्यक्ति ही कर रहे हैं, अपनी पसंद का राज्यपाल नियुक्त करना तथा चुनाव करवाकर सत्ता हासिल करना सही नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण तथा अवसरवादी रवैये अपनाकर केन्द्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। हमें डर है......

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अनेक अन्य सदस्यों भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं 6.00 बजे तक अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्य व्यक्ति भी आपके सहयोगी हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने 20 मिनट ही बोला है। यदि आप अनुमति देंगे, तब मैं कल भी बोलूंगा।

श्री हरिकिशोरसिंह (शिवहर) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य व्यक्ति भी है । वक्ताओं की लम्बी सूची है और उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : चूंकि इस पर कल भी चर्चा होगी इसलिए मैं कल भी बोलूंगा । अब मैं 6.00 बजे तक बोलूंगा :

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पूर्वोत्तर में नागालैंड एक प्रमुख राज्य है । इस बात का उल्लेख किया गया था कि यहां अलगाववाद का तत्व होगा । श्री संतोष मोहन देव अभी यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : वह आ जाएंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य : वह अभी यहां नहीं है । जब श्री आडवाणी ने यहीं के लोगों के अलगाववाद का उल्लेख किया था तब वह बहुत क्रुद्ध हो गए थे । हमने देखा है कि त्रिपुरा में कैसे कांग्रेस (इ) का शासन लागू कर दिया गया था । उन्हें इसका अनुभव था । वह चुनाव के समय वहीं मौजूद थे ।

श्री मनोरंजन भक्त : हमने निष्पक्ष चुनाव करवाए थे । लोगों ने कांग्रेस को जनादेश दिया ।

श्री बसुदेव आचार्य : इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक यह है कि 'त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव हुए थे ।' हर कोई जानता है कि आपने त्रिपुरा में क्या किया था और अब वहां क्या हो रहा है । हम जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों का सामना कर रहे । और हम किन परिस्थितियों का । आप देश की एकता और अखण्डता में रुचि नहीं रखते । आप केवल सत्ता में रहना चाहते हैं । इसीलिए आप ऐसे निरंकुश कदम उठा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं ताकि आप वहां अपनी पसंद की सरकार बना सकें । आप मणिपुर में विधान सभा के सामने जाने से क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : हम डर नहीं रहे हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : मणिपुर विधान सभा का सत्र अचानक ही स्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को दस दिन के भीतर विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कहा था । लेकिन अचानक ही मणिपुर विधान सभा को भंग कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री विधान सभा का सामना करने से डरते थे । इस समय मणिपुर में कांग्रेस (इ) सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है । जब सभा सत्र में नहीं थी तब राज्यपाल को पद से क्यों हटाया गया ! जब लोक सभा सात दिन के लिए स्थगित थी तब बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा दिया गया । उनकी क्या गलती थी ? उनकी गलती यह थी कि वे संविधान की रक्षा करना चाहते थे । उन्होंने संविधान के अनुसार कार्य किया । उन्होंने मंत्रिमण्डल की सलाह के अनुसार कार्य किया जिसने 24 मार्च को हुई अपनी बैठक में विधान सभा भंग करने का निर्णय लिया था । यही उनकी गलती थी और इसी के लिए उन्हें यह सजा दी गई । न केवल अनुच्छेद, 356 लागू किया गया बल्कि राज्यपाल

श्री थाम, जो भारत के संविधान के अनुसार कार्य कर रहे थे, को उनके पद से हटा दिया गया तथा अन्य राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या जनता में अलगाववाद नहीं फैलेगा—श्री संतोष मोहन देव आ गए हैं—क्या पूर्वोत्तर राज्यों की जनता अब यह महसूस नहीं करेगी कि उन्हें उनकी सरकार से वंचित नहीं किया गया है। वह अपनी चुनी हुई सरकार चाहते हैं तथा केन्द्र सरकार ने उन्हें इसे वंचित कर दिया है। अतः प्रश्न यह है कि क्या वे महसूस नहीं करेंगे कि वहाँ ऐसा अलगाववाद नहीं होगा। (व्यवधान) यह व्यक्तिगत तौर पर इससे सहमत हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं बताने जा रहा हूँ।

श्री वसुदेव आचार्य : वह बोलेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि सत्ता कैसे ली जाती है। वह त्रिपुरा में सत्ता ले सकते हैं। वह यह तरीके जानते हैं। अतः महोदय, हम उनके बारे में बहुत चिंतित हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के अनेक भागों में पहले ही अलगाववादी आन्दोलन चल रहा है। केन्द्र सरकार इसकी परवाह नहीं करती है। उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार से चाहे संविधान का उल्लंघन करके सत्ता ग्रहण करना है। संविधान का उल्लंघन करके भी वह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अतः यह एक जीवंत उदाहरण है। नागालैण्ड जहां अनुच्छेद, 356 लागू किया गया है, संविधान के उल्लंघन का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए महोदय चूंकि आप इस सभा के संरक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, आप सरकार को यह निर्देश दीजिए कि उसने जो भी गलत कार्य किए उनमें सुधार किए जाएं। आप न केवल उन्हें फटकारें, उनकी भर्त्सना करें बल्कि उसे कहें कि उसने जो भी किया है वह असभ्य है। हममें से अनेक ने अनुच्छेद 356 के क्रियान्वयन को रद्द करने के लिए लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। हम चाहते हैं कि सभा इसे पारित करे। कांग्रेस (इ) के अनेक सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे। उन्हें संविधान का समर्थन और संरक्षण करना चाहिए। अतः महोदय, यदि गृह मन्त्री द्वारा प्रस्तुत यह सांविधिक संकल्प अस्वीकार हो जाता है तब उनका कोई तर्क नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वक्ताओं की लम्बी सूची है। अनेक सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। अतः सभा की क्या यह इच्छा है कि समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल, 22 अप्रैल, 1992 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 अप्रैल, 1992, 2 बैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्केट दिल्ली-6